लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र / Eleventh Session]

Preservation Unit
12-1-92
Fumigated
On 9.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61642
Date 11.12.70

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची CONTENTS

अंक 17, बुधवार, 19 अगस्त, 1970/28 श्रावण, 1892 (शक)

No. 17, Wednesday, August 19, 1970/Sravana 28, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
481	भारत के पूर्वी आंचल के पहाड़ी क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिये चिटगांव में पाकिस्तान के उच्च सैनिक अधिकारियों तथा विद्रोही नागा नेताओं का शिखर सम्मेलन	Summit Meeting between Military Officials of Pakistan and Leaders of Hostile Nagas near Chittagong to liberate the Hilly Area in Eastern Region	1-5
482	तेल लेने के लिये पाकिस्तानी वायु सेना के विमानों को भारतीय क्षेत्र में उड़ान मारने की अनुमति	Permission to Pak Air Force Planes to fly over Indian Territory for Refuelling	5-7
483	राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर जांच करने के लिये आयोग	Commission to enquire into the Question of National Security	7-11
486	आयुध कारखानों के लिये उच्चस्तरीय समिति की स्थापना	Setting up of a high powered Committee for Ordnance Factories	11-13
487	अमरीका तथा अन्य देशों के साथ संबन्ध सुधारना	Improving relations with USA and other countries	13-15

प्रश्नों के लिखित उत्तर / Written Answers to Questions

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
484	औद्योगिक तत्परता योजना	Industrial Mobilisation Plan	15
485	लाओस की समस्या के लिये भारत का मध्यस्थता करने का प्रस्ताव	India's Mediation offer for Laos Problem	15-16

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
488	मैमनसिंह गारो पहाड़ी पर सीमा स्तम्भ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा	Discussion regarding boundary Pillar on Mymensing Garo Mills.	16
489	अमरीकी सशस्त्र सेनाओं के लिये भारत में गुरखों की भर्ती	Recruitment of Gurkhas in India for Armed Forces	16-17
490	प्रतिरक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये एक नया विभाग बनाना	Creation of a new department for Scientific Research in Defence Ministry	17
491	इस्लामी सचिवालय की स्थापना	Setting up of Islamic Secretariat	17-18
492	आयुध कारखानों में काम की कमी	Shortage of work in Ordnance Factories	18
493	निर्यात प्राप्त उद्योगों को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Export Oriented Industries	18-19
494	वायु सेना के लिये फ्लाइंग अकेडमी	Flying Academy for Air Force	19
495	हथकरघा वस्तुओं के निर्यात के लिये प्रमाण पत्र देने की योजना	Certification scheme for export of HandloomGoods	19-20
496	ब्रिटेन के जहाज द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई तथा तुर्की और पाकिस्तान में टैंकों का सौदा	Arms Supply to Pak. through British Ship and Tank deal between Turkey and Pakistan	20
497	दामोदर घाटी निगम द्वारा खुले बाजार से ऋण	Borrowing of funds from open Market by DVC	20-21
498	स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना अधिनियमों के लिए एकीकृत संहिता	Unified Code for Army, Air Forces and Navy acts	21
499	पश्चिम बङ्गाल राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये तथा पश्चिम बङ्गाल में अन्य परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये चौथी योजना के परिव्यय में वृद्धि करने के हेतु दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by West Bengal National Chamber of Commerce for raising 4th Plan outlay for tackling unemployment problem and for taking up other projects in West Bengal	21-22
500	सिंचाई विद्युत परियोजनाओं की मशीनों में प्रयोग के लिये फालतू पुर्जों की कमी	Paucity of spares for use in irrigation Power Projects machinery	22-23
501	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में रेडियो मास्को से प्रसारण	Radio Moscow broadcast about R. S. S.	23
502	भारत द्वारा वियतनाम तथा कम्बोडिया के सम्बन्ध में एशियाई सम्मेलन बुलवाने में पहल करना	Initiative by India for convening of an Asian Conference for Vietnam and Cambodia	23-24

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.			
503	भूमिगत अणु बम विस्फोट	Underground Atomic explosion	24
504	भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण	Modernising Indian Air Force	24-25
505	सिंचाई के लक्ष्यों को पूरा न किये जाने के कारण, कृषि भूमि का उपयोग न किया जाना	Non-utilisation of Agricultural Land due to non fulfilment of Irrigation Targets	25-27
506	रूस को जूतों का निर्यात करने में असफलता	Failure in the export of shoes to USSR	27-28
507	भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीयों द्वारा छोड़ी गयी आस्तियों को अपने हाथ में लेना तथा भारत में उनके एवज में उनको हर्जाना देना	Taking over of assets left by Indians by Indian Missions and and to Compensate them in India	28
5(8	पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिये नया संविधान और राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार	A New Constitution and Presidential Type Government for Pak. Occupied Kashmir	28
509	भारत-अफगान व्यापार करार	Indo-Afghan Trade Agreement	29
510	आयात तथा निर्यात व्यापार तथा उद्योग को अनुभव होने वाली कठिनाइयों का का अध्ययन करने तथा उनको दूर करने के लिये एक समिति की स्थापना	Setting up of a Committee to Study and solve the Difficulties Experienced by Import and Export Trade and Industry	29-30
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
3191	भारत जाने के इच्छुक श्रीलंका के भारतीय व्यापारी	Ceylon Indian Traders Wanting to Come to India	30-31
3192	रैयन धागे के निर्यात के लिये कनाडा की एक फर्म के साथ करार	Agreement with a Candian Firm for the Export of Rayon Yarn	31
3193	जापानी सहयोग	Japanese Collaboration	31-32
3194	दामोदर घाटी निगम की कलकत्ता निगम इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की बिजली सप्लाई करने की संशोधित दरें	Revised Electricity Supply Races of DVC to CESC	32-33
3195	दामोदर घाटी निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये वेतन समिति नियुक्त करना	Appointment of Pay Committee by DVC for its employees	33

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3196	दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों में अन्तर	Different Electricity supply Rates of DVC	34
3197	बिजली प्रदाय उपक्रमों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को दामोदर घाटी निगम पर लागू करना	Application of Recommendations of Wage Board for Electric Supply Undertakings to DVC	34-35
3198	कपड़ा तैयार करने की मशीनों और कलपुर्जों का निर्यात	Export of Textile Machinery and Components	35
3199	इंजीनियरी के सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods	35-36
3200	आंध्र प्रदेश के निजाम सागर जलाशय में गाद का भरना	Silting of Nizamsagar Reservoir, Andhra Pradesh	36
3201	मऊ छावनी क्षेत्र में काल गर्ल सप्लाई करने वाला गिरोह	Call girl Racket operating in Mhow Cantt. Area	37
3202	सेन्ट्रल कैंटीन स्टोर्स विभाग (इण्डिया) के नये चेयरमैन की नियुक्ति	Appointment of a new Chairman on Canteen Stores Department (India)	37-38
3203	सेना के अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन	Permanent Commission to short Service Commissioned Officers of the Army	38
3204	सूडान में भारतीय व्यापार गृहों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Indian Business Houses in Sudan	38
3205	विदेशों से उपहारस्वरूप मिले ट्रेक्टर	Tractors Received as Gift from Foreign Countries	39
3206	एयर फ्रांस के विमानों द्वारा भारतीयों को ब्रिटेन ले जाना	Smuggling of Indians to U. K. in AIR France Planes	39-40
3207	जौन स्मिथ द्वारा लिखित "आई वाज ए० सी० आई० ए० एजेंट" नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध	Banning the Book "I was A CIA Agent" by John Smith	40
3208	कृत्रिम रेशे के निर्माताओं को उदार मूल्य नीति अपनाने की सलाह	Advice to artificial fibre manufactures to follow an enlightened Price policy	40-41
3209	राजस्थान में स्टेट वूलन मिल्स में की गई अनियमितताएं	Irregularities committed in State Woollen Mills in Rajasthan	41
3210	विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करना	Setting up of Joint Ventures in Foreign Countries	41-43
3211	व्यापार विकास एजेंसी	Trade Development Agency	43-44
3212	देहातों में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commission to go into Problem of Rural Unemployment	44

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S Q. Nos.		
3213 जापान तथा अन्य देशों को लौह अस्यक का जहाज द्वारा भेजा जाना	Shipment of Iron Ore to Japan and other Countries	44-45
3214 भारत-कोलम्बिया के बीच व्यापार करार	Indo-Columbia Trade Agreement	46
3215 औद्योगिक कच्चे माल सम्बन्धी सहायता केन्द्र का कार्यकरण	Functioning of Industrial Raw Materials Assistance Centre	46-47
3217 टेलीविजन सेट बनाने के लिये पुर्जों की खरीद	Purchase of components for Assembling T. V. Sets	47
3219 रूस सरकार के रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों की आलोचना किया जाना	USSR Radio Peace and Progress attack on Indian Political Parties	47
3220 आसाम और दार्जिलिंग की चाय के जहाजों का कान्डला पत्तन द्वारा ब्रिटेन को भेजा जाना	Diversion of shipment of Assam and Darjeeling Tea through Kandla Port to U. K.	48
3221 राजस्थान अणुशक्ति परियोजना में संघों की परस्पर शत्रुता के कारण कर्मचारियों की मृत्यु	Death of workers as a result of Inter-Union Rivalry in Rajashtan Atomic Power Project	48-49
3222 पश्चिम बङ्गाल विद्युत करघा जांच आयोग	West Bengal Powerloom Enquiry Commission	49-50
3223 संयुक्त राष्ट्र में लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय युवक संगठनों का भाग न लेना	Non-Representation of All India Youth Organisations in Indian Delegation which participated in the U. N.	50
3224 देश में अनुसन्धान तथा विकास ढांचे का पूर्णरूप से सुधार करने के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Expert Body's Report on overhauling of Research and Development Strucure in the Counrty	50-51
3225 दक्षिण भारत की नदियों में गाद जमा हो जाने के बारे में सर्वेक्षण	Surveying of Silting up of Rivers in South India	51
3226 भारतीय सुरक्षा सेना और भूमिगत नागाओं के बीच मुठभेड़ें	Clashes between Indian Security Forces and Underground Nagas	51-52
3227 भारत बर्मा सीमा आयोग में मनीपुर के अधिकारी को शामिल करना	Inclusion of Manipuri Official in Indo-Burma Boundary Commission	52
3228 'वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस' का दुरुपयोग	Misuse of 'Actual Users Imprort Licence'	52-53

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3230	मणिपुर तथा त्रिपुरा में विद्रोहियों के साथ फीजो समर्थक गुट का सम्पर्क	Pro-Phizo faction Rapport with Rebels in Manipur and Tripura	53
3231	प्रवर्तन अनुसन्धान दल द्वारा दी गई सिफारिशें	Recommendations made by operation Research Group	53-55
3232	चीन द्वारा छिपे छापामारों के लिये हथियार सप्लाई करने का अड्डा बनाने का प्रस्ताव	China's Offer of Arms supply Base for Undergound Guerillas	55
3233	कपास उत्पादकों को कपास के मूल्य का भुगतान	Price of cotton paid to cotton growers	55-56
3235	परमाणु शक्ति आयोग की भाँति इलैक्ट्रानिक्स आयोग की स्थापना	Setting up of an Electronics Commission on the lines of Atomic Energy Commission	56
3236	कानपुर में कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेना	Taking over of Textile Mills at Kanpur	56
3237	भाड़े में वृद्धि के कारण सीमेंट के निर्यात में कमी	Decrease in export of cement due to freight rise	56-57
3238	गुजरात राज्य के कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Gujarat State Textile Mills	57
3239	पश्चिम कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	57
3240	बिहार की फतुहा मोकामेह बढलिया ताल सिंचाई परियोजना	Fatuha Mokameh Barhiya Taj Irrigation Project for Bihar	57-58
3241	कपड़ा उद्योग में सरकारी क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal envisaging projection of Public Sector in Textile Industries	58
3242	चोरी छिपे लाये गये तथा पकड़े गये मसालों की बिक्री के लिये लाइसेंस दिया जाना	Issue of licences for sale of seized smuggled spices	58
3243	चाय का निर्यात	Export of Tea	59
3244	विदेशों में अच्छे पदों की तलाश करने के लिये होनहार इंजीनियरों द्वारा भारत छोड़ना	Promising engineers leaving India for better jobs in foreign countries	59-60
3245	भूतपूर्व सैनिकों को मोटरगाड़ियों / कारों तथा आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन	Allotment of vehicles, cars and imported tractors to ex-servicemen	60-61
3246	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	National Cadet Corps	61
3247	भारत-पाकिस्तान युद्ध में विकलांग हुये सैनिकों को रोजगार	Employment of Army Personnel disabled during Indo-Pak conflict	61-62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3248 उत्तर प्रदेश में एक अणु शक्ति केन्द्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Power Station in U. P.	62
3249 यूरोपीय देशों को राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधि मंडल	S. T. C. delegation to European countries	62-63
3250 प्रतिरक्षा सम्बन्धी मांगों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योगों पर निर्भरता	Dependence on Private Sector and Small Scale industries for defence Demands	63
3251 मैसूर की कालीनदी पर बिजली परियोजना	Kalinadi Hydro-Electric Project, Mysore	63-64
3252 सूती कपड़ा सलाहकार समिति की 18 जुलाई, 1970 को बम्बई में होने वाली बैठक का रद्द किया जाना	Concellation of the Cotton Textile consultative meeting to be held in Bombay on 18th July, 1970	64
3253 रोडेशिया के विरुद्ध प्रतिबन्ध	Sanction against Rhodesia	64-65
3254 भारत के निर्यात में वृद्धि करने के लिये जोरदार कार्यक्रम	Crash Programme for Roosting India's Exports	65
3255 सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज एम्पोरियम, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Central Cottage Industries Emporium. Delhi	66
3256 दिल्ली में बिजली की कमी	Power shortage in Delhi	66
3257 भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार	Indo-UAR Trade Agreement	66-67
3258 मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद गुप्तचर विभाग का गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाना	Placing of Department of Intelligence under Ministry of Home Affairs after Cabinet reshuffle	67
3259 विदेशों में लगे व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in Trade Fairs abroad	67-70
3260 राजस्थान अणु-शक्ति संयंत्र को चालू करने में विलम्ब	Delay in the commissioning of Rajasthan Atomic Power Plant	70-71
3261 रूस-भारत मैत्री संगठनों में राजनीतिक जासूस	Political spies in Soviet-India Friendship Organisations	71
3262 बंगलौर के निकट एच० एफ० चिन्ह वाले विमान की दुर्घटना सम्बन्धी जांच न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Court of Enquiry on H. F. Mark Aircraft crash near Bangalore	72
3263 चीन के साथ बातचीत	Dialogue with China	72-73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3264 एवरो 748 विमान का निर्माण	Production of AVRO 748	72
3265 मुख्य पन बिजली परियोजनाओं में निर्माण कार्य सम्बन्धी उपकरण का उपयोग	Utlisation of construction equipment at Major Hydro Electric Projects	72-73
3266 ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना	Linking of Brahmaputra with Ganga	73-74
3267 ताइवान, इसराइल, दक्षिण वियतनाम तथा दक्षिण कोरिया के साथ निर्यात तथा आयात व्यापार	Export and import trade with Taiwan, Israel, South Vietnam and South Korea	74-75
3268 रुई व्यापार में हुई हानि	Loss incurred in Cotton trade	75
3269 विदेशों में भारतीयों पर प्रतिबन्ध	Curbs on Indians in foreign countries	75-76
3270 सभी राज्यों में कृषि कार्यों के लिये बिजली की समान दर	Uniform electric rates for agricultural purposes in all states	77
3271 तम्बाकू का निर्यात	Export of tobacco	77
3272 कानपुर में एक विशेष मिश्र इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of a special alloy steel plant at Kanpur	78
3273 आपातकाल में सेना में भर्ती हुए असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भविष्य निधि की सुविधायें	Benefits of pay and provident fund to Civil servants who joined military during Emergency	78
3274 प्रधान मन्त्री के बांकुरा दौरे के अवसर पर पश्चिम बंगाल में हैलीकाप्टर उतारने के लिये हैलिपैड का निर्माण	Construction of Helipad for landing Helicopter in West Bengal on the occasion of P.M.'s visit to Bankura	78-79
3275 कलकत्ता विद्युत प्रदाय द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in rates of power by Calcutta Electric supply corporation	79-80
3276 मध्य पूर्व में शान्ति सम्बन्धी अमरीकी प्रस्ताव	American Middle East Peace proposals	80
3277 अजय नदी पर बाढ़ नियंत्रक जलाशय का निर्माण	Construction of flood control Reservoir on Ajoy River	80
3278 जूट के फालतू भंडार	Buffer stock of jute	81
3279 चौथी पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष में रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के लिये योजनायें	Schemes for creating larger employment potential during the current year of 4th Plan	81
3281 भारत का निर्यात तथा आयात	India's export and Imports	82
3282 रूस के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार	Long term Trade Agreement with USSR	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3283 फ्रांस द्वारा भारत को मिराज विमानों की सप्लाई	Supply of Mirage Aircraft by France to India	82-83
3284 रूई, चावल और फास्फेट मिट्टी का संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात	Export of cotton, rice and rock Phosphate to UAR	83
3285 नागार्जुन सागर तथा कोसी परियोजना पर निर्माण कार्य सम्बन्धी उपकरणों का प्रयोग	Utilisation of construction equipment at Nagarjunasagar and Koshi Projects	83-84
3286 नदी घाटी परियोजनाओं के लिये राज्यों को योजना परिव्यय के अतिरिक्त सहायता	Assistance to states for river valley projects outside plan outlay	84-85
3287 भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान द्वारा हरियाना की निर्यात क्षमता का विस्तृत सर्वेक्षण	Comprehensive survey of Haryana's Export potential by Indian Institute of Foreign Trade	85
3288 भारतीय माल के विक्रय में वृद्धि करने के लिये राज्य व्यापार निगम के साथ संयुक्त समवाय बनाने के लिए हांगकांग के भारतीय तथा चीनी व्यापारियों द्वारा सुझाव	Suggestion by Indian and Chinese Businessmen of Hong Kong to form a Joint Company with the State Trading Corporation to Promote sale of Indian Goods	85-86
3289 बिहार में बरामद हुए तस्करी के मसालों के विक्रय के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of licences for sale of seized smuggled speices in Bihar	86
3290 भारतीय पारपत्र नियम तथा मैडम बिन्ह की यात्रा	Indian Passport rules and Madame Binh's visit	86
3291 भीड़ द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण सेगोन में भारतीयों को हुई हानि	Loss suffered by Indians in Saigon as a result of Mob Attack	87
3292 सियूल परियोजना, हिमाचल प्रदेश, के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Siul Project, Himachal Pradesh.	87
3293 भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन द्वारा कम्प्यूटरों का निर्माण	Manufacture of computers by Electronics Corporation of India	87-88
3294 काफी का निर्यात	Export of coffee	88
3295 सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन के लिये समान प्रक्रिया स्वीकार करने वाले विदेशी दूतावास	Foreign Embassies accepting Uniform Procedure for Running Cultural Centres	88-89
3296 चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर पैदा करना	Creation of Employment opportunities during Fourth Plan	89-90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3297 हथ करघा माल के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Handloom Goods	90-91
3298 काफी डिपुओं द्वारा काफी चूर्ण की बिक्री	Sale of Coffee by Coffee Depots	91
3299 प्रतिरक्षा के लिये भारत को परमाणु क्षमता	Nuclear Capability for Defence of India	91-92
3300 श्री लंका से भारतीय प्रत्यावर्तियों की संख्या का बढ़ जाना	Stepping of Repatriation of Indians from Ceylon	92
3301 सैनिक आसूचना	Military Intelligence	92
3302 सैगान में भारतीय राष्ट्रीय झंडे का जलाया जाना	Burning down of Indian National Flag in Saigon	92-93
3303 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to Non-aligned Summit	93
3304 देश म सिचाई की आवश्यकता	Irrigation requirements of the country	93-94
3305 भारतीय नौ सेना के कर्मचारियों के स्तर को बनाये रखना तथा उनका प्रशिक्षण	Maintence and training of Personnel of the Indian Navy	94
3306 मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत केन्द्र का स्थापित किया जाना	Setting up of Thermal Power Stations in Madhya Pradesh	94-95
3308 मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास की दर	Rate of Economic Development in Madhya Pradesh	95
3309 हथकरघा वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Handloom Finance Corporation	95
3310 हिन्द महासागर में विदेशों के युद्धपोत	Warships stationed by foreign countries in Indian Ocean	95-96
3311 सिंचाई वाली भूमि	Land under Irrigation	96
3312 विकासशील देशों में क्षेत्रीय व्यापार में उदारता तथा क्षेत्र विशेष के विकसित तथा मुद्रा सम्बन्धी सहयोग	Regional Trade Liberalization and Monetary Cooperation among Developed and Developing Nations of the Regions	97-98
3313 अलकनन्दा दुर्घटना	Alkananda Tragedy	98-99
3315 परमाणु दुष्प्रभाव और युद्ध सम्बन्धी गति विधियों से हिन्द महासागर को बचाने के लिये संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही	Co-operative steps to keep Indian Ocean free from Nuclear Pollution and Warlike activities	99
3317 झुंझूनु के भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान मे भूमि का दिया जाना	Allotment of land to ex-soldiers of Jhunjhunu in Rajashtan	99-100
3318 केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन में वरिष्ठ अनुसंधान कर्त्ताओं का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of senior Investigators in the Central Statistical Organisation	100

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3320 देश में बेरोजगार की समस्या को हल करने की योजना	Plans for tackling unemployment in the country	100
3321 टेलीविजन सेटों का निर्माण और उनका मूल्य	Manufacture of T. V. Sets and their prices	101
3322 सरकारी क्षेत्र में काजू निगम की स्थापना	Cashew corporation in Public Sector	101-102
3323 ब्रिटेन तथा अमरीका स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Decrease in staff in Indian Missions in UK and US Embassies and Increase in staff in Indian Mission in U. S. S. R.	102-103
3325 सिले हुये कपड़ों का निर्यात	Export of Ready made Garments	104
3326 एक विदेशी होटल के "एम्पायर रूम" अशोक चक्र के चिन्ह का प्रयोग	Use of Ashoka Chakra as emblem of "Empire Room"	104-105
3327 श्रीमती बिन्ह द्वारा परमाणु शक्ति प्रतिष्ठान का निरीक्षण	Visit to Atomic Energy Installation by Madame Binh	105
3328 तारा निकाले जाने और परमाणु शक्ति के उत्पादन में पूंजीगत लागत में कमी करने के लिये परियोजनायें ।	Projects for Extraction of Copper and reduction in Capital Cost of Nuclear Power Production	105-106
3329 पाकिस्तान में हिन्दू अभिशाप को समाप्त करने के लिये अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान का तथा कथित महासंघ	Alleged confederation of Afghanistan, Iran and Pakistan to Fight Hindu Menace within Pakistan	106
3330 ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा तैयार की गयी टेलीविजन वृत्तचित्रों में भारतीय समाज के बारे में अप्रिय उल्लेख	Ugly reference to Indian society in BBC Televistion documentary	106
3331 राज्य व्यापार निगम द्वारा रेलवे के उपकरणों का निर्यात	Export of Railway Equipment by STC	106-107
3332 रूस और पाकिस्तान के मध्य व्यापार स्थल मार्ग	Soviet-Pakistan overland Trade Route	107
3333 संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने के बारे में भूटान के साथ बातचीत	Talks with Bhutan on UN Entry Issue	108
3334 हिन्द चीन में रूस द्वारा प्रतिसंतुलन बनाये रखने के लिये कार्यवाही	Soviet countervailing action in Indo-China	108
3335 छावनी बोर्ड, योलशिविरों में कर की बढ़ी हुई दरों को लागू करना	Imposition of enhanced rates of Taxation in Cantonment Board, Yolkhas	108-109

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3336	पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में जीव विज्ञानीय प्रयोगशाला का स्थापित किया जाना	Setting up of a Biological Laboratory at Palampur (H. P.)	109-111
3337	चाय के निर्यात में वृद्धि तथा विकास करने के लिये एक निगम की स्थापना	Setting up of a Corporation for Export Promotion and Development of Tea	111-112
3338	राजस्थान में खेतड़ी समूह में पाया गया यूरेनियम	Uranium found at Khetri complex in Rajasthan	112
3339	डा० तेजा का स्वदेश लाया जाना	Extradition of Dr. Teja	112-113
3340	बाढ़ों को रोकने के लिये कोसी नदी पर बांधों के निर्माण के लिये समिति आयोग की नियुक्ति	Appointtment of a committee Commission for Construction of Dams on Kosi River to check floods.	113
3341	पुर्तगाल को जेलों में भारतीय	Indian Freedom Fighters in Portugues Jails	113-114
3342	विदेशों के साथ व्यापार करार	Trade agreements with foreign countries	114
3343	दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई को रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव	U. N. Resolution to Bar the supply of arms to South Africa.	114-116
3344	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे रेशम का आयात	Import of Raw Silk through STC.	116
3345	राज्यों में अपर्याप्त आयोजना व्यवस्था के बारे में योजना आयोग उपाध्यक्ष की टिप्पणी	Remarks of Vice-Chairman Planning Commission about inadequate planning machinery in the states	116-117
3346	आयात नीति का क्रियान्वयन	Implementation of Import Policy	117
3347	सूती कपड़े के निर्यात के लिये यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ समझौता	Understanding with ECM countries for Export of Cotton Textiles	117-118
3348	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को रेलवे वैगनों की सप्लाई	Supply of Railway wagons to German Democratic Repubic	118
3349	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को संवाददाताओं द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Memorandum presented by Newsmen to Secretary, Department of Atomic Energy	118-119
3350	भूतपूर्व सैनिक लीग की मांगें	Demands of ex-servicemen league.	119
3351	तारापुर अणुशक्ति केन्द्र के एक कर्मचारी की विषैलो गैसों के अत: श्वसन से हुई मृत्यु	Death of an official of Tarapur Atomic Power Station due to Inhalation of Poisonous Gases	119-120

अता० प्र० सं० U S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3352	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas	120
3353	उत्तरी बिहार के लिये विकास परिषद् की स्थापना	Setting up of Development Co-cil for North Bihar	120-121
3354	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के निदेशक के पद के लिये विज्ञापन	Advertisement for the post of Director, C.S.I.R.	121-122
3355	पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आगमन को रोकने के लिये किये उपाय	Steps to stop Refugee Influx from East Pakistan	122
3356	स्थानीय खरीदारों को चाय की बिक्री	Sale of Tea to local Buyers	122
3357	एशियाई साझा बाजार	Asian Common Market	123
3358	भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में चीफ आर्किटेक्ट की नियुक्ति	Appointment of Cheif Architect in Bhabha Atomic Research Centre, Bombay	123
3359	अणुशक्ति आयोग के अधिकारियों के लिये बम्बई में 'लिटिल गिब्ज रोड' और 'रिज रोड' पर बने स्थानों के डिजाइनों के लिये वास्तुशिल्पों को किया गया भुगतान	Payment made to the Architect for designing Atomic Energy Commission officers' Apartments on little Gibbs and Ridge roads, Bombay	124
3360	वी० आर० डी० ई० संस्थान का अहमदनगर से आवडि में स्थानान्तरण	Shifting of V. R. D. E. Establishment from Ahmednaga to Avadi	124-125
3361	बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत सर्किल तथा प्रभाग	Circles and Divisions under Badarpur Thermal Power Project	125
3362	सेनाध्यक्ष द्वारा श्रीनगर का दौरा	Chief of Army Staff's visit to Srinagar	125-126
3363	प्रोत्साहन में कटौती करने के कारण स्क्रैप के निर्यात में कमी	Fall in export of scrap owing to cut in incentives	126
3364	प्रतिरक्षा मन्त्रालय में लेखा अधिकारियों/तकनीकी सहायकों/तकनीकी लिपिकों की नियुक्ति	Appointment of Accounts Officers/ Technical Assistant/Technical Clerks in Ministry of Defence	126-127
3365	मजगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा भंडार की खरीद	Purchase of Stores by Mazagon Docks Limited	127-128
3366	मजगांव डाक्स लिमिटेड का तकनीकी अधिकारी संघ	Technical Officers' Association of Mazagon Dock Ltd.	128-129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3367 भोजपुरी भाषा भाषी देशों में प्रतिनिधि मन्डल	Delegation to countries where Bhojpuri is spoken	129
3368 परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी न किये गये विज्ञान कर्मचारी	Scientific staff of Atomic Minerals Division not made, Permanent	129
3369 परमाणु खनिज प्रभाग के विज्ञान कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotions of Scienific staff of Atomic Minerals Division	129-130
3370 वायु, भूमि तथा समुद्री सीमाओं का उल्लंघन	Air, Land and Territorial waters violations	130
3372 राष्ट्रनायक शिवाजी का कथित अनादर	Alleged disrespect to the National Hero-Shivaji	130-131
3373 सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करने के बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by the Committee on Untouchability reregarding recruitment in Armed Forces	131
अविलम्बकीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	131-135
अमरनाथ की यात्रा में हुई दुर्घटना	Amarnath Pilgrimage Mishap	
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri. D. N. Patodia	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri. K. C. Pant	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	136-137
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	137
छियासठवां प्रतिवेदन	Sixty-sixth Report	
राजस्थान और गुजरात के कतिपय भागों में विमान द्वारा चीनी भाषा में पर्चियां फेकें जाने के समाचार की जांच के बारे में वक्तव्य	Statement re.investigations into reported airdropping of Chinese language leaflets at places in Rajasthan and Gujarat	137-138
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	
खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित	Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Amendment Bill Introduced	138 139
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धो समिति	Motions re. Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and Committee on Untouchability	139-140

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	
भूमि-सुधार सम्बन्धी उपायों तथा भूमि पर कब्जा करने के आन्दोलन के बारे में चर्चा	Discussion re. Land Reform Measures and the Movement for occupation of lands	140-168
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	141
डा० राम सुभग सिंह	Dr, Ram Subhag Singh	143
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	144
श्री रंगा	Shri Ranga	145
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	146
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	147
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	148
श्री वी० कृष्णामूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	149
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	150
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	151
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	152
श्री उमानाथ	Shri Umanath	154
श्री सीता राम केसरी	Shri Sita Ram Kesri	156
श्री बदरुद्दुजा	Shri Badrudduja	156
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	158
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	159
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	160
श्री चेंगला राय नायडू	Shri Chengalraya Naidu	161
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	163
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	164

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 19 अगस्त, 1970/28 श्रावण, 1892 (शक)
Wednesday, August 19, 1970/ Sravana 28, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत के पूर्वी आंचल के पहाड़ी क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिये चिटगांव में पाकिस्तान के उच्च सैनिक अधिकारियों तथा विद्रोही नागा नेताओं का शिखर सम्मेलन

*** 481. श्री नन्दकुमार सोमानी :** **श्री धी० ना० देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री नंजा गौडर :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1970 के 'पेट्रियट' पत्र के इस समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है कि पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में बगावत खड़ी करने और उसे मुक्त कराने के लिये पाकिस्तान के वरिष्ठ सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों और विद्रोही नागाओं तथा मिजो नेताओं का एक शिखर सम्मेलन चिटगांव के निकट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हाँ ।

(ख) सुरक्षा सेनाएं उग्रवादी तत्वों की हिंसात्मक क्रियाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यह शर्म की बात है कि जब हम सीमा सुरक्षा या भारत तथा पाकिस्तान अथवा चीन के बीच आवागमन का प्रश्न उठाते हैं तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1500 विद्रोही मिजो, कुकी और नागाओं ने मई, 1970 के बाद पूर्व पाकिस्तान में प्रवेश किया था जिनमें 100 स्त्रियां भी शामिल थी और जिनके नेताओं तथा अन्य विद्रोही लोगों के नाम तथा उनके जाने के मार्गों का ब्यौरा समाचार में आया था और जनता को भी पता है? और कभी यह भी सच है कि नागालैंड और मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोहात्मक गतिविधियों में वृद्धि हुई है और भारत सरकार द्वारा इस बात का बार-बार आश्वासन और उत्तर दिये जाने के बाद भी कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है इन विद्रोहात्मक गतिविधियों में कमी न होने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : नागाओं की गतिविधियों में वृद्धि नहीं हुई है। उनकी गतिविधियों में कमी हुई है। यदि माननीय सदस्य आंकड़े देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि कुछ विद्रोही नागा समय-समय पर आत्मसर्म्पण कर रहे हैं और सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि उनकी गतिविधियों में वृद्धि न हो।

श्री नन्दकुमार सोमानी : सरकार इस बारे में क्या विशिष्ट कदम उठा रही है? मन्त्री महोदय ने कहा कि सरकार इस सम्बन्ध में पूरे उपाय कर रही है। यह उत्तर हम पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इस समय वह क्या विशिष्ट कार्यवाही कर रही है? उन्होंने अब जो कहा है वह तो मूल उत्तर में ही दिया हुआ है।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : नागालैंड की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ही इस बात को समझा जा सकता है। नागालैंड में बढ़ती हुई शान्ति की स्थिति से सरकार की सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। सभी को स्मरण होगा कि वहां हमने विधान सभा के चुनाव कराये हैं। विद्रोही नागा बहुत बड़ी संख्या में आत्मसम्पर्ण तथा हथियार समर्पित कर रहे हैं और धीरे-धीरे लोग यह महसूस कर रहे हैं कि ऐसी विद्रोहात्मक गतिविधियां नागालैंड के लिए लाभदायक नहीं है। विद्रोही नागाओं को सामान्य जनता का समर्थन और सहायता उतनी प्राप्त नहीं हो रही हैं जितनी उन्हें प्राप्त होती थी और इसी कारण विद्रोही नागाओं के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जिन्हें ब्रिगेडियर तथा जनरल के नाम से जाना जाता है, द्वारा आत्मसम्पर्ण किया गया है। उन्होंने अपने हथियारों और स्वयं को समर्पित किया है। अतः सामान्य लोगों से विद्रोही नागाओं को अलग करने की सरकार की कार्यवाही सफल रही और इसी कारण उन्हें जनता से इतना समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है जितना पहले प्राप्त होता था।

श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस बात का विरोध प्रकट किया है कि इन लोगों को शरण देना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना अमैत्रीपूर्ण व्यवहार समझा जायेगा और पूर्व पाकिस्तान अपनी इन गतिविधियों को समाप्त करे और यदि हां, तो उक्त विरोध पत्र का पाकिस्तान सरकार ने क्या उत्तर दिया?

श्री जगजीवन राम : इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया था

लेकिन उसने हमेशा की तरह यह कह कर उस विरोध पत्र को स्वीकार नहीं किया कि "हम वहां कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग वहां आ रहे हैं और आप उन लोगों को हथियारों के जोर पर निकाल रहे हैं अत: आपकी सीमाओं पर स्थिति संतोषजनक नहीं है" आदि आदि।

लेकिन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा नागाओं तथा अन्य विद्रोही लोगों को प्रशिक्षण और उनकी गतिविधियों को समन्वित करने के प्रयास के बाद भी हमें वहां ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि स्वयं नागाओं द्वारा नागाओं तथा अन्य लोगों की विद्रोहात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन न मिले हम इस सम्बन्ध में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं।

श्री नंजा गोडर : क्या यह सच है कि विभिन्न आदिम जातियों के दलों के 19 मुख्य नेताओं के बीच हुई गुप्त वार्ता में इस बात का प्रस्ताव रखा गया था। कि इम्फाल-सिलचर सड़क पर जिरी-बम में तख्ता उलटने की कार्यवाही करने के लिये एक मजबूत अड्डा तैयार किया जाये ?

श्री जगजीवन राम : वहां पर कुछ स्वयं सेवकों की भर्ती के लिये प्रयास भी किया गया था लेकिन उन्हें इस बारे में अधिक सफलता नहीं मिली। वहां नागाओं तथा मनीपुर के लोगों की गतिविधियों को समन्वित करने का प्रयास किया गया था लेकिन इस बारे में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई।

श्री धी० ना० देव : क्या यह सच है कि लैफ्टिनेन्ट करनल माबिला ऐसे एक दल का नेतृत्व कर रहे हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस है और जिसे निकट के जंगलों में देखा गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सेना ने उनका सफाया करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है और क्या उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : माननीय सदस्य द्वारा लिए गये नाम विशेष की हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम सक्रिय हैं और नागाओं की विद्रोहात्मक गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रा० की० अमीन: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मोरेननहरकटिया क्षेत्र में सैकड़ों विद्रोही नागा और मिजो घूम रहे हैं और वे समय-समय पर हमारी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर आक्रमण करते रहे हैं क्या यह चीन और मुक्ति आन्दोलन द्वारा समस्त क्षेत्रों में प्रतिक्रियावादी सरकार स्थापित करने की एक योजना का भाग तो नहीं हैं। यदि यह सच है, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ? क्या सरकार वहां प्रतिक्रियावादी सरकार का एन० एल० एफ०, अल फतह और मैडम बिन्ह की तरह ही स्वागत करेगी ?

श्री जगजीवन राम : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य की धारणाएं चाहे वे राजनीतिक ही क्यों न हों, वांछनीय और राष्ट्रीय हित हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है और जैसा कि सभा को भी इस बारे में समय समय पर जानकारी दी जाती रही है, कि चीन की विद्रोही नागाओं को प्रोत्साहन देने, प्रशिक्षण देने और हथियार सप्लाई करने की योजना हैं। इस सम्बन्ध में हम उपचारात्मक उपाय करते रहे हैं। जैसा कि मैंने सभी को सूचित किया है, हमारी कार्यवाही सफल रही है। हम विद्रोही नागाओं को नागा जन साधारण से अलग करने में सफल रहे हैं।

श्री रा० बरूआ : माननीय मन्त्री ने नागाओं के बारे में उत्तर दिया है। लेकिन मिजो लोगों की प्रतिक्रिया वादी गति-विधियों का मनीपुर भी एक नया गढ़ बनता जा रहा है। क्या सरकार को

इन क्षेत्रों में विद्रोही तत्वों और पाकिस्तान के बीच बने निकट सम्बन्ध के बारे में पूरी जानकारी है और यदि हां, तो इस बारे में क्या सक्रिय कार्यवाही की जा रही है क्योंकि यह बात नागाओ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से अधिक महत्वपूर्ण है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मूल उत्तर में बताया गया है, वहां मिजो, नागा और मनीपुर के लोगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैंने जो कुछ भी कहा है वह इन सब क्षेत्रों पर लागू होती है। मनीपुर में उन्होंने स्वयं सेवकों की सूची तैयार करने का प्रयास किया था लेकिन उन्हें इस बारे में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई जैसा कि सभा को विदित ही है, मिजो क्षेत्र में गांवों में ग्रुप प्रणाली है जिससे लोग कृषि तथा कुटीर उद्योग में लगे रहें और इसके परिणामस्वरूप विद्रोहियों को उन गावों में शरण नहीं मिल पाये। मेरे विचार से यह गांवों की ग्रुप योजना उस क्षेत्र में सफल रही।

डा० रामसुभाग सिंह : माननीय मन्त्री ने बताया है कि विद्रोहियों को स्थानीय लोगों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। तब वे चिटगांव जैसे दूर के स्थानों में कैसे पहुंचते हैं और वे निकट के देशों से नागालैंड और मनीपुर में हथियार और गोला बारूद लाने में कैसे सफल होते हैं ? क्या उन्हें रास्ते में नागरिकों से सहायता मिल रही है या नहीं ?

श्री जगजीवन राम : मैंने बताया कि उन्हें जनता से इतना समर्थन प्राप्त नहीं मिल रहा था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन्हें जनता से समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। सीमा क्षेत्र बहुत लम्बा है, फिर भी यह सच है कि वे उसे पार कर लेते हैं। हम इस बात की पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं वे हमारे क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। विद्रोहियों को मिलने वाले समर्थन में धीरे धीरे कमी हो रही है और इसीलिये वे बहुत बड़ी संख्या में आत्मसम्पर्ण कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि स्वाधीनता दिवस को एक बम फैंकने का षडयंत्र रचने के आरोप में दो मिजो नेताओं को बन्दी बनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल अलग बात है।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस समाचार का इस प्रश्न के साथ सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कल से पहले छपा था।

श्री श्रीचन्द गोयल : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गुप्तचर विभाग की सूचनाओं से पता चलता है कि यह घटना 27 मई को हुई बैठक में किये गये निर्णय का परिणाम है और स्वाधीनता दिवस को बम फेंकने का षडयन्त्र कितना बड़ा था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : उस बैठक में सरकार को परेशान करने सम्बन्धी सभी तरीकों पर चर्चा की गई थी और इस बात पर भी विचार किया गया था कि उस क्षेत्र में गतिविधियों को किस प्रकार बढ़ाया जाये, इसमें कोई संदेह नहीं है। बम फेंकने सम्बन्धी निर्णय के बारे में कोई ब्यौरा देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री हेम बरुआ : यह पहला अवसर नहीं है जब कि नागा मिजो विद्रोही हमारी सीमाओं को इस प्रकार पार करके पूर्व-पाकिस्तान गये हैं और एक अवसर पर भी नागा और मिजो विद्रोही

श्री चाऊ एन लाई से, जो उन दिनों पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे, मिलने ढाका गये थे, और उस मामले को भी इस सभा में उठाया गया था। चिटगांव में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या सरकार का ध्यान नागा संघीय सरकार के अध्यक्ष द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है–मेरे पास उसकी एक प्रति है और यदि आवश्यक हो तो मैं उसे मन्त्री महोदय को अवलोकनार्थ दे सकता हूँ—जिसमें उसने भारत सरकार पर आक्रमण करने का आरोप लगाया है और साथ ही यह भी कहा है कि नागालैंड भारत का अंग नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि (क) क्या यह स्थिति नागा विद्रोहियों और पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों के बीच चिटगांव में हुए शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप पैदा हुई है ; और (ख) क्या उस बैठक में चीनियों के तत्वाधान में पाकिस्तान में आयोजित छापामार प्रशिक्षण केन्द्रों की गतिविधियों को तेज करने का निर्णय किया गया था ?

श्री जगजीवन राम : श्री हेम बरुआ ने जो कुछ कहा है उसमें कोई नई बात नहीं है इस सभा को पता है कि नागा किस चीज के लिये लड़ रहे हैं और उनकी मांगें क्या है। माननीय सदस्य भी इस बात को जानते है और वह यह भी जानते हैं कि हम उनका मुकाबला किस प्रकार कर रहे हैं। परन्तु जैसा कि मैंने बताया, कि पाकिस्तान और चीन भारत को परेशान करने के लिये हर सम्भव कार्यवाही करते हैं। इसी विचार से वे उन्हें प्रशिक्षण और हथियार देते हैं। पकड़े गए हथियारों से पता चला है कि उनमें चीन के बने हथियार भी हैं। हमने ऐसे उपाय किये हैं जिससे नागा तथा अन्य विद्रोहियों की गतिविधियां, हमारे शत्रु देशों की बढ़ी हुई गतिविधियों के बावजूद, सफल न होने पाये।

Permission to Pak Air Force Planes to fly over Indian Territory for Refuelling

*482. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Jagannath RaoJoshi : Shri Hnkumchand Kachwai Shri Onkar Lal Berwa : Shri Shardanand :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Defence authorities had granted permission to the Pakistan Air Foce Planes for flying over Indian territory and for refuelling during 1970 ;

(b) if so, the number of times and the circumstances under which such permission was granted during the above period ;

(c) whether it is also a fact that the Pakistan Government had refused similar permission to the Indian Air Force planes , and

(d) whether Government have any proposal under consideration to withdraw this permission.?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) Yes, Sir, for halting and refuelling while through Indian territory along a pre-determined Route.

(b) Permission was given for 10 Pakistan Air Force flights consisting of 11 P.A.F. aircraft from West Pakistan to East Pakistan and for 9 Pakistan Air Force flights comprising 10 P.A.F air draft from East Pakistan to West Pakistan.

(c) No, Sir.

(d) The present practice to examine each case on its merits is proposed to be continued.

Shri Bharat Singh Chauhan : May I know whether Goverhment have any knowledge that secret photography equipment is installed in those planes to which permission is given to fly over Indian Territory and for refuelling etc.?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : फोटोग्राफी सम्बन्धी सामग्री छिपाने की कोई सम्भावना नहीं होती है। माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि जांच पड़ताल करने की पूरी-पूरी हमारी व्यवस्था है ताकि विमान में इस प्रकार के हथियार और फोटोग्राफी की सामग्री न ले जाई जा सके।

ShriBharat Singh Chauhan : In view of Pakistans continued hostility towards India during the last 23 years, may I know whether the possibility of Pakistan's planting such an equipment in the aircraft as would take photographs of out strategic areas can be ruled out, if not, whether our Government have got any device to detect the said equipment ?

Shri Narendra Singh Mahida : As I have already stated there is no such possibility because there is a predetermined route on which these aircrafts have to fly and facilities of refuelling are given according to time and place fixed by us. These aircraft are throughly checked at the time of landing and they cannot fly without it.

Shri Bharat Singh Chauhan : I wanted to know whether our Government can detect photographic equipment, if any, installed in the aircraft while violating the rules ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : In cases of such flights, whether we have to pass through their are space or they have to pass through our air space, each of us can do so only after getting necessary permission of the other side. The country thorugh which the aircraft has to pass, determines the route of the aircraft . It is also one of the conditions that aircraft will land and get necessary fuel. Such permission is given because it provides us another opportunity to see that the necessary conditions are fulfilled by the flying aircraft and they do not carry prohibited aricles . We are taking necessary precautions.

Shri Jagannath Rao Joshi : We have to keep special vigilance in the case of Pakistan because of her hostile attitude. May I know the action taken by the Government in case of violation of pre-determined route by the aircraft ?

Shri Jagjian Ram : We have not yet come across any case in which an aircraft has not followed the pre-determined route.

Shri Atal Bihari Vajpayee : An aircraft had landed in Lucknow.

Shri Jagannath Rao Joshi : It left the predetermined route and landed there . It had been reported in the press that it landed without permission.

Shri Jagjiw an Ram : I am not talking of an aircraft which do not take permission. I am talking of aircraft which fly with our permission. The case of aircraft which fly without our permission is different.

Shri Sharda Nand : May I know the number of Air Force aircraft that flew through our country and the names of place, where they landed for refuelling ? I would also like to know whether it is a fact that there have been instances in which aircraft of their Air Force landed wherever , they liked and took off after spying ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : वर्ष 1970 में पाकिस्तान वायु सेना के 10 विमान पश्चिम पाकिस्तान से पूर्व पाकिस्तान की ओर 9 विमान पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान को गये; ये कुल मिलाकर 19 उड़ानें हुई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या इन उड़ानों में विमानों ने पूर्व निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग अपनाया था या वे अनधिकृत स्थानों पर उतरे थे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : पाकिस्तान वायु सेना के विमानों ने चार अवसरों पर पूर्व निर्धारित मार्ग को बदला था। इस वर्ष हमने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जबसे हमने उनको बताया है तब से वे पूर्व निर्धारित मार्ग पर ही उड़ान करते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उनको कैसे सहमत किया गया ?

Shri Hukam Chand Kachwai : The Minister has admitted that there have been three instances in which the aircrafts deviated from the predetermined routes. May I know whether care has been taken to see that there are no equipment and cameras fitted in the airdrafts by which they took photographs of Indian territory ? If so what action was taken ? Did our aircraft flew to pursue the defaulting planes and force them to fly on the predetermined route ?

Shri Narendra Singh Mahida : As I have already stated, they cannot carry arm, ammunition, explosives and photographic and electronic devices. They cannot even carry explosives for the gun fitted in the aircraft.

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर जांच करने के लिए आयोग

***483. श्री शिवकुमार शास्त्री :** **श्री राम चरण :**

श्री गोपाल साबू : **श्री शिवचरण लाल :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन तथा पाकिस्तान के लगातार बने हुए खतरे को देखते हुए क्या सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां।

(ख) अन्य रक्षा मामलों सहित, प्रशासनिक सुधार आयोग को 'रक्षा मन्त्रालय और उसके सेवा अध्यक्षों से सम्बन्ध' का अध्ययन भी सौंपा गया था। इस पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा रक्षा मामलों के लिए नियुक्त अध्ययन दल द्वारा कार्य किया गया था, और उसकी रिपोर्ट जो हाल ही में प्राप्त हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा के विस्तृत प्रश्न से सम्बन्धित है, उनकी सिफारिशें विचाराधीन हैं। किए गए विस्तृत अध्ययन को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी दूसरे आयोग की आवश्यकता नहीं समझी गई।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whether it is a fact that Pakistan has more than recouped its depleted military strength since 1965 conflict by securing arms from Russia and U. S. A. and China ? Have the Government of India also increased their strength and raised it in proportion of strength existing prior to the 1965 conflict ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : यह प्रश्न प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं दिन प्रति दिन······

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ कोई सम्बन्धी नहीं है।

Shri Shiva Kumar Shastri : May I know whether any security measures have been taken to see that Pakistan does not attack areas like Rajasthan again as it. did in 1965 ?

Mr. Speaker : This supplementary does not arise out of main question.

Shri RamCharan : May I know upto what time the recommendations relating to the reorganisation of defence forces will remain under consideration and when a final decision is likely to be taken in the matter ? How many recommendations will be implemented unconditionally ? If it is not proposed to set up a commission, will an export committee of the Defence personnel be set up to consider what blunders were committed so that these are not repeated again ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : हमें यह प्रतिवेदन हाल ही में मिला है और यह पूरा प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है। आवश्यक विचार करने के बाद हम उस पर निर्णय करेंगे।

Shri Ram Charan : I had asked what time they will take to study the report and when final decision would be taken.

श्री जगजीवन राम : उपर्युक्त प्रतिवेदन हमें अभी मिला है और विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अभी क्या कहा जा सकता है कि कितनी सिफारिशें स्वीकार की जा रही है, जब तक पूरे मामले पर विचार न कर लिया जाये ?

Shri RamCharan : How long would it be kept under consideration ?

Mr. Speaker : You kindly say that it would be done at the earliest.

श्री जगजीवन राम : इस पर यथा समय निर्णय लिया जायेगा।

Shri. Ram Charan : I had also asked about setting up of an expert Defence Committee.

Shri Jagjiwan Ram : First of all, the three chiefs of Staff would look into it and thereafter the secretaint would consider it. Our endeavour will be to take the least time, but requisite time would have to be devoted to it.

Shri Rabhubir Singh Shastri : I want to know whether one of the recommendation of A. R. C. is that we should get the benefit of the exprience of our retired. Generals in the matters of national security and they should be consulted in these matters ? Even if that recommendation is not there, I want to know from the Hon'ble Minister whether he is prepared to consult them and examine their suggestions and whether he considers this to be useful ?

Shri Jagjiwan Ram : Even at present, the services of our retired Army Officers are being utilized in N. C. C. and Territorial Army etc. If need be, they will he utilised more extensively.

Shri Raghuvir Singh Shastri : My question was different. I had asked about constant consultaion from them in the Committee.

Shri Jagjiwan Ram : No, Sir. That is not so.

श्री बलराज मधोक : मन्त्री महोदय ने अभी अभी कहा कि वे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। परन्तु उस अध्ययन दल के निदेश-पद बहुत सीमित थे। प्रश्न तो एक आयोग नियुक्त करने का है, जो हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी सभी समस्याओं का अध्ययन करे। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने कभी भी उसकी जांच नहीं थी। गत

बीस वर्षों में हमारे प्रतिरक्षा तन्त्र में काफी परिवर्तन हुआ है और हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है और हमारी सुरक्षा संगठन का भी विस्तार हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, सर्वप्रथम, शीघ्र ही उन थोड़े से मामलों पर की गई सिफारिशों पर विचार करेगी जो उस दल को सौंपे गये थे तथा क्या वह उन्हें क्रियान्वित करेगी और दूसरे, क्या वह उच्चाधिकार प्राप्त एक विस्तृत आयोग को नियुक्त करेगी, जो प्रतिरक्षा संगठन और प्रतिरक्षा मामलों तथा सुरक्षा समस्या आदि के समग्र प्रश्न पर विचार करें, जिससे कि, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कोई भी चुनौती देश के सामने आये तो वह उसका मुकाबला करने को बेहतर रूप में तैयार हो सके।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : प्रतिरक्षा के प्रश्न पर आयोग नियुक्त करने के बारे में अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है। हमारी राय में इस प्रकार के आयोग को नियुक्त करना असामान्य बात है। सारे विश्व में यह प्रथा है कि प्रतिरक्षा मामलों पर, केवल रक्षा की सीमा के अन्तर्गत और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये चर्चा की जाती है। कोई भी विधान मण्डल सुरक्षा संगठन पर यह विश्वास करके चलता है कि देश की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप वह अपने दायित्व का पालन करने में समर्थ हैं। संसद भी सदैव इस मामले पर विचार करती रहती है......

श्री रंगा : कैसे, क्या विशेषज्ञों की सहायता के बिना ?

श्री नरेन्द्र कुमार महीडा : इसलिये प्रतिरक्षा पर किसी आयोग के नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मेरा प्रश्न तो कुछ और ही था। मैं उस अध्ययन दल का एक सदस्य था और मैं जानता हूँ कि उस अध्ययन दल के निदेश-पद अत्यधिक सीमित थे। उसने प्रतिरक्षा और सुरक्षा के समग्र प्रश्न का अध्ययन नहीं किया था। हम चाहते हैं कि देश के सुरक्षा संगठन के समग्र मामले का अध्ययन करने हेतु, एक आयोग की नियुक्ति की जाय। मन्त्री महोदय "हां" या "न" में उत्तर दें। वह प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की रिपोर्ट का आश्रय लेकर बचाव क्यों कर रहे हैं ? सरकार को एक निचिश्त उत्तर देना चाहिये कि वह आयोग को नियुक्त करना चाहती है अथवा नहीं।

श्री जगजीवन राम : मैं माननीय सदस्य के साथ इस बात में पूर्णतया सहमत हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल के कार्य क्षेत्र में माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये सभी पहलू नहीं आते। परन्तु समय समय पर विशेषज्ञ इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं और विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप हम कार्यवाही करते हैं। हमारे पास दीर्घ-कालीन योजना है और, इसलिये, इस समय इस प्रकार के किसी आयोग की नियुक्ति करने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रंगा : मन्त्री महोदय का कहना है कि कोई प्रस्ताव नहीं है। इतना तो हम भी समझते हैं। मगर अब सुझाव दिया जा रहा है। जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री महोदय प्रतिरक्षा मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का मौका देंगे, जिससे मन्त्री महोदय के समक्ष जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, उस समस्त प्रश्न पर वे सुस्पष्ट निर्णय ले सकें ?

श्री जगजीवन राम : सलाहकार समिति तो एक परामर्शदात्री समिति है और उस समिति के निदेश-पदों के अनुसार, प्रश्न उठाए 361 ए जाते हैं और उन पर विचार किया जाता है । जैसा कि मैंने कहा, इस प्रकार के आयोग को नियुक्त करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । जो कुछ भी कहा गया है, वह कार्यवाही हेतु सुझाव है ।

श्री रंगा : यह बहुत ही असन्तोषजनक उत्तर है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : चीन अथवा पाकिस्तान इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि हमने आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर अथवा उसकी सिफारिशों पर विचार किया है अथवा नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिरक्षा मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि अगर चीन हम पर अणु अस्त्रों से आक्रमण करता है, तो चाहे आयोग नियुक्त किया गया है अथवा नहीं, हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं......

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : किसी प्रकार की प्रतिरक्षा के लिए हमने क्या उपाय किये हैं...

अध्यक्ष महोदय : कमीज की बांहे चढ़ाकर ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अभी तक हम अपनी कमीज की बांहे ही चढ़ाते रहे हैं और कुछ भी नहीं किया । मैं जानना चाहता हूँ कि चीन द्वारा हम पर विनाशकारी आणविक हमला किये जाने की संभावना के बारे में क्या कोई विचार किया गया है और अगर हमला हम पर होता ही है, तो उसका सामना करने के लिए हमने क्या तैयारी की है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके कहने का मतलब यह है कि क्या चीन के आने के पहले इस आयोग को नियुक्त किया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारी सीमाओं के पार से धमकियों का मुकाबला करने हेतु सभी अपेक्षित उपाय करने के लिए, हम किसी आयोग की नियुक्ति की अथवा उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं ।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, it is an old saying that whenever Government wants to delay a matter it appoints either a commission or a Committee. But as Shri Salve has pointed out China or Pakistan or any other belligerent country would not wait for the finding of a Commission. May I know whether the hon. Minister's attention has been drawn to the guerrilla war started by the Naxaliees at the instance of China and also to the warning of Shri Charu Mazumdar, published in "Liberation," a Naxalite organ, that should India attack China, the former will have to bear the consequences, thereof? This is the language of an aggressor.

What steps have been taken by the Government to meet the challenge of guerilla war going on in this country at the intance of China ?

Mr. Speaker : This does not arise out of this question.

श्री बी० पी० मण्डल : अभी अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय देश की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है । क्या इसका अर्थ मैं यह समझूं कि वे चीन के अणु-हमले के खतरे का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं ?

श्री जगजीवन राम : जब वह आणविक अस्त्रों का सवाल उठाते हैं, तो मुझे आशा है कि वह उनके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे। आणविक हथियारों के विरुद्ध कोई बचाव नहीं है।

आयुध कारखानों के लिए उच्चस्तरीय समिति की स्थापना

*486. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन्तीस आयुद्ध कारखानों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के विषय में मन्त्रालय के प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के क्या प्रस्ताव हैं;

(ख) क्या व्यापक शक्तियों वाली एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना के लिए स्वीकृत दे दी गई है; और

(ग) उच्चस्तरीय समिति बन जाने के फलस्वरूप क्या सुधार होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आर्डनेंस फैक्टरियों के बेहतर प्रबन्ध के लिए पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारों सहित एक उच्चस्तरीय आर्डनेंस उत्पादन बोर्ड स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी अभी नहीं, परन्तु प्रस्ताव विचार की प्रौढ़ अवस्था में है।

(ग) बोर्ड ने आर्डनेंस फैक्टरियों के लिए, इस समय की तुलना में अधिक शीघ्र निर्णय लेने वाला और उन्हें शीघ्र कार्यान्वित करनेवाला एक बेहतर प्रबंध तैयार करने की बोर्ड ने प्रत्याशा की है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमने प्रस्ताव पहले ही मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। यह वहां विचाराधीन है। मुझे आशा है कि इसे शीघ्र ही स्वीकृति मिल जायगी।

डा० राम सुभग सिंह : मैं उन बाधाओं को जानना चाहता हूँ जो आयुध कारखानों के संचालन में सरकार को सामने आई हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : स्वायत्त अधिकारों वाले इस बोर्ड का गठन, हमारे अनुभव के परिणाम-स्वरूप हुआ है, क्योंकि हम आयुद्ध कारखानों के कार्य का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। इसी कारण हम इस बोर्ड का गठन करना चाहते हैं, जिससे कि इसका कार्य संचालन अधिक सुचारू रूप से हो सके और समय भी कम लगे।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार का विचार आयुध कारखानों की उन कमियों को भी दूर करने का है, जिनकी वजह से कुछ अस्त्र शस्त्र गांवों में पहुँच जाते हैं और वहां उनका डाकुओं अथवा अन्य लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : सभी संभव सुरक्षात्मक उपाय किये जाते हैं और इस प्रकार की घटनायें बहुत कम होती हैं। फिर भी, सभी कमियों को दूर करने के लिए हम हर प्रकार की सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय अपना रहे हैं।

Shri M. A. Khan : May I know whether Government's attention has been drawn to a news published in press report the day before Yesterday to the effect that arms and

ammunition and cartridges manufactured in the ordnance factories have been seized from a house in Agra District and some of the persons have also been arrested ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of it :

श्री रा० कृ० बिड़ला : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या आयुद्ध कारखानों की अतिरिक्त संस्थापित क्षमता का उपयोग असैनिक सामग्री के उत्पादन हेतु किया जायगा, जिस प्रकार की प्रथा उस समय भी थी जब श्री कृष्ण मेनन मन्त्री थे ?

श्री प्र० चं० सेठी : सर्व प्रथम, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रयोगकर्त्ताओं की समस्त आवश्यकता की पूर्ति करना है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् अगर कोई अतिरिक्त संस्थापित क्षमता बचती है, तो हम निश्चित रूप से अन्य कार्यों में उसका उपयोग करेंगे ताकि संस्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो सके ।

श्री लोबो प्रभु : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने में क्या प्रगति हुई है ? अभी अभी अतिरिक्त क्षमता का प्रश्न उठाया गया, परन्तु नवीन क्षमता के निर्माण किये जाने का भी प्रश्न है । अन्य देशों की भांति हथियारों का निर्माण-कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ करने में आपने कहां तक प्रगति की है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न आयुध कारखानों के लिए उत्पादन बोर्ड से सम्बन्धित है । मैं नहीं समझता हूँ कि उनका प्रश्न इसके कारण उत्पन्न होता है ।

श्री लोबो प्रभु : यह प्रश्न प्रासंगिक है । एक समिति नियुक्ति की जाने वाली है । क्या सरकार युद्ध सामग्री निर्मित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रसार पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं : हम युद्ध-सामग्री निर्माण का कार्य गैर-सरकारी फर्मों को नहीं देंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : The munition factories are the back-bone of our armed forces. The workers working in those factories should not need to stage demonostrations or go on strikes as the workers in other factories do. May I know whether Government are going to take any decision on the memoranda, submitted from time to time to the Government by those workers for grant of certain facilities ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of this.

श्री स० कुन्दू : मैं इस स्वायत्त बोर्ड की वास्तविक शक्तियों को जानना चाहूंगा, क्या यह बोर्ड लाभ तथा हानि के आधार पर कार्य करेगा और क्या यह बोर्ड भविष्य में खोले जाने वाले आयुध कारखानों के लिए स्थान भी निर्धारित करेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक उच्च स्तरीय बोर्ड का प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इस बोर्ड को निर्णय लेने का अधिकार होगा ताकि कार्यों में होने वाले विलम्ब दूर किये जा सकें और इसमें वित्त तथा सप्लाई के प्रतिनिधि होंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether it is a fact that certain ordnance facotoris are not running up to their rated capacity and that Government have received a suggestion to the effect that like other Public Sector Understakings the Ordnance Factories presently being run departmentally should be converted into Public Sector undertaking and if so, the action taken thereon by the Government ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमारे पास प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत कुछ सरकारी क्षेत्र परियोजनायें हैं। जहां तक महानिदेशालय आयुध कारखानों के अन्तर्गत कारखानों का संबन्ध है, हमारा एक स्वायत्त बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है और उन्हें पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कुछ सरकारी क्षेत्र में कम्पनियां हैं।

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know whether India is self sufficient in the raw-materials and spare parts used in the manufactuties of arms and ammunitions in ordnance factories and if not the import content thereof ?

Mr. Speaker : It does not arise out of this question.

अमरीका तथा अन्य देशों के साथ सम्बन्ध सुधारना

*487. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री मयावन** :
श्री वरुणपाणि : **डा० म० सन्तोषम** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तथा रूसी अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच संबन्धों को मजबूत बनाने के लिए एक सप्ताह तक बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या भारत ने अमरीका के साथ भी इसी प्रकार की बातचीत की थी ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत और अमरीका के संबन्ध दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो अमरीका तथा अन्य देशों से संबन्ध सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ। भारत-सोवियत द्विपक्षीय वार्ता का दूसरा दौर मई, 1970 में मास्को में हुआ था।

(ख) वहां सोवियत विदेश कार्यालय के साथ आपसी हित के प्रश्न पर विचार-विनिमय हुए वार्ता के पश्चात् जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य की एक प्रति 29 जुलाई, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 563 का उत्तर देने के समय सदन की मेज पर रख दी गई थी।

(ग) जी हां। भारत-अमरीकी द्विपक्षीय वार्ता का दूसरा दौर अक्तूबर 1969 में वाशिंगटन में हुआ था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री नि० रं० लास्कर : अभी अभी मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि दोनों देशों के बीच आपसी हित प्रश्न पर विचार विनिमय हुआ जो कि दोनों देशों के सम्बन्ध की बात है। इस प्रकार की चर्चा हमें जारी रखनी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी ताकि कोई ठोस परिणाम निकलता और यदि हां, तो सरकार को कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में आंकड़े देने चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : बाद की कार्यवाही उन्हीं मामलों में की जाती है जिन पर यह आवश्यक होती है जैसे आर्थिक सहयोग, सप्लाई तथा कई दूसरे विषय ।

श्री नि० रं० लास्कर : प्रश्न के (ग) तथा (घ) भाग स्पष्ट हैं परन्तु उनका उत्तर है –'प्रश्न नहीं उठते' । मेरी समझ में नहीं आता कि इसका तात्पर्य क्या है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने प्रश्न के (ग) भाग का निश्चित उत्तर दिया है कि अक्टूबर, 1969 में वाशिंगटन में भारतीय तथा अमरीकी प्रतिनिधियों के बीच कुछ द्विपक्षीय बातें हुईं । चालू वर्ष अथवा आगामी वर्ष में भी ऐसी द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है ।

श्री नि० रं० लास्कर : प्रश्न यह है : क्या भारत और अमरीका के संबन्ध दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं' ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सही नहीं है ।

श्री सोमचंद सोलंकी : क्या भारत सरकार तथा चीन से संबन्ध सुधारने जा रही है अथवा नहीं और पाकिस्तान तथा चीन के कब्जे में जो क्षेत्र हैं उन्हें पाने के बाद क्या भारत सरकार संबन्ध सुधारने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रूस तथा अमरीका के साथ संबन्धों के बारे में है ।

कुछ माननीय सदस्य : अन्य देशों के साथ भी । **(अन्तर्बाधा)**

श्री सोमचंद सोलंकी : क्या चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबन्ध सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं । प्रश्न का (ङ) भाग यह है–"यदि हां, तो अमरीका तथा अन्य देशों से हमारे संबन्ध सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?" इसीलिए हम अन्य देशों के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमन्, यद्यपि शीर्षक में अन्य देशों का नाम भी है तथापि प्रश्न के प्रमुख या वास्तविक भाग अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में नहीं है । **(अन्तर्बाधा)**

श्री कंवर लाल गुप्त : कृपया (ङ) भाग देखिये । **(अन्तर्बाधा)**

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक पाकिस्तान तथा चीन के साथ हमारे संबन्धों का प्रश्न है, यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में समय समय पर सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है । कोई नई बात नहीं हुई है जिसे मैं सदन को जानकारी देने की आवश्यकता समझूं ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has stated that so far as China and Pakistan are concerned, there is no new development but the hon. Prime Minister has given a feellr of friendship.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : रूस के साथ सप्ताह पर्यन्त हुई वार्ता में क्या हमारे अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों को रूस सरकार द्वारा गलत नक्शे के प्रकाशन के बारे में बताया, जिससे कि भारतवासियों की भावना को ठेस पहुंचने जा रही है और वे किस प्रकार इसे फिर ठीक करने जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : गत वार्ता के दौरान इस विषय को विशेष रुप से लिया गया था इस बारे में भारत की स्थिति तथा दृष्टिकोण रूसी प्रतिनिधियों के समक्ष स्पष्ट रूप से रख दिये गये थे ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या रूस सरकार उस नक्शे के प्रकाकन को वापिस लेने जा रही है ? (अन्तर्बाधा)

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे उससे यह जानकारी नहीं मिली है कि वे इसके प्रकाशन को वापिस लेने जा रहे हैं ।

श्री लोबो प्रभु : हम रूस तथा चीन के नक्शे अपने ढंग से क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं ? (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : नक्शे का प्रश्न अलग रूप से उठाया जा रहा है हमने इसके लिए थोड़ा समय निर्धारित किया है । (अन्तर्बाधा)

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है जिस पर स्वतन्त्र पार्टी विचार करे ।

Shri Om Prakash Tagi : May I k ow whether Government's attention has been drawn to the reported statement of an American Senator to the effect that. Indo-U. S. ties will be affected on account of the decision taken by the Government regarding closure of the cultural centres run by U. S. A. and if so, whether any talks have taken place with U. S. A. regarding the cultural centres. If so, what was the nature of these talks ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान् इन सांस्कृतिक केन्द्रों के चलाये जाने के बारे में हमने भेद-भाव रहित रवैये से निर्णय लिया और हमारा सामान्य तरीका यही था कि जिन स्थानों पर दूसरी सरकारों के राजनयिक, वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक प्रतिनिधि नहीं हैं वहां पर उन्हें स्थापित नहीं किया जाना चाहिये । जैसा कि मैंने पहले ही सदन को जानकारी दे दी है, यदि इन केन्द्रों को स्थापित किया जाना है तो इन सांस्कृतिक केन्द्रों के लिये ऐसा रूपरेखा बनाने पर कुछ चर्चा चल रही है जिसके अन्तर्गत उन्हें कार्य करना पड़े । वैसे इस दिशा में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । मैं नहीं समझता कि इन सांस्कृतिक केन्द्रों के बंद किये जाने के निर्णय से हमारे सम्बन्धों पर कोई कुप्रभाव पड़ने की जोखिम है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक तत्परता योजना

*484. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 6 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तत्परता योजना संबंधी दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : **(क) और (ख)** : जी नहीं । रिपोर्ट अभी सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई ।

लाओस की समस्या के लिये भारत का मध्यस्थता करने का प्रस्ताव

*485. **श्री जनार्दनन** : **श्री सरजू पांडे** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंतराष्ट्रीप नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में लाओस में विरोधी शक्तियों के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो लाओस सरकार तथा पाथेट लाओ की इस प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लाओस स्थित अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग मध्यस्थता के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए सर्वसम्मति से राजी हो गया है, जिससे इस बात का सुनिश्चय हो सके कि समझौते के वातावरण में बातचीत हो।

(ख) लाओस स्थित दलों को औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेज दिया गया है और विश्वास किया जाता है कि इसकी सराहना की गई है।

मैमन सिंह-गारो पहाड़ी पर सीमा स्तम्भ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा

*488. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और पूर्व पाकिस्तान के रेकार्ड और सर्वेक्षण विभागों के निदेशकों के बीच मैमनसिंह-गारो पहाड़ियों पर सीमा स्तम्भ लगाने के बारे में इस महीने में बातचीत हुई थी और वह पूरी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) स्तम्भ लगाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा, और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) स्तम्भ और पूर्वी पाकिस्तान के भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण के निदेशकों का द्विदिवसीय सम्मेलन 18 अगस्त को ढाका में शुरू हुआ है।

(ख) और (ग) सम्मेलन समाप्त होने पर ही विस्तृत सूचना उपलब्ध होगी ;

अमरीकी सशस्त्र सेनाओं के लिये भारत में गुरखों को भर्ती

*489. **श्री प० गोपालन :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री के० अनिरुद्धन : **श्री नम्बियार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी अधिकारी अमरीका की सशस्त्र सेनाओं के लिए तथा हिन्द-चीन के देशों के युद्ध में संलग्न अपने मित्र देशों को सेनाओं के लिये भारत में गुरखों को भर्ती कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार की सचाई का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने गुरखों को इस भर्ती पर विरोध प्रकट किया है, जैसा कि 1947 के बाद ब्रिटेन की सरकार से किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) : भारत के एक समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार का नेपाल सरकार ने खंडन किया है ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये एक नया विभाग बनाना

*490. **श्री नारायणन : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रतिरक्षा मंत्रालय में एक नया वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस विभाग के कार्य क्या होंगे ; और

(घ) यह राष्ट्र के लिये और विशेषतया प्रतिरक्षा विभाग के लिये कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

इस्लामी सचिवालय की स्थापना

*491. **श्री हरदयाल देवगुण : श्री जय सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री बलराज मधोक :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक इस्लामी सचिवालय की, जिसका मुख्य कार्यालय जेद्दा में है, स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस सचिवालय का सचिव कौन है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सचिवालय ने पश्चिम एशिया के देशों को धर्म के नाम पर संगठित करने के लिए सक्रिय कार्यवाही शुरू कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) धर्म के नाम पर पश्चिम एशिया के देशों की गुटबन्दी के प्रतिकार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 23 मार्च से 25 मार्च, 1970 तक जेद्दा में हुए इस्लामी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में एक इस्लामी सचिवालय स्थापित करने का सिद्धान्ततः निर्णय कर लिया गया था किन्तु सचिवालय ने अभी तक जेद्दा में कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है ।

(ख) मलयेशिया के प्रधान मंत्री टुंकु अब्दुल रहमान को सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है ।

(ग) सचिवालय को संगठित करने का कार्य अभी चल रहा है । महासचिव ने बताया है कि सचिवालय का मुख्यालय जेद्दा जाने से पहले वह उसके प्रारंभिक संगठन का पर्यवेक्षण क्वालालम्पुर में करेंगे ।

(घ) भारत सरकार, धर्म को राजनीति में लाने के विरुद्ध है । इस प्रकार, सरकार, राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए धर्म के आधार पर संस्थात्मक प्रबंध करने के पक्ष में नहीं है ।

(ङ) भारत सरकार ने इस विषय पर अपने विचारों से पश्चिम एशियाई देशों कों समय-समय पर अवगत करा दिया है ।

आयुध कारखानों में काम की कमी

*492. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी आयुध कारखानों में काम की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयुध कारखानों के काम को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने की सरकार की नीति के कारण यह हुआ है ;

(ग) क्या यह बात उनके मंत्रालय की घोषित नीति के विरुद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति को सही करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं । आडनेंस वस्त्र फैक्टरियों के ग्रुप में कार्यभार की कुछ कमी है ।

(ख) जी नही । चूंकि वस्त्रों की सेवाओं की अधिकतर कमिएं 1963 और 1964 में पूरी हो गई थीं, अनुवर्ती वर्षों में सेवाओं की आवश्यकताएं बहुत कम रही हैं, और फलस्वरूप वस्त्र फैक्टरियों में कार्यभार की कमी रही है । वस्त्र फैक्टरियों में कार्यभार की कमी मुख्यतः सेवाओं की मागों में कमी के कारण है न कि आडनेंस फैक्टरियों के मदों को निजि क्षेत्र में दे देने के कारण ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात प्रधान उद्योगों को इस्पात की सप्लाई

*493. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा तथा इस्पात की कम सप्लाई के कारण चालू वर्ष में इंजीनियरिंग उद्यागों की वस्तुओं के निर्यात में कितनी कमी हुई है ;

(ख) किन वस्तुओं के निर्यात में विशेष कमी हुई है ; और

(ग) निर्यात प्रधान उद्योगों को इस्पात की नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ मिलकर क्या प्रयास किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) लोहे तथा इस्पात की पूर्ति में कमी का

इंजीनियरी उद्योग पर समग्र रुप में प्रभाव पड़ रहा है। निर्यातों पर इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

(ख) गिरावट का पूर्वानुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) निर्यात उत्पादन के लिये स्वदेशी लोहे तथा इस्पात की पूर्ति को केवल रक्षा-आवश्यकताओं के पश्चात् प्राथमिकता दी गई है। घरेलू पूर्ति में सम्भावित कमी को पूरा करने के लिये आयात करने की योजना है।

वायु सेना के लिए फ्लाइंग अकैडमी

*494. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी विमान चालक कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के केन्द्रीकृत प्रशिक्षण हेतु वायु सेना के लिए फ्लाइंग अकैडमी बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अकैडमी किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है और इसमें कार्य कब से आरम्भ होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : सरकार ने हैदराबाद के निकट एक वायु सेना अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया है। इसका निर्माण हो भी रहा है।

अकादमी; प्रशासनिक, लेखा, साजसामान, शिक्षा और मेटयारोलाजीकल शाखाओं के पहिलाटों नेवीगेटरों और स्थल ड्यूटी अफसरों को कमीशन से पहले का प्रशिक्षण देगी। अकादमी वैमानिक सिग्नेलरों को भी प्रशिक्षण देगी और सेना तथा नौ सेना के पहिलाटों की आवश्यकताओं को भी आवृत करेगी। अकादमी में प्रशिक्षण की पहली अवस्था जनवरी 1971 में आरंभ होना प्रत्याशित है और दूसरी प्रावस्था 1972-73 में।

हथकरघा वस्तुओं के निर्यात के लिये प्रमाणपत्र देने की योजना

*495. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की होने वाले कपड़े के निर्यात में तेजी आने से भारत अक्तूबर में समाप्त होने वाले चालू व्यापार वर्ष के लिये अमरीका द्वारा निर्धारित कोटे से पहले ही अधिक निर्यात कर चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस वर्ष हथकरघा कपड़े के निर्यात में भी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिये प्रमाणपत्र देने की योजना भी आरम्भ की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्धारित कोटे से अधिक निर्यात नहीं हुआ है।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका को हथकरघा वस्त्रों के निर्यात बढ़े हैं।

(ग) जी हां।

(घ) वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी की गई व्यापार सूचना की एक प्रति, जिसमें सम्बद्ध व्यौरे दिये गये हैं, सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4007/70**]

ब्रिटेन के जहाज द्वारा पाकिस्तान को यन्त्रों की सप्लाई तथा और पाकिस्तान में टैंकों का सौदा

*496. **श्री ई० के नायनार :** **श्री प० ला० बारूपाल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व ब्रिटेन का एक जहाज फ्रांस के एक पत्तन से पाकिस्तान के लिये सैनिक सामग्री लेकर रवाना हुआ था ;

(ख) इस जहाज में किस प्रकार के शस्त्र थे ;

(ग) क्या तुर्की और पाकिस्तान में टैंकों का सौदा अंतिम रूप से तय हो गया है ;

(घ) तुर्की द्वारा 'नाटो' के फालतू टैंकों को पाकिस्तान को दिये जाने का व्यौरा क्या है ; और

(ङ) तुर्की और अमरीका सरकारों से इस मामले पर विचार विमर्श करने के उपरांत क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) पोत में ले जाया गया सैनिक सामान गोलाबारूद और कुछ सैनिक सामानों पर सम्मिलित था।

(ग), (घ) और (ङ) : ध्यान सदन में दिए गए 5 अगस्त 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1501 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा खुले बाजार से ऋण

*497. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री कं हाल्दर :**
डा० रानेने सेन : **श्री जि० मो० विस्वास :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में बाजार से ऋण लेकर कुल कितनी धनराशि एकत्रित की जायेगी ;

(ख) बाजार से ऋण लेकर अब तक कुल कितनी राशि एकत्र की गई है ;

(ग) बाजार से ऋण लेने से निगम का चालू व्यय तथा सिब्बन्दी व्यय कितना बढ़ जायेगा ; और

(घ) क्या चालू व्यय तथा सिब्बन्दी व्यय की बढ़ोतरी को पूरा करने के लिये बिजली के विक्रय मूल्य को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) **(क) और** (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा मार्किट से 19.50 करोड़ रुपये लेने का विचार है जिसमें से मार्किट से 4. 125 करोड़ रुपये उधार लिए जा चुके हैं।

(ग) : मार्किट से लिए गये उधार पर ब्याज भागीदार राज्यों द्वारा दामोदर घाटी निगम की पूंजीगत आवश्यकताओं के उनके हिस्से के संबंध में देय दर से 1/2 प्रतिशत अधिक होगा। चूंकि पूंजीगत विस्तार के लिए मार्किट से उधार ली गई राशि के संबंध में ब्याज और अन्य शुल्कों को भी पूंजी में ही शामिल कर लिया जाएगा, निर्माण के दौरान सिब्बंदी शुल्कों समेत प्रचालन लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रचालन अवधि में ही प्रचालन लागत में थोड़ी सी वृद्धि होने की सम्भावना है ।

(घ) : इस समय इस कारण बिजली की दर में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं हैं।

स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना अधिनियमों के लिए एकीकृत संहिता

*498. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 20 मई 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1745 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना अधिनियमों के लिए एकीकृत संहिता के प्रारूप को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तीनों अधिनियमों को एक करके कोई विधेयक प्रस्तुत करने का है ; और

(ग) क्या सैनिक कार्यालय की कार्यवाही का स्वतन्त्र न्यायिक पुनर्विलोकन कराने का अधिकार अब तीनों सेनाओं के सभी सदस्यों को दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख) और (ग) : एक विशिष्ट कमेटी द्वारा तीनों सेवाओं के लिए एकीकृत पद्धति का प्रारूप अभी निरीक्षण अधीन है। विधेयक का कार्य क्षेत्र निरीक्षण सम्पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित किया जाएगा। विधेयक संसद में यथाशीघ्र पुनः स्थापित किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मन्डल द्वारा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए तथा पश्चिम बंगाल में अन्य परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए चौथी योजना के परिव्यय में वृद्धि करने के हेतु दिया गया ज्ञापन

* 499.**समर गुह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना में पश्चिम बंगाल सम्बन्धी परिव्यय तथा राज्य में बेरोजगारी की भारी समस्या को हल करने के अन्य उपायों के सम्चन्ध में बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल ने उन्हे 1970 के जुलाई मास के अन्त में कभी एक ज्ञापन दिया हैं ;

(ख) क्या मण्डल ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि पश्चिमी बंगाल को विशेष मामला मानकर उसके 322.5 करोड़ रुपके के प्रस्तावित परिव्यय को बढ़ाकर चौथी योजना में पश्चिम बंगाल सम्बन्धी परिव्यय को 622.5 करोड़ रुपये कर दिया जाये ;

(ग) क्या ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, गहन कृषि, गहरे समुद्र से मछली पकड़ने, बन्द तथा संकटग्रस्त मिलों को पुनः चालू करने तथा लघु उद्योगों और मध्यस्तर के उद्योगों को नई दिशा देने तथा विस्तार करने जैसी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय ऋण तथा बैंक ऋण की सुविधाएं उदारतापूर्वक दी जायें; और

(घ) यदि हां तो ज्ञापन पर सरकार, की क्या प्रतिक्रिय है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी. हां । जून, 1970 में प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।

(ख) और (ग) : जी, हां ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों को ध्यान में रखा गया है ।

सिंचाई विद्युत परियोजनाओं की मशीनों में प्रयोग के लिए फालतू पुर्जों की कमी

* 500. **श्री क० प्र० सिंह देवः** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं में समूची निर्माण मशीनों की लगभग 30 प्रतिशत मशीनें फालतू पुर्जों के अभाव में बेकार पड़ी हैं जिससे परियोजनाओं के पूरा होने में गंभीर विलम्ब हो रहा है ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के परिणाम स्वरूप किन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है ; और इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कहां तक विलम्ब होने की सम्भावना है ;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब को रोकने के लिए फालतू पुर्जों को शीघ्रता से न प्राप्त करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उसके फलस्वरूप यदि कोई हानि हुई है, तो कितनी हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क), (ख) और (घ) : 30 जून, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए की गई गणना के अनुसार बृहत सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं पर 30 प्रतिशत निर्माण उपस्कर, फालतू पुर्जों की कमी के कारण बेकार पड़ा था । 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि में की गई गणना के अनुसार ऐसा उपस्कर 27 प्रतिशत रह गया है । परियोजनाओं को क्रियान्वति में अवरोधों का यह हो एक मात्र कारण नहीं था क्योंकि परियोजनाजों पर सामन्यता 20-25 प्रतिशत तक फालतू मशीनरी को व्यवस्था होती है । उपस्कर को मरम्मतों के लिए फालतू पुर्जों को प्राप्ति में विशेष कठिनाइयों की सूचना व्यास परियोजना (पंजाब), रामगंगा परियोजना (उत्तर प्रदेश), राजस्थान नहर परियोजना और तेनुघाट बांध परियोजना (बिहार) से प्राप्त हुई थी । इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विशेष रूप से नियुक्त करके और आयात लाइसेंस जारी करके फालतू पुर्जों को सप्लाई में शीघ्रता करने के लिए कार्यवाई की गई । इन परियोजनाओं के पूरा होने के कार्यक्रम को दोबारा तैयार करने की इस वजह से कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है ।

(ग) : सिंचाई और परियोजनाओं में निर्माण उपस्कर को अधिक इस्तेमाल में लाने के लिए फालतू पुर्जों की प्राप्ति में देरी के मुख्य कारण आयात के लिए स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में ही निहित है। 26 और 27 मई, 1969 को नैनीताल में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निर्माण उपस्कर और फालतू पुर्जों की प्राप्ति में देरियों को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाने हेतु मंत्रियों की एक समिति स्थापित की गई थी। इसकी समिति द्वारा सरकार को हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से, फालतू पुर्जों की आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिश की गई है। समिति की इस रिपोर्ट पर राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के आगामी सम्मेलन में विचार किया जायगा। इस बीच भारत सरकार इन सिफारिसों पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में रेडियो मास्को से प्रसारण

* 501. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियी मास्को ने 9 जून, 1970 को बंगला में ऐसा समाचार प्रसारित किया है। कि जनसंघ के एक नेता ने दिल्ली नगर निगम की एक बैठक में यह कहा है कि केवल दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तथाकथित 15,000 स्वयं सेवक हैं और किसी भी समय जब कभी भी उनको कहा जाये वे किसी पर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं ;

(ख) क्या यह बात उक्त नेता द्वारा प्रधानमन्त्री के ध्यान में लाई गई है और उसने उनसे यह भी कहा है कि यह हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है ;

(ग) क्या रेडियो मास्को द्वारा लगाये गये ये आरोप निराधार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बात में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) (ख), (ग) और (घ) : भारत सरकार को मास्को रेडियो के प्रसारण की जानकारी है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है। किन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रसारण, श्री केदारनाथ साहनी द्वारा दिए गए एकान्तिक इण्टरव्यू पर आधारित था, जिसके बारे में बताया जाता जाता है कि वह इण्टरव्यू का एक भारतीय समाचार-पत्र के एक स्टाफ रिपोर्टर को दिया गया था, जिन्होंने उस समाचार-पत्र में 3 जून, 1970 को उसे प्रकाशित किया। इस प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, श्री साहनी ने दावा किया था कि दिल्ली क्षेत्र की लगभग 500 शाखाओं में 10,000 से लेकर 15,000 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक भाग ले रहे हैं उनकी संख्या 'अपार' है। यद्यपि यह सही है कि रेडियों मास्को के प्रसारण के बारे में श्री साहनी ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा था, किन्तु सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस समाचार पत्र का मैंने जिक्र किया हैं उसमें प्रकाशित रिपोर्ट का श्री साहनी ने खण्डन किया हो। इसे देखते हुए, किसी विदेशी प्रसारण स्टेशन द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता अथवा अन्यथा के बारे में टिप्पणी करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

Initiative by India for Convening of an Asian Conference for Vietnam and Cambodia

*502. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether India proposes to take initiative to convene a conference of the Asian countries to solve the problems of Vietnam and Cambodia and Laos ;

(b) if so, the time by which such a conference is proposed to be convened ; and

(c) if not, the difficulties being experienced in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) , (b) and (c) : Government of India continue to maintain contacts with all parties concerned in the conflict in Indo-China and other Asian countries with a view to assisting in bringing about a restoration of peace. In our view, substantive progress in the Paris talks, and in the discussions among the parties in Laos offer the best opportunities at present for progress towards a peace settlement. If and when a conference of Asian countries is feasible and would help progress towards peace, Government will not hesitate to take an intiative in that direction, along with others concerned. However, Government are not in favour of calling any conference which may divide Asians against Asians and thus only increase tension.

भूमिगत अणु बम बिस्फोट

*503. **श्रीचन्द्र गोयल : श्री वेदब्रत बरुआ :**
श्री शिवचन्द्र झा : श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षणार्थ बमों के भूमिगत विस्फोट की सरकार कौ कोई योजना है ;

(ख) क्या वह परीक्षण केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु शक्ति के उपयोग उद्देश्य से किया जायगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सरकार ने भूमिगत बम विस्फोट करने की कोई योजना नहीं बनाई है। शायद माननीय सदस्यों को सरकार शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु विस्फोट करने की नीति का पता है। परमाणु ऊर्जा आयोग ऐसी अवस्थाओं का अध्ययन करने में अभिरुचि रखता है जिनके अन्तर्गत शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये भूमिगत विस्फोट करना भारत के लिये लाभप्रद हो।

भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण

*504. **श्री रा० कु० बिड़ला :** क्या **प्रति-रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या स्थल सेना और नौ सेना के लिए भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

प्रति-रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख) और (ग) : तीनों रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए अब तक किए गये विभिन्न उपायों की एक रूप रेखा रक्षा मन्त्रालय के 1969-70 के वार्षिक आवेदन में दी गई है। वायु सेना की हालत में, एक आधुनिक 45 स्क्वाडनों

की संतुलित सेना तैयार करने के लिए पग पहले से उठाए गए हैं, और पुनर्सज्जा की एक योजना बना लीं गई है। स्थल से अन्तरिक्ष की ओर निर्दिष्ट आयुध समिश्र मार्मिक स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और एक आधुनिक अन्तरिक्ष रक्षा पर्यावरण तन्त्र तैयार किया गया है। सेना इस समय पहले की तुलना में बेहतर सज्जित और प्रशिक्षित है। इन वर्षों में आदि से अन्त तक निष्पत्ति में सुधार हुआ है। आधुनिकीकरण के अधिक प्रस्ताव कि जिनके लिए अनुमति दी जा चुकी हैं अपनी संघातक शक्ति को बढ़ाएंगे। नौसेना को जालत में आधुनिकीकरण के प्रस्तावों में शामिल हैं, एक पनडुब्बी पक्ष की स्थापना, नए पोतो की उपलब्धि, भारत में फ्रिगेटों सागर गामी रक्षा नौकाओं, टगों और अन्य सहायक पोतो का निर्माण।

सिंचाई के लक्ष्यों को पूरा न किये जाने के कारण, कृषि भूमि का उपयोग न किया जाना

*505. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सिंचाई लक्ष्यों की निरन्तर अवहेलना का बार बार उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या चम्बल परियोजना के पूरा हो जाने के दस वर्ष उपरान्त भी देहातों में खेतमार्गों के लिए कोई योजना नहीं है ;

(ग) क्या 15 वर्षों के बाद भी गुजरात में माही-कड़ना नदी योजना से 1,43,000 हेक्टेयर की क्षमता की अपेक्षा, केवल 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकी है ;

(घ) क्या राजस्थान नहर के निर्माण से पहले फसलों से सम्बद्ध कोई प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ङ) 1969-70 तक लगभग 315 परियोजनाओं के परिणामस्वरुप कृषि के लिए उपलब्ध 240 लाख एकड़ भूमि में से लगभग 50 लाख एकड़ भूमि का उपयोग नहीं किया गया जिसका अर्थ यह हुआ कि 472.50 करोड़ रुपये की पूंजी व्यर्थ गई ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (च) : स्वतन्त्रता से पूर्व किसानों द्वारा क्षेत्रीय नालियों के निर्माण के लिए और भूमि को ठीक बनाने के लिए बृहत् सिंचाई परियोजनाओं से पूर्ण उपयोग की विकासात्मक अवधि लगभग 10 वर्ष अथवा इससे अधिक हुआ करती थी। खाद्यान्न उपज के हित में इस समयान्तर को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस समस्या पर विचार किया गया और राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई कि वे किसानों को ऋण सुविधाएं, अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियां, विपणन केन्द्रों के लिए परिवहन सुविधाएं दें और कृषि (शास्य आयोजन) तथा पानी के उपयोग के वैज्ञानिक तरीकों को बताएं। सिंचाई विभागों से यह भी कहा गया था कि वे वहां 2 क्यूसेक तक के जल मार्गों का और क्षेत्रीय नालियों का निर्माण करें जहां किसान इस कार्य में देरी कर देते हैं।

योजनागत परियोजनाओं से 1968-69 के अन्त तक बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 219 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता उत्पन्न की गई थी। यह शक्यता 1969 की अर्थात् 1969-70 के वर्ष में, मानसून और शोत काल में उपलब्ध की जिसके दौरान 196 लाख एकड़ की शक्यता का अर्थात् 89 प्रतिशत का उपयोग हुआ जबकि यह प्रतिशतता प्रथम योजना के अन्त में 50 प्रतिशत थी जिससे यह पता चलता है कि इस दिशा में समग्रत: सुधार हुआ है।

कोसी बराज (बिहार) काकड़ापार और माही परियोजनाओं (गुजराज), चम्बल परियोजना (मध्यप्रदेश) और राजस्थान नहर परियोजना (राजस्थान) में हो मुख्यत: समुपयोजन में ह्रास देखा गया है।

पूर्वी कोसी नहर और राजपुरा नहरों में यह ह्रास लगभग 9.5 लाख एकड़ का रहा है। जिन वर्षों में सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में इस क्षेत्र में काफी वर्षा होती है तब वहां सिंचाई की मांग कम हो जाती है। इस क्षेत्र में एक समेकित आयाकट विकास कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है। जिसका एक मुख्य अंग बहुत से जल मार्गों और क्षेत्रीय नालियों का निर्माण करना है।

काकड़ापार और माही परियोजनाओं में 1968-69 में क्रमश: 3.17 और 2.35 लाख एकड़ शक्यता उत्पन्न की गई जबकि समुपयोजन 1.83 और 1.47 लाख एकड़ ही रहा जिसका मुख्य कारण जलाशय में सुनिश्चित जल सप्लाई की कमी थी। उकई बांध, जिसको काकड़ापार कमान क्षेत्र को सहायता मिलेगी, निर्माण की प्रोढ़ अवस्था में है। कडाना पर माही नदी के ऊपर एक बांध का भी निर्माण हो रहा है और इसके चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। जब जलसंचय उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे तो स्थिति सुधर जाएगी, क्षेत्रीय नालियां भी भू-सुधार स्कीमों के अन्तर्गत अब निर्मित की जा रही हैं।

चम्बल परियोजना में, 1968-69 के अन्त तक राजस्थान में 4.5 लाख एकड़ को और मध्य-प्रदेश में 6.5 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता उत्पन्न की गई थी, 1969-70 में क्रमश: 4.5 लाख एकड़ और 2.5 लाख एकड़ शक्यता का समुपयोजन किया गया। राजस्थान में समुपयोजन संतोष-जनक रूप से हुआ है। मध्य प्रदेश में कम समुपयोजन के निम्नलिखित कारण हैं :—

(क) 1964 से 1967 तक लगातार सूखा पड़ने के कारण गांधी सागर में अपर्याप्त पानी का पड़ना जिसके परिणामस्वरुप किसानों को सिंचाई के विस्तार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा सका।

(ख) कुछ वर्षों में मुख्य नहर में दरारें और खर-पतवार आदि उगने के कारण मुख्य नहर की अपर्याप्त क्षमता। क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिकारात्मक उपाय हाथ में लिए गये हैं।

(ग) सिंचित धान और गेहूं की शस्य पद्धति के परिवर्तन में धीमापन।

(घ) किसानों द्वारा भूमि के समतलीकरण और जल मार्गों के निर्माण की धीमी प्रगति। राज्य सरकार ने अब इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया है और 3.15 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए इन छोटी नालियों को पूर्ण कर लिया है और शेष कार्य के 1975 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

राजस्थान नहर परियोजना चरण–1 में 1968-69 के अन्त तक 4.1 लाख एकड़ की शक्यता उत्पन्न की गई थी और 1969-70 में 2.8 लाख एकड़ शक्यता का समुपयोजन किया गया। जिस क्षेत्र में से राजस्थान नहर गुजरती है वहां संचार का कोई भी साधन नहीं है, वह रेतीला इलाका है

और वहां आबादी लगभग है ही नहीं। सहवर्ती इलाके से लोगों को लाकर बहुत सा उपनिवेशन कार्य किया जाना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जहां पर कुछ आबादी है उन इलाकों में 8 वर्षों के दौरान और जहां पर कुछ भी आबादी नहीं है वहां पर 10 वर्षों के दौरान पूर्ण समुपयोजन होने की संभावना है। समयान्तर को यथासम्भव कम करने के लिए एक आयाकट विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

जिन क्षेत्रों में पहले से ही कृषि की जाती है, वहां वर्तमान पैटर्न, भू-स्थितियों आदि में रखते हुए सिंचाई का आयोजन करते समय, कृषि विभाग के साथ सलाह करके प्रारंभिक भू-सर्वेक्षण किए जाने हैं और एक प्रारंभिक शस्य पद्धति निकाली जानी है। परियोजना निर्माण और विकास अवधि के दौरान प्रयोगात्मक फार्म आदि स्थापित किए जाने हैं और विस्तृत भू-सर्वेक्षण किये जाते हैं ताकि कमान में स्थलाकृति और मिट्टी को विभिन्न किस्मों में किसानों का सिंचाई पद्धति और सिंचाई तरीकों आदि में मार्ग दर्शन किया जा सके।

राजस्थान नहर क्षेत्रों के संबन्ध में भी, परियोजना का आयोजना करते समय, प्रारंभिक भू-सर्वेक्षण किये गये हैं। जिस इलाके को फायदा पहुँचना था वह ऐसा था कि वहां जब तक नहर का पानी उपलब्ध न हो जाय कोई भी शस्य प्रयोग संभव नहीं था। अतः गंग नहर कमान जैसे वैसे ही क्षेत्रों के अनुभव पर आधारित एक प्रारंभिक शस्य पद्धति अपनाई गई थी। राजस्थान नहर के निर्माण के साथ-साथ, सुदक्ष भू-जल-पौधा संबन्ध निकालने के लिए और व्यावहारिक शस्त्र पद्धति का चयन करने के लिए विस्तृत भू-सर्वेक्षण प्रयोग और प्रदर्शन हाथ में लिए गये और जहां नये क्षेत्रों में निर्माण कार्य होता है वहां इन्हें जारी रखा जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम : दामोदर घाटी निगम को लेखा परीक्षा रिपोर्टों ने दामोदर घाटी निगम नहर प्रणाली में सिंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि दामोदर घाटी सिंचाई प्रणाली को सिंचाई शक्यता 8, 45,000 एकड़ है। 1969-70 में 7,38,000 एकड़ क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई की गई। 55,000 एकड़ के रबी के लक्ष्य को पार किया जा चुका है। और 1969-70 में 64, 660 एकड़ में वास्तविक सिंचाई की गई। खरीफ को पूर्ण फसलों की सिंचाई करने के लिए कुछ जलमार्गों और लघु सुधार कार्यों के निर्माण की आवश्यकता है। कमाने क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को काफी सारा औद्योगिक क्षेत्र आता है जहां बहुत सी रेलवे लाइने, सड़के और कारखाने बने हुए हैं और इन स्थितियों में जलमार्गों का निर्माण काफी धीरे-धीरे होता है। सबसे बड़ी कठिनाई का जो सामना करना पड़ता है वह है इसके लिए लोगों का विरोध, क्योंकि जलमार्गों के निर्माण में उपजाऊ कृषि भूमियों का अधिग्रहण किया जाना होता है। इससे भूमि अधिगृहीत करने और न्यायालयों आदि से निषेधाज्ञा लेने में देरी हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए स्थानीय सिविल अधिकारियों का सहयोग लिया गया है। विस्तार स्कीमों के कार्यक्रम को इस तरह बनाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार एजेन्सी आधार पर इसे धीरे-धीरे कार्यान्वित करे।

रूस को जूतों का निर्यात करने में असफलता

*506. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुस में जूतों की मांग बहुत अधिक होने के बावजूद उस देश को किये जाने वाले जूतों के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुमानित 440 लाख जोड़ों की मांग के मुकाबले भारत 10 लाख जोड़े भी नहीं सप्लाई कर सका है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। भारत अधिकाधिक परिमाण में सोवियत संघ को चमड़े के जूतों का निर्यात कर रहा है।

(ख) और (ग) : भारत से सोवियत संघ को किये जाने वाले चमड़े के जूतों के निर्यात हेतु जूतों की वर्धित प्राप्यता के फलस्वरुप सोवियत संघ द्वारा किये जाने वाले विश्वव्यापी आयातों में भारत का भाग उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना है।

भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीयों द्वारा छोड़ी गयी आस्तियों को अपने हाथ में लेना तथा भारत में उनके एवज में उनको हर्जाना देना

507. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि विदेशों में भारतीय दूतावास उन भारतीयों द्वारा छोड़ी गई आस्तियों को, जो उन देशो से मजबूर करके निकाले जा रहे हैं, अपने हाथ में ले लेंगे और जब वे भारत में आयें तो इन लोगों को उनकी आस्तियों के मूल्य के बराबर का धन उपलब्ध कर दिया जाये ; और

(ख) इस प्रस्ताव से कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा और इस योजना को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिये नया संविधान और राष्ट्रपति-प्रणाली वाली सरकार

*508. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि पाकिस्तान का विचार अवैध रूप से अपने कब्जे में लिए हुए काश्मीर को एक नया संविधान देने का है जिसके अधीन वहां राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार कायम को जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मै सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस प्रकार की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर, जो इस बीच सदा ही पाकिस्तान के गैर-कानूनी सैनिक कब्जे में रहा है, पूर्णतः पाकिस्तान के नियंत्रण में है जिसने वहां स्थानीय सरकार का ढ़ोंग रच रखा है। तथ्य यह है कि भारत में विलियन के परिणामस्वरूप समूचा जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इस राज्य के एक भाग पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा होने से पूरे राज्य पर भारत की प्रभुसत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

भारत-अफगान व्यापार करार

*509. **श्री हेम राज** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अफगान व्यापार करार 31 जुलाई 1970 को समाप्त हो गया था ;

(ख) क्या दोनों देशों में विचार-विमर्श के बाद एक नया करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं और क्या उक्त करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार विनिमय के लिए प्रबन्ध की एक रुपरेखा विद्यमान है, जो 31 जुलाई, 1971 तक वैध है इस रुपरेखा के अन्तर्गत विनिमय किये जाने वाले माल के स्वरुप तथा परिणाम तथा आयात और निर्यात के लिये अपनाई जाने वाली क्रियाविधियां प्रतिवर्ष तय की जाती हैं। गत वार्षिक प्रबन्ध 31 जुलाई, 1970 को समाप्त हो गया था। वर्ष 1970-71 के लिए प्रबन्ध से सम्बन्धित बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकला और सितम्बर के अन्त से पूर्व बातचीत फिर शुरु होने की संभावना है।

आयात तथा निर्यात व्यापार तथा उद्योग का अनुभव होने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करने तथा उनको दूर करने के लिए समिति की स्थापना

*510. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों को अनुभव होने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करने तथा उन्हें दूर करने और कान्डला पत्तन के माध्यम से आयात निर्यात को सुविधाजनक बनाने के संबन्ध में एक समिति स्थापित की जा रही है या स्थापित की गई है ; और

(ख) समिति के सदस्यों के नाम तथा समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : विदेशी व्यापार मन्त्रालय ने कांडला पत्तन के संबन्ध में कोई समिति गठित नहीं की है। फिर भो, मई, 1970 में जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय ने कांडला पत्तन से संबन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति का संघटन तथा विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :–

संघटन

1. सचिव, तथा जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास	सदस्य
3. गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4. गुजरात वाणिज्य मन्डल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. गांधीधाम वाणिज्य तथा उद्योग मन्डल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6. विदेशी व्यापार मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य

7. औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. खाद्य विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9. कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. रेलवे बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
12. राज्य व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि	सदस्य

विचारार्थ विषय

समिति से यह अपेक्षित था कि वह निम्नलिखित मामलों पर विचार करके उनके सम्बन्ध में सिफारिशें करें :—

(1) कांडला पत्तन से संबन्धित तकनीकी समस्याएं तथा तलकर्षण नौवहन, पोतलदान सुविधायें आदि ;

(2) कांडला पत्तन से होकर गुजरने वाले यातायात में कमी और पत्तन पर प्रदान की गई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्या का हल करने के लिए किये जाने वाले उपाय ;

(3) कांडला-गांधीधाम क्षेत्र के त्वरित औद्योगिकरण के लिये आवश्यक उपाय ।

भारत आने के इच्छुक श्रीलंका के भारती व्यापारी

3191. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका सरकार के अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे दालों, प्याज तथा मसालों के आयात व्यापार के राष्ट्रीयकरण के निर्णय से प्रभावित होने वाले श्रीलंका स्थित भारतीय व्यापारियों की संख्या कितनी है, उनमें से कितने भारत आ गये हैं; और भारतीय व्यापारियों को कुल राशि की कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ख) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने गैर राष्ट्रिकों के अस्थायी निवास परमिटों का नवीनकरण न करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार श्रीमावो शास्त्री समझौते की कार्यान्वित के लिये अनुरोध करेगी जिसके अंतर्गत 300;000 भारत मूलक लोगों को समूहों में श्रीलंका की राष्ट्रीयता दिये जाने का वचन दिया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र और श्रीलंका के राष्ट्रिकों को व्यापार सौंपते के लिए श्रीलंका सरकार कुछ उपाय कर रही है । इन उपायों का प्रभाव अभी पड़ना है जो सभी व्यापारियों पर लागू होते हैं जिनमें भारतीय भी आते हैं और अभी उन भारतीयों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन होगा जो भारत लौट आये या उनके परिणाम स्वरूप जिन्हें क्षति उठानी पड़ी ।

(ख) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) भारत और श्रीलंका दोनों की सरकारें 1964 के भारत-श्रीलंका करार को क्रियान्वित करना चाहती हैं और आवश्यक कार्याविधियां तैयार कर ली गई हैं। अभी कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन दोनों सरकारें इस बात का सुनिश्चय करने के लिए बराबर सलाह मशविरा कर रही हैं कि यह करार सहज और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित हो जाये।

रेयन धागे के निर्यात के लिए कनाडा की एक फर्म के साथ करार

3192. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम तथा रेएक्स (रेयन निर्यात संवर्धन परिषद्) ने दो किस्मों के रेयन धागे के निर्यात के लिये कनाडा की एक फर्म के साथ हाल ही में 80 लाख रुपये का एक करार किया है हालांकि इस माल को कनाडा की एक अन्य खरीदार फर्म ने वहां की मंडी में प्रचलित किया था;

(ख) यदि हां, तो करार का व्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेयन निर्यात संवर्धन परिषद् ने एकाधिकार करार का इन शब्दों में विरोध किया है कि "परिषद निर्बाध उद्यम के बढ़ावे के लिये है न कि एकाधिकार के लिये यह हमारा कार्य नहीं है";

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) राज्य व्यापार निगम तथा रेएक्स के इस करार के लिये जिम्मेदार सदस्यों के नाम क्या हैं?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम रेयन निर्यात संवर्धन परिषद् ने कनाडा को निर्यातकों के रूप में कनाडा की एक कम्पनी से कतिपय प्रकार के रेयन स्पेशल मिश्रित वस्त्रों के निर्यात के बारे में सौदा किया है। इस सौदे के अन्तर्गत कनाडा की कंपनी राज्य व्यापार निगम रेयन निर्यात संवर्धन परिषद् से 1970 में टिकिंग्स के लिये उपयोगार्थ 20 लाख गज रेयन स्पेशल मिश्रित वस्त्र का आयात करेगी।

(ग) राज्य व्यापार निगम को ऐसा कोई मत प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह सौदा राज्य व्यापार निगम और रेयन निर्यात संवर्धन परिषद् ने संयुक्त रूप से तय किया था।

जापानी सहयोग

3193. **श्री न० कु० सांघी : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान कुछ शर्तों पर अपने सहयोग से कलपुर्जे इत्यादि के उत्पादन में सहयोग देने तथा भारत से उन वस्तुओं का आयात करने के लिए इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) जापान किस वस्तु के निर्माण में सहयोग देने का इच्छुक है; और

(घ) यदि जापान का सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) : ज्ञात हुआ है कि अपने उद्योग तथा प्राद्योगिकी में त्वरित विकास के कारण जापान औद्योगिक उत्पादन के कतिपय क्षेत्रों में दक्ष व्यक्तियो की कमी अनुभव कर रहा है। कतिपय संघटकों और गौण संयोजन सम्बन्धी जापानी उद्योग की जरूरतों को पूरा करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये भारत और जापान के व्यापारियों और उद्योंगपतियों के दल एक-दूसरे के देक्षों में गये। ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिये संयुक्त अध्ययन किये जा रहे हैं जो परस्पर अनुपूरक हैं।

दामोदर घाटी निगम की कलकत्ता निगम इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की विजली सप्लाई करने की संशोधित दरें

3194. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली विजली की प्रति किलोवाट दर में हाल ही में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) संशोधित दर क्या है और उसके आधार तथा कारण क्या हैं;

(ग) क्या कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम के लिये दामोदर घाटी निगम द्वारा विजली को दरों में वृद्धि किये जाने के कारण कलकत्ता के उपभोक्ताओं के लिये कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम की दरों में वृद्धि हो गई है; और

(घ) यदि हां, ती क्या दरों में इस वृद्धि को रोका जा सकता है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : जी हां।

(ख) : पिछली दर और संशोधित दर (ईंधन समायोजन संबंधी धारा के बिना) नीचे दी गई हैं :—

	संशोधन से पूर्व	संशोधन के बाद	
मांग शुल्क	8.75 रुपये प्रति केवीए प्रति मास	9 रुपये प्रति केवीए प्रति मास	
ऊर्जा शुल्क	1.25 पैसे प्रति यूनिट	प्रथम 100 लाख यूनिट प्रति मास	3.00 पैसे/यूनिट
		अगले 200 लाख यूनिट प्रति मास	2.75/पैसे यूनिट
		अगले 200 लाख यूनिट प्रति मास	2.25/पैसे यूनिट
		500. लाख यूनिट प्रति मास से अधिक सब	2,00 पैसे/यूनिट

पहला टैरिफ ठेके के अधीन दिया गया था जो कि 81 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हो गया। दामोदर घाटी निगम द्वारा अन्य तुलनीय उपभोक्ताओं को थोक सप्लाई के लिये निर्धारित टैरिफ दरों और विद्युत उत्पादन की आवर्धित लागत के कारण नये ठेके के अन्तर्गत 1-1-70 से टैरिफ दुहरा कर बढ़ा दिये गये।

(ग) और (घ) : सी० आई० एस० सी० ने केवल दामोदर घाटी निगम द्वारा इस सप्लाई करने वाली बिजली की थोक सप्लाई दरों में वृद्धि के कारण अपने परचून टैरिफ दरों को बढ़ा दिया है। सी० ई० एस० सी० के खर्च में, अपने कर्मचारियों के मजूरी बिलों के सम्बन्ध में अन्य वृद्धियों के कारण भी परचून टैरिफ दरों में वृद्धि हुई है। सी० ई० एस० सी० की परचून टैरिफ दरों में वृद्धि पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह वृद्धि उतनी ही की गई है जितनी का लाइसेंसदारों को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया था।

दामोदर घाटी निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये वेतन समिति नियुक्त करना

3195. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करता है ;

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम द्वारा इस वेतन समिति की नियुक्ति करने और तीसरे वेतन आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वेतन समिति कर्मचारियों के सभा वर्गों के बारे में विचार करने के लिये थी परन्तु इसने एक विशेष स्तर तक के कर्मचारियों तक ही विचार करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उन पदों के लिये जो केन्द्रीय सरकार के पदों के सदृश हैं, दामोदर घाटी निगम ने केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान अपनाये हैं। अन्य पदों के लिये निगम के अपने वेतन-मान हैं।

(ख) वेतन-मानों में संशोधन की मांग कर्मचारी-संघ की बहुत दिनों से चली आ रही मांग है। विभिन्न पंचाटों के परिणामस्वरूप जब से इस क्षेत्र के समतुल्य उद्योगों में वेतन बढ़ा दिया गया है और जब से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति की मांग तेज हो गई तथा निगम वेतन समिति की नियुक्ति के लिए सहमत हो गया।

(ग) और (घ) : दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित वेतन समिति प्रारम्भ में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए गठित की गई थी। बाद में निगम ने निर्णय किया कि समिति का कार्यक्षेत्र उन पदों तक समिति रखा जाए जिनके वेतनमान अधिकतम 1250 रुपये प्रति मास तक हों। ऊंचे पदों के वेतन-मानों के संशोधन पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तीसरे वेतन आयोग की रिपोट पेश किए जाने पर ही, निगम द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।

दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों में अन्तर

3196. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को सप्लाई की जाने वाली बिजली की संशोधित दरें पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्ड को दी जाने वाली बिजली की दरों से भिन्न हैं;

(ख) क्या कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम के लिये अपेक्षाकृत सस्ती दरें हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम और राज्य बिजली बोर्ड दोनों ही दामोदर घाटी निगम की बिजली के वितरक हैं, कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को सस्ती दरों पर बिजली देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम से जो थोक बिजली सप्लाई निगम को दी जाती है उसकी संशोधित दरें पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्ड को होने वाली सप्लाई की दरों से सस्ती नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली प्रदाय उपक्रमों के लिये मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को दामोदर घाटी निगम पर लागू करना

3137. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम बिजली प्रदाय उपक्रमों के लिये मंजूरी बोर्ड के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं था;

(ख) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम दो अन्य सामाजिक उद्देश्यों–सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण की पूर्ति करने का कार्य कर रहा है; और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा अन्य दो उद्देश्यों की पूर्ति करने के फलस्वरूप होने वाले घाटे को उसे बिजली के व्यापार से होने वाले लाभों से पूरा करने के बजाय उसे कर्मचारियों को अधिक मजूरी देने के मामले में उचित रूप से ध्यान में रखा जाता है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम को बहुद्देश्यीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, बिजली अधिकरणों के लिये केन्द्रीय वेतन बोर्ड ने निगम के कर्मचारियों को अपनी सिफारिशों के क्षेत्र से बाहर रखने का निर्णय किया है।

(ग) जिन लाभों का श्रेय विद्युत सैक्टर को है उन्हें सिंचाई तथा बाढ़-नियन्त्रण के घाटों को पूरा करने के काम में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इन शीर्षों के अन्तर्गत आने वाले घाटे साझेदार राज्यों द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 खण्ड 37 (2) के अनुसार पूरे किये जाने होते

हैं। रु० 1250 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए दामोदर घाटी निगम ने एक वेतन समिति का गठन किया है। इस वेतन समिति को सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को निगम ने 1-1-1970 से 20 रुपये प्रतिमाह अंतरिम सहायता दी है।

कपड़ा तैयार करने की मशीनों और कलपुर्जों का निर्यात

3198. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में कितने मूल्य की कपड़ा तैयार करने की मशीनों तथा कलपुर्जों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कपड़ा इंजीनियरिंग उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकांश कारखानों के कच्चे माल के लिए गत लाइसेन्स अवधि को 6 महीनों की आवश्यकता के आधार पर केवल एक लाइसेंस प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का ध्यान ऐसोसिएशन आफ मरचेंट्स एन्ड मैन्युफैक्चरर्स आफ टैक्सटाइल स्टोर्स एण्ड मशीनरी (इंडिया) के अध्यक्ष द्वारा 22 जून, 1970 को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं के आयात को नीति बनाते सयय सरकार ने, देशी उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं जैसे कोल्ड रोलिंग स्ट्रिप्स के बारे में ध्यान में नहीं रखा और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जनवरी-जून 1970 की अवधि के दौरान 3.68 करोड़ रुपये मूल्य की कपड़ा तैयार करने की मशीनों का निर्यात हुआ।

(ख) कच्चे माल की कमी ने, इंजीनियरिंग उद्योगों जिसमें कपड़ा इंजीनियरिंग भी शामिल है की सम्पूर्ण शृंखला को, प्रभावित किया।

(ग) तथा (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) प्रश्नाधीन वक्तव्य की सरकार को सूचना नहीं मिली है। तथापि, लोहे तथा इस्पात के लिये आयात नीति बनाते समय, स्वदेशी खपत और निर्यातों दोनों के लिए, माल के उत्पादन हेतु देशी उद्योग की आवश्यकताओं पर विचार किया गया है।

इन्जीनियरी के सामान का निर्यात

3199. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में संयंत्रों और मशीनों के निर्यात में बहुत वृद्धि होने की आशा है ;

(ख) क्या 40 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग के सामान के निर्यात के लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने में यह बहुत सहायक सिद्ध होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) संयंत्र तथा मशीनों

के निर्यात बढ़ाने के लिये जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं। सीमेंट-संयंत्रों और अन्य मशीनों की पूर्ति के लिये बातचीत चल रही है। आशा है कि ये संगठित विपणन प्रयत्न आगामी वर्षों में संयंत्रों और मशीनों के निर्यातों का अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा स्तर प्राप्त करने में सहायक होंगे।

आंध्र प्रदेश के निजाम सागर जलाशय में गाद का भरना

3200. **श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में निजाम सागर जलाशय में अत्याधिक गाद भर गई है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अन्तर्गत 3 लाख एकड़ "आयाक" को बचाने के लिये गाद को भरने से रोकने तथा तत्संबंधी अध्ययन करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या केन्द्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष गाद की सही सही मात्रा का निर्धारण करने के लिये तथा यह पता लगाने के लिये कि मंजीरा के बेसिन के किन भागों से मंजीरा नदी द्वारा यह गाद बहा कर लाई जाती है विशेष अध्ययन किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) इस 40 वर्ष पुरानी मुख्य सिंचाई योजना के भविष्य में गाद से बचाने के लिये सरकार का क्या तत्कालिक कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : सरकार को आंध्र प्रदेश के निजामसागर जलाशय में गाद भरने की तेज गति का पता है। जलाशय में प्रवेश कर रहे गाद-भार को कम करने के लिये, चौथी योजना के दौरान जलाशय के वाह क्षेत्र में भू-संरक्षण उपाय क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम को चौथी पंचवर्षीय योजना में नदी घाटी परियोजनाओं के वाहक्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों के कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत बोर्ड ने नदी घाटी परियोजनाओं के मौलिक तथा आधार भूत अनुसंधान कार्यक्रम के अधीन, निजामसागर जलाशय की क्षमता के सर्वेक्षण किये हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने 1966 में रामपल्ली में मंजीरा नदी पर निस्सार और गाद मापने का केन्द्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विभिन्न स्थलों पर गाद के आंकड़ों का एकत्रण करने के लिए वाहक्षेत्र में चार गाद प्रेक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं। उन क्षेत्रों में जहां भूसंरक्षण उपाय अपनाए जाते हैं, समस्या का पता लगाने के उद्देश्य से भूसंरक्षण कार्यक्रम के अधीन निजामसागर के वाहक्षेत्र में जलवैज्ञानिक और प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिए 1970-71 के दौरान 3.5 लाख रुपये की राशि आंबटित की गई है।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मन्त्री ने, जिन्होंने स्थल का निरीक्षण किया था, ये सुझाव दिये थे-गाद के भरने से क्षमता में होने वाली क्षति की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए बांध ऊंचाई को बढ़ाना निजामसागर बांध में गाद भरने की गति को कम करने के लिये प्रतिप्रवाह दिशा में एक और जलाशय के निर्माण के लिये अनुसंधान। राज्य सरकार इन प्रस्तावों का अनुसंधान कर रही है।

मऊ छावनी क्षेत्र में 'काल गर्ल' सप्लाई करने वाला गिरोह

3201. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ छावनी क्षेत्र के आस-पास 'काल गर्ल' सप्लाई करने वालों का एक गिरोह नियमित रूप से सक्रिय है और 'आर्मी इन्फेन्ट्री स्कूल मऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा सैनिक अधिकारी इन 'काल गर्ल' को अनैतिक कार्यों हेतु निर्वाध रूप से अपने क्वार्टरों में लाते रहते हैं और उन को उच्च अधिकारियों द्वारा बिना किसी रोकथाम के अनधिकृत तौर पर अपने क्वार्टरों में रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सैनिक हाल में इस असैनिक कार्य में रंगे हाथों पकड़े गये थे और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और वे किस किस रैंक के हैं ; और

(घ) सेनाओं में इस बुराई की रोकथाम के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : ऐसा दर्शाने के लिए सरकार को जानकारी नहीं कि मऊ छावनी में या उसके आस पास 'काल गर्ल' को कोई कूट योजना चल रही है। तदपि हाल ही में एक घटना हुई थी कि जिसमें इन्फेन्ट्री स्कूल के एक छात्र अफसर (सेकंड लेफ्टिनेंट) ने अपने क्वार्टर में एक लड़की लाने का प्रयास किया था, और उसकी पूर्णतः रोक की गई थी। उस पर सेना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, और उसे दण्ड दिया गया है।

इन्फेन्ट्री स्कूल के स्थायी आदेशों में अफसरों के लिए अपने क्वार्टरों में लड़किये लाना निषिद्ध है, और इस संबंध में कड़ी रोक लगाई जाती है।

सेन्ट्रल केंटीन स्टोर्स विभाग (इण्डिया) के नये चेयरमैन की नियुक्ति

3202. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के नये चेयरमैन जो एक मेजर-जनरल के रैंक के हैं ने बम्बई में केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट मुख्यालय का हाल में कार्य सम्भाल लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद का दर्जा बढ़ाये जाने का अर्थ नीतियों में कोई परिवर्तन करना है और सैन्ट्रल केन्टोन स्टोर्स डिपार्टमेंट को अधिक स्वाविवेकी शक्तियां देना है ;

(ग) क्या नया पदाधारी अभी सेवा में हैं अथवा सेवा निवृत्त अधिकारी हैं ;

(घ) ऐसी नियुक्तियों के लिये कसौटी क्या है और क्या केवल सेवा में कार्य कर रहे अधिकारी ही इस पद के योग्य हैं अथवा क्या, जैसे कि पहले होता था सिविल व्यक्ति भी इस पद पर कार्य कर सकते हैं ; और

(ङ) सेन्ट्रल स्टोर्स डिपार्टमेंट के ही किसी व्यक्ति को पदभार न देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्र सिंह महीडा) : (क) जी हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) वर्तमान सदस्य एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल है।

(घ) अधिकाधिक उपयोगी समझे गए व्यक्ति को ही नियुक्ति किया जाता है । सेवानिवृत्त सैनिक अफसर और सी० एस० डी० (आई) में पहले से काम कर रहे व्यक्ति भी नियुक्ति के अधिकारी समझे जाते हैं ।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता ।

सेना के अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन

3203. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने सेना मुख्यालय को सेना में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया के बारे में इस बीच अनुदेश जारी कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर सेना में भी अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ;

(ग) यदि हा, तो नीति की मुख्य रूप रेखा क्या है और कितने प्रतिशत अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जायेगा और इसके लिए क्या कसौटी अपनाई जायेगी ; और

(घ) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रथम ग्रुप का स्थायी कमीशन देने के मामले पर कब तक विचार किये जाने की सम्भावना है ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) भुज/कोर पर निर्भर कि जिनमें अल्पकालीन कमीशन प्राप्त सेवा कर रहे हों, 2 संचार वर्षों को सेवा सम्पूर्ण कर लेने पर उन अफसरों को, कि जो स्थायी कमीशन के लिए विचारे जाने के लिए राजी हों सेवाओं के चयन बोर्ड द्वारा छांटा जाता है । जिन्हें योग्य वर्गीकृत किया जाए, और सभी पहलुओं से उपयुक्त हों, उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान की जाती है । उन सभी अफसरों को कि जो उपयुक्त पाए जाए, स्थायी कमीशन प्रदान की जाएगी ।

(घ) (गैर तकनीकी) अल्प कालीन कमीशन प्राप्त अफसरों के पहले दल की, स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के लिए छांट की जा रही है ।

सूडान में भारतीय व्यापार गृहों का राष्ट्रीयकरण

3204. **श्री दिनकर देसाई :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूडान की सरकार द्वारा सभी बैंकों तथा विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी घोषणा पर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सूडानी और विदेशी राष्ट्रीयकृत अथवा राज्यसात् फर्मों में ऐसी छः भारतीय फर्म थे जिन्हें 14 जून 1970 को राज्यसात् कर लिया गया ।

(ग) उनमें पांच फर्म वीरानी ब्रदर्स ग्रुप की हैं तथा छठी मेसर्स छोटालाल शोभाचंद की ।

विदेशों से उपहार स्वरूप मिले ट्रैक्टर

3205. **श्री जी० वेंकटस्वामी : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1970 तक विदेशों में बसे भारतीयों ने अपने संबन्धियों को कुल कितने ट्रैक्टर उपहार स्वरूप भेजे हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों को उपहार स्वरूप ट्रैक्टर भेजने की अनुमति नहीं दी गई हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) वस्तुतः उपहार स्वरूप भेजे गये ट्रैक्टरों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले टैक्टरों के आयात के लिये 30-6-1970 तक 1702 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और 1261 सीमा-शुल्क निकासी परमिट दिये गये थे ।

(ख) तथा (ग) : 441 मामलों में ट्रैक्टरों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और बैंक प्रमाण-पत्रों में, जो योजना के अधीन उपहार देने वालों की ओर से आवेदनपत्रों के साथ संलग्न करना अपेक्षित हैं,असंगतियां हैं अथवा आवेदनपत्रों के जो दस्तावेज होने चाहिये वे अपूर्ण हैं । असंगतियों का स्पष्टीकरण और दस्तावेजों की कमियों के पूरा हो जाने पर इन आवेदनपत्रों पर आगे विचार किया जायेगा । जिन मामलों में आवेदक असंगतियों का स्पष्टीकरण अथवा कमियों को पूरा नहीं कर सकेंगे, वे आवेदनपत्र नामंजूर कर दिये जायेंगे ।

एयर फ्रांस के विमानों द्वारा भारतीयों को ब्रिटेन ले जाना

3206. **श्री वाल्मीकि चौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में 40 भारतीय नागरिकों को रोक लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये भारतीय नागरिक एयर फ्रांस के विमान से पश्चिम जर्मनी गये थे ;

(ग) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के चार या पांच दल एयर फ्रांस के विमानों से यूरोप के कुछ स्थानों पर अन्त में ब्रिटेन में छिपकर प्रवेश करने के उद्देश्य से पहुंचे थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन भारतीयों को चोरी-छिपे वहां भेजना एयर फ्रांस तथा कुछ तथा कुछ अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के संगठित षडयन्त्र का एक भाग हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने और निर्दोष नागरिकों को धोखा से बचाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । गैर-कानूनी

ढंग से ब्रिटेन में घुसने की कोशिश करने के लिए हाल ही में ब्रिटिश प्राधिकारियों ने 40 भारतीय राष्ट्रिकों को पकड़ लिया था। बाद में, इनमें से 39 को छोड़ दिया गया था और देश-प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

(ख) सरकार की सूचना के अनुसार, 40 लोगों का यह दल 24 जुलाई, 1970 को एयर फ्रांस के विमान में दिल्ली से बम्बई के रास्ते पेरिस के लिए रवाना हुआ था।

(ग) जी नहीं। सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) : इस मामले की जांच की जा रही है। जब तक जांच चल रही है, तब तक सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यह कोई संगठित षडयंत्र है। जांच पूरी हो जाने पर सरकार समुचित प्रतिकार और निवारक उपाय बरतने पर विचार करेगी।

जौन स्मिथ द्वारा लिखित 'आई वाज ए० सी० आई० ए० एजेंट नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध

3207. **श्री समर गुह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जॉन स्मिथ द्वारा लिखित 'आई वाज ए० सी० आई० ए० एजेंट' नामक पुस्तक में जो सर्वप्रथम मास्को से प्रकाशित की गई थी और उसके बाद भारत में फिर से मुद्रित की गई थी, भारत के विरुद्ध झूठा और शरारतपूर्ण प्रचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उक्त पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और रूस सरकार से भी अनुरोध किया है कि वह भी अपने देश में इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दे क्योंकि इससे भारत और रूस सरकार के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने विशेषरूप से कुछ व्यक्तियों पर लगाए गए खास अरोपों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक की जांच की है। इन अरोपों को गलत पाया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृत्रिम रेशे के निर्माताओं को उदार मूल्य नीति अपनाने की सलाह

3208. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृत्रिम रेशा निर्माताओं को उदार मूल्य नीति अपनाने की सलाह दी है जिससे मुनाफाखोरों पर रोक लगे और उसके फलस्वरूप उद्योग का द्रुतगति से विकास हो ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। फिर भी

जुलाई 1970 में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय मानव निर्मित रेशा विचार गोष्ठी में पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री ने ऐसी नीति के सम्बन्ध में आग्रह किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में स्टेट वूलन मिल्स में की गई अनियमितताएं

3209. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1970 के दैनिक नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि (1) राजस्थान में स्टेट वूलन मिल्स की उत्पादन क्षमता में कमी हुई है (2) तैयारशुदा माल इकट्ठा हो रहा है और कि स्वचालित मशीनों की हालत खराब होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या मिल के अधिकारी केवल 3-4 व्यापारियों से ही बहुत अधिक मूल्य पर घटिया ऊन खरीदते हैं और कच्चे माल की खरीद में गम्भीर अनियमितताएं की जाती हैं ;

(घ) क्या उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान रद्दी हो जाने वाली ऊन को व्यापारियों को बहुत कम मूल्यों पर बेच दिया जाता है और वही व्यापारी उस ऊन को कच्चे माल के साथ ऊची दरों पर मिल को बेचते हैं और इस प्रकार सरकार को धोखा देते हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क), (ग) और (घ) : राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि समाचार में दी गई जानकारी सही नहीं है।

(ख) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करना

3210. **श्री जार्ज फरनेन्डोज** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों और विदेशी व्यापारियों द्वारा संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भारत सरकार से कुल कितने मामलों में पूछताछ की गई है ;

(ख) जिन कम्पनियों ने यह जानकारी मांगी है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) इन अनुरोधों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ग) : विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में भारतीय उद्यमियों द्वारा जनवरी से जुलाई, 1970 की अवधि के दौरान 60 मामलों में पूछताछ की जा चुकी है। इनमें से 27 पूछताछ सामान्य मामलों पर हैं जिनके उत्तर में आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी गयी थी। शेष 33 का सम्बन्ध विदेश में विशिष्ट परियोजनाओं की स्थापना सम्बन्धी प्रस्थापनाओं से है जिनपर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) कम्पनियों के नाम दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है।

विवरण

कम्पनियों के नाम

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1.	मेसर्स मुकुन्द आयरन एन्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड, बम्बई (2 जांच)
2.	मेसर्स मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लि० मोदीनगर
3.	मि० वेदप्रकाश गर्ग, देहरादून
4.	मेसर्स चन्द्रा इन्डस्ट्रीस, बम्बई
5.	मेसर्स जेनिथ स्टील पाईप्स लि०, बम्बई
6	मेसर्स श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लि०, गुजरात
7.	मेसर्स किर्लोस्कर एलिक्ट्रक कम्पनी लि०, बंगलौर
8.	मेसर्स पुनु कलर्स, बम्बई
9.	मेसर्स माल्टेक्स केमिकल एन्ड अलाइड इनडस्ट्रीस, देहरादून (2 जांच)
10.	मेसर्स हिन्द ओवरसीस प्र० लि०, कलकत्ता
11.	मेसर्स रालीस इन्डस्ट्रीस, बम्बई (2 जांच)
12.	मेसर्स सोहल इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई
13.	मेसर्स बी० सी० आयरन फाउनड्री, आगरा
14.	श्री डी० एल० मजुमदार, नई दिल्ली
15.	मेसर्स पारले वोट्लिंग कम्पनी (प्र०) लि० बम्बई (2 जांच)
16.	मेसर्स सर जी० सी० नारंग (कास्मेटिक्स) इन्डस्ट्रीस लि० (नई दिल्ली)।
17.	मेसर्स टैप्स एन्ड डाइस लि० कलकत्ता :
18.	मेसर्स एच० एल० मलहोत्रा एन्ड सन्स (प्र०) लि०, (कलकत्ता)।
19.	मेसर्स इनडस्ट्रियल फेब्रीक्स (प्र०) लि०, बम्बई।
20.	मेसर्स गिफ्ट्स फुड प्रोडक्ट्स (इनडियो) पूना।
21.	मेसर्स लक्ष्मी टेक्स्टाइल्स एक्सपोटर्स (प्र०) लि०, कोयम्बट्टर (2जांच)।
22.	मेसर्स नैशनल वायर & वायर प्रोडक्ट्स, बम्बई।
23.	मेसर्स स्टैन्डेर्ड लेटक्स प्रोडक्ट्स, बम्बई।
24.	मेसर्स श्री अम्बिका मिल्ल लि०, अहमदाबाद।
25.	मेसर्स स्टैन्डेर्ड टिन वर्क्स, बम्बई।
26.	मेसर्स डालमिया सिमेंट (भारत) लि० नई दिल्ली।
27.	मेसर्स टी० मानिकलाल मैनुफक्चरिंग कम्पनी लि०, बम्बई (2 जांच)।
28.	मेसर्स आयुर्वेद सेवाश्रम (प्रा०) लि०, अहमदाबाद।
29.	मेसर्स युनाइटेड एजेन्सीज (प्रा०) लि०, बम्बई।

30. मेसर्स सथर्न ओटोमैटिक इनडस्ट्रीट (प्रा०) लि० मद्रास।
31. मेसर्स फ्रिट्स एन्ड सिंह (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
32. मेसर्स ओरियन्टल फार्मस्च्युटिकल इनडस्ट्रीस (प्रा०) लि० बम्बई।
33. मेसर्स मलहोत्रा फिनान्स & एजेन्सीज (प्रा०) लि०, बम्बई।
34. मेसर्स सेंचुरी कंचन, बम्बई।
35. मि० एम० पी० जैन, कलकत्ता।
36. मेसर्स सथर्न इनडस्ट्रियल कोरपोरेशन, लि०, मद्रास।
37. मेसर्स जे० के० रेयन, नई दिल्ली।
38. मेसर्स टेकसन्स (प्रा०) लि०, बम्बई।
39. मि० एन० कृष्णन, बंगलौर।
40. मेसर्स किर्लोस्कर आयल एन्जिन्स लि०, पूना (2 जांच)
41. मेसर्स पन्तनवाला ग्लास वर्क्स, बम्बई।
42. मेसर्स टाटा सन्स (प्रा०) लि०, बम्बई।
43. मेसर्स जे० के० इनडस्ट्रीस (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
44. मेसर्स चैयप्यन एलट्रिकल इंजीनियरिंग, वर्क्स, दिल्ली।
45. मेसर्स हिन्दुस्थान गैस इनडस्ट्रीस लि०, नई दिल्ली।
46. मेसर्स राधा सिल्क एम्पोरियम (प्रा०) लि० मद्रास।
47. मेसर्स जयपूर उद्योग लि०, नई दिल्ली।
48. मेसर्स दि के० सी० पी० लि०, मद्रास।
49. मेसर्स सेंचुरी कंसलटन्स, बम्बई।
50. मेसर्स मेडिकेम लमोरटरीस (प्रा०) लि०, बम्बई।
51. मेसर्स कुलिट्टाई कैन फार्म (प्रा०) लि०, मद्रास।
52. मेसर्स हिन्दुस्थान टूल इनडस्ट्रीस, बम्बई।
53. मेसर्स भगवान इनडस्ट्रीस (प्रा०) लि० लखनऊ।

व्यापार विकास एजेंसी

3211. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री जनार्दन :**
श्री वे० कृ० दासचौधरी : **श्री अदिचन :**
श्री जी० वेंकटास्वामी : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री नन्द कुमार सोमानी : **डा० रानेने सेन :**
श्री लताफ़त अली खां :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास एजेंसी के लिये जिसने छोटे निर्यातकर्ताओं को सहायता देने के लिये हाल ही में कार्य आरम्भ किया है, एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया गयाहै ; और

(ख) उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) व्यापार विकास प्राधिकरण, जिसका पंजीकरण किया जा चुका है और जो शीघ्र ही अपने कार्यकलाप शुरू कर देगा, निर्यातक समुदाय को विविधि प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए व्यक्तियों की व्यवस्था करेगा। इसमें एक पण्य प्रभाग, एक जानकारी प्रभाग तथा गवेषणा व विश्लेषण प्रभाग होगा। जानकारी प्रभाग तथा गवेषणा व विश्लेषण प्रभाग की सहायता से पण्य प्रभाग निर्यातकों की समाकलित सेवा प्रदान करेगा जो, निर्यात उत्पादन सम्भाव्यता, बाजार तथा उत्पाद सम्बन्धी सुसंगत जानकारी की पूर्ति, बाजार गवेषणा, निर्यात वित्त, उत्पादन अन्तर्निवेशों को प्राप्त करने में सहायता जिसमें लाइसेंस आदि शामिल हैं, विपणन सहायता जिसमें संवेष्टन, परिवहन, विक्री वर्धन आदि शामिल हैं, से सम्बन्धित है।

Appointment of A commission to go into the Problem of Rural Unemployment

3212. **Shri Deorao Patil :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the report submitted by Unemployment Committee of the Planning Commission ;

(b) whether keeping in view the seriousness of the problems of rural matric, non-matric and the casual labourers, the Committee has suggested to appoint a Commission to study their problems thoroughly ; and

(c) if so, the decision taken by the Government thereon ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affair and Minister of Planning : (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The final report of the Committee of Experts on Unemployment Estimates (Dantwala Committee) has been received. The recommendations made in the Report and the follow up action to be taken thereon are under consideration, in consultation with the Central Ministries and State Governments, who have been addressed in the matter.

(b) The committee has not recommended the appointment of a Commission to study the problems of rural matric, non-matric and casual labourers.

(c) Does not arise. It may, however, be added that Government have separately decided to set up a Committee of Experts to go into the question of unemployment and to suggest suitable remedial measures. In the meantime the Government has taken measures in consonance with the fresh and increased outlays in the Fourth Plan, to augment employment and selfemployment opportunities particularly in the rural areas.

जापान तथा अन्य देशों को लौह अयस्क का जहाज द्वारा भेजा जाना

3213. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा गैर-सरकारी निर्यातकर्ता चालू वर्ष में जापान तथा अन्य देशों को जहाज द्वारा कितनीं मात्रा में लौह-अयस्क भेजेंगे ;

(ख) प्रत्येक जोन से जहाज द्वारा कितना लौह-अयस्क भेजा जायगा ; और

(ग) वर्ष की पहली तिमाही में जहाज द्वारा कितनी मात्रा में वास्तव में लौह-अयस्क भेजा गया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और इसके साथ साथ गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा वर्ष 1970-71 के दौरान जपान तथा अन्य देशों को लगभग 230 लाख मे० टन लौह-अयस्क के निर्यात किये जाने को सम्भावना है।

(ख) लौह अयस्क निर्यात के लिये इस प्रकार के कोई क्षेत्र (जोन) नहीं हैं। वर्ष 1970-71 के दौरान होने वाले पौत-लदान की सम्भावित मात्रा का पत्तनवार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अप्रैल 1970 से जून 1970 के दौरान 48. 25 करोड़ मे० टन मात्रा का पोत-लदान किया गया था।

विवरण

लौह अयस्क का जापान तथा अन्य देशों में जहाज द्वारा पहुँचा दिया जाना

पत्तनों का नाम		मात्रा (मिलियन टन)
पूर्वी तट		
विशाखापतनम		5. 890
पारादीप		2. 755
मद्रास		2. 579
कलकत्ता		0. 445
काकीनाड़ा		0. 333
कूड़ल्लूर		0. 250
	कुल :	12. 254
पश्चिमीतट		
मर्मगोआ (i) खनिज तथा धातु व्यापार निगम		0. 838
(ii) गोआ के निजी जहाज कंपनियों द्वारा		8. 500
रेदी		0. 465
कारवार		0. 393
वेलोकेरी		0. 377
मैंगलूर		0. 173
	कुल :	10.746
	दोनों मिलाकर कुल :	23. 000

भारत-कोलम्बिया के बीच व्यापार करार

3214. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बया के साथ हाल ही में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और उक्त करार के अन्तर्गत कोलम्बिया को कितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया जायगा तथा कोलम्बिया से कितनी मात्रा में वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) यह एक व्यापक करार है और इसमें निम्नलिखित के लिये व्यवस्था है।

(1) दोनों देशों से निर्यात हेतु प्राप्य माल की सूचियों का आवधिक आदान-प्रदान ;

(2) शुल्कों, करों और क्रियाविधि से सम्बन्धित मामलों में एक देश द्वारा अन्य देश को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार (विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अधीन) प्रदान करना ;

(3) विभेदपूर्ण उपायों को लागू न करना ;

(4) एक देश के वाणिक पोतों के लिये दूसरे देश में सुविधा प्रदान करना ; और

(5) दोनों देशों के बीच पोतलदान की सुविधाएं बढ़ाना। इस करार में, जो दोनों के अनुसमर्थन के बाद लागू होना है, कोलम्बिया अथवा भारत से निर्यात को विशिष्ट मदों अथवा उनके परिमाण का उल्लेख नहो है।

औद्योगिक कच्चे माल सम्बन्धी सहायता केन्द्र का कार्यकरण

3215. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा स्थापित किये गये औद्योगिक कच्चे माल सम्बन्धी सहायता केन्द्र से, इसके स्थापित किये जाने के बाद से कितने लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं ने कच्चा माल खरीदा है ;

(ख) उक्त केन्द्र कौन-कौन से कच्चे माल का व्यापार कर रहा है ;

(ग) उक्त केन्द्र द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने के बाद से राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये औद्योगिक कच्चे माल का व्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त केन्द्र अपने उद्देश्य में किस सीमा तक सफल हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) कुछ नहीं।

(ख) मदों की सूची संलग्न है।

विवरण

1. औजारो तथा मिश्र इस्पात।
2. कागज-मशीनों के लिये औद्योगिक फेल्ट।

3. थैलिक ऐनहाइड्राइड ।

4. मौलिक ऐनहाइड्राइड ।

5. सोडियम सायनाइड ।

6. एम सी रुई ।

7. नैपथैनिक अम्ल ।

(ग) अभी तक कोई भी कच्चा माल आयात नहीं किया गया है ।

(घ) केन्द्र ने अभी ही कार्य करना शुरू किया है । अनुभव से ही पता लगेगा कि अपने लक्ष्य में यह कहां तक सफल है ।

टेलीविजन सेट बनाने के लिए पुर्जों की खरीद

3217. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन सेट बनाने के लिए पुर्जे खरीदने के बारे में किसी देश के साथ हाल ही में करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में, और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रूस सरकार के 'रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों की आलोचना किया जाना

3219. **श्री ए० श्रीधरन : श्री मयाबन :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'रेडियो पीस तथा प्रोग्रेस' ने अपने हाल ही के प्रसारणों में भारतीय राजनीतिक दलों तथा भारतीय नेताओं की तीव्र आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस के कुछ ऐसे प्रसारण, जिनमें भारतीय दलों और व्यक्तियों की आलाचना की गई है, ध्यान में आए हैं ।

(ख) और (ग) सरकार को सूचना दी गई है कि रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस एक स्वतंत्र संस्था है और वह अनिवार्य रूप से सोवियत सरकार की राय, को व्यक्त नहीं करता इसलिए, सरकार द्वारा कोई खास कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी जाती ।

आसाम और दार्जिलिंग के चाय के जहाजों का कान्डला पत्तन द्वारा ब्रिटेन भेजा जाना

3220. **श्री न० कु० सांघी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में श्रमिकों की हड़ताल होने के परिणामस्वरूप आसाम और दार्जिलिंग की चाय के जहाजों को कांडला पत्तन से होकर ब्रिटेन भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में उक्त निर्यातित चाय के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है और कलकत्ता पत्तन द्वारा निर्यात की गई चाय की तुलना में इसका मूल्य कितना है ; और

(ग) चाय के निर्यात में प्रतिवर्ष कमी होने को ध्यान में रखते हुए सरकार ब्रिटेन तथा अन्य विदेशी बाजारों में चाय का मूल्य वही रखने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है जो कलकत्ता पत्तन में हुई हड़ताल से पूर्व था ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता पत्तन की हड़ताल से लन्दन नीलामियों में चाय के मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि कलकत्ता पत्तन के बजाय कांडला पत्तन से ब्रिटेन को भेजी गई चाय के कुल भाड़ा-व्यय में अन्तर नगण्य है।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में चाय के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उपायों पर विचार होता रहा है। मारिशश में चाय निर्यातक देशों की एक बैठक में, यह तय हुआ है कि 1970 में अनुमानित निर्यातों में 9 करोड़ पौंड चाय हटा ली जायेगी। इस निर्णय को क्रियान्विति हेतु विनियामक उपाय विकसित करने तथा मूल्यों को स्थिर करने के लिए आवश्यक अन्य उपायों के अध्ययन हेतु एक परामर्शी समिति गठित की गई है।

राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में संघों की परस्पर शत्रुता के कारण कर्मचारियों की मृत्यु

3221. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच हैं कि संघों की परस्पर शत्रुता और दक्षिण भारतीय विरोधी भावनाओं के कारण रावतभाटा में श्री कृष्णन और परियोजना के दो अन्य कर्मचारियों की हत्या की गई थी और वहां से 10 मील दूर चितौड़गढ़ में तैनात होने के कारण पुलिस घटनास्थल पर काफी देर से पहुंची थी ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इन दुःखात्मक घटनाओं के बाद ही परियोजना के लिये एक श्रम कल्याण अधिकारी को नियुक्त किया था ;

(घ) कितने श्रमिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है कितने जेल में हैं और कितने श्रमिकों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ; और

(ङ) श्री आर० डी० माथुर को सौंपी गई इन घटनाओं की जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में 31 मार्च, 1970 का काम करने वाले कर्मचारियों, जिनमें नैमित्तिक श्रमिक भी शामिल हैं ; की संख्या निम्नलिखित थी :

कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
(i) नियमित कर्मचारी	746
(ii) निर्माण प्रभारित कर्मचारी	1413
(iii) नैमित्तिक श्रमिक	385
(iv) अधिकारी	186

(ख) और (ङ) इस वर्ष मार्च के महीने में परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों के दो दलों में हुई मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप तीन कर्मचारी मारे गये। इन मुठभेड़ों में एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया था तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई। झगड़े के कारण का पता लगाने के लिये राजस्थान सरकार ने एक एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है। इस आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। बिजलीघर से निकटतम स्थित पुलिस स्टेशन रावतभाटा में है जो इस स्थान से जहां झगड़ा हुआ था, लगभग एक मील है। झगड़ा 28 मार्च, 1970 को रात को लगभग 8 बजे शुरू हुआ था तथा रावतभाटा के स्टेशन हाऊस अफसर पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ रात के साढ़े नौ बजे के लगभग घटनास्थल पर पहुंच गये थे। कोटा तथा चित्तौड़गढ़ से पुलिस की और कुमक 29 मार्च, 1970 को क्रमशः रात के एक बजे तथा प्रातः पांच बजे वहां पहुंच गई।

(ग) जी नहीं। मार्च में झगड़े से बहुत पहले ही परियोजना में एक कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जा चुका था। एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्त अब औद्योगिक सम्पर्क अधिकारी के पद पर की जा चुकी है।

(घ) किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया है। 79 कर्मचारियों की सेवायें उनकी नौकरी की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई तथा उन्हें नोटिस की अवधि का वेतन दिया गया था। पुनर्विचार के बाद उनमें से कुछ की पुनर्नियुक्ति, सेवानियमों के अनुसार कर दी गई। बताया जाता है कि जेल में 20 व्यक्ति है। यह भी पता चला है कि पुलिस ने 76 कर्मचारियों के विरुद्ध अदालतों में आरोप-पत्र पेश कर दिये हैं।

पश्चिम बंगाल विद्युत करघा जांच आयोग

3222. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1 जून, 1967 को गठित विद्युत् करघा जांच आयोग जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं (1) श्री एन० सी० राय अध्यक्ष (2) उद्योगों (हथकरघा) के सयुक्त निदेशक (3) प्रिंसिपल, कालिज आफ टैक्नालोजी सैरामपुर द्वारा क्या क्या मुख्य निर्णय और सिफारशें की गई हैं ;

(ख) क्या विद्युत् करघा जांच आयोग ने उक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रिटेन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय युवक संगठनों का भाग न लेना

3223. **श्री रामावतार शास्त्री : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्तराष्ट्र द्वारा न्यूयार्क में आयोजित विश्व युवक सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में किसी भी अखिल भारतीय युवक संगठन के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधिमंडल में इन संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल न करने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चुनाव एक विशेष पैनल ने किया था जिसके पास विश्वविद्यालय के कुलपतियों से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की छात्र-कार्य समिति से, संयुक्त राष्ट्र एसोसियेशन के भारतीय फेडरेशन से तथा संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को क्लबों की ऐसोसियेशन से नाम आए थे । इसकी बाबत कोई जानकारी नहीं है कि जो युवजन चुने गए उनमें से कोई सदस्य किसी यूथ आर्गेनाइजेशन का भी सदस्य था । वे पूरी तरह योग्यता के आधार पर चुने गए थे ।

देश में अनुसन्धान तथा विकास ढांचे को पूर्णरूप से सुधार करने के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

3224. **श्री हो० ना० मुकर्जी : श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जनार्दनन : डा० रानेन सेन :
श्री सूरज पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा औद्योगिकी समिति के अनुरोध पर एक दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें देश में वर्तमान अनुसंधान तथा विकास ढांचे में पूर्ण रूप से सुधार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विशेषज्ञ समिति ने क्या विशेष सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : विज्ञान तथा प्रौद्योगिको सम्बन्धी समिति के अनुरोध पर न तो कोई

व्यापक प्रतिवेदन दिया गया है न इस प्रकार के प्रतिवेदन को मांग को गई है जिसमें देश के वर्तमान अनुसंधान एवं विकास संबंधी ढांचे में पूर्ण सुधार का प्रस्ताव किया गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति ने दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया था कि अनुसंधान एवं विकास कार्य को औद्योगिक उत्पादन तन्त्र से समन्वय स्थापित करने के लिये अपेक्षित कार्य-प्रणाली के सुधार के बारे में एक प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। दो सदस्यीय समिति ने एक प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं जिसमें धातुशोधन-विज्ञान, रसायन, खनन, ईंधन, औषधि एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे अनुसन्धान एवं विकास के विशेष क्षेत्र सम्मिलित हैं और औद्योगिक उत्पादन को विकास सम्बन्धी कार्य के निकट लाने के लिये संस्थागत ढांचे के बारे में कुछ सुझाव भी दिये हैं।

(ग) प्रतिवेदन पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति विचार कर रही है।

दक्षिण भारत की नदियों में गाद जमा हो जाने के बारे में सर्वेक्षण

3225. **श्री लोबो प्रभु : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अथवा किसी अन्य मन्त्रालय ने दक्षिण भारत की नदियों में गाद जमा हो जाने के बारे में सर्वेक्षण किया है तथा तलकर्षण के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) गाद बढ़ने से पानी फैल जाता है अतः क्या सरकार ने इससे किसानों को हुई हानि का अनुमान लगाया है; और

(ग) क्योंकि दक्षिण कानारा जिले में इस प्रकार को हानि होती है अतः उनके मंत्रालय द्वारा सिंचाई मन्त्रालय के सहयोग से महत्वपूर्ण नदियों से गाद निकालने तथा खाली पानी रहित बाँधों की व्यवस्था करने की लागत, जहां पर नदियों को उचित मोड़ देने और बाढ़ नियन्त्रण करने की आवश्यकता है, का सर्वेक्षण न करने के क्या कारण है?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार नदियों में गाद भरने के परिणामस्वरूप ही फसलों को होने वाली हानि में वृद्धि और बाढ़ों के स्तरों में परिणामतः हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है। फसलों को हानि समेत बाढ़ों द्वारा होने वाली हानि का अनुमान राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है।

नदियों के नियंत्रण और बाढ़ नियंत्रण के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किन्तु ऐसे सर्वेक्षण, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की विशेष प्रार्थना और खर्च पर ही किये जा सकते हैं। राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

Clashes between Indian security Forces and underground Nagas

3226. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Jagannah Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of clashes that took place between the Indian Security Forces and the underground Nagas, the Kuki and Mizo rebels during the period from 1st April, 1969 to 1st April, 1970 ;

(b) the number of persons killed on each side in such clashes ;

(c) the number of persons arrested by the Indian Security Forces during the said period ; and

(d) the details of the arms and ammunition recovered from them during the aforesaid period ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) and (b): Between 1st April 1970 and 1st April 1970 there were 108 clashes between the Indian Security Forces and the underground Nagas, Mizos and Kukis. In these clashes 72 underground personnel and 32 personnel belonging to the Seuciruty Forces were killed.

(c) and (d) : During the same period, 1302 underground personnel were captured and 1586 surrendered. 1786 arms including rifles, pistols, sten guns, light machine guns, medium machine guns, mortars, rocket launchers and non-service pattern weapons were recovered from the underground About 42,000 rounds of ammunition besides some hand grenades and explosives were also recovered.

भारत-बर्मा सीमा आयोग में मनीपुर के अधिकारी को शामिल करना

3227. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बर्मा के बीच सीमाओं का सीमांकन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त प्रयोजन के लिये दोनों सरकारों के अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग में मनीपुर राज्य के किसी ऐसे अधिकारी को शामिल किया गया जिसे भूतपूर्व मनीपुर राज्य के भूगोल और इतिहास की पूरी जानकारी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत और बर्मा के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों देशों के बोच स्थापित सीमा का संयुक्त- सीमांकन कार्य चल रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : जी नहीं । किन्तु, आयोग में कोई विचार-विमर्श होने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श अवश्य किया जाता है । आयोग के अध्यक्ष बर्मा में हमारे विद्यमान राजदूत, अभी तक मणिपुर में मुख्य कमिश्नर और उप-राज्यपाल थे ।

"वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस" का दुरुपयोग

3228. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी कपड़ा मिलों तथा कमीशन एजेंटों ने "वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेन्स" के अन्तर्गत अमरीका से आयात की गई रुई और औषधियों को चोर बाजार में बेच दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और लाइसेन्स जारी करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) : और (ख) : जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वह एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मणिपुर तथा त्रिपुरा में विद्रोहियों के साथ फीजो समर्थक गुट का सम्पर्क

3220. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री पी० विश्वम्भरन : श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि छिपे नागाओं के उग्रवादी फीजो समर्थक गुट ने मणिपुर और त्रिपुरा में विद्रोहियों से सम्पर्क स्थापित कर लिया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि फीजो चीन और पाकिस्तान से निकट संपर्क बनाए हुये है और उसने उक्त दोनों से सीमा पर वारदातें पैदा करने के लिये कहा है ताकि सीमा पर सेना का जमाव बढ़ जाने से नागालैण्ड में तैनात सेना कम हो और वहां पर विद्राहियों को पर्याप्त अवकाश मिल सके, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) छिपे नागाओं का फीजो समर्थन दल उत्तर पूर्वी भारत में, विभिन्न लोगों के साथ, जिनमें मणिपुर और त्रिपुरा के लोग भी शामिल हैं, इस उद्देश्य से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि इस प्रदेश में अराजकता उत्पन्न हो। सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिये यथोचित उपाय किये हैं और ऐसे लोगों के मंसूबों को बेकार कर दिया है।

(ख) पाकिस्तान और चीन के साथ फीजो द्वारा सम्पर्क बनाए रखने की बात से सरकार अवगत है। लेकिन, उन्हें इस संबन्ध में कोई सूचना नहीं है कि फीजो ने इन देशों से इस प्रकार का कोई विशेष अनुरोध किया हो कि वे सीमा पर इसलिए गड़बड़ करें जिससे सुरक्षा सेनाएं, कानून और व्यवस्था बनाये रखने के कर्तव्यों का पालन न कर सकें।

(ग) असम और नागालैण्ड की सरकारें और मणिपुर और त्रिपुरा प्रशासन, कानून और व्यवस्था बनाये रखने में पूर्ण रूप से सजग हैं। अराजकतापूर्ण कारवाइयों पर नियंत्रण रखने के लिये, संपूर्ण प्रदेश में सुरक्षा सेनाएं तैनात कर दी गई हैं। सुदूर क्षेत्रों तक संचार व्यवस्था बेहतर हो गई है। ग्राम प्रतिरक्षा संगठित करने उच्छृंखल तत्वों को समर्थन न देने और आसूचना व्यवस्था को बेहतर करने के लिये, ग्रामवासियों और उनके नेताओं का सहयोग मांगा गया है।

प्रवर्तन अनुसन्धान दल द्वारा दी गई सिफारिशें

3231. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री जी० वेंकटास्वामी : श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन अनुसंधान दल ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाड़ा लागत के बारे में अध्ययन किया है;

(ख) क्या अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इन सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) प्रवर्तन अनुसंधान दल, बड़ौदा, ने 'विदेश परिवहन और भारत के निर्यात व्यापार में भाड़ा पद्धति' पर एक अध्ययन किया था।

(ख) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने पर विचार करने के लिये एक अन्तः मन्त्रालय बैठक बुलाई जा रही है।

विवरण

(1) भारत के पत्तनों में माल के चढ़ाने-उतारने के कार्यों में विकास करने के लिये कुछ ऊर्जस्वी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। ये कार्यक्रम हैं :—

(क) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कोचीन के पत्तनों में समुचित माल के लिये पूर्व-परिबंधन को व्यवस्था को तुरन्त चालू किया जाना।

(ख) कलकत्ता, बम्बई और कोचीन के पत्तनों में साधारण माल को रखने के लिये तुरन्त योजना तैयार करना और विनियोजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

(ग) अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन के साथ व्यापार-सेवा के लिये कलकत्ता, और बम्बई पत्तनों में आधान का प्रबन्ध चालू कर माल के चढ़ाने और उतारने के कार्य में महान् औद्योगिक क्रान्ति से भारत को लाभान्वित कराने के लिए उच्च प्राथमिकता का एक कार्यक्रम चालू करना।

(घ) कम से कम 1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० वाले जहाजों के सुविधापूर्वक आने के लिये भारत के विशाल पत्तनों और घाटों को अधिक गहरा करने को और प्रतिदिन कम से कम 50,000 टन माल चढ़ाने के लिये आवश्यक उपकरण लगाने की योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करना।

(2) भारत के मुख्य हवाई अड्डों में 1971 में जम्बो जेटों को चालू करने के कार्य को अधिक तेज करने और इससे माल यातायात में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, उसमें एयर इंडिया को भाग लेने के लिये आवश्यक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। इस कार्यक्रम में हवाई माल यातायात टर्मिनल जगह का विस्तार और आधुनिकीकरण और माल के चढ़ाने और उतारने में नये यांत्रिक उपकरणों का उपयोग शामिल है।

(3) भारत के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के नौवहन निगमों और अभिकरणों को भारत के व्यापार के महासागरीय सम्मेलनों में उनकी सदस्यता के जरिये गैर-परम्परा जन्य निर्यात माल के लिए जिसका भारत के निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है और जिनके लिए विशिष्ट दर

निश्चित नहीं की गई है, विशिष्ट पदार्थ दर निश्चित करवाने के लिए भरसक प्रयत्न की प्रेरणा दी जानी चाहिए।

(4) इन सरकारी और गैर-सरकारी नौवहन निगमों और अभिकरणों को प्रयोगात्मक विकास के आधार पर नौवहन सेवायें आरम्भ करने के लिए जिससे व्यापार में उचित वृद्धि होने की संभावनायें हैं, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वैसे ही उन्हें नये बाजारों में गैर-परम्पराजन्य पदार्थों के लिए सम्मेलनों के जरिये विकासशील दरें निश्चित करने की अनुमति मांगनी चाहिए।

(5) नौवहन तथा हवाई जहाजों द्वारा किए जा रहे भारत के वैदेशिक व्यापार में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त ढंग से भाड़े में वृद्धि करने के कार्य को चालू करने और विदेशों को अभ्यावेदन, जो कि जहां यातायात की सुविधा हो सीधे तौर पर और जहां नहीं है, वहां के प्रतिष्ठाप्राप्त फारवर्डिंग अभिकरणों के साथ अभ्यावेदन करार द्वारा हो, भेजने के लिए सम्बद्ध दोनों मंत्रालयों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

चीन द्वारा छिपे छापामारों के लिये हथियार सप्लाई करने का अड्डा बनाने का प्रस्ताव

3232. **श्री हिम्मतसिंहका :**　　　　　　　　**श्री चित्ति बाबू :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1970 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन छिपे छापामारों के लिये हथियार सप्लाई करने का अड्डा उत्तरपूर्व भारत में किसी चीनी पहाड़ी पर स्थापित करने के लिये तैयार है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान एक अज्ञात विमान द्वारा मिजो पहाड़ी मनीपुर सीमा पर वर्मा में स्थित चीनी पहाड़ियों पर हथियारों को गिराने के समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) उक्त चीनी गतिविधियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने यह समाचार देखा है। 'चाइना हिल्स' का अभिप्राय सम्भवतः वर्मा के चिन हिल्स से है।

चिन हिल्स में छिपे नागाओं के लिए सप्लाई का एक अड्डा स्थापित करने की कथित योजना के विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं है और न ही उसे उस क्षेत्र में किसी अज्ञात विमान द्वारा रसद गिराने के बारे में ही कुछ मालूम है। सदन में पहले भी बताया जा चुका है कि छिपे नागाओं को चीन के युन्नान प्रांत स्थित केन्द्रों से रसद और प्रशिक्षण मिलता रहा है।

(ग) चिन हिल्स क्षेत्र को किसी भी सरगर्मी के पहले जिम्मेदारी बर्मा सरकार की है। जो निस्सन्देह जैसा ठीक समझेगी इन बातो का मुकाबला करेगी।

कपास उत्पादकों को कपास के मूल्य का भुगतान

3233. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास मिलों द्वारा जो कीमतें दो गई हैं उसमें से कपास उत्पादकों को दी गई कीमतों का उनको प्राप्त होने वाले अंश का पता लगाने के लिए क्या कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) यदि इस बारे में ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है तो क्या सरकार शीघ्र इसका प्रबन्ध करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) विस्तार पूर्वक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

Setting up of an Electronic Commission on the Lines of Atomic energy Commission

3235. **Shri B. K. Daschowdhury** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have considered to set up an Electronics Commission on the lines of the Atomic Energy Commission as the electronics committee under the Defence Ministry has not been effective ; and

(b) if so, the details thereof and the time by which the Commission is likely to be set up along with the detailed functions of the same ?

The Minister of State, in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Department f Ejectronics and Scientific and Industrieaj Research (Shri K. C. Pant) : **(a) find (b)** The appropriae organisational structure for promoting the growth and development of Electrononics is under active consideration of Government. It is hoped that an early decision will be taken.

कानपुर में कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेना

3236. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानपुर स्थित कुछ ऐसी मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का है जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का विचार है ; उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : कानपुर की किसी सूती वस्त्र मिल को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

भाड़े में वृद्धि के कारण सीमेंट के निर्यात में कमी

3237. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाड़े में वृद्धि के कारण सीमेंट के निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : स्टीमर भाड़े को

दरों में भारी वृद्धि और जहाजों के उपलब्ध होने के कारण, पिछले दो तीन महीनों के दौरान सीमेंट के निर्यात में कुछ बाधा आई।

गुजरात राज्य के कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

3238. **श्री द० रा० परमार :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य की कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये धन दिये जाने की सिफारिश और मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। परन्तु, गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था, कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को, कमजार वस्त्र एककों के नवीकरण/आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिये ब्याज की यथोचित किन निम्न दर पर धन देने के लिये, प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

(ख) राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया, क्योंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम का मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई सूती कपड़ा मिलों का प्रवन्ध करना है और इसके साधन सीमित है।

Western Kosi Canal Project

3239. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the commissioning of the Western Kosi Canal Project would bring under irrigation 8 lakh acres of land in Northern Bihar and 66,000 acres of land in Nepal according to the announcement made by the Government of Bihar ;

(b) if so, whether it is also a fact that the experts have expressed doubts about the feasibility of this project ;

(c) if so, the basis thereof ;

(d) whether it is also a fact that there is difference of opinion on this question among experts ; if so, the points of difference ; and

(e) the reaction of the Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : The Western Kosi Canal has been planned to benefit a gross commanded area of 9.4 lakh acres in Bihar and 68,000 acres in Nepal.

(b) No such report has been received from the Government of Bihar.

(c) to **(e)** Do not arise.

Fatuha-Mokameh Barhliya Tal Irrigation Prject for Bihar

3240. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Fatuha-Mokameh Barhliya Tal Irrigation Scheme of Bihar is a very important scheme of the State which has been shelved for the last many years ;

(b) if so, whether it is also a fact that output of the rabi crop can be increased by lakhs of tons in many districts of Bihar by completing the aforesaid scheme ;

(c) if so, whether it is also a fact that the Bihar Government have prepared the aforesaid scheme and forwarded it to the Central Government for obtaining necessary assistance therefor ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in that connection and the date from which such an action is proposed to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) : Apparently the Hon'ble member is referring to the Fatwa-Mokameh-Barahiya Tal Drainage Scheme. The Scheme was proposed to be implemented in two phases. Phase I of the scheme consisting about Rs.21 lakhs has already been completed and is expecte-to increase food production by about 12000 tons. Phase II of the scheme has also been pred pared and is estimated to cost over Rs.two crores. This scheme is expected to benefit an area of 26,000 acres producing an additionl crop of 18,400 tones. This scheme has now to be revised by the State Government in the light of the comments offered by the Central Wate and Power Commission. It will then require to be approved by the State Technical Advisory Committee and the State Flood Control Board as well as the Planning Commission before it is taken up for implementation by the State Government. The scheme has been included in the Fourth Five Year Plan of Bihar State.

कपड़ा उद्योग में सरकारी क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव

3241. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अपने तत्वाधान के अन्तर्गत कपड़ा उद्योग में सरकारी क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) (क) से (ग) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम एक ऐसी प्रस्थापना तैयार करने पर विचार कर रहा है। उसका ब्योरा उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है।

Issue of licences for sale of seized smuggled spices

3242. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that licences are granted to the traders of various States every year for the sale of seized smuggled spices ; and

(b) if so, the details of the licences granted during the last three years, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir. No licences are required to be issued for sale of seized smuggled spices.

(b) Deos not arise.

चाय का निर्यात

3243. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने चाय के सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में ब्रिटेन का स्थान ले लिया है ;

(क) 1969 में ब्रिटेन की तुलना में भारत में चाय की कितनी अधिक खपत हुई ;

(ग) इस प्रवृत्ति का प्रभाव चाय के निर्यात में आई कमी पर कितना पड़ा है जब कि इस का उत्पादन बढ़ा है ; और

(घ) चाय के निर्यात को बढ़ाने तथा विदेशों में नई मण्डियां ढूंढ़ने के लिये यदि कोइ विशिष्ट कार्यवाही तथा रियायतें दी जाने वाली हैं तो उनका व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठते।

(घ) चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये अधिक महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ निम्नोक्त हैं :—

(1) 1-3-1970 से चाय पर से निर्यात शुल्क हटाना ; (2) चाय निर्यातों पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में तदर्थ छूट देना जो निर्यातित चाय के मूल्य के अनुरूप-भिन्न-भिन्न दरों पर हैं ; (3) चाय के पुराने क्षेत्रों में दोबारा पुनर्रोपण करने, मात्रा बढ़ाने, लागत कम करने तथा गुण सुधारने के लिये, उद्योग को सहायता देने के लिये मैदानी बागों में 3500 रु० प्रति हैक्टार तथा पहाड़ी क्षेत्रों के बागों में 4500 रु० प्रति हैक्टार की दर से पुनर्रोपण उपदान; (4) लन्दन, ब्रसेल्स, न्यूयार्क, काहिरा तथा सिडनी में चल रहे चाय बोर्ड के कार्यालयों और लन्दन, एडिनबरा, काहिरा तथा सिडनी में स्थापित चाय केन्द्रों के माध्यम से भारतीय चाय के लिये संवर्धनात्मक उपाय ; (5) स्थानीय मिश्रणकर्ता/पैकेटों के सहयोग से विदेशों में चुनी हुई मंडियों में भारतीय चाय के विशिष्ट पैकेटों का संवर्धन; (6) विदेशों में प्रचार के उपयुक्त **माध्यमों** द्वारा विज्ञापन; (7) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ; (8) भारतीय चाय में रुचि बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमण्डलों को भेजना तथा विदेशों से प्रतिनिधिमण्डलों को भारत में बुलाना ; (9) अन्य चाय उत्पादक देशों तथा स्थानीय चाय व्यापार के सहयोग से विभिन्न देशों में कार्य कर रही चाय परिषदों में सदस्यता के माध्यम से खपत बढ़ाने के लिये विदेशी बाजारों में चाय का व्यापक संवर्धन/खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में चाय के मूल्यों के स्थिरीकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उपायों पर भी चर्चा हुई है। मारिशस में हुई चाय निर्यातक देशों की बैठक में यह मंजूर कर लिए गये हैं कि 1970 में होने वाले प्राक्कलित निर्यातों से 9 करोड़ पौंड चाय हटा ली जायेगी। इस विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिए विनियमन उपाय तैयार करने के लिए तथा मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक उपायों का अध्ययन करने, चाय सम्बन्धी परामर्शदाता समिति का गठन किया गया है।

Promising Engineers Leaving India for better Jobs in Foreign Countries

3244. **Shri Shashi Bhushan** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the conclusions arrived at in the seminar of 'Science Reporter' on Technology during the current decade ;

(b) whether it is a fact that promising engineers leave for foreign countries after completing their studies in India as their knowledge can be utilised better in U. S. A. than in India ;

(c) whether Government propose to bring about any change in their system of education and if so, the details thereof, and

(d) whether Government propose to make it obligatory on the industries to absorb a specified number of engineers and technicians and give them training ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) It is a fact that a number of engineering graduates go to the United States for higher studies and for employment. Qualified persons even from the developed countries in Europe have been going to the United States. It cannot be said with certainty that they are used better in U. S. A. than in India.

(c) Cooperative and Sandwich programmes are being introduced in several engineering colleges in consultation with industry to provide practical bias. Also, adequate facilities are being provided for advanced studies and research in various fields of engineering and technology.

(d) Yes, Sir. It is proposed to make it obligatory on the part of industry to engage a specified number of graduate engineers and diploma holders as apprentices for practical training to improve their employment potential.

Allotment of Vehicles, Cars and Imported Tractors to Ex-Servicemen

3245. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of vehicles, cars and imported tractors allotted to ex-servicemen out of the quota of his Ministry since 1st January, 1967 upto date; and

(b) the number of ex-servicemen whose applications for allotment of tractors, vehicles, cars and other light vehicles are pending with his Ministry and the action being taken by Government to expedite allotment of these vehicles to them ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendrasingh Mahida) : (a) :

	Vehicles		
Imported tractors (upto July, 1970	*Tempo*	*Auto-Rickshaw (three wheeler)*	*Cars*
1132	28	190	10

(b) : The total number of applications (of ex-servicemen), which will be considered in their turn on availability of tractors, vehicles, cars, etc., are :

Tractors	2,151
Auto Rikshaws (3-wheeler)	172
Tempo Cars ..	Nil

The following measures have been taken to imprere the availability of tractors and auto-rikshaws for allotment to ex-servicemen :

(a) Recently, the quota of imported tractors reserved for Defence personnel has been increased to 10 per cent (approx :) of the overall imports ; and

(b) Since September, 1968, the quota of auto-rikshaws has been raised to 20 per quarter.

National Cadet Corps

3246. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Bansh Narain Singh : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the present strength of the National Cadet Corps in the country, junior and senior, Division-wise ;

(b) the target fixed for increasing the strength thereof by the end of March, 1971 ;

(c) the number of educational institutions in which the junior and senior divisisons of the N. C. C. exist at present ; and

(d) the approximate number of educational institutions to which the N. C. C. would be extended by the end of March, 1971 ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida): (a) The strength of N. C. C. as on 31st March, 1970, was as under :

Senior Division	7,40,337
Junior Division	6,59,888

(b) For planning purposes a strength of 7.85 lakh cadets in the Senior Division and 7.25 lakh cadets in the Junior Division has been fixed for the year 1970-71.

(c) Junior and Senior Divisions of N. C. C. exist in 6,115 schools and 2,986 colleges, respectively.

(d) It is not possible to give any forecast of this figure as this will depend upon extent to which the Universities and State Government, as the case may be, will be willing to sponsor extension of N. C. C. training to new institutions.

Employment to Army Personnel Disabled during Indo-Pak Conflict

3247. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bansh Narain Singh : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) the number of Commissioned and non-Commissioned Officers and other ranks who nave been out of those disabled during the Indo-Pak conflict of 1965 provided employment so far ;

(b) the number of Commissioned and non-Commissioned Officers and other ranks to whom Government propose to provide employment in para-military, civil and private establishments by the end of March, 1971 ; and

(c) the number of such disabled Officers and other ranks yet to be provided with employment and the action Government propose to take in this regard ?

The Minister in the Ministry of Defence (Shri Narendrasingh Mahida) : (a) 9 Commissioned Officers and 478 NCO/s ORs out of those disabled during the Indo-Pak conflict of 1965 have been rehabilitated in Civil jobs/Kiosks.

(b) and (c) : No disabled Commissioned Officer is at present awaiting rehabilitation. As regards NCOs/ORs, out of 384 still to be rehabilitated, about 100 are expected to be rehabilitated by the end of March, 1971.

Every effort is being made to rehabilitate them as expeditiously as possible.

उत्तर प्रदेश में एक अणु शक्ति केन्द्र की स्थापना

3248. **श्री शिवकुमार शास्त्री :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री रामचरण : **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री शिवचरण लाल :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतानें की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री के हाल के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बिजली विशेषज्ञों नें चौथी पंचवर्षीय योजना में एक अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करनें के लिए पंजाब की अपेक्षा उत्तर प्रदेश को अधिक उपयुक्त पाया है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह स्वीकार किया जा चुका है कि उत्तरी बिजली क्षेत्र में एक नया परमाणु बिजली घर स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिये परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस क्षेत्र में बिजली घर स्थापित करनें के लिये उपयुक्त स्थानों का चुनाव करने के लिये अध्ययन-कार्य शुरू कर दिया है ।

यूरोपीय देशों को राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधि मंडल

3249. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपो करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जनवरी/फरवरी, 1970 में कुछ यूरोपीय देशों का दौरा किया था तथा वहां के प्रमुख निर्माताओं ने उनको भारतीय

फर्मों से इंजीनियरिंग पुर्जे और उपकरण सप्लाई करने के लिये क्रयादेश प्राप्त करनें के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था ;

(ख) विभिन्न मदों के लिये कितने मूल्यादेश प्राप्त किये गये हैं तथा भारत में उनका किस प्रकार वितरण किया गया है ; और

(ग) क्या आन्तरिक बाजार में इस्पात की कमी से भारतीय फर्मों को कठिनाई होगी तथा क्या उनको इस्पात की निश्चित रूप से सप्लाई की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) 19 लाख अमरीकी डालर मूल्य की निर्यात संविदाओं पर हस्ताक्षर पहले ही किये जा चुके हैं । तथापि, यह बताना निगम के व्यारार हित में नहीं है कि इन संविदाओं का वितरण यहां किस प्रकार किया गया है ।

(ग) संविदाओं के कार्यान्वियन हेतु यथावश्यक इस्पात की पूर्ति की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रतिरक्षा संबंधी मांगों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योगों पर निर्भरता

3250. **श्री सु० कु० तापड़िया :**　　　　**श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथियारों, कपड़ों तथा गोला बारूद आदि प्रतिरक्षा की वस्तुओं के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योगों पर भी निर्भर करना पड़ता है ;

(ख) क्या उत्पादन और सप्लाई के समन्वय के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधियों सहित कुछ उच्चस्तरीय अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आयुधों और गोली बारूद की रक्षा आश्यकताएं अधिकतर आर्डनेन्स फैक्टरियों में उत्पादन द्वारा पूरी की जाती हैं । आयुधों और गोलाबारूद के निर्माण के लिए आवश्यक संघटक, और मशीनी साज-सामान व्योपार में जब और जैसे आवश्यक हो खरीदे जाते हैं । इसी प्रकार वस्त्र मदों के निर्माण के लिए द्रव्य भी व्यापार द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) : इस मन्त्रालय द्वारा कोई सब कमेटी स्थापित नहीं की गई ।

मैसूर की कालीनदी पन बिजली परियोजना

3251. **श्री जनार्दनन :**　　　　**श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री क० मि० मधुकर :　　　　**श्री अदिचन :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में प्रस्तावित काली नदी पन बिजली परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उस पर लागत का अनुमान क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मैसूर सरकार ने कालीनदी जलविद्युत् परियोजना के चरण-1 के प्रस्ताव को अभी हाल में अंतिम रूप दिया है। परियोजना के चरण–1 को निम्नलिखित मुख्य बातें हैं :—

(1) बोमनहल्लो पर 103.29 मिलियन घन मीटर के सजीव संचय के साथ एक व्यपवर्तन संरचना।

(2) एक जल संवाहक प्रणाली जिसमें 274 मीटर लम्बी एक पहुंच नाली तथा एक 8876 मीटर लम्बी और 6.5 मीटर व्यास वाली एक दाब सुरंग।

(3) 165-165 मैगावाट को दो यूनिटों के प्रतिष्ठापन सहित एक धरातलोपरि बिजली घर।

(ख) चरण–1 पर 3794 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है।

(ग) मैसूर सरकार द्वारा अंतिम रूप दिये जाने पर यह परियोजना जुलाई, 1970 में प्राप्त हुई है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इसकी तकनीकी परीक्षा हो रही है।

सूती कपड़ा सलाहकार समिति की 18 जुलाई 1970 की बम्बई में होने वाली बैठक का रद्द किया जाना

3252. **श्री जनार्दनन :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **डा० रानेन सेन :** **श्री इसहाक सम्भली :**

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जुलाई, 1970 को बम्बई में होने वाली सूती कपड़ा सलाहकार समिति की बैठक रद्द कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : विदेशी व्यापार मन्त्री द्वारा मुख्यालय न छोड़ सकने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद यह तदनन्तर 14 अगस्त, 1970 को नई दिल्ली में हुई।

रोडेशिया के विरुद्ध प्रतिबन्ध

3253. **श्री जनार्दनन :** **श्री झारखण्डे राय :** **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री रामावतार शास्त्री :** **डा० रानेन सेन :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के बावजूद कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने रोडेशिया के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगा रखें हैं, इसके निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया और वे रोडेशिया से व्यापार कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो जिन देशों के रोडेशिया के साथ व्यापारिक संबन्ध हैं उनके नाम क्या हैं; और

(घ) प्रतिबन्धों को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र में क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, 1969 में दक्षिण अफ्रीका का कुल निर्यात 24 करोड़ रोडेशियाई डालर के मूल्य का था, जबकि 1968 में 19 करोड़ 51 लाख रोडेशियाई डालर (रोडेशिया डालर = 1.40 अमरीकी डालर) के मूल्य का था ।

(ख) और (ग) दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल अभी भी दक्षिण रोडेशिया के व्यापार में मुख्य साझीदार हैं ।

(घ) प्रतिबन्धों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के उपाय ढूंढ़ निकालने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत, समान विचाराधारा वाली सरकारों के सहयोग से कार्य कर रहा है और सुरक्षा परिषद् की प्रतिबन्ध समिति का ही ठीक-ठीक अनुसरण कर रहा है ।

भारत के निर्यात में वृद्धि करने के लिये जोरदार कार्यक्रम

3254. **श्री जनार्दनन :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गत दिसम्बर में जो जोरदार कार्यक्रम शुरू किया गया था उसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) दिसम्बर, 1969 से कुल कितना निर्यात हुआ; और

(घ) जोरदार कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1969 के दौरान हुए कुल निर्यातों में गत वर्ष की उसी अवधि में हुए निर्यातों की अपेक्षा 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिसकी तुलना में दिसम्बर, 1969 से मार्च, 1970 तक हुए कुल निर्यात गत वर्ष की उसी अवधि में हुए निर्यातों से 9.9 प्रतिशत अधिक रहे ।

(घ) द्रुतगामी निर्यात कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का उल्लेख दिनांक 20-7-70 को सभापटल पर रखे गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के भाग (ख)

सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज एम्पोरियम, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3255. श्री ईश्वर रेड्डी : श्री जनार्दनन :
श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज एम्पोरियम, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हाल में तीन घंटे की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा क्या मांग रखी गई है;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा इन मागों पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : मांगें लिखित रूप में नहीं दी गई थीं पर यह पता लगा है कि हड़ताल एम्पोरियम के एक कर्मचारी के एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरण के कारण की गई थी। स्थानान्तरण आदेश को रद्द कर दिया गया।

दिल्ली में बिजली की कमी

3256. श्री चन्द्रशेखर सिंह : श्री जनार्दन :
श्री जगेश्वर यादव : श्री रामावतार :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिजली की बहुत कमी हो जाने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संभावित कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी की स्थिति को उत्पन्न न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) से (ग)** : अल्प अन्तर्वाह के कारण भाखड़ा-कांप्लेक्स को गोविन्द सागर झील में जल संचित रखने की आवश्यकता की वजह से, उत्तरी क्षेत्र में भाखड़ा-कांप्लेक्स से विद्युत की सप्लाई कम कर दी गई है। भाखड़ा प्रणाली को अधिकतम सहायता करने के उद्देश्य से, दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान ने भाखड़ा से अपनी सप्लाई लेने में कमी कर दी है और वह अपने तापीय केन्द्रों से भाखड़ा प्रणाली में विद्युत भी वापस फेंक रहा है। अनावश्यक सजावट जैसे फव्वारे इत्यादि के लिए उपयोग को सीमित करने के अलावा, दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है।

Indo-U.A.R. Trade Agreement

3257. **Shri Ram Kishan Gupta** : **Shri S. C. Samantha** :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the main points thrashed out in the discussion that took place between the Government of India and Shri H. R. Jako, the Foreign Trade Minister of the United Arab Republic during his visit to India in the second week of July, 1970 with a view to promoting trade relations between India and the U.A.R. and

(b) the names of the articles which are in short supply in India but Government have agreed to export them to the U. A. R. to meet the requirement of that country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) The discussions with the U. A. R. Minister of Foreign Trade Mr. H. A. Zaki, concerned the development of trade between the two countries, and the lines in which the Trade Agreement between them for the period 1st July, 1970 to 30th June, 1971, was to be drawn up. The Agreement based on the decisions arrived at between H. E. Mr. Zaki and Minister, Foreign Trade has since been signed at Cairo on 29th July, 1970.

(b) The list of items to be exported from India during the period has been negotiated between the two countries in the above agreement keeping in view both the demands for such products in the U. A. R. and their availability in India.

मन्त्रि मंडल के पुनर्गठन के बाद गुप्तचर विभाग का गृह-कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत रखा जाना

3258. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री कमलनयन बजाज :**

श्री सं० चं० सामन्त :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करते समय गुप्तचर विभाग को गृह-कार्य मंत्रालय से अलग रखने तथा मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद उक्त विभाग को फिर से उक्त मंत्रालय के अन्तर्गत रखे जाने के क्या कारण थे ; और

(ख) क्या भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध कोई शिकायतें थीं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा **योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :**

(क) हाल में किये गये परिवर्तनों से अनुसूचना कार्यालय (गुप्तचर विभाग) पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, यह पहले भी गृह-कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में था और आज भी है ।

(ख) जी नहीं ।

विदेशों में लगे व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना

3259. **श्रीराम किशन गुप्त :** **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में लगे व्यापार मेलों में भाग लेने के फलस्वरूप भारत का क्या प्रभाव बना है, और इस प्रभाव को भारत से लाभ के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) 1970-71 में अब तक भारत ने कितने व्यापार मेलों में भाग लिया है और आगामी समय के लिये यदि कोई कार्यक्रम है तो क्या ; और

(ग) भारत द्वारा इन मेलों में भाग लेने पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भारत द्वारा भाग लेने से आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में देश द्वारा की गई प्रगति का पता चला है। निर्यात अभियान की गति को तेज करने के लिये इसका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। परन्तु इस प्रकार की भागीदारी को दीर्घकालीन निवेश माना जाना चाहिये क्योंकि इनका परिणाम काफी समय के पश्चात् ही लक्षित हो सकेंगे ।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्रम संख्या मेले का नाम	अब तक का व्यय भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
(1) एक्स्पो 70, ओसाका (जापान) 15-3-70, से 13-9-70 तक	10,94,846	33,82,453
(2) मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली) 14-4-70 से 25-4-70	* *	* 75,000
(3) काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला ...(उद्योगों का) काहिरा (संयुक्त अरब गण राज्य) 2-5-70 से 22-5-70	* *	* 3,00,000
(4) बार्सीलोना अन्तर्राष्ट्रीय नमूना मेला वार्सीलोना (स्पेन) 3-6-70 से 14-6-70	20,031	1,97,057
(5) पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पोजनान (पोलैंड) 14-6-70 से 23-6-70	12,477	1,46,361
(6) जकार्ता अन्तर्राष्ट्रीय मेला, जकार्ता (इन्डोनेशिया) 13-6-70 से 3-8-70	31,472	1,70,972
(7) राष्ट्रीय कृषि तथा व्यापार मेला, दार ए० सलाम (तानजानिया) 3-7-70 से 7-7-70	*	* 80,000
(8) भारतीय प्रदर्शनी कुलालम्पूर (मलयेशिया) 7-7-70 से 21-7-70	30,526	3,51,397
(9) viii बोगोटा अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बोगोटा (कोलम्बिया) 10-7-70 से 26-7-70	38,149	3,80,000

(10) इजमीर अन्तर्राष्ट्रीय मेला,
इजमीर (तुर्की)–
20-8-70 से 20-9-70

(11) प्रोग्रेस प्रदर्शिनी के भागीदार,
वरलिन (पं० जर्मनी)–
25-8-70 से 30-8-70

(12) दमास्कस अन्तर्राष्ट्रीय मेला
दमास्कस (सीरिया)
25-8-70 से 20-9-70

(13) भारतीय प्रदर्शिनी
सिंगापूर—
26-8-70 से 9-9-70

(14) सेन्ट एरिक्स अन्तर्राष्ट्रीय मेला
स्टॉकहोम (स्वीडन)–
2-9-70 से 13-9-70

(15) वियना अन्तर्राष्ट्रीय मेला,
वियना (ऑस्ट्रिया)–
6-9-70 से 13-9-70

(16) जाग्रेब अन्तर्राष्ट्रीय शरद् मेला,
जाग्रेब (यूगोस्लाविया)–
10-9-70 से 20-9-70

(17) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
ओखला होमा (संयुक्त राज्य अमीरीका)
26-9-70 से 4-10-70

(18) टेक्सास राज्य मेला,
डल्लास (संयुक्त राज्य अमरीका)–
10-10-70 से 25-10-70

(19) बुचारेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेला,
बुचारेस्ट (रूमानिया)–
12-10-70 से 24-10-70

(20) भारतीव प्रदर्शिनी, सुवा (फिजी द्वीप)–
नवम्बर, 1970–

(21) घाना अन्तर्राष्ट्रीय मेला,
अक्रा (घाना)–
1-2-71 से 14-2-71

(22) भारतीय प्रदर्शिनी (कुवैत)–
फरवरी/मार्च, 1971

(23) फ्रांकफर्ट बसंत मेला,
फ्रांकफर्ट (प० जर्मनी)
मार्च, 1971

(24) आइडियल होम प्रदर्शनी,
लंदन (ब्रिटेन)–
2-3-71 से 27-3-71

(25) लिपजिग, बसंत मेला,
लिपजिग (पू० जर्मनी)
14-3-71 से 23-3-71

राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र को चालू करने में विलम्ब

3260. **श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र को चालू करने की निर्धारित तिथि जो 1969 के अन्त में थी बदल कर वर्ष 1971 के मध्य में करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जिस आग से 1967 में परियोजना के गुम्बद को क्षति पहुंची थी वह परियोजना में काम कर रहे पाकिस्तानी एजेन्टों ने लगाई थी ;

(ग) इस सम्बन्ध में जांच न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ समय पूर्व एक विदेशी व्यक्ति ने उक्त परियोजना का फोटो लिया था और गुप्तचर विभाग अभी तक उस व्यक्ति का पता लगाने में असफल रहा है , और

(ङ) इतनी महत्वपूर्ण परियोजना की पर्याप्त सुरक्षा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परियोजना के पहले यूनिट के चालू होने में विलम्ब होने के कारण निम्नलिखित हैं:—

(i) विदेशी तथा भारतीय सप्लायरों द्वारा देर से उपकरण सप्लाई करना ,

(ii) कनाडा में यरलस पार्यट स्टेशन के निर्माण तथा चालू होने से प्राप्त अनुभव के आधार पर कनाडा के परामर्शदाताओं द्वारा डिजायनों में किये गये परिवर्तनों का देर से प्राप्त होना ।

(ख) और (ग) : आग लगने के कारणों की जांच एक समिति द्वारा की गई थी । किसी विदेशी द्वारा आग लगाये जाने के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला ।

* व्यवस्था की गई रकम

* * मिलान, काहिरा और दार–ए० सलाम मेलों के लिए रुपए के रूप में व्यवस्थित कुल रकम 1, 75, 000 रुपए थे ।

(घ) जी, नहीं। सरकार को किसी ऐसी घटना का पता नहीं है।

(ङ) परियोजना में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

रूस-भारत मैत्री संगठनों में राजनीतिक जासूस

3261. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तथा अन्य स्थानों में 40 सोवियत-इंडिया फ्रैंडशिप सोसायटीज के कुछ सदस्य के० जी० बी० तथा जी० आर० यू० जैसे रूसी जासूसी संगठनों के व्यक्ति हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 'फ्रैंडशिप सोसायटीज' को राजनीतिक जासूसों से मुक्त रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर के निकट एच० एफ० चिन्ह वाले विमान की दुर्घटना संबंधी जांच न्यायालय द्वारा की गइ सिफारिशें

3262. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :
श्री कोलाइ विरुश्रा :
श्री नरायणन :
श्री मयावन :

(क) क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार उस विशेषज्ञ समिति की, जिसने बंगलौर के निकट एच० एफ० मार्कट्ट प्रोटोटाइप विमान की दुर्घटना के कारणों की जांच की थी ; सिफारिशों को क्रियान्वित हेतु बाद की कार्यवाही पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) कितनी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) **(श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग) :** जांच बोर्ड की सिफारिशों पर अनुसरण-कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सिफारिशों की कुछ संख्या पहले ही स्वीकार कर ली गई है, और उनमें से कुछ एक कार्यान्वित की जा चुकी है। शेष सिफारिशें कार्यान्वियन करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है, कि जो तकनीकी किस्म की हैं।

चीन के साथ बातचीत

3263. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नरायणन :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री कोलाई विरुश्रा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई दिवस के अवसर पर श्री माओ-त्से-तुंग द्वारा भारत के बारे में मित्रतापूर्ण विचार व्यक्त किये जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार को कोई लिखित पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन को कोई पत्र लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत के संबंध में चीन नेताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन को देखते हुए चीन के साथ बातचीत करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने बातचीत की संभावना को हमेशा ध्यान में रखा है ।

एवरो-748 विमान का निर्माण

3264. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री मयाबन : **श्री नारायणन :**
श्री कोलाई बिरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने एवरो-748 विमान के ढांचे में कुछ सुधार कर के इसे अधिक उपयोगी बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उसमें ढांचे सम्बन्धी परिवर्तन सम्मिलित हैं ; और

(घ) क्या परिवर्तन होंगे तथा उन परिवर्तनों से विमान को चलाने में क्या सहायता मिलेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : कानपुर में इस समय निर्माण किया जा रहा एच० एस० 748 मुख्यत: एक यांत्रिक विमान है । उसे भारवाही के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसमें कई सुधार पुन: स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है । अपेक्षित सुधारों में विमान के ढांचे में कुछ परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त होगा ।

मुख्य पन बिजली परियोजनाओं में निर्माण कार्य सम्बन्धी उपकरण का उपयोग

3265. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों की एक समिति ने जिसने भारत में 18 मुख्य पन बिजली परियोजनाओं में उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र की थी, यह पाया था कि केवल 6 परियोजनाओं में उपकरणों का 50 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया गया जब कि अन्य 9 परियोजनाओं में

यह उपयोग 25 से 50 प्रतिशत के बीच रहा और शेष 3 परियोजनाओं में यह उपयोग 25 से भी कम था;

(ख) क्या यह सच है कि स्वायत्त निकायों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार उक्त परियोजनाओं में 360 करोड़ रुपये के मूल्य के मिट्टी हटाने वाले तथा निर्माण कार्य में काम आने वाले उपकरणों में से 65 प्रतिशत उपकरण जिनका मूल्य 234 करोड़ रुपये है, अप्रयुक्त पड़े थे ;

(ग) यदि हां, तो उपकरणों और फालतू पुर्जों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) फालतू उपकरणों को बेच देने या उन्हें काम में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई और विद्युत सेक्टर में लगभग 100 करोड़ रुपये का निर्माण उपस्कर पड़ा हुआ है । 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए की गई गणना के अनुसार बृहत सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर फालतू पुर्जों की कमी के कारण इस समय 27 प्रतिशत निर्माण मशीनरी बेकार पड़ी हुई है ।

(ग) और (घ) : सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर इस समय दो प्रकार का उपस्कर बेकार पड़ा हुआ है ।

(1) एक तो वह जो है तो अच्छी हालत में, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है ।

(2) दूसरा वह जिसकी मरम्मत अथवा पुनर्नवीकरण होना है और जिनके लिए फालतू पुर्जों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

प्रथम श्रेणी के उपस्कर को उन सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को भेजने के लिए कार्यवाही की गई है जिन्हें इसकी आवश्यकता है । दूसरी श्रेणी के उपस्कर के संबंध में फालतू पुर्जों के शीघ्र आयात के लिए विदेशी मुद्रा विशेष रूप से देने का प्रबन्ध किया गया है । निर्माण उपस्कर के लिए फालतू पुर्जों की प्राप्ति में देरियों को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाने हेतु, मंत्रियों की जो समिति गठित की गई थी उसने भारत सरकार को हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस रिपोर्ट पर सितम्बर, 1970 के अन्तिम सप्ताह में उटकमंड में राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के प्रस्तावित सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाएगा । इस बीच, इन सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार के संबंधित विभागों में कार्यवाही की जा चुकी है ।

ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना

3266. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र को आसाम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार से ले जाकर गंगा से मिलाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या प्रस्तावित योजना से, जैसा कि बहुत से विशेषज्ञों ने दावा किया है, विशेषकर भारत के उत्तरी क्षेत्र को विभिन्न प्रकार से बहुत से लाभ होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो योजना को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सदस्य महोदय संभवत: तीस्ता बहुउद्देशीय बराज परियोजना का जिक्र कर रहे हैं जिसका अनुसंधान केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग पहले ही कर चुका है। इस स्कीम का अग्रेतर अनुसंधान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी रखा जा रहा है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की स्कीम में पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पर दो मुख्य नहरों के साथ 3070 फुट लम्बे एक बराज का निर्माण परिकल्पित है। ये दोनों मुख्य नहरें--नदी के दोनों किनारों से एक-एक— निकलेंगी। जो बाईं ओर ब्रह्मपुत्र और दाईं ओर (फरक्का के निकट) गंगा के साथ मिल जाएंगी। नौवालन सुविधाओं के अतिरिक्त इस परियोजना से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों में 22.8 लाख एकड़ क्षेत्र (कृष्य कमान गत क्षेत्र) को सिंचाई लाभ पहुंचेंगे। मुख्य नहरों के साथ-साथ मुख्य प्रपातों पर स्थित विद्युत केन्द्रों 64 मैगावाट (वास्तविक विद्युत) जल-विद्युत दोनो पैदा की जायेगी। चूंकि स्कीम की अनुमामित लागत 357 करोड़ रुपये है, इसलिए स्कीम को उपयुक्त चरणों में क्रियान्वित करना पड़ेगा जिसमें सिंचाई को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार सिंचाई के प्रथम चरण से सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रारूप बना रही है और योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किये जाने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इसकी जांच करेगा।

ताइवान, इसराइल, दक्षिण वियतनाम तथा दक्षिण कोरिया के साथ निर्यात तथा आयात व्यापार

3267. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में ताइवान, इसरायल, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण वियतनाम के साथ कितना निर्यात अथवा आयात व्यापार हुआ ;

(ख) इन देशों की सरकारों से गत एक वर्ष में भारत के साथ और अधिक व्यापार करने में इनको हो रही कठिनाइयों के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इन देशों के साथ व्यापार को उदार बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि भारत से इन देशों को किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है ; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अप्रैल 69—मार्च 70

	से आयात	को निर्यात
	(लाख रु० में)	
ताइवान (चीन गणराज्य)	41.0	177.8
इसराइल	9.6	75.7
दक्षिण कोरिया	61.0	584.2
दक्षिण वियतनाम	नगण्य	97.2

(ख) इन देशों की सरकारों से गत वर्ष में भारत के साथ और अधिक व्यापार करने में इन को हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) : इन देशों के साथ व्यापार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है अतः उदारीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

रूई व्यापार में हुई हानि

3268. **श्री कंवर लाल गुप्त** : **श्री शारदानन्द** :
श्री जि० ब० सिंह : **श्री रामावतार शर्मा** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को रूई व्यापार में पहले ही काफी हानि हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और सरकार का विचार इस बात के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि भविष्य में हानि न हो ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सेवक) : **(क) और (ख)** जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में भारतीयों पर प्रतिबन्ध

3269. **श्री कंवर लाल गुप्त** : **श्री शारदा नन्द** :
श्री जि० ब० सिंह : **श्री रामावतार शर्मा** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों ने व्यापार तथा व्यवसाय आदि अथवा भारतियों के प्रवेश के मामले में इन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं ;

(ख) उन देशों में लगभग कितने भारतीय रहते हैं और उन देशों में भारतीयों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) किन देशों के साथ इस समस्या पर करार हो गये हैं परन्तु उनको पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि इन देशों में भारतीयों को परेशान न किया जाये ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जहां तक भारत सरकार को मालूम है निम्नलिखित देशों ने कमोवेश मात्रा में ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे व्यापार और रोजगार के क्षेत्रों में गैर-राष्ट्रिकों की भूमिका सीमित हो गई है : बर्मा, श्रीलंका, घाना, हांगकांग, कीनिया, मलावी, मलयेशिया, सियरा लियोन, सिंगापुर, सोमालिया, तनजानिया, उगांड़ा, यू० के०, दक्षिण यमन लोक गणराज्य, जंबिया ।

इन देशों में भारतीय मूल के जो व्यक्ति रहते हैं किन्तु जिन्होंने अपने निवास के देशों की नागरिकता नहीं ली है, वे भी उन गैर-राष्ट्रिकों में से हैं जिन पर इन उपायों का असर हुआ है।

(ख) उपर्युक्त देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या के बारे में संलग्न विवरण में सूचना दी गई है ।

विवरण

उत्तर में उल्लिखित देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या का विवरण

देश का नाम	भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या
बर्मा	65,000
श्रीलंका	35,000
घाना	1,800
हांगकांग	2,500
मलावी	200
मलयेशिया	161,000
अदन (दक्षिण यमन लोक गणराज्य)	1,000
सियरा लियोन	450
सिंगापुर	25,000
सोमालिया	1,200
तनजानिया	5,000
उगांड़ा	1,600
यू० के०	200,000
कीनिया	4,000

ये उपाय संबद्ध सरकारों की इस नीति के अनुसार ही किए गए हैं कि व्यापार और नियोजन में उनके अपने राष्ट्रिक ज्यादा हिस्सा लें । सभी गैर-राष्ट्रिकों पर इसका असर हुआ है चाहे वे किसी भी राष्ट्र के हों और कोई भी धर्म मानते हों ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) उपर्युक्त उपायों को परेशान करना नहीं कहा जा सकता । हमारे मिशन भारतीय राष्ट्रिकों के हितों की पर्याप्त देखभाल कर रहे हैं ।

सभी राज्यों में कृषि कार्यों के लिये बिजली का समान दर

3270. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री क० मि० मधुकर :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री सरजू पाण्डेय : श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि कार्यों के लिये सभी राज्यों में बिजली की समान दर लाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद) : (क) और (ख) : उत्पादन यूनिट की पूंजीगत लागत, परिक्षण लाइनों की लागत और उनके विस्तार, मजदूरी, परिवहन सुविधाओं की लागत, स्थानीयकरों और विद्युत् विस्तार की भिन्नता तथा ग्रिड के समेकित प्रचालन के परिणामस्वरूप कृषि उपयोग के लिए बिजली की सप्लाई की दरें भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न हैं। सरकार का यह लक्ष्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करले कि आरम्भ में प्रत्येक राज्य में और अन्त में समस्त देश के लिए प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए एक समान दरें हो जाएं। कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की एक समान दरें अभी तक, नागालैंड और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों के सप्लाई क्षेत्रों के भीतर धीरे धीरे अपना ली गई है।

तम्बाकू का निर्यात

3271. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री जगेश्वर यादव :
श्री लताफत अली खां :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में तम्बाकू के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) तम्बाकू के निर्यात में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हाँ।

(ख) जनवरी-जून 1970 में तम्बाकू के निर्यात अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2856 मे० टन के हुए जबकि उसकी तुलना में 1969 की तत्स्थानी अवधि में 3244 मे० टन के निर्यात हुए थे।

(ग) इस वर्ष तम्बाकू की कम फसल होने के कारण, निर्यात के लिए तम्बाकू की मात्रा कम उपलब्ध हुई।

(घ) तम्बाकू की निर्यात योग्य किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

कानपुर में एक विशेष मिश्र इस्पात कारखाने की स्थापना

3272. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में विशेष मिश्र इस्पात कारखाने की स्थापना हो रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं तथा इस कारखाने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) सर्वश्री हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और अभिकल्पन ब्यूरो द्वारा तय्यार की गई आरम्भिक प्रायोजना रिपोर्ट मन्त्रालय में जुलाई 1970 के पहले सप्ताह में प्राप्त हुई थी। प्रायोजना पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च उठेगा।

आपातकाल में सेना में भर्ती हुए असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भविष्य निधि की सुविधायें

3273. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के 20 मार्च, 1963 के ज्ञापन संख्या 1/4/63/डी० (पे/सर्विसिज), और उसके अनुलग्नक I, II और III तथा गृह कार्य मन्त्रालय के 4 दिसम्बर, 1962 के ज्ञापन संख्या एफ० 35/1/62/ऐन्ट्स (बी), दिनांक में लीयन, वेतन और भविष्य निधि के संबंध में दिये गये आदेश सरकार के उन असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो गत आपतकाल में सेना में भर्ती हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ज्ञापन के अनुलग्नक III में दिये आदेशों के बावजूद प्रतिरक्षा लेखा महा नियंत्रक ने सरकार के असैनिक कर्मचारियों के अंशछापी भविष्य निधि में सैनिक सेवा के दौरान उनकी उपलब्धियों के आधार पर, उनके तथा सरकार के अंशदान का हिसाब लगाने से इंकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस मामले पर विचार कर प्रतिरक्षा लेखा द्वारा महानियंत्रक को आवश्यक हिदायते देगी कि वह उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक III में उल्लिखित आदेशों के अनुसार सरकार के असैनिक कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि की राशि का भुगतान करे ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेंद्रसिंह महीडा) : (क) से (घ) : ध्यान 29 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7908 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

प्रधान मन्त्री के बांकुरा के दौरे के अवसर पर पश्चिम बंगाल में हैलीकाप्टर उतारने के लिये हैलीपैड का निर्माण

3274. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री गणेश घोष :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सेना की सहायता से उस अवसर पर जब प्रधान मन्त्री ने 19 जून, 1970 को उस स्थान का दौरा किया था, हैलीकाप्टर के सुविधापूर्वक उतरने के लिये एक विशिष्ट हैलीपैड का निर्माण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितना धन खर्च किया गया था तथा वह खर्च किस प्राधिकरण ने सहन किया था ; और

(ग) प्रधान मन्त्री को बांकुरा के दौरे के लिये हैलीपैड बनाने की आवश्यकता क्यों हुई ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि

3275. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम ने सरकार से हाल ही में कुछ श्रेणियों के उपभोक्तताओं को बिजलो की सप्लाई की दरों में दस प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अपनी मांगों के समर्थन में कम्पनो ने क्या तर्क दिये हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 को छटी अनुसूची के अन्तर्गत, बिजलो विक्रय के लिए लाइसेंसधारी अपने शुल्कों का समंजन इस प्रकार करेगा कि किसी भी लेखा वर्ष में उसका शुद्ध लाभ इस अनुसूची में नियत उचित लाभ को राशि से अधिक न होगा। बिजली कि सप्लाई के लिए शुल्कों को बढ़ाने के लिए लाइसेंसधारी से यह अपेक्षित है कि, बह राज्य सरकार को लिखित रूप मैं नोटिस दे जो 60 दिन से कम समय का न हो । कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम (सो० ई० एस० ई०) ने मार्च 1970 में दरों को बढ़ाने के लिए, जिससे 1970-71 के दौरान वे 356 लाख रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व द्वारा सांविधिक उपयुक्त लाभ कमा सकें, राज्य सरकार को एक नोटिस दिया था। राज्य सरकार ने मामले पर विचार किया और कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को संशोधित दर-संरचना को मानने के लिए अनुरोध किया जिससे कि वे 1070-71 में 290 लाख रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व कमा सकेंगे। तदनुसार, कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम ने उच्च वोल्टता औद्योगिक दरों को 13.4 प्रतिशत तक, निम्न वोल्टतता अद्योगिक उपभोगताओं के लिए 15.3 प्रतिशत तक और विविध व्यापारिक तथा घरेलू प्रयोग के वास्ते 5.5 प्रतिशत तक दरों को बढ़ा दिया है। दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कलकत्ता बिजली

सप्लाई निगम को अपनी थोक विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में दरों में वृद्धि के कारण और मंजूरी करारों तथा अतिरिक्त रोजगार की वजह से मजूरी बिलों में वृद्धि के कारण, कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम उत्तरोत्तर अधिक व्यय करता रहा है ।

मध्य पूर्व में शान्ति सम्बन्धी अमरीकी प्रस्ताव

3276. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री बलराज मधोक :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने पश्चिम एशिया में शान्ति के लिये कुछ प्रस्ताव किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये प्रस्ताव भारत सरकार को भी भेजे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने के लिए हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं, उसका भारत सरकार स्वागत करती है । सरकार का विश्वास है कि पश्चिमी एशिया में न्यायोचित और स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए 22 नवम्बर 1967 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से अमल में लाना आवश्यक है ।

अजय नदी पर बाढ़ नियंत्रक जलाशय का निर्माण

3277. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
डा० रानेन सेन :
श्री कं० हाल्कर :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी अनुसन्धान संस्थान के भूतपूर्व निदेशक के० एन० बसु ने हाल ही में यह कहा है कि जब तक अजय नदी पर बाढ़ नियन्त्रक जलाशय का निर्माण नहीं होगा ; फरक्का परियोजना से लाभ होने की आशा नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : ऐसा कोई बयान इस मंत्रालय के समक्ष नहीं आया है ।

जूट के फालतू भंडार

3278. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री जि० मो० बिश्वास :
श्री कं० हालदार :
डा० रानेन सेन :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट के फालतू भंडार बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष में रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के लिये योजनायें

3279. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ख) रोजगार के अधिक अवसरों को व्यवस्था करने के लिये आरम्भ की जाने वाली अग्रता योजनाएं कौन सी हैं और उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए किसी राष्ट्रीय योजना पर विचार किया जा रहा है ; और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वार्षिक योजना 1970-71 दस्तावेज, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, शीघ्र ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) जिन योजनाओं की काफी ज्यादा रोजगार क्षमता है और 1970-71 की वार्षिक योजना में शामिल की गई हैं वे संचार और परिवहन संयोजन(ग्रामीण बिजलीकरण, जल प्रबन्ध, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, ग्रामीण और शहरी आवास, सड़कें और शहरी विकाश सहित छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण, ग्रामीण अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्राचर) से सम्बन्धित हैं। छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों को लाभावन्वित करने और बारानी खेती के विकास को प्रोत्साहित करने और सूखा-प्रवृत्त जिलों में विशेष ग्रामीण कार्यों को करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। इन कार्यक्रमों का व्यौरा चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) दस्तावेज और 1970-71 के बजट कागजातों के साथ प्रस्तुत 'सामाजिक न्याय के साथ विकास को ओर' शीर्षक वाले दस्तावेज में दिया है। स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों तथा कतिपय राज्य सरकारों, भारतीय तेल निगम व भारतीय उर्वरक निगम द्वारा भी उन लोगों को जो अपना काम स्वयं करते हैं, सहायता प्रदान करने की योजनाएं शुरू की गई हैं ?

भारत का निर्यात तथा आयात

3281. **श्री एस० आर० दामानी : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 के पूर्वार्द्ध में भारत के निर्यात तथा आयात का क्या रुख रहा तथा वर्ष 1969 की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) किन वस्तुओं में वृद्धि या कमी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1970 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत से 714.06 करोड़ रु० मूल्य के कुल निर्यात हुए, जब कि वर्ष 1969 की इसी अवधि के दौरान ये 683.09 करोड़ रुपये मूल्य के थे। इन अवधियों के दौरान भारत में, क्रमश: 846.8 करोड़ रु० तथा 886.6 करोड़ रु० मूल्य के आयात हुए।

(ख) दो विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखे जाते हैं, जिनमें, पहले चार महीनों के, जिनके वस्तुवार आंकड़े अब तक उपलब्ध हैं, निर्यातों और आयातों में वृद्धि और कमी दर्शाई गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4008/70**]

यद्यपि, प्रत्येक उत्पाद के निर्यातों में वृद्धि या कमी के कारणों का एक प्रश्न के उत्तर में ब्यौरा देना संभव नहीं है, तथापि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहां घरेलू सप्लाई और विदेशी माँग की स्थिति अनुकूल बनी रही है वहां निर्यातों में वृद्धि हुई है तथा जहां परिस्थितियां प्रतिकूल रही हैं वहां गिरावट हुई है। सरकार की नीतियां निर्यातों को बढ़ावा देने की दिशा में होती है ताकि लक्ष्यों पर पहुंचा जा सके।

रूस के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार

3282. **श्री सीताराम केसरी : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ एक नया दीर्घकालीन व्यापार करार करने के बारे में सरकार के विचाराधीन योजनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो नया करार करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) नये करार का दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) (क) से (ग) : भारत और सोवियत संघ के बीच चालू व्यापार करार, जिस पर 10 जून, 1963 को हस्ताक्षर हुए थे, 31 दिसम्बर, 1970 तक ही वैध है। अतः दोनों देशों के बीच 1974-75 की अवधि के लिए दीर्घावधि व्यापार करार करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। आशा है कि इस करार द्वारा न केवल दुतरफा व्यापार-विनिमय के नियमित विकास में और वृद्धि होगी अपितु इससे वस्तु-विन्यास में भी उत्तरोत्तर विविधीकरण होगा।

फ्रांस द्वारा भारत को मिराज विमानों की सप्लाई

3283. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस भारत को मिराज विमानें की सप्लाई करने को तैयार था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों में फ्रांस से ऐसे विमान खरीदे थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) नयी व्यवस्थाएं जो की गई हैं तथा योजना को साधन युक्त करके जो अंतिम रूप दिया गया है इन कारणों से यह आवश्यक नहीं समझा गया कि नए प्रकार के विमान के लिए जाया जाय ।

रूई, चावल और फास्फेट मिट्टी का संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात

3284. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के साथ भारत ने रूई, चावल और फास्फेट मिट्टी की सप्लाई करने के सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों देशों के बीच हुए व्यापार करार में 1-7-1970 से 30-6-71 की अवधि में संयुक्त अरब गणराज्य से भारत को लगभग 38-39 करोड़ रु० मूल्य की रूई, चावल तथा राक फास्फेट के निर्यातों की व्यवस्था है । इसमें 80 प्रतिशत से कुछ अधिक राशि रूई के निर्यातों पर व्यय होगी । भारत द्वारा चावल तथा राक फास्फेट के आयात गत वर्ष के बराबर ही होने की सम्भावना है ।

नागार्जुन सागर तथा कोसी परियोजना पर निर्माण-कार्य संबंधी उपकरणों का प्रयोग

3285. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों की समिति ने पता लगाया है कि क्रमशः 2.44 करोड़ रुपये तथा 39.15 लाख रुपये के उपकरण और फालतू पुर्जे या तो आवश्यकता से अधिक होने के कारण अथवा किसी खराबी के कारण बेकार पड़े हैं ;

(ख) क्या समिति ने यह भी पता लगाया है कि कोसी परियोजना पर 48.15 लाख रुपये के मूल्य के 75 प्रतिशत उपकरण बेकार पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो समिति संसाधनों का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं और फालतू पुर्जों के भंडारों को बेचने या उनका प्रयोग करने के संबंध में क्या कार्यवाई की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) : सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर तथा फालतू पुर्जे प्राप्त होने में देरी के कारणों को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाने हेतु, भारत सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की समिति ने 31 दिसम्बर, 1969 के अन्त तक की अवधि में संगृहीत आंकड़ों के आधार पर पाया कि 2.44 करोड़

रुपये का उपस्कर तथा 39.15 लाख रुपये की कीमत के फालतू पुर्जे नागार्जुनसागर परियोजना में जो उपस्कर फालतू पाया गया उसका 75% 48.5 लाख रुपये बनता है। कोसी परियोजना की 28 फालतू मशीनों में से 10 की मरम्मत कराने का कोई लाभ नहीं था तथा 11 की मरम्मत की जा रही थी। इन 11 मशीनों को परियोजना की नहरों की गाद निकालने के कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा। जहां तक नागार्जुनसागर परियोजना का संबंध है, मुख्य बांध का निर्माण कार्य हाल ही में 1969 में पूर्ण हुआ है। परियोजना अधिकारियों ने मशीनों की मरम्मत करने, फालतू उपस्कर को स्थानांतरित करने, और जिस उपस्कर की मरम्मत कराने का कोई लाभ नहीं है उसका निपटान करने के लिए कार्रवाई की है। जून, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, 60 लाख रुपये के मूल्य का उपस्कर अनुरक्षण के लिए और परियोजना के अन्य सन्तत कार्यों के लिए रख लिया गया है; 37 लाख रुपये के मूल्य का उपस्कर अन्य परियोजनाओं को स्थानांतरित कर दिया है और 13 लाख रुपये के मूल्य के उपस्कर का निपटान कर दिया गया है। 16 लाख रुपये के मूल्य के उस उपस्कर के लिए जिसकी मरम्मत कराने का कोई लाभ नहीं है निविदायें (टेन्डर) आमंत्रित की गई हैं। 119 लाख रुपये के मूल्य के शेष उपस्कर के लिए, उसके निपटान अथवा स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई चल रही है। 7 लाख रुपये के मूल्य के फालतू पुर्जे अन्य परियोजनाओं को स्थानांतरित कर दिए गए हैं और शेष पुर्जों को लेने के लिए अन्य परियोजनाओं से कहा गया है।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये राज्यों को योजना परिव्यय के अतिरिक्त सहायता

3286. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को योजना परिव्यय के अतिरिक्त नदी घाटी परियोजनाओं के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने योजना परिव्यय के अतिरिक्त कुछ परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये अधिक धन के नियतन की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने किसी भी राज्य को नदी घाटी परियोजनाओं की योजना को निर्धारित राशि के अतिरिक्त कोई विशेष सहायता नहीं दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार ने अभ्यावेदन भेजा है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य के बजट व्यवस्थित परिव्यय अपर्याप्त है और निवेदन किया है कि 322.57 लाख रुपये की निम्नलिखित विशेष सहायता दे दी जानी चाहिए :—

परियोजना	राज्य बजट में प्रावधान (लाख रुपयों में)	आवेदित विशेष सहायता (लाख रुपयों में)
कल्लाडा	102.21	70.79
कुट्टियाडो	99,78	132,88

पम्बा	48.21	51.79
कन्होरापुभ्फा	30.32	36.40
पेरियार घाटी	32.86	17.14
चित्तूरपुग्रा	11.43	13.57

वर्तमान सूचना के अनुसार इन परियोजनाओं की कुल लागत से पता चलता है कि पिछले वर्ष बताई गई लागत से बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि ऐसी ऊंची वृद्धि के कारणों की जांच करे और इस विषय पर आगे विचार-विमर्श होने से पहले केन्द्रीय अभियंताओं के साथ सलाह करके अपने निर्माण कार्यक्रम में आवश्यक किसी भी परिवर्तन को अन्तिम रूप दें।

भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान द्वारा हरियाना की निर्यात क्षमता का विस्तृत सर्वेक्षण

3289. **श्री मणिभाई जे० पटेल** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान ने हरियाना के विस्तृत सर्वेक्षण के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि कुछ चुनी हुई वस्तुओं तथा उत्पादों की निर्यात क्षमता का पता चल सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) सर्वेक्षण के लिये कितनी वस्तुओं तथा उत्पादों को चुना गया है और सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत कितने निर्माण-कारखानों को शामिल किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) (क) और (ख) : हरियाना राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने हरियाना राज्य सरकार की निर्यात संभाव्यताओं के विषय में एक व्यापक सर्वेक्षण करने का कार्य शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण का व्यापक उद्देश्य हरियाना के चुने हुए कृष्य, खनिज व निर्मित उत्पादों की निर्यात संभाव्यता का निर्धारण तथा राज्य से होने वाले निर्यात में वृद्धि लाने के लिए सुझाव देना है। सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य जारी है।

(ग) निर्यात क्षमता वाले 72 उत्पाद समूह इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने की आशा है। इन मदों के निर्माण में लगे 527 एककों को व्यापक सर्वेक्षण के लिए चुना गया है।

भारतीय माल विक्रय में वृद्धि करने के लिए राज्य व्यापार निगम के साथ संयुक्त समवाय बनाने के लिए हांगकांग के भारतीय तथा चोनी व्यापारियों द्वारा सुझाव

3288. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांगकांग के भारतीय तथा चोनी व्यापारियों ने विश्व के उस भाग

में भारतीय माल के विक्रय में वृद्धि करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम के साथ संयुक्त समवाय बनाने के बारे में भारत सरकार को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये एक नई कम्पनी बनाने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो कम्पनी की संरचना कैसे होगी और इसकी प्रदत्त पूंजी क्या होगी; और

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) हांगकांग के भारतीय तथा चीनी व्यापारियों ने भारतीय व्यापार निगम से अनुरोध किया है कि हांगकांग तथा आसपास के क्षेत्रों में भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये राज्य व्यापार निगम और इन व्यापारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित एक व्यापार समवाय की स्थापना की जाये।

(ख) और (ग) : प्रस्थापना विचाराधीन है।

Issue of Licences for Sale of Seized Smuggled Spices in Bihar

3289. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that licences are issued to the traders by Government for the sale of Spices-seized while being smuggled ;

(b) if so, whether Government propose to issue such licences this year as well;

(c) if so, whether it is also a fact that the Bihar Government recommended certain names to the Government of India for this purpose ;

(d) if so, the names and addresses of the persons concerned ; and

(e) whether it is also a fact that certain new persons have been given preference for the old traders by the Bihar Government while recommending the names of the persons for such licences; and if so, the justification therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir. No licences are required to be issued for sale of spices seized while being smuggled.

(b) to (c) : Do not arise.

भारतीय पारपत्र नियम तथा मैडम बिन्ह की यात्रा

3290. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैडम बिन्ह की भारत यात्रा भारतीय पार पत्र नियमों के अनुसार थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि भविष्य में देश में कानून का इस प्रकार उल्लंघन न हो ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : **(क) और (ख)** : 12 अगस्त, 1970 को प्रश्न संख्या 364 पर पूरक प्रश्नों के उत्तर में सदन को यह पहले ही बताया जा चुका है कि श्रीमती बिन्ह विदेशी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन ही भारत में आई थी।

भीड़ द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण सैगोन में भारतीयों को हुई हानि

3291. **श्री म० ला० सोंधी :**   **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में भीड़ द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण सैगोन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सदस्यों तथा भारतीय व्यापारियों को कितनी हानि हुई; और

(ख) सैगोन में भारतीय हितों, तथा भारतीय राष्ट्रिक हित और सम्मान की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को अब तक मिली सूचना के अनुसार सैगोन स्थित भारतीय कोंसलावास के कर्मचारी अथवा वहां के व्यापारियों को कोई भौतिक हानि नहीं उठानी पड़ी है

(ख) 29 जुलाई 1970 के वक्तव्य में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना सदन को दी जा चुकी है।

सियूल परियोजना, हिमाचल प्रदेश, के लिए धन का नियतन

3292. **श्री विक्रमचन्द महाजन :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

30 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में सियूल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) के निर्माण के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई और कितना खर्च किया जा चुका है; और निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1970-71 में सियुल परियोजना के लिए बजट में 300 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक व्यय की गई धन-राशि लगभग 70 लाख रुपये हैं। विभिन्न कार्य-स्थलों तक पहुंच सड़कों का निर्माण हो गया है और कुछ रिहायशी मकानों का भो निर्माण हो गया है। आगे निर्माण कार्य चल रहा है।

भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन द्वारा कम्प्यूटरों का निर्माण

3293. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ने देश में कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये एक महत्वाकांक्षापूर्ण योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) और (ख) :** इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया के कम्प्यूटरों का निर्माण भारत में करने

के लिये एक विशाल कार्यक्रम तैयार किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे द्वारा विकसित टी० डी० सी–12 नामक कम्प्यूटरों, जो कम्प्यूटरों की दूसरी पी० टी० में आते हैं, का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू भी हो चुका है। इसके साथ ही साथ, समाकलित सर्किटों से युक्त और अधिक बढ़िया किस्म के कम्प्यूटरों का विकास भी किया जा रहा है। आशा की जाती है कि चालू वर्ष में तैयार किये गये 12 लाख रुपये के मूल्य के कम्प्यूटरों के मुकाबले वर्ष 1974-75 में 5 करोड़ रुपये के मूल्य के कम्प्यूटर तैयार किये जायेंगे।

काफी का निर्यात

3294. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के कच्चे बीजों की कीमत को स्थिर करने के लिए एक नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूप रेखा क्या है;

(ग) वर्ष 1968-69 में तथा जून 1970 तक काफी का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(घ) उक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : वित्तीय वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 (जून 1970 तक) में काफी का कुल निर्यात और उपार्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित थी :–

वित्तीय वर्ष	निर्यातित मात्रा (मे० टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (रुपयों में)
1968-69	28,741	17.96 करोड़
1969-70	32,383	19.62 करोड़
1970-71 (जून 1970 तक) (अनंतिम)	8,113	6.67 करोड़

सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन के लिये समान प्रक्रिया स्वीकार करने वाले विदेशी दूतावास

3295. **श्री समर गुह** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी दूतावसों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में निर्धारित की गई प्रक्रिया की शर्तों को स्वीकार कर लिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : 12 अगस्त, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 388 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के उत्तर में जैसा कि बताया गया था, सरकार विदेशी मिशनों से उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के सम्बन्ध के विषय में एक सामान्य रूप

रेखा के अंतर्गत प्रबन्धों पर विचार-विनिमय करने के लिए तत्पर है जिसपर इस समय विचार किया जा रहा है। इस मामले की जांच की जा रही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर पैदा करना

3296. **श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 1.30 करोड़ बेरोजगार तथा योजना अवधि में 2.80 करोड़ और बेरोजगार होने के रिजर्व-बैंक के आंकड़े ठीक हैं ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना में 1.40 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने पर दस करोड़ अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के अतिरिक्त सरकार 2.70 करोड़ बेरोजगारों के लिये क्या करेगी ;

(ग) 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु वर्तमान ग्राम-सड़कों की बीच बीच की कड़ियों के लिये तथा जल संसाधनों के पुर्नस्थापन के लिये द्रुत योजना तैयार क्यों नहीं की जाती, जिसमें इंजीनियरों के सम्मेलन द्वारा की गयी गणना के अनुसार 1250 करोड़ रुपये लागत आयेगी ;

(घ) क्योंकि राज्य द्वारा ऐसे रोजगार से गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के दुगने अथवा वहां तक कि चौगुने अवसर पैदा होंगे, तो रिजर्व बैंक के रूप में सरकार राज्य की योजनाओं के लिये कम ब्याज दर पर तथा लम्बी अवधि में अदायगी पर ऋण क्यों दे ; और

(ङ) इस प्रस्ताव को बेरोजगार संबंधी आयोग के पास क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन के दिसम्बर, 1969 के अंक में प्रकाशित "ग्रोथ आफ एम्पलायमेंट : 1950-51 टु 1968-69" शीर्षक नोट में उल्लेख किया गया था कि चौथी योजना के आरम्भ में पिछले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 126 लाख थी। यह नोट भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक विभाग के योजना और विशेष अध्ययन प्रभाग द्वारा तैयार किया गया था। संभवतः ये आंकड़े 1966 में प्रकाशित चौथी योजना (1966-71) की रूपरेखा में दिये गये "तीसरी योजना के अन्त में बेरोजगारी के अनुमानों" के आधार पर तथा रोजगार और प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल एवं वेतन नीति सम्बन्धी अध्ययन दल जो कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा गठित किये गये थे, उनकी रिपोर्ट में दिये गये तीनों वार्षिक योजनाओं (1966-1969) की अवधि में "श्रमिक वर्ग में होने वाली कुल वृद्धि और सम्भावित रोजगार" के आधार पर निकाले गये थे। वार्षिक योजनाओं की अवधि के लिये किये गये अनुमानों का आधार क्या है इसकी व्याख्या न तो रिजर्व बैंक के नोट में की गई है और न ऊपर उल्लिखित अध्ययन दल की रिपोर्ट में। माननीय सदस्य महोदय ने जो उल्लेख किया है कि चौथी योजना अवधि में श्रमिक वर्ग में कुल 2.80 करोड़ की वृद्धि होगी और 1.40 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है, उसका आधार भी ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार चौथी योजना के अन्त में 2.7 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार होंगे और 10.0 करोड़ व्यक्ति अल्प रोजगार प्राप्त होंगे इन आंकड़ों का भी आधार ज्ञात नहीं है।

2. बेरोजगारी के सम्बन्ध में पहले किये गये अनुमानों की त्रुटियां और सीमा बन्धनों के

बारे में बेरोजगारी अनुमानों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति (दांतवाला समिति) के निष्कर्षों के प्रकाश में यह उपयोगी नहीं समझा गया कि चौथी योजना (1969-74) के बारे में इस प्रकार के अनुमान लगाये जाये।

3. चौथी योजना में सड़कों के लिए 871 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। (418 करोड़ रुपये की केन्द्रीय योजना में और 453 करोड़ रुपयों की राज्यों की योजनाओं में)। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने कुल परिव्यय का लगभग 25 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के लिए रखें। इसके अतिरिक्त अन्य मदों के अन्तर्गत निर्धारित योजना निधियों का और गैर योजना निधियों का भी उपयोग ग्रामीण सड़कों के लिए होने की आशा है। जल साधनों के बारे में चौथी योजना में भूमि के ऊपर के और अन्तभौमिक जल के विकास के लिए नीचे लिखी व्यवस्था की गई है।

	(करोड़ रुपये)
(1) बड़ी सिंचाई	965
(2) बाढ़ नियन्त्रण	122
(3) लघु सिंचाई	516
(4) गांवों में बिजली पहुंचाना और पम्प सेटों का बिजलीकरण	445

इसके अतिरिक्त कृषि के लिए संस्थागत स्रोतों से 950 करोड़ रुपये तक की राशि उपलब्ध होने की आशा है, जिसमें से कृषि उद्योग निगम से (50 करोड़ रुपये), भूमि विकास बैंकों से (500 करोड़ रुपये), केन्द्रीय सहकारी बैंकों से (150 करोड़ रुपये) और वाणिज्यिक बैंकों से (250 करोड़ रुपये) मिलने की आशा हैं। इस 950 करोड़ रुपये की राशि में से कुछ राशि लघु सिंचाई के लिए और पम्प सेटों को बिजली पहुंचाने के लिए उपलब्ध होगी।

4. चौथी योजना का जो अन्तिम रूप तैयार किया गया है उसमें उस सहायता का पूरा ध्यान रखा गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकरण किये गये बैंकों और अन्य संस्थागत साधनों से सामान्य और रियायती शर्तों पर उपलब्ध होगी।

5. भारत सरकार ने बेरोजगारी समस्या सुलझाने के उपायों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति स्थापित की है उसके विचारार्थ विषय पर्याप्त विस्तृत हैं और वह ऐसे सभी सुझावों पर विचार कर सकती है जो उसके सामने लाये जायेंगे।

हथकरघा माल के निर्यात पर रोक

3297. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा माल के निर्यात पर रोक लगाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस रोक के कारण अमरीका को किये जाने वाले 10 करोड़ गज कपड़े का निर्यात नहीं हो सका है ; और

(ग) इस माल को हस्तकरघे की उस श्रेणी में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिस पर छूट दी गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक) : (क) हथकरघा वस्तुओं के निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विषय पर संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों के साथ बातचीत आरम्भ की जा रही है।

काफी डिपुओं द्वारा काफी चूर्ण की बिक्री

3298. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड ने अपने डिपुओं से काफी के चूर्ण की बिक्री के बारे में क्या निर्णय किया है, काफी चूर्ण के वर्तमान बाजार मूल्य क्या हैं तथा बोर्ड ने आगामी 6 महीनों के लिए क्या मूल्य निर्धारित किये है ; और

(ख) क्या मूल्यों में वृद्धि से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है ;

(ग) जो कर्मचारी काफी का चूर्ण बनाने के कार्य में लगे थे उनको क्या वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा ;

(घ) चूर्ण में मिलावट को रोकने के लिये क्या संभावित उपाय किये जाने हैं और क्या उत्पाद का आकस्मिक विश्लेषण किया जायेगा ; और

(ङ) क्या उपभोक्ताओं की इच्छा को पूरा करने का कोई प्रयत्न किया जायेगा और प्रत्येक डिपो पर उपभोक्ता समिति स्थापित की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) खुले बाजार में काफी चूर्ण का विद्यमान मूल्य 6 रुपये प्रति 500 ग्राम से कुछ अधिक है। काफी द्वारा बिक्री किये जाने वाले चूर्ण की लागत दिसम्बर, 1970 तक 5 रुपये प्रति 503 ग्राम से कुछ अधिक होगी।

(ख) दिसम्बर, 1970 तक काफी चूर्ण के मूल्य में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है चाहे नीलामी में काफी के कच्चे बीजों का मूल्य बढ़ जाये।

(ग) ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

(घ) काफी डिपुओं, सहकारी समितियों तथा सुपर बाजारों द्वारा संभरण हेतु बोर्ड के इंडिया काफी डिपो मिश्रित चूर्ण तैयार करते हैं। मिलावट का प्रश्न नहीं उठता तथापि बोर्ड में देखरेख की व्यवस्था भी विद्यमान है।

(ङ) जी नहीं।

प्रतिरक्षा के लिए भारत की परमाणु क्षमता

3299. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाह्य आक्रमण से प्रतिरक्षा के लिए परमाणु क्षमता का निर्माण करने की भारत की आवश्यकता के बारे में भूतपूर्व प्रतिरक्षा सचिव तथा कुछ सेवानिवृत्त सेनाध्यक्षों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है जैसा कि 8 जून, 1970 के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी हां ।

(ख) गत सत्र सहित कई अवसरों पर सदन पर नाभिकीय आयुधों के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट की गई है । उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

श्रीलंका से भारतीय प्रत्यावर्तियों की संख्या का बढ़ जाना

3300. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका से अधिक भारतीय नागरिकों का प्रत्यावर्तन करने के बारे में श्रीलंका की नई सरकार द्वारा की गई हाल की घोषणा की ओर दिलाया गया है जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) जी हां, सरकार ने अखबार की खबर देखी है ।

(ख) भारत और श्रीलंका की सरकारें 1964 के भारत-श्रीलंका करार को क्रियान्वित करना चाहती हैं और आवश्यक कार्यविधियां तैयार कर ली गई है । अभी कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । लेकिन दोनों सरकारें इस बात का ध्यान सुनिश्चय करने के लिए एक दूसरे से बराबर सलाह मशविरा कर रही हैं कि इस करार को सहज और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जाए ।

सैनिक सूचना

3301. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक सेनानिवृत्त मेजर जनरल द्वारा लिखित लेख "सैनिक आसूचना" की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने आसूचना विभाग की आकार्य कुशलता तथा असफलताओं पर और आन्तरिक तथा वाह्य आसूचना कार्य में अन्तर पर प्रकाश डाला है और इस बारे में कुछ सुझाव दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को लेखक द्वारा व्यक्त किए गए व्यक्तिगत विचारों के विषय में कुछ नहीं कहना है । गुप्तचरी सूचना एकट्ठी करने, आंकने और बिखेरने के लिए प्रबन्ध का काफी सुधार किया गया है और तन्त्र की क्षमता को अधिक बढ़ाना एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

Burning down of Indian National Flag in Saigon

3302. **Shri Janeshwzr Misra :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Dr. Sushija Nayar :
Shri S. M. Krishna :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that as a protest against Madame Binh's visit to India, the students in Saigon attacked the Indian Consulate General there and burnt the Indian National Flag ; and

(b) if so, the action taken by Government of India in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) : A full statement on this incident was made in this House on 29th July, 1970 in response to a Calling Attention Notice.

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल

3303. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 सितम्बर 1970 को लुसाका, जाम्बिया में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल में प्रधान मंत्री के अलावा विदेश मन्त्री, विदेश सचिव, विदेश व्यापार सचिव, प्रधान मंत्री के सचिव, प्रधान मन्त्री सचिवालय तथा विदेश मन्त्रालय के अन्य अधिकारी एवं गुट मुक्त देशों से हमारे कुछ राजदूत होंगे ।

देश में सिंचाई की आवश्यकता

3304. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की समस्या को हल करने को भारत ने जितनी तत्परता दिखाई थी अब वह यह कार्य उतनी तत्परता से नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्तमान योजनाओं में सिंचाई में 22 प्रतिशत से 45 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव है जबकि देश में आगामी 15 वर्षों में सिंचाई के विस्तार में पांच गुनी वृद्धि होनी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) विभिन्न योजनाओं में वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय शनैः शनैः बढ़ रहे हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :—

	करोड़ रुपये में
योजना परियोजनाओं पर योजना पूर्व व्यय	80
प्रथम योजना	300
द्वितीय योजना	380
तृतीय योजना	576
1966-67 से 1968-69 तक	429

चतुर्थ योजना के मसौदे में 857 करोड़ रुपये का परिव्यय बताया गया था। अंतिम रूप प्राप्त योजना में योजना आयोग ने राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके 953.8 करोड़ रुपये तक का परिव्यय कर दिया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम में भी, जिनका प्रशासन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है, काफी मात्रा में परिव्यय प्रस्तावित किये गये हैं।

(ग) तथा (घ) वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से कुल सिंचित हो सकने वाला क्षेत्र; जिसमें लघु सिंचाई कार्य भो सम्मिलित हैं, लगभग 2000 लाख एकड़ अर्थात् कुल बोवाई क्षेत्र का 52 प्रतिशत होना संभावित है। 1968-69 के अन्त तक 24% प्रतिशत उपलब्धि आंकी गई है जो चतुर्थ योजना के अन्त तक बढ़कर 29% हो जाएगी।

ऐसी आशा है कि साधनों कि स्थिति को देखते हुए पांचवीं और उसके बाद की योजनाओं में अधिक बड़े परिव्यय रखे जा सकेंगे जिससे कि शेष सभो सिंचाई शक्यता की दो या तीन योजनावधियों के भीतर प्रयोग में लाया जा सकेगा।

भारतीय नौ सेना के कर्मचारियों के स्तर को बनाये रखना तथा उनका प्रशिक्षण

3305 **श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ सेना के कर्मचारियों के स्तर को ठीक ढंग से बनाये रखने तथा उनके प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में तथा नौ सेना के हाल को उपिलब्धयों के समिकीकरण के संबंध में क्या कार्यवाही को गई है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : आवश्यकता पड़े तो विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए नौ सैनिक सेविवर्ग को एक सीमित संख्या को विदेश भेजा जाता है। यह सेविवर्ग देश में और दलो के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र विन्दु बनता है अफसरों और नाविकों के प्रशिक्षण के हमारी नौ सेना लगभग आत्मनिर्भर है।

(ग) हाल में प्राप्त किए नौसैनिक, वैज्ञानिक साज सामान की देखरेख, प्रशासन और प्रशिक्षण चलाने के लिए सरकार ने विशाखापत्तनम, बम्बई और गोवा में एक विशिष्ट सम्मिश्रण प्रशिक्षण की स्थापना के लिए सरकार ने पहले से अनुमति दे रखी है। इन योजनाओं को शीघ्र सम्पूर्ति की ओर सतर्कतापूर्वक ध्यान दिया जा रहा है।

Setting up of Thermal Power Station in Madhya Pradesh

3306. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of proposals received by the Central Government for setting up of thermal power stations in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether the said proposals include any proposal for setting up of a thermal power station in Makakoshal area ; and

(c) if not, the reaction of the Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : Only one proposal has been received from Madhya Pradesh regarding the expansion of thermal generation capacity in the State. This proposal relates to the extension of the Korba Thermal Power Station in Mahakoshal area.

(c) Does not aise.

Rate of Economic Development in Madhya Pradesh

3308. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Prome Minister** be pleased to state :

(a) the rate of economic development in Madhya Pradesh and whether it is much less in comparison to the size of the State ;

(b) if so the steps being taken to accelerate the pace of economic development in the said State ; and

(c) whether any special programmes have been included in the Fourth Five Year Plan for this purpose ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) It is not possible to indicate comparative rates of growth of various states as comparabie estimates of State income are not available for series of years.

(b) and (c) : The Fourth Plan of Madhya Pradesh has been fixed at Rs.393 crores. In addition, an outlay of about Rs.200 crores has been provided during the Fourth Plan for continuing new Projects on various Central Industrial and minerals schemes in Madhya Pradesh. If with the help of these investments, detailed Plans schemes/programmes are adopted to suit the local conditions and potentials, it would help in accelerating the development in the State.

Setting up of Handloom Finance Corporation

3309. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Mahya Pradesh Government have requested the Central Government to set up a Handloom Finance Corporation and is so, when and whether any action has been taken thereon and;

(b) If no action has been takan, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Warships Stationed by Foreign Countries in Indian Ocean

3310. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the countries which have stationed their war-ships in the Indian Ocean as also the number of war-ships stationed by each country and the motive thereof ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jag jiwan Ram) : (a) The United Kingdom, France and U. S. A. have stationed Naval ships in the Indian Ocean. The precise strength of their fleet is not known. Their motive is apparently to protect their interests in their area and keep a watch on the activities of other maritime Powers.

(b) As stated repeatedly on the floor of the House, Government would like the Indian Ocean area to remain free of tension and a zone free of unclear weapons. It is, however, not feasible to prevent or interfere with the movement of foreign warships on the high seas.

Land Under Irrigation

3311. **Shri Meetha Lal Meena : Shri N. Shivappa :**
Shri Janeshwar Mtsra :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land in the country at present covered under irrigation, Statewise , and

(b) the acreage of land likely to be brought under irrigation during the Fourth Five Year Plan, Statewise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b) A statement giving the State-wise area under irrigation from major and medium irrigation projects, at the end of 1968-69 and the—creage of land proposed to be brought under irrigation from these projects in the Fourth Plan is attached.

Statement

Statement showing area under irrigation from major and medium schemes

'000' acres

Serial	State	Benefits to end of 1968-69 (including Pre-Plan irrigation)		Additional benefits during Fourth Plan	
		Potential	Utilisation	Potential	Utilisation
1.	Andhra Pradesh ..	5994	5611	1554	1020
2.	Assam	208	208	128	82
3.	Bihar	4607	3307	2594	2519
4.	Gujarat	1154	812	864	864
5.	Haryana	2276	2213	371	247
6.	Jammu and Kashmir ..	153	150	39	25
7.	Kerala	834	834	294	274
8.	Madhya Pradesh ..	2324	1688	889	773
9.	Maharashtra	1541	1188	939	766
10.	Mysore	1967	1753	235	309
11.	Orissa	2695	2605	642	469
12.	Punjab	5791	5779	62	22
13.	Rajasthan	2550	2296	716	519
14.	Tamil Nadu	3594	3541	173	173
15.	Uttar Pradesh	7412	7198	1679	1111
16.	West Bengal	2714	2599	593	445
	Total	45,814	41,782	11,772	9,618

विकासशील देशों में क्षेत्रीय व्यापार में उदारता तथा क्षेत्र विशेष के विकसित तथा मुद्रा सम्बन्धी सहयोग

3312. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों के लिये आर्थिक आयोग ने, विकासशील देशों के क्षेत्रीय व्यापार में उदारता सम्बन्धी योजनाओं तथा विकासशील एवं विकसित देशों में मुद्रा सम्बन्धी सहयोग पर विचार विमर्श हाल ही में आरंभ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं और इन योजनाओं में भारत किस प्रकार से और कितना भाग ले रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : दिसम्बर, 1968 में हुए एशियायी आर्थिक सहयोग के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में किए गए निर्णयों के अनुसरण में एशिया तथा सुदूरपूर्व देशों के आर्थिक आयोग के बैठक में इस पर बहुत सी चर्चायें हुई और कई अध्ययन किये गए। इन चर्चाओं और अध्ययनों के आधार पर एशिया तथा सुदूरपूर्वी देशों के आर्थिक आयोग के विशेषज्ञों ने व्यापार एवं मुद्रा सम्बन्धी सहयोग के कई प्रस्तावों को रूप दिया और प्राथमिक विचारार्थ सदस्य-सरकारों को भेज दिया।

(2) इन प्रस्तावों पर विचार करने में मदद देने के लिए, उन पर विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के दृष्टिकोण का पता लगाने और उनमें अन्तर्निहित तकनीकी बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए आयोग (इकाफे) का एक परामर्शदात्री मिशन इस समय उक्त भूविभाग के देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे है। मिशन ने 8 अगस्त, 1970 से 12, अगस्त, 1970 तक नई दिल्ली का दौरा किया। इत मिशन के नेता येल विश्व विद्यालय के प्रो० रोबरट्रिफिन थे।

क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धी प्रबन्ध के प्रस्ताव

(3) प्रस्तावित व्यापार प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार में विकास के जरिये क्षेत्र के अतिरिक्त निर्यात माल से सदस्य देशों के आयात की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले देशों के आर्थिक विकास में तेजी लाना है।

(4) इकाफे मिशन और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल के बीच हुई चर्चाओं के दौरान प्रस्तावित व्यापार प्रबन्ध के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। मिशन को यह सुझाव दिया गया था कि समुचित क्षेत्रों में उत्पाद को बढ़ाने एवं व्यापार प्रबन्धों में सहयता मिलने हेतु एक वाणिज्यिक और परिवहन सम्बन्धी नींव को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया था कि प्रबन्ध यथासम्भव विस्तृत आधार पर किया जाना चाहिये और भाग लेने वाले सभी देशों के लिए पारस्परिक लाभकारी भी होना चाहिए। इस हद तक विस्तृत क्षेत्रीय कार्यों और उप-क्षेत्रीय कार्यों को समन्वित करने के लिए आवश्यक उपाय सोचे जाने चाहिए। एशियायी बाजार में भारत के माल के निर्यात सम्बन्धी खास कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला गया और यह आशा व्यक्त की गई कि क्षेत्रीय प्रबन्ध से यह समस्या सुलझ जाएगी। चर्चा के दौरान इस बात की ओर भी संकेत किया गया था कि जब कि भारत में पूंजीगत माल के आयात की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है, अर्द्धनिर्मित वस्तुओं और कच्चे माल के आयात को बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय मुद्रा सहयोग के प्रस्ताव

(5) मुद्रा सहयोग संम्बन्धी इकाफे के प्रस्ताव में (क) एशियायी लेखा समंजन योजना और (ख) एशियायी रिजर्व योजना आती हैं। लेखा समंजन योजना के अन्तर्गत, आने वाले देशों के लेन-देन सम्बन्धी लेखा-जोखा रखा जायगा और नियमित अन्तराल में प्रत्येक देश के हानि खाते और जमा खाते की गणना की जाएगी। रिजर्व योजना का लक्ष्य है भाग लेने वाले देशों को उनकी कर्ज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वनिर्णय पर ऋण दिया जाना।

(6) इकाफे मिशन के साथ हुई चर्चा में तकनीकी विषयों का विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया और दो योजनाओं के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में आपस में विचार-विमर्श किया गया। मिशन को यह समझा दिया गया कि लेखा-समंजन योजना के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत, भाग लेने वाले सभी देशों के बीच हो रहे सभी अन्तर्क्षेत्रीय लेन-देन आ जाना चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया कि व्यापार के विकास और मुद्रा सहयोग के प्रस्तावों के बीच सुस्पष्ट सम्बन्ध रहना चाहिए।

अन्य कार्यक्रम

(7) आशा की जाती है कि मिशन अपनी यात्रा की समाप्ति के बाद प्रत्येक देश के विचारों के आधार पर व्यापार और मुद्रा सहयोग पर अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगा। अंतिम प्रस्तावों पर विभिन्न देशों द्वारा विचार किया जाएगा और उसके बाद इकाफे के तत्वावधान में इस वर्ष के अन्त में सरकारी और सेन्ट्रल बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक में विचार किया जाएगा।

अलकनन्दा दुर्घटना

3313. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन को 20 जुलाई को प्रात: को यह समाचार मिल गया था कि बद्रीनाथ तथा चमोली के बीच सड़क सड़क-ब्लाकों द्वारा अवरुद्ध हो गई थी ;

(ख) यातायात को फौरन रोका क्यों नहीं गया और उसे बेला कूची की ओर क्यों बढ़ने दिया गया ;

(ग) सड़क को शीघ्रता से साफ क्यों नहीं किया गया ;

(घ) क्या यह भी सच हैं कि सीमा-सड़क कर्मचारी दिन का काम 4 बजे बन्द करके चले गये थे ;

(ङ) क्या लापरवाही के आरोपों की कोई जांच की गई हैं, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) ऋषीकेश-जोशीमठ सड़क पर यातायात का नियंत्रण राज्य पुलिस प्राधिकारी करते हैं। बेलाकूची यायायात पुलिस को सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने बेलाकूची के निकट भूस्खलन के सम्बन्ध में सूचना 20 जुलाई 70 को सबेरे दे दी थी। उन्होंने यह भी सूचित कर दिया था कि अवरोधों को उसी दिन अपरान्ह तक साफ कर दिया जायगा। पता चला है कि यातायात पुलिस की टेलीफोन संचार की व्यवस्था, बेलाकूची और जोशीमठ के बीच अस्तव्यस्त हो गई थी।

(ग) भूस्खलन की सफाई के कार्य को तत्परता से हाथ में लिया गया। बेलाकूची के निकट तीन भू स्खलन हुए थे। जोशी मठ की ओर से एक 10.00 बजे साफ कर दिया गया था। पिपला कोठी की ओर के दो भूस्खलनों को 14.30 बजे साफ कर दिया गया था। तीसरा भूस्खलन साफ किया जा रहा था तभी भारी वर्षा ने कार्य में बाधा डाली फिर भी मनुष्यों तथा मशीनों के द्वारा प्रयास जारी था किन्तु उसके उपरान्त भारी मलवे और पत्थरों के ऊपर से गिरने के कारण कार्य को छोड़ना पड़ा।

(घ) सीमा सड़क कर्मचारी 18.00 बजे तक कार्य लगातार करते रहे जब कि कार्य को भाग (ग) के उत्तर में दिए गए कारण की जगह से बन्द करना पड़ा।

(ङ) घटना के तुरन्त बाद महानिदेशक सीमा सड़क मुख्यालय से एक वरिष्ठ अफसर को भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार सीमा सड़क कर्मचारियों ने सड़क अवरोधों का साफ करने मैं कोई ढ़िलाई नहीं की हैं।

परमाणु दुष्प्रभाव और युद्ध सम्बन्धी गतिविधियों से हिन्द महासागर को बचाने के लिए संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही

3315. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार तथा मारिशस सहित अन्य एशियाई देशों द्वारा ऐसो क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे हिन्द महासागर की परमाणु दुष्प्रभाव से और अन्य देशों को युद्ध सम्बन्धो गतिविधियां से मुक्त रखा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सामूहिक रूप से या अन्य प्रकार से इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं और इस प्रयास में कितने देश सहयोग कर रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार हिंद महासागर को 'शांत क्षेत्र' बनाने के पक्ष में है। सरकार अगले महीने लुसाका में गुटमुक्त राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विमर्श करने का इरादा कर रही है।

झुंझुनू के भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान में भूमि का दिया जाना

3317. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के झुंझुनू में ऐसे भूतपूर्व जवानों की संख्या कितनी है, जिन्होंने प्रतिरक्षा सेना में सेवा की है, और जो अब बेकार हैं ;

(ख) सरकार ने उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि इस जिले में लगातार सूखा पड़ने से स्थिति और भी अधिक बिगड गई है, क्या कार्यवाही राजस्थान में की है, और

(ग) क्या सरकार ने भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों को खेती के लिए भूमि देने के लिए कोई योजना बनाई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा) : (क) और (ग) : सूचना राज्य सरकार से मांगी गई हैं और जब भी प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनारावास के लिए सरकार ने बिभिन्न पग उठाए हैं। उनके संबंध में समय समय पर सदन को सूचित किया गया है।

Confirmation of Senior Investigators in the Central Statistical Organisation

3318. **Shri Molahu Prashad** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10421 on the 20th May, 1970 and state :

(a) whether the case regarding the confirmation of Senior Investigators in the Statistical Department of the Central Statistical Organisation which was under consideration for the last two years, has since been disposed of ;

(b) if so, whether a copy of the orders regarding the confirmation of Senior Investigators would be placed on the Table of the House ;

(c) if not, the reasons for so much delay ; and

(d) the date by which this case is likely to be disposed of ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The various points arising in this case are being examined in detail in consultation with Departments concerned and this has taken time.

(d) While it is not possible to spefcify any definite date by which the case is likely to be disposed, of, attempts will be made to finalise the case as early as possible.

देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की योजना

3320. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत समय तक नहीं बनी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है;

(ग) क्या योजना के लक्ष्यों में कुछ परिवर्तन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) प्रधान मंत्री ने यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखत रीति से विशिष्ट रूप में कोई वक्तव्य नहीं दिया है पर उन्होंने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी हमारी अर्थ व्यावस्था की एक गंभीर समस्या है और इसलिए उसका समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये कार्यक्रमों से तथा ग्रामीण निर्माण कार्य क्रम जैसी अन्य स्कीमों से जो कि योजना के बाहर हैं, आशा है पर्याप्त रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। हाल में इस विषय में राज्यों से विशेष विचार विमर्श किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहे, कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा करते रहने के लिए कदम उठाये गये हैं।

(ग) और (घ) : चौथी पंचवर्षी योजना (1969-74) जो कि सभा पटल पर रखी जा चुकी है, उससे देखा जा सकता है कि योजना को सुधारते समय कुछ श्रम सघन कार्यक्रमों के लिए किये गये उपबन्ध को बढ़ा दिया गया है।

Manufacture of T. V. Sets and their Prices

3321. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the locations of factories where television sets are being manufactured and the number of sets being manufactured, each month, by each of them ;

(b) the different sizes of the television sets manufactured so far as also the prices of each of the said sets ; and

(c) whether Government have taken any decision to supply television sets at cheap rates and if so, the details thereof ?

The Minister of State, in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) The four factories manufacturing television receivers are :

(i) Messrs. J. K. Electronics, Kanpur.

(ii) Messrs. Telerad Bombay.

(iii) Messrs. Polestar Bombay.

(iv) Messrs Telestar Delhi.

Messrs. Polestar and Messrs Telestar have just gone into production. Messrs. Telerad went into production in March 1970 and had till end of July 1970 produced 500 television receivers. Messrs J. K. Electronics have been in production for 1½ years and have made 3529 television receivers upto the end of July 1970. They made 2408 television receivers upto the end of March 1970 and 1121 television receivers between April to July this year.

(b) Till recently only 23" screen television receivers have been produced which have been priced at Rs.1,900 each. Television receivers of 19" screen size have also now come in the market. These are priced at Rs.1,575 each. The prices are exclusive of taxes.

(c) some of the important steps being taken by Government to bring down the prices of Television receivers are :

(i) manufacture of larger number of television receivers in economic quantities in each unit ;

(ii) production of television receivers of transistorised type with smaller screens of size 12" to 16" ;

(iii) gradual reduction in the prices of electronic components, which account for a substantial portion of the cost of television receivers by setting up large scale production.

सरकारी क्षेत्र में काजू का उत्पादन

3322. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक काजू निगम की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं और उसके कृत्य क्या हैं ;

(ग) निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी है ;

(घ) क्या काजू जैसे सभी गिरीफलों का आयात इसी निगम के माध्यम से किया जायेगा ; और

(ङ) यह निगम कब से काम करना शुरू कर देगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रु० तथा प्रदत्त पूंजी 50 लाख रु०।

(घ) जी हां।

(ङ) सही तिथि का बताना कठिन है लेकिन निगम शीघ्र ही कार्य करना आरंभ कर देगा

ब्रिटेन तथा अमरीका स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में कमी और रूस तथा भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

3323. **श्री मयावन :**
श्री दंडपाणि :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विदेशों में स्थित अपने विभिन्न मिशनों की स्थिति का इस दृष्टि से पुनर्विलोकन कर रही है कि वहां पर सम्पूर्ण कर्मचारी ढाँचे का भारतीयकरण हो जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन और अमरीका में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है ; यदि हां तो कितनी संख्या कम की गयी है।

(ग) क्या भारत सरकार ने रूस में अपने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया है; यदि हां तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) विदेशों में स्थित मिशनों में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने से कुल कितनी बचत होगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। विदेश स्थित सभी मिशनों में अमले को युक्तियुक्त बनाने और उसमें फेर-बदल करने पर निरंतर विचार किया जाता रहता है।

(ख) अमरीका और यूनाइटेड किंगडम में विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत आस्थानी और स्थानीय कर्मचारियों में हाल ही में जो छंटनी की गई है उसका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

अमरीका और यूनाइटेड किंगडम स्थित हमारे मिशनों के पदों में की गई छटनी का विवरण

यूनाइटेड किंगडम :

भारत आस्थानी

वित्तीय सलाहकार	–	एक

स्थानीय

उच्च कार्यकारी अधिकारी	–	दो
कार्यकारी अधिकारी	–	एक
लिपिकीय अधिकारी	–	आठ
आशुलिपिक टंकक	–	एक
टाइपकार	–	एक
उप कार्यालय पाल	–	एक
टेलीफोन आपरेटर	–	दो
संदेशवाहक	–	छः
लिफ्ट-परिचर	–	एक
पैकर	–	एक
रात्रि चौकीदार और श्रमिक	–	दो
महिला क्लीनर्स	–	तीन

अमरीका :

वाशिंगटन

भारत आस्थानी

द्वितीय सचिव	–	एक
सहायक	–	एक

स्थानीय

अनुसंधान सहायक	–	एक
स्विच बोर्ड आपरेटर	–	एक
कनिष्ठ क्लर्क	–	दो
हाउस कीपर	–	एक

इस मंत्रालय के विदेश सेवा निरीक्षणालय द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत के प्रधान कोंसुलेट, न्यूयार्क और भारत के स्थायी मिशन, न्यूयार्क के कर्मचारियों की संख्या के बारे में भी समीक्षा की जा रही है और इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सम्भवतः शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा।

सिले हुए कपड़ों का निर्यात

3325. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में सिले हुए कपड़ों की बहुत अधिक मांग है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को सिले हुए कपड़ों का निर्यात किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(घ) सिले हुए कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) अधिकांश निर्यात सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, फ्रास स्विटजरलैंड, स्वीडन, कनाडा, तथा कुछ अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को होते हैं।

(ग) संबद्ध आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	(मूल्य लाख रुपये में)
1967	325.6
1968	542.2
1969	826.1

(घ) निर्यात किये जाने वाले सिले सिलाये परिधानों की किस्में	देशों के नाम
कमीजें, पैंट आदि, निशा-परिधान, खेलकूद तथा कैजूअल वीयर तथा उद्योग संबन्धी परिधान।	फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कुछ पूर्व अफ्रीकी देश, कुवैत तथा बहरीन।

(ङ) सिले-सिलाये परिधानों के निर्यातों में वृद्धि लाने के लिये किये गये उपायों में से कुछ ये हैं :

(1) आयात- निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई द्वारा अग्रिम लाइसेंसों के मामलें को निपटाने के लिये विशेष व्यवस्थाएं।

(2) सिले-सिलाये परिधानों से संबंधित समूचे निर्यात संवर्धन का सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद में केन्द्रीयकरण।

(3) रंजकों व रसायनों तथा अलंकरणों के लिये हकदारी को 7 1/2% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है।

एक विदेशी होटल के 'एम्पायर रूम' में अशोक चक्र के चिन्ह का प्रयोग

3326. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 जुलाई, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में दी एम्पायर रूम' शीर्षक के अन्तर्गत छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका के लोस एन्जिलस में विल्टमोर होटल में जो 'एम्पायर रूम' का चिन्ह है वह भारत के अशोक चक्र के सदृश्य है ; और

(ग) क्या भारत सरकार उचित स्तर पर इस मामले को उठाने की वांछनीयता पर विचार करेगी जिससे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का ऐसा अवांछनीय उपयोग रोका जा सके ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : संयुक्त राज्य अमरीका स्थित अपने राजदूतावास से तथ्यों की पुष्टि करने और, अगर जरूरत हो तो इस मामले को संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिए कहा जा रहा है।

श्रीमती बिन्ह द्वारा परमाणु शक्ति प्रतिष्ठान का निरीक्षण

3327. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीमती बिन्ह ने बम्बई स्थित परमाणु शक्ति प्रतिष्ठान का दौरा किया था ;

(ख) क्या उस देश के कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान दिखाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी सरकारों के, जिनके साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं, प्रतिनिधियों को गोपनीय स्थान दिखाने की परम्परा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तांबा निकाले जाने और परमाणु शक्ति के उत्पादन में पूंजीगत लागत में कमी करने के लिये परियोजनायें

3328. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु शक्ति आयोग ने दो परियोजनाएं तैयार की है एक तांबा निकालने के लिये और दूसरी परमाणु शक्ति उत्पादन के पूंजीगत लागत में कमी करने के लिये ;

(ख) यदि हां, तो इन दो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय कितना है ; और

(घ) इन्हें कब तक शुरू किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : परमाणु ऊर्जा आयोग ने तांबा निकालने के लिये कोई योजना नहीं

बनाई है। तथापि, निम्न ग्रेड के धातुक से तांबा निकालने के लिये शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोटों की सम्भावनाओं तथा उनके आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जा रहा है। परमाणु बिजली के उत्पादन के बारे में आयोग के प्रस्ताव आयोग की "परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान-1970-80 दशाब्दी का कार्यक्रम" नामक पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

पाकिस्तान में हिन्दू अभिशाप को समाप्त करने के लिये अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान का तथाकथित महासंघ

3329. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में हिन्दू अभिशाप को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान का विचार अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के महासंघ में सम्मिलित होने का है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजनाओं के कारण ही भारतीयों का पाकिस्तान में रहना असम्भव हो गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध मे यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार के किसी ऐसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा तैयार को गयी टेलीविजन वृत्तचित्रों में भारतीय समाज के बारे में अप्रिय उल्लेख

3330. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान गत जून, 1970 में प्रदर्शित किये गये ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के "भटका हुआ महादेश भारत" (इन्डिया दी बिविल्डर्ड जायंट) नामक टेलिविजन वृत्तचित्रों की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय समाज के बारे में अशोभनीय उल्लेख है और भारत के "छत्रपति शिवाजी" जैसे राष्ट्रीय वीरों के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है तथा उसमें भारत के चित्र को बिल्कुल ही विकृत करके दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने बी० बी० सी० और यूनाइटेड किंगडम सरकार दोनों की सूचना दे दी है कि वह बी० बी० सी० टेलिवीजन पर ऐसे फिल्मों को दिखलाया जाना अच्छा नहीं समझती है। सरकार ने भारत में बी० बी० सी० के काम काज के बारे में भी कार्रवाई शुरू की है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रेलवे का उपकरणों का निर्यात

3331. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री रा० की० अमीन :**
डा० म० संतोषम : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री कु० मा० कौशिक : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने रेल के उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम का आगामी दो वर्षों में निर्यात-लक्ष्य कितना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) निगम ने निर्यात की संभावनाओं तथा संभाव्य क्रेताओं की आवश्यकता का एक योजनाबद्ध अध्ययन आरंभ किया है, इन देशों में जाकर रेलवे प्राधिकारियों से वैयक्तिक संपर्क स्थापित किये हैं । वाणिज्यिक जानकारी तथा पृष्टभूमि आंकड़े एकत्रित किये हैं और यह देखने के लिये कि भारत उन्हें क्या प्रदान कर सकता है प्रतिनिधिमंडलों को भारत आने के लिये आमन्त्रित किया है ।

(ग) 1970-71 के लिये 8 करोड़ रुपये मूल्य के रेल उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 1971-72 में निर्यात इससे काफी होने की आशा है ।

रूस और पाकिस्तान के मध्य व्यापार स्थल मार्ग

3332. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री रा० की० अमीन :**
डा० म० संतोषम् : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकिस्तान के राष्ट्रपति याहया खां ने हाल ही में मास्को का दौरा किया था;

(ख) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति और रूस के नेताओं के मध्य रूस-पाकिस्तान व्यापार स्थल मार्ग खोलने के बारे में कोई विचार विमर्श हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे भारत के हितों पर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 22 जून से 26 जून 1970 तक सोवियत संघ की यात्रा की थी ।

(ख) यात्रा के बाद जारी की गई सोवियत पाक संयुक्त विज्ञप्ति में बातचीत के दौरान इस विषय पर विचार विमर्श का कोई उल्लेख नहीं है ।

(ग) भारत सरकार क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा व्यापार बढ़ाने को इच्छुक है तथा सोवियत संघ इरान, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और नेपाल के बीच थल मार्ग से भेजने और व्यापार के लिए समझौतों के प्रस्ताव का हमेशा समर्थन करती रही है, पाकिस्तान के इस आग्रह के कारण कि भारत को प्रस्तावित समझौते से अलग रखा जाए, इस विषय में कोई प्रगति नहीं हो सकी है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने के बारे में भूटान के साथ बातचीत

3333. डा० म० संतोषम् : श्री ई० के० नायनार :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री ने हाल ही में भूटान की यात्रा की थी तथा उनकी वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां तो क्या भूटान के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के प्रश्न पर भी विचार विमर्श हुआ था; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भूतपूर्व विदेश मन्त्री, श्री दिनेश सिंह मई 1970 में भूटान गए थे और वहां प्राधिकारियों से बातचीत की थी।

(ख) जी हां।

(ग) श्री दिनेश सिंह ने भारत सरकार का यही रवैया दुहराया कि जब भूटान संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की जिम्मेदारियों और दायित्वों को सम्भालने की इच्छा प्रकट करेगा तब इस सदस्यता के लिए उनके नाम का प्रवर्तन करके भारत को प्रसन्नता होगी।

हिन्द चीन में रूस द्वारा प्रतिसंतुलन बनाये रखने के लिये कार्यवाही

3334. श्री पीलू मोडी : श्री गडिलिंगन गौड :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई 1970 के "हिन्दू" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन रूस पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि साम्यवादी शक्तियाँ, सम्पूर्ण हिन्द-चीन की स्थिति के संदर्भ में कम्बोडिया में तथाकथित अमरीकी हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिसंतुलन बनाये रखने के लिए कार्यवाही करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मास्को अथवा पेकिंग में अपने राजनयिक सूत्रों से इस संबन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने 27 मई 1970 के हिन्दू में प्रकाशित रिपोर्ट को देखा है, परन्तु इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

छावनी बोर्ड वोलशिविरों में कर की बढ़ी हुई दरों को लागू करना

3335. श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 4 मार्च 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी वोर्ड योल-शिविरों से करों को लागू करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं : और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है क्या सरकार ने जनता द्वारा किये गये अभ्यावेदनों के संदर्भ में इन प्रस्तावों पर विचार किया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में जीव विज्ञानीय प्रयोगशाला का स्थापित किया जाना

3336. **श्री हेमराज : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) योजना आयोग द्वारा और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किन बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है ; और

(ख) क्या उनमें से एक परियोजना पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में जीवविज्ञानीय प्रयोगशाला की स्थापना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) सी० एस० आई० आर० के चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किये गये मुख्य प्रोजेक्ट्स (परियोजनाओं), जिनको योजना आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया हैं, का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित सी० एस० आई० आर० की बड़ी परियोजनाओं का प्रस्ताव

निम्नलिखित नवीन परियोजनायें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली जायेंगी :—

इलेक्ट्रोनिक्स तथा ट्रानजिस्टर उद्योग के लिये सामग्री जैसे अर्धचालक स्तर के सिलिकोन एन० पी० एल० में और संश्लेशित क्वार्टस क्रिस्टल्स केन्द्रीय कांच और सेरेमिक अनुसंधान संस्थान में।

(2) केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी में दूरदर्शन प्रकार के जैनरेटर, औद्योगिक दूर-दर्शन कैमरा, दूरदर्शन ओस्सिलिस्कोप सेवा, तथा माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स का अध्ययन आदि कार्यों का विकास।

(3) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन मैं निर्वात सिस्टम, प्रतिध्वनित एनसीफेलोग्राफ, प्राश्रव्य थेरेपि यूनिट, मरीज मोनेटरिंग सिस्टम, हृदयी थियेरेप्यूटिक उपकरण आदि के ऊपर विकास कार्य।

(4) केन्द्रीय यान्त्रिक इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर में उर्वरक और उद्योगों के लिये उच्च दबाव की वाहिकाओं, खाद्यपदार्थों के वातानुकूलित यातायात के लिए सिस्टम और उपकरण, इलेक्ट्रोनिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन्स आदि का विकास।

(5) संरचना इन्जीनियरी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की: संचार लाइनों की मीनारों, सूक्ष्म तरंग मीनारों, तथा स्वचालित मीनार परीक्षण केन्द्र, मशीन स्थापना, गगनचुम्बी भवनों,

अन्न भन्डारों की संरचना, केन्द्र की दबाव वाहिका के पूर्व ढलित व पूर्वनिर्मित न्यून भार के नमूने ।

(6) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की : ईंटों के यांत्रिकीय उत्पादन के लिये मिट्टी परीक्षण प्रोजेक्ट, क्लोटेड मिट्टी समुच्चय के लिये मूल्यांकन और प्रक्रम ।

(7) राष्ट्रीय भूभौतिकिय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद : भूभौतिकिय तकनीकी का प्रवेक्षण, प्रवेक्षण के सहायतार्थ भू-रासायनिक उपायों से संबन्धित कार्य ।

(8) राष्ट्रीय महासागर संस्थान, गोआ : एक ओषेनोग्राफिक जहाज को प्राप्ति, खनिज निक्षेपों के विशेष संदर्भ के साथ तटीय और ओषेनोंग्राफिक अध्ययन ।

(9) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना : प्रैटोकैमिकल्स उद्योग के उप उत्पाद के आधार पर जैव-रसायन आयतन प्रक्रिया विकास कार्य, सल्फोक्लोरीनेटेड पालीथिलिन और पोलियोलेफिन इलेस्टोमीटरस, थिकोल रबर, गीली और गली सूत के नोन-सिलोलोसिक रेशे, ताप प्रतिरोधी ब्लेक ओरलोन, की किस्म के सिरेमिक रेशे, छोटे टनेज पोलिमर्स का विकास, कीटाणु नियंत्रण के लिये कमिस्ट्रलैन्टस का अध्ययन ।

(10) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोग शाला, जोरहट में सीमेंन्ट उत्पादन के लिये आसाम कोल की प्रयुक्ति, ईंधन की गैसों के द्वारा गंधक की प्राप्ति ।

(11) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में कीटाणुमारक प्रक्रिया का विकास, विशेष प्रकार के राल, पोल्यूरेथन लेप और आसंजक, टोल्यून डाइसोसीनेट, अपघर्षकों का संश्लेषण ।

(12) केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान : मैंगनिशियम धातु का विद्युतअपघटनी उत्पादन के लिये मार्गदर्शक संयत्र, एनोडिक फासफेटिंग, एलमूनियम कैपिसिर्टस और एमिनोग्यूनिडाइन बाईकार्बोनेट निक्षारण के लिये विद्युत अपघटनी सैल के नमूने तैयार करना ।

(13) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान : स्नेहक तेलों के लिये कच्चे तेल की प्रक्रिया, उष्मीय रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा भारी जलने वाले तेल से हल्का और मध्यम कोटि का आसुत, साबुन के लिये मोमी शेषांशों से चर्बीदार अम्ल का उत्पादन, डेटरजेन्ट (अपमार्जक), रबर और वस्त्र रसायन के उद्योग, पैट्रोलियम प्रभाजकों का हाइड्रो-प्रोसेसिंग, उत्प्रेरक संशोधन और अधिक बलशाली पोलिस्टीन का उत्पादन ।

(14) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जियलगोरा : धातुकर्म, औद्योगिक और घरेलू प्रयोग के लिये निर्मित कोक को बनाने के लिये मार्ग दर्शक संयत्र 350 केजी प्रतिघंटे वाला तरल दहन बोयलर, कोयले से उर्वरक उत्पादन करने के लिये एक मार्ग दर्शक संयत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है ।

(15) राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में लेटैंराइटिक और दूसरे निम्न श्रेणी के कच्चे खनिज से निकिल, फ्लोरसपार से क्राइलाइट का उत्पादन, मैंग्नीशियम (250 टन प्रतिवर्ष की क्षमता) का उत्पादन और धातुकर्म के लिये विशेष धातुओं और मिश्रधातुओं के ऊपर धातुकर्म के लिये सुविधायें जुटाना तथा उच्च ताप क्रोप टेस्टिंग के कार्य ।

(16) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर : खनिज लोहे से लोह पिन्डों के उत्पादन के लिये पांच टन का प्रयोगात्मक संयत्र । क्रोमाइट और खनिज बारीक मैग्नीज, हाइड्रो-मैटिलोजिकल उपकरण का विकास, घूमनेवाले निर्वात फिल्टर्स बारीक खनिज के हाइड्रोलिक परिवहन का प्रयोगस्तरीय अध्ययन ।

(17) केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता : वर्तमान प्रकाशीय कांच प्लांट का विस्तार, विकिरण परिरक्षक खिड़कियां केन्द्रक भट्टियों के लिये, इलेक्टोनिक सिरेमिक उपकरण, पुर्नगठित अभ्रक कागज का उत्पादन, संघारित्रों के लिये कांच युक्त अभ्रक, स्पात ढालने के लिये जिरकोन रिफ्रेक्टरीज का विकास, आई-डी परिवर्तकों के लिये बेसिक रिफ्रेक्टरीज ।

(18) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधानशाला, मैसूर: राइस मिलिंग दाल मिलिंग मसाले निष्कर्षण और ओलियोरसिन्स के उत्पादन के लिये प्रोटोटाइप मार्गदर्शक संयंत्र की स्थापना।

(19) केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान : खालों और चमड़े के विकास और सुधार कार्य के उपचारण और सज्जा की प्रक्रियायें । चमड़े के सामान और नमूनों में सुधार । बूचड़-खाने और उपचारण के बाद के अपशिष्टों से विकसित पदार्थों का निर्माण ।

(20) केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान : प्रतिउर्वरक की क्रियात्मकता के लिये नये यौगिक पैरासिटीमोल, क्लोलाइन क्लोराइड, लेसिथिन, प्रोकेन, एफिडाइन के लिये डाक्टरी औषधि विभाग की प्रक्रिया का विकास ।

(21) भारतीय प्रयोगात्मक औषधि संस्थान, कलकत्ता : रोगाणु श्रोत्रों से पेपटीडेस, पेना-सिलोनीज इत्यादि का औद्योगिक उत्पादन, फंफदूरोधी प्रतिजैविको जैसे माइकोबैंसलीन, वरसीकोलीन का अध्ययन ।

(22) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू : कोलोचीन के उत्पादन के लिये स्वदेशी साधन, ऐफीड्राइन के लिये कच्चे माल का अध्ययन ।

नवीन परियोजनायें :

हाई पोलीमर्स और संश्लेशित रेशों, हल्के बिजलो के उद्योग, औद्योगिक जल, उष्ण कटिबन्ध तापीयक केन्द्र, और खनिज सज्जीकरण के स्टेशनों के केन्द्र विचाराधीन हैं ।

पालमपुर में जीवविज्ञानीय प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये सी० यस० आई० आर० ने विचार किया था और इस पर विभिन्न विचार व्यक्त किये गये । चौथी योजना में जैविक अनुसंधान के विकास का कार्यक्रम है लेकिन जैविक अनुसंधान के लिए जो नया मंडल 'कौस्ट' के अन्तर्गत प्रस्तावित है उसको इस दिशा में कार्य करने का ढंग और तरोका अपनाना होगा ।

(ख) सी० यस० आई० आर० द्वारा चतुर्थ योजना में जीव विज्ञानीय अनुसंधान के विकास की व्यवस्था के लिये एक राशि नवीन प्रयोगशालाओं । परियोजनाओं के अन्तर्गत नियत की गई हैं।

चाय के निर्यात वृद्धि तथा विकास करने के लिये एक निगम की स्थापना

3337. **श्री हेम राज :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री चाय बोर्ड को सरकारी क्षेत्र में चाय विपणन निगम के रूप में बदलने के बारे में 25 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4027 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय के निर्यात में वृद्धि तथा विकास के लिये एक निगम की स्थापना के बारे में विदेशी व्यापार संबन्धी सलाहकार समिति की उप समिति के अंतरिम प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख) : पैकट बन्द चाय का निर्यात करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने के विषय में परामर्शी समिति की उप-समिति सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है ।

राजस्थान में खेतड़ी समूह में पाया गया यूरेनियम

3338. **श्री मु० अ० खां :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच हैं कि राजस्थान में खेतड़ी समूह में यूरेनियम के होने के संकेत मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इह बारे में पूरी जांच-पड़ताल करने के लिये विशेषज्ञों को लगाया गया है ; और

(ग) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) (ख) और (ग) : परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा इस इलाके में किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, राजस्थान में खेतरी समूह में यूरेनियम की विद्यमानता के कुछ संकेत मिले हैं । इस कम्प्लैक्स का विकास मैसर्ज हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है । मैसर्ज हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के साथ परामर्श करके ड्रिलिंग तथा टेस्ट पिटिंग द्वारा व्यापक जांच करने की योजना बनाई जा रही है तथा आशा है कि यह कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा ।

डा० तेजा का स्वदेश लाया जाना

3339. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री धर्म तेजा को जिसकी जन्यती शिपिंग कारपोरेशन में धन के कथित कुप्रबंध के संबन्ध में भारत सरकार को तलाश थी लंदन में गिरफतार कर लिया गया है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से श्री तेजा को भारत वापस भेजने के बारे में अनुरोध किया था ।

(ग) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण के लिए जो अनुरोध किया है उस पर वह उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है और इस मामले में यह सभी आवश्यक उपाय करेंगी।

बाढ़ों को रोकने के लिये कोसी नदी पर बांधों के निर्माण के लिये समिति/आयोग की नियुक्ति

3340. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोसी नदी में बाढ़ों के कारण हुई हानि का अनुमान लगा लिया है ।

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में कितनी हानि हुई है ।

(ग) क्या सरकार ने इसको विस्तृत रूप से जांच करने तथा बाढ़ों को रोकने के लिये बांधों के निर्माण के बारे में कोई आयोग नियुक्त किया है । यदि हां, तो इस समिति आयोग की क्या सिफारिशें थीं

(घ) सरकार ने सिफारिशों को कहां तक स्वीकार किया है और क्रियान्वित किया है ; और

(ङ) यदि किसी समिति आयोग की नियुक्ति नहीं हुई है, तो क्या सरकार अब विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) : केवल कोसी नदी में बाढ़ों के कारण हुई हानि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । कोसी नदी में बाढ़ों के नियंत्रण के प्रश्न पर तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए वराहक्षेत्र, बैलका तथा कोठार में अन्य बातों के साथ-साथ, निर्माण को संभाव्यता पर पहले भी अनुसंधान किए जा चुके है और बहुत सी संपत्तियों तथा विशेषज्ञों द्वारा भी विचार किया जा चुका है । कोसी पर संचय बांधों के निर्माण व्यावहारिक नहीं पाया था। हनुमाननगर के बराज और तटबन्धों की योजना इस प्रकार की है कि बाढ़ों से अधिकाधिक सुरक्षा हो सके ।

पुर्तगाल की जेलों में भारतीय

3341. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के क्या नाम है जो अभी भी पुर्त्तगाल की जेलों में सजा भुगत रहे हैं ;

(ख) क्या उनकी मुक्ति के लिये पुर्तगाल को सरकार पर दबाव डाला गया है और यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का उनकी मुक्ति के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही का विचार है ।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जहां तक सरकार को

मालूम है, डा० तेलो मस्करन्हास को रिहाई के बाद, पुर्तगाली जेलों में अब कोई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नहीं रह जाता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों के साथ व्यापार-करार

3342. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और अन्य देशों को सरकारों के बीच भविष्य में व्यापार के संबन्ध में चालू वर्ष में कोई नये करार हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो किये गये करारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इससे कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ; यदि हां, तो कितनी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : चालू वर्ष में दो नये व्यापार करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(1) बर्मा के साथ एक व्यापार करार पर 27 मई, 1970 को हस्ताक्षर हुए थे ।

(2) कोलम्बिया के साथ एक व्यापार करार पर 14 जुलाई, 1970 को हस्ताक्षर हुए थे । दोनों करारों में परस्पर आधार पर व्यापार बढ़ाने के लिये सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है ।

(ग) इन करारों के फलस्वरूप और देशों के बीच व्यापार बढ़ने की संभावना है। इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हो सकेगी ।

दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई को रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव

3343. **श्री एस० एम० कृष्ण** : **डा० सुशीला नैयर** :

श्री यमुना प्रसाद मन्डल :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जिसमें सभी राष्ट्रों को दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की बिक्री पर बिना शर्त और संकोच के रोक लगाने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 282(1970) की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

23 जुलाई, 1970 को सुरक्षा परिषद की 1549 वीं बैठक में पारित सुरक्षा परिषद

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य सरकार की जातीय पृथग्वासन की नीतियों के परिणाम,

स्वरूप दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न जातीय संघर्ष का जो प्रश्न 40 सदस्य राज्यों ने उठाया था उस पर **विचार करते हुए,** जातीय पृथग्वासन की बुरी और घृणित नीतियों की, तथा दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इन नीतियों को अपनी सीमाओं के परे लागू करने और उनका विस्तार करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनकी भी पुनः **निन्दा करते हुए,** संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा में निश्चित मानवीय और राजनीतिक अधिकारों को पाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दमित लोगों के संघर्ष की वैधता को **स्वीकार करते हुए,** दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा अपनी जातीय नीतियों को छोड़ने से निरंतर अस्वीकार करने और सुरक्षा परिषद तथा महासभा के तत्संबंधी प्रस्तावों को तथा दक्षिण अफ्रीका से सम्बद्ध इस प्रश्न पर अन्य प्रस्तावों को मानने से निरंतर इन्कार करने पर गंभीर **रूप से चिन्तित,**

अपने 7 अगस्त, 1963 के प्रस्ताव संख्या 181(1963), 4 दिसंबर, 1963 के प्रस्ताव संख्या 182 (1963), 18 जून, 1964 प्रस्ताव सं० 191 (1964) में निर्णीत अस्त्र घाटबन्दी के उल्लंघनों से उत्पन्न स्थिति पर गम्भीर **रूप से चिन्तित,**

इन प्रस्तावों में जिस अस्त्र घाटबन्दी के लिए कहा गया था उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर से **आश्वस्त होकर,**

इस ओर से भी **आश्वस्त होकर** कि जातीय पृथग्वासन की नीतियों के निरंतर अमल के, तथा दक्षिण अफ्रीकी सेना और पुलिस सेना और पुलिस दलों में निरंतर वृद्धि, जो कि कई सदस्य राज्यों से निरंतर हथियार, सैनिक वाहन तथा अन्य उपस्कर और सैनिक उपस्करों के फालतू पुर्जे प्राप्त करने और कुछ सदस्य राज्यों द्वारा दिये गये लाईसेंसों के अधीन हथियार और गोलाबारियों के स्थानीय विनिर्माण के कारण संभव हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है;

इस बात को **स्वीकार करते हुए** कि दक्षिण अफ्रीका की सैन्य शक्तियों की जबरदस्त हथियार बन्दी अफ्रीका के उन आजाद राज्यों की सुरक्षा और प्रभुसत्ता के लिए एक वास्तविक खतरा है जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जातियों नीतियों के विरुद्ध हैं खास तौर से उसके ऐसे पड़ोसी राज्यों के लिए ।

1. दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार की जातीय पृथग्वासन की नीतियों का एक बार फिर पूर्ण विरोध प्रकट करती हैं ;

2. अपने प्रस्ताव 181 (1953), 182 (1963) और 191 (1964) की पुनपुंष्टि करती है;

3. प्रस्ताव 181 (1963), 182 (1963) और 191 (1964) में जिस अस्त्र घाटबन्दी के लिए कहा गया था उसके उल्लंघनों की निन्दा करती है;

4. सभी राज्यों से अस्त्र घाटबन्दी को निम्नलिखित तरीकों से सुदृढ़ करने के लिए कहती है :

(क) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अस्त्र घाटबन्दी को बिना शर्त और किसी भी आनाकानी के बिना पूरी तरह से लागू करके,

(ख) दक्षिण अफ्रीका की सशस्त्र सेना और पैरा मिलिट्री संगठनों के इस्तेमाल के लिए सभी प्रकार के वाहनों और उपस्करों की सप्लाई लागू करके,

(ग) दक्षिण अफ्रीका की सशस्त्र सेना और पैरा मिलिट्री संगठनों के इस्तेमाल में आने वाले सभी वाहनों और सैनिक उपस्करों के फालतू पुर्जों की सप्लाई बन्द करके,

(घ) दक्षिण अफ्रिका की सरकार को अथवा भारत सरकार अफ्रीकी कम्पनियों को हथियार और गोलाबारी, हवाई जहाज, और जहाज तथा अन्य सैनिक वाहन बनाने के जो लाइसेंस मिलिट्री और पैटेन्ट दिए गए है उन्हें खत्म करके और आइन्दा भी इस तरह के लाइसेंस और पैटेंट न देकर;

(ङ) हथियार तथा गोलाबारी, हवाई जहाज, जहाज और अन्य सैनिक वाहनों के विनिर्माण के लिए पूंजी निवेश अथवा तकनीकी सहायता का निषेध करके।

(च) दक्षिण अफ्रीकी सशस्त्र सेना के लोगों के लिए सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था बन्द करके तथा दक्षिण अफ्रिका के साथ अन्य हर प्रकार का सैनिक सहयोग अस्वीकार करके;

(छ) उपर्युक्त उपायों को कारगर बनाने के लिए समुचित कार्यवाई करके;

5. प्रधान सचिव से निवेदन करती है कि वे इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन पर पूरी तरह ध्यान रखें और समय-समय पर इसके बारे में सुरक्षा परिषद को बताते रहें।

6. सभी राज्यों से कहती है कि वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाई गई हथियार घाटबन्दी का सख्ती के साथ पालन करें और इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन में कारगर तरीके से सहायता दें।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे रेशम का आयात

3344. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेशम के उत्पादन की कमी को देखते हुए राज्य व्यापार निगम इसकी मांग को पूरा करने के लिये कच्चे रेशम का आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रत्येक किस्म के कच्चे रेशम की मात्रा कितनी है जिसका कि 1970-71 में आयात करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख) : कच्चे रेशम का आयात केवल शहतूती रेशम युक्त माल के निर्यात के बदले प्रतिपूर्ति के रूप में ही करने दिया जाता है। इस प्रकार किये जाने वाले आयात से कच्चे रेशम की मांग और उसके स्वदेशी उत्पादन के बीच का अंतर पूरा हो जाता है। अप्रैल, 1970 से कच्चे रेशम का आयात केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से वर्गीकृत कर दिया गया है। वर्ष 1970 में आयात किये जाने वाले कच्चे रेशम का परिणाम चालू वित्तीय वर्ष में शहतूती रेशम के माल के निर्यात निष्पादन पर निर्भर होगा।

राज्यों में अपर्याप्त आयोजन व्यवस्था के बारे में योजना आयोग उपाध्यक्ष की टिप्पणी

3345. **श्री मंगलाथुमाडम् :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गाडगिल ने राज्यों में अपर्याप्त आयोजना व्यवस्था के बारे में कुछ टिप्पणियां की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में योजना बोर्डों / योजना सेलों में सुधार करने का है और इसको दृष्टि में रखते हुए क्या राज्यों को कोई परामर्श दिया गया है; और

(ग) क्या राज्य आयोजना निकायों का कार्य देखने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद के अलावा कोई अन्य केन्द्रीय समन्वय एजेन्सी भी है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि प्रत्येक राज्य को बर्तमान प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप अपना आयोजन संगठन विकसित करना है तथापि योजना आयोग विभिन्न स्तरों पर आयोजन के लिए राज्य संगठन को मजबूत तथा सुप्रवाही करने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है । इस पर चौथी पंचवर्षीय योजना जिसे 18 मई, 1970 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, के पृष्ठ 111 पर पेरा 6.10 में भी बल दिया गया है ।

(ग) योजना आयोग को राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व स्वयं उनका समन्वय करना होता है ।

आयात नीति का क्रियान्वयन

3346. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापारनिगम ने नई आयात नीति के क्रियान्वयन के बारे में क्या प्रभावी कार्य्यावही की है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार तथा उद्योगप्रमुख प्रतिनिधियों के मध्य पूर्ण समन्वय स्थापित हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) निगम ने देश में उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार आयात के लिये मार्गीकृत मदों का आयात करने के लिये, कदम उठाये हैं । अपने भंडारों से वास्तविक उपयोक्ताओं को, उनके वैध लाइसेंसों के आधार पर हाजिर कच्चा माल देने के लिये एक औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है ।

(ख) और (ग) : निगम ने, व्यापार तथा उद्योग, राज्यों के लघु उद्योगों के कई निगमों, वास्तविक उपयोक्ताओं के संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बम्बई, कलकत्ता तथा नई दिल्ली में बैठकों का आयोजन किया । इसके अतिरिक्त; कई सलाहकार समितियों का, जिनमें व्यापार उद्योग तथा संबन्धित सरकारी प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल हैं गठन किया गया है और उपयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित गुण और विशिष्टियों के कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करने के लिये इनकी नियमित रूप से सलाह ली जा रही है ।

सूती कपड़े के निर्यात के लिये यूरोपीय साझाबाजार के देशों के साथ समझौता

3347. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने सूती कपड़े के निर्यात के बारे में यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ फैसला किया था ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख) : अक्तूबर 1970 से 30 सितम्बर, 1973 तक को अवधि में भारत से सूती वस्त्रों के निर्यात के लिये भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के लिये सभी औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आशा है कि ये वार्ताएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी।

जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को रेलवे वैगनों की सप्लाई

3348. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ 40 करोड़ रुपये के मूल्य के रेलवे वैगनों की सप्लाई के संबंध में चल रही बातचीत अंतिम रूप से विफल हो गई है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं और मन्त्रालय तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच किन-किन बातों पर मतभेद हैं ; और

(ग) रूस और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत समाप्त हो जाने की दृष्टि से रेलवे वैगनों के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को संवाददाताओं द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना

3349. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव को 25 जुलाई को उनके पत्रकार सम्मेलन में मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के एक दल ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या उस ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) क्या सलाहकार समिति की बैठक के उपरान्त उन्होंने इस पत्रकार सम्मेलन में परमाणु हथियारों पर ए० ई० सी० आई० संग्रह की 60 प्रतियां वितरित करने का वचन दिया था : और

(घ) इस विभाग ने उस आश्वासन का पालन करने से क्यों इन्कार कर दिया जबकि उन्होंने इस लेख की प्रतियां ब्रिटेन के गुप्तचर विभाग के लिये कार्य कर रहे गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तथा गैर-सरकारी अनुसंधान केन्द्र के लिये कार्य कर रहे भारतीय सेवा के एक अन्य अधिकारी को वितरित की ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) परमाणु अस्त्र बनाने पर होने वाले खर्च तथा सम्बन्धित सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे मे उपलब्ध प्रकाशित सामग्री का एक संकलन, परमाणु ऊर्जा आयोग ने तैयार किया है। यह संकलन, विभाग ने अपने उपयोग के लिये तैयार किया है। प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करने के लिये इस विभाग द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उसके पूरा होने के बाद इस संकलन, की प्रतियां प्रेस तथा जनता को दी जा सकेंगी।

भूतपूर्व सैनिक लोग की मांगे

3350. **श्री हेमराज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिक लोग, जिसका सम्मेलन दिल्ली में 10 अप्रैल, 1970 को हुआ था, की मागों की कोई सूची प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनमें से किसी मांग को स्वीकार करने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख) : संघ को पांचवीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित किए गए संकल्पों की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है इसमें कई सुझाव और प्रार्थनाएं शामिल हैं। संकल्पों की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०4009/70]**

(ग) संकल्प में जो संख्या में बीस हैं, विषयों का एक बहुत ही विस्तुत क्षेत्र आवृत हैं वह पेन्शनों, पुर्नानियुक्त पेन्शनरों को सेवा की शर्तों डी० एस० एण्ड वोर्डों के पुनर्निर्माण इत्यादि से संबंधित हैं। उनमें कई एक तृतीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों द्वारा आवृत हैं। राज्य सरकारों का सामर्थ्य के अन्तर्गत मामलों से संबन्धित हैं। बोते समयों की तरह उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

तारापुर अणुशक्ति केन्द्र के एक कर्मचारी की विषैली गैसों के निःश्वासन से हुई मृत्यु

3351. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : श्री समर गुह :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 27 जुलाई 1970 को तारापुर अणुशक्ति केन्द्र में जिस कर्मचारी की मृत्यु विषैली गैसों के अत्यधिक निःश्वसन से हुई थी उसके बारे में तथ्य क्या है ;

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि शोक सन्तप्त परिवार को कोई सहायता दी गई है या दी जायेगी तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) तारापुर परमाणु विजलीघर के एक यूनिट, जिसे नौ महीने तक सफलतापूर्वक चलाये जाने के बाद वार्षिक अनुरक्षण के लिये बन्द कर दिया गया था, के एक भीतरी भाग में निरीक्षण करते समय वेहोश हुये दो अन्य अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते समय एक अधिकारी (श्री के० वी० ए० राव) अनुरक्षण अधीक्षक) स्वयं भी अचानक वेहोश हो गये। अन्य दोनों अधिकारी तो होश में आ गये, किन्तु श्री के० वी० ए० राव को होश नहीं आया।

(ख) दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच करने तथा इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के उपाय सुझाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्ति की गई है।

(ग) शौक सन्तप्त परिवार को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर पूर्ण सहानुभूति के साथ विचार किया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3352. **श्री अ० दीपा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न राज्य सरकारों से कई योजनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य सरकारों से राज्यवार कितनी तथा किस प्रकार की योजनायें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां तो प्रत्येक योजना पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान अब तक प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि दी गई तथा कितनी राशि व्यय की गई :

(ङ) विभिन्न योजनाओं के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) और** (ख) : विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना राज्य योजनाओं के अभिन्न अंग है। अत: राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे इन योजनाओं को योजना आयोग के पास भेंजे।

(ग), (घ), और (ङ) : योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्होंने जो योजनायें तैयार की है और आबंटन किये हैं उनकी सूचना भेज दें ताकि विकास की प्रगति पर निगरानी रखी जा सके ।

उत्तरी बिहार के लिये विकास परिषद की स्थापना

3353. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार सरकार ने उत्तरी बिहार के लिये विकास परिषद को स्थापना नहीं की है और इस परिषद की स्थापना में हुये विलम्ब पर उत्तरी बिहार के लोगों में बड़ा रोष हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तरी बिहार के सभी दलों/वर्गों के नेताओं ने प्रधान मन्त्री को एक अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) क्षेत्रीय विकास राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बिहार सरकार ने अभी तक यह आवश्यक नहीं समझा कि उत्तर विहार के लिए अलग से परिषद की नियुक्ति की जाय। परन्तु राज्य सरकार इस क्षेत्र के त्वरित बिकास की आवश्यकता के प्रति सजग है। अद्यतन स्थिति की जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

(ख) और (ग) : जी, हां। राज्य सरकार स कहा गया है कि वह पिछले क्षेत्रों और त्वरित विकास के लिये समेकित योजनाओं को तैयार करने पर विशेष ध्यान दें।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के लिये विज्ञापन

3354. **श्री तन्नेटि विश्वनाथम् :** क्या प्रधान मन्त्री 23 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1761 के इस उत्तर के सम्बन्ध में कि निदेशक के पद के लिये व्यापक रूप से प्रचार किया गया था, विज्ञापन निकाला गया था, अधिसूचित किया गया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन सी पत्रिकायें, सावधिक पत्रिकायें अथवा समाचार पत्र है जिनमें ऐसा प्रचार किया गया था और ऐसा किस-किस तिथि को किया गया था ;

(ख) क्या वे पत्रिकाये, जिनमें इसका प्रचार किया गया था, सभा पटल पर रखी जायेंगी;

(ग) यदि ऐसा व्यापक प्रचार नहीं किया गया था, तो क्या प्रधान मन्त्री उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी जो इस गलत उत्तर के लिये उत्तरदायी हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्य को जांच करने के लिये बिठाई गई सरकार जांच समिति में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के निदेशकों के पदों को, सी० यस० आई० आर० जनरल आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च, अप्रैल, 1964 में और सी० यस० आई०आर० समाचार, अप्रैल 27, 1964 में प्रकाशित किया गया था जिनको प्रतिलिपियां संसद के पुस्तकालय में प्राप्य हैं। इस सम्बन्ध में एक अनुसूचना भी प्रख्यात वैज्ञानिकों, अनुसंधान संस्थानों, आई० आई० टी० यू० जी० सी० और उद्योगों के पास अथवा यू० के०, पश्चिमी जर्मनी और यू० एस० ए० में स्थित भारतीय दूतावासों को भेजी गई थी।

(ग) अब यह देखने में आया है कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुबनेश्वर के निदेशक पद के लिए प्रचार नहीं किया गया था। इस विषय पर अग्रिम जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) सरकार कमेटी की चर्चाएं और उपपत्तियां, उसकी रिपोर्ट खण्ड-एक में दी गई है ; जिसकी एक प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में प्राप्य है।

पूर्वी पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आगमन को रोकने के लिए किये गए उपाय

3355. **श्री रबि राय :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने सुझाव दिया था की भारत पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को वापिस भेज दे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाने के लिए भारत ने क्या कार्यवाही की है ताकि पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को भारत आने से रोका जा सके ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यक वर्ग के लोगों के काफी तायदाद में बहिर्गमन करने के विरुद्ध हमारे एक मौखिक विरोध के उत्तर में पाकिस्तान ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आरोप लगाया था कि सीमा पर हम पर्याप्त सतर्कता से काम नहीं ले रहे हैं। हमने शिथिलता के इस आरोप को गलत ठहराया था और साथ ही साथ इस बात पर बल दिया था कि प्रवास को रोकना मुख्यतः पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हमसे यह आशा नहीं की जा सकती कि दुःख में पड़े मानव प्राणियों के प्रति हम अमानवीय रवैया अपनाएं।

(ग) सरकार पहले ही इस मामले को पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से उठा चुकी है और इसने 1950 की नेहरू-लियाकत संधि तथा 1966 की ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत उन्हें उनके गंभीर दायित्व की याद दिलाई है और इसने उनसे यह आग्रह किया है कि वे अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के जीवन, सम्पत्ति और सम्मान को रक्षा करने की व्यवस्था करें और इस प्रकार बहिर्गमन को रोके।

स्थानीय खरीदारों को चाय की बिक्री

3356. **श्री रबि राय :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों से चाय के उत्पादक स्थानीय खरीदारों को विशेषकर देश के भीतरी भागों के खरीदारों को चाय की बिक्री के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि संचय की स्थिति में सुधार के उपरान्त लम्बे समय बाद प्राप्त होने वाली ब्रिटेन की मांग के प्रति अपेक्षित प्रतिक्रिया जागृत नहीं हुई है ; और

(ग) सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

एशियाई साझा बाजार

3357. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग ने एशियाई साझा बाजार के विचार को अस्वीकृत/नियमविरुद्ध घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस निर्णय के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अथवा निहितार्थों में एक पक्षकार है ; और

(ग) एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा किये गये नये प्रस्तावों को किस प्रकार और कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख) : एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के क्षेत्र के देशों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों में तथा साथ साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमियों में भारी भिन्नता को देखते हुए सदस्य देशों का व्यापक मतैक्य यह है कि एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के अन्तर्गत आने वाले देशों के लिए साझा बाजार इस अवस्था में व्यावहारिक तथा संभाव्य प्रस्थापना नहीं होगी।

(ग) एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा, प्रस्तुत प्रस्थापनाओं पर सदस्य सरकारों द्वारा जिनमें भारत भी शामिल है, अब विचार किया जा रहा है। अनेक एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा अनेक अंत:सरकारी बैठकों तथा परामर्शों की व्यवस्था की जा रही है जिसमें इन प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए वर्ष के समाप्त होने से पहले सरकारों तथा केन्द्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी शामिल है।

भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र बम्बई में चीफ आर्किटेक्ट की नियुक्ति

3358. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में चीफ आर्किटेक्ट का पद कब बनाया गया था;

(ख) उक्त पद के लिये निर्धारित योग्यताएँ क्या है ;

(ग) इस पद के लिए वेतन तथा अन्य लाभ क्या है ;

(घ) क्या 1 अप्रैल, 1970 से यह पद रिक्त पड़ा है ; और

(ङ) इस पद के रिक्त होने से पहले इस पर कौन व्यक्ति कार्य कर रहा था ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ) : भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में चीफ आर्किटेक्ट का कोई पद नहीं बनाया गया है तथा इस पद के लिये योग्यताएं अथवा वेतन तथा अन्य लाभ निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री आर० बी० जे० पटेल की सेवायें अंशकालिक परामर्शी आर्किटेक्ट के रूप में प्राप्त करता रहा है जिसके लिये उन्हें 3,000 रुपये प्रति मास समेकित फीस के रूप में दिये जाते रहे हैं। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वास्तुकला तथा सिविल इन्जीनियरी प्रभाग में वास्तुकला सम्बन्धी कार्यों का प्रवेक्षण करते रहे हैं। श्री पटेल के साथ यह व्यवस्था 31 मार्च, 1970 को समाप्त हो गई तथा उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिये एक नई योजना विचाराधीन है।

अणुशक्ति आयोग के अधिकारियों के लिये बम्बई में लिटिल गिव्ज रोड और रिज रोड़ पर बने आवास-स्थानों के डिजाइनों के लिये वास्तुशिल्पी को किया गया भुगतान

3359. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति आयोग के अधिकारियों के लिए बम्बई में लिटिल गिव्ज रोड और रिज रोड पर बने आवास स्थानों के डिजाईन बनाने के लिये वास्तुशिल्पी को कितनी फीस दी गई ;

(ख) उस वास्तुशिल्पी का नाम क्या है और क्या उसका सम्बन्ध केवल भाभा आणविक अनुसन्धान केन्द्र से ही है ; और

(ग) उक्त स्थानों के बनाने पर कुल कितना खर्च आया ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री(श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा बम्बई में लिटिल गिव्ज रोड़ और रिज रोड पर बने आवास भवनों के लिये वास्तुशिल्पो मैसर्ज पटेल बाटलीवाला एण्ड एसोशिएट्स (भूतपूर्व मेसर्ज पटेल बाटलीवाल मेहता एण्ड रसोशिएट्स) को दो भवनों की वास्तविक निर्माण लागत का क्रमश: 5 तथा $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत फोस के रूप में दिया जायेगा। अब तक उन्हें 2 लाख 19 हजार रुपये दिये गये हैं।

उपरोक्त दो भवनों के अतिरिक्त यह फर्म दो अन्य ग्राहकों की परियोजनाओं पर भी कार्य कर रही है।

(ग) इस दो भवनों की अनुमानित लागत निम्नलिखित है :—

लिटल गिव्ज रोड	40 लाख 75 हजार रुपये
रिज रोड	33 लाख 89 हजार रुपये

बी० आर० डी० ई० संस्थान का अहमदनगर से आवडि में स्थानान्तरण

3360. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० आर० डी० ई० संस्थान को अन्तिम रूप से अहमदाबाद से आवडि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो यह स्थानान्तरण कार्य कब आरम्भ हुआ तथा कब पूरा हुआ था ;

(ग) यदि नहीं, तो इस समय स्थानांतरण कार्य किस चरण है।

(घ) स्थानांतरण कार्य पर अब तक कितना धन व्यय किया है।

(ङ) अहमदनगर से कुल कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण आवडि में किया गया है ; और

(च) अहमदनगर से कुल कितने अधिकारियों का स्थनान्तरण आवडि में किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख): काम में किसो प्रकार की बाधा को रोकने के लिये अहमदनगर से आवडि को बी० ई० डी० ई० का स्थानान्तरण आरम्भ 1966 से प्रावस्थाओं में शुरू हुआ था। अन्तरण अभी संपूर्ण नहीं हुआ।

(ग) (1) टैंक विहीकल डिवीजन का अधिकतर भाग आवडि चला गया है और इस डिवीजन से संबन्धित प्रयोजनाओं पर कार्य आवडि में केन्द्रित किया गया।

(2) प्रयुक्त अनुसन्धान डिवीजन का एक अच्छा खासा अंश आवडि पहुंचा दिया गया है।

(3) मशीनी औजारों की विशिष्ट संख्या संस्थापन के लिए अहमदनगर आवडि अन्तरित कर दी गई है। तदपि, आवडि के लिए इंगित वर्कशाप मशीन एक भारी संख्या नई वर्कशाप के निर्माण की सम्पूर्ति पर ही अन्तरित की जाएगी। इस में लगभग 2 वर्ष लग जाएंगे।

(4) अहमदनगर को प्रारूप वर्कशाप में कई मशीनों औजार रोक लिए गए हैं, ताकि 'वी' विहीकल डिवीजन की आवश्यकाताएं पूरी की जा सके, कि जिसे तथा समय जबलपुर अन्तरित करने के लिए इंगित किया गया है।

(घ) अहमदनगर से आवडि को सेविवर्ग और सामान को अन्तरित करने में कुल 2.68 लाख रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है। अन्तरण पर अब तक खर्च की राशि सहज प्राप्य नहीं है।

(ङ) **और (च)** : अहमदनगर से आवडि अन्तरित किए गए सेविवर्ग की कुल संख्या 264 है, जिनमें 10 अफसर है।

बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत सर्किल प्रभाग

3361. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर तापीय विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत आने वाले सर्किलों तथा प्रभागों के नाम तथा संख्या क्या है ; और

(ख) प्रत्येक प्रभाग में हर श्रेणी के कितने-कितने कार्य-प्रभारित कर्मचारी हैं।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4010/70]

सेनाध्यक्ष द्वारा श्रीनगर का दौरा

3362. **श्री विभूति मिश्र** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बुधवार, 10 जून, 1970 को कलकत्ता से प्रकाशित 'दि स्टेट्समैन' में पृष्ठ 1 पर स्तम्भ 3 में छपे "मानकशा द्वारा श्रीनगर का अचानक दौरा" शीर्षक की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का क्या कारण था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि घाटी की सुरक्षा को अन्दरूनी तथा बाहरी खतरा पैदा हो गया है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सरकार ने समाचार पत्रों में उल्लिखित रिपोर्ट देखी है। सेनाध्यक्ष समय समय पर विभिन्न कमानों की विरचनाओं और

अग्रिम क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं। इस भ्रमण को इसी संदर्भ में समझना चाहिए। काश्मीर घाटी सुरक्षा के लिए अन्दर या बाहर से संकट बनने वाली किसी स्थिति का सरकार को ज्ञान नहीं है। जम्मू तथा काश्मीर में सुरक्षा सेनाओं की सतर्कता जारी है।

प्रोत्साहन में कटौती करने के कारण स्क्रैप के निर्यात में कमी

3363. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-जून, 1969 में स्क्रैप का निर्यात 1967-68 की इस अवधि में किये गये निर्यात से कम था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रोत्साहन में कमी करने के परिणामस्वरूप ही निर्यात में कमी हुई है ;

(ग) क्या स्क्रैप के निर्यातकर्ताओं ने इसके निर्यात पर दी जाने वाली नकद सहायता को बढ़ा कर जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 10% तक कर देने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सहायता में 10% की वृद्धि करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जनवरी-जून, 1969 में लौह (फैरस) स्क्रैप का निर्यात (4.34 करोड़ रुपये मूल्य का), 1968 की उसी अवधि की तुलना में (4. 28 करोड़ रुपये मूल्य का) से मामूली सा अधिक था परन्तु यह 1967 (6.88 करोड़ रुपये मूल्य का) की उसी अवधि की तुलना में कम था।

(ख) जी नहीं। 1967 के पूर्वार्द्ध के निर्यात निष्पादन की तुलना में 1969 के पूर्वार्द्ध के निर्यात में गिरावट मुख्यतः स्क्रैप का घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में प्रयोग होने के कारण हुई।

(ग) और (घ) : सहायता में बढ़ोतरी के संबन्ध में निर्यातकों के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया। सहायता में 10% की वृद्धि करना संभव नहीं पाया गया।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में लेखा अधिकारियों/तकनीकी सहायकों / तकनीकी लिपिकों की नियुक्ति

3364. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में प्रतिरक्षा मन्त्रालय में लेखा अधिकारियों, तकनीकी सहायकों और तकनीकी लिपिकों के बहुत से पद बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद है, प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या है तथा उनकी भरती का तरीका क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय में किसी की भी नियुक्ति इन पदों पर नहीं की जाती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन पदों पर नियुक्त सभी लोग बी० आर० डी० बी०, निदेशालय और डी० जी० वी० आर० और सी०जी० डी०ए० आदि से आये हैं और यदि हां, तो उनके

नाम, योग्यतायें और अनुभव क्या हैं, वे उनके मन्त्रालय में किस-किस कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (घ) : कुछ वर्षों के दौरान, सशस्त्र सेनाओं के विस्तार तथा पुनर्गठन के कारण तथा वेतन आयोग की स्थापना के कारण रक्षा मन्त्रालय पर कार्य भार काफी मात्रा में बढ़ गया है जिसके लिए विशेष ज्ञान तथा अनुभव की आवश्यकता थी जो कि वर्तमान कर्मचारियों में उपलब्ध नहीं था। वर्ग ।।। के पदों पर सीधी भर्ती के प्रतिबंधों के कारण केन्द्रीय सचिवालीय सेवाओं के अन्य ग्रेडों में कमी थी जिससे कार्य को हानि हो रही थी। अतः यह निर्णय किया गया कि अपेक्षित जानकारी एवं अनुभव वाले व्यक्तियों को अन्य संगठनों से अल्प कालीन उपाय के रूप में लाया जाय। इस कारण से समुचित अतिरिक्त तकनीकी पदों को बनाया गया था। इन पदों पर योग्य लेखा अफसरों तथा लेखाकारों को भारतीय लेखा परीक्षा तथा रक्षा लेखा विभाग से और क्लर्कों को सीमा सड़क संगठन से लाया गया है।

संलग्न विवरण में पदों का ब्योरा तथा वर्तमान पदधारी दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4011/70]**

मजगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा भंडार का खरीद

3365. **श्री स० कुण्डू :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगांव डाक्स लिमिटेड के भंडार की सूची कुल कितने मूल्य की है और वे विनियोजन के कितने प्रतिशत हैं और क्या यह अधिक नहीं है ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद के लिए टेंडर आमन्त्रित करने बंद कर दिये हैं और इसके बजाय वह कुछ निर्धारित फर्मों से माल खरीद रहे हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन फर्मों के क्या नाम हैं जिनसे प्रबन्धक बिना टेंडर मांगें खरीददारी करते हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि इस प्रकार बिना टेंडर के मजगांव डाक्स लिमिटेड को सामान बेंच कर उन फर्मों ने कमीशन के रूप में कितनी राशि अर्जित की ; और

(ङ) क्या मजगांव डाक्स लिमिटेड के सचिव को खरीद और भंडार अनुभाग का अतिरिक्त भार सौंपा गया है और इन पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अप्रैल 1970 को वस्तु सूची के सामानों के मूल्य 177.20 लाख रुपया था और उनकी लगाए गए धन से निष्पत्ति 1:5.5 थी। मजगांव डाक्स लि० में हस्तगत किए जा रहे काम के गुण रूप और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तु सूची के सामानों का किस्मों को देखते हुए यह कुछ अधिक नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) मजगांव डाक लि० के सचिव को बोर्ड आफ डारेक्टर्ज द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त क्रय और स्टोर विभाग का मुख्य बनाया गया कि जब इस स्थान को धारण करने वाले पहले अफसर ने वापस नौसैनिक स्टोरज संगठन को प्रतिनियुक्ति की अवधि की सम्पूर्ति पर उसके मूल काडर में तवदील कर दिया गया।

मजगांव डाक्स लिमिटेड का तकनीकी अधिकारी संघ

3366. **श्री स० कुन्दू :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगांव डाक्स लिमिटेड के तकनीकी अधिकारी संघ ने सितम्बर 1967 में एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था; यदि हां, तो उस मांग-पत्र की प्रमुख बातें कौन-कौन सी थीं और क्या प्रबन्धों के साथ इन मांगों के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या तकनीकी अधिकारियों को पदोन्नति के लिए उचित सुविधायें नहीं दी जाती है और इनकी वजाय नौसेना के उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या जो नौसेना से निवृत्ति पाने के उपरान्त नौकरी में आते हैं;

(ग) यदि हां तो इसका व्यौरा क्या है ,

(घ) क्या तकनीकी कर्मचारियों से बिना समयोपरि भत्ता दिये और उनके घरों तक उपयुक्त परिवहन सुविधायें जुटाये बिना ही उनसे समयोपरि कार्य लिया जाता है ;

(ङ) क्या प्रबन्धक तकनीकी अधिकारी संघ के साथ द्विपक्षीय बातचीत आरम्भ करेंगे ताकि प्रतिष्ठानों में बढ़ते हुए औद्योगिक असन्तोष को समाप्त किया जा सके ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं। यद्यपि इस संघ ने जो कि कुछ अफसरों का एक संघ है, सितम्बर 1967 में "प्रस्ताव" का एक सैट अफसरों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था । मुख्य प्रस्ताव पदों में परिवर्तन, बेतन मानो, छुट्टी, समयोपरि मुआवजा, उपदान, दुर्घटना वीमा इत्यादि से सम्बन्धित थे। सेवा शर्तों का पुनरीक्षण किया गया तथा कम्पनी के निदेशक मंडल ने 1-10-1968 से उनको संस्वीकृत कर दिया। तदपरान्त उपदान योजना प्रारम्भ की गई और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा भी मंजूर कर दी गई है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। दिसम्बर 1966 से मार्च 1970 के दौरान अफसरों के संवर्ग में 139 प्रदोन्नतियाँ की गई हैं। अफसरों की औसत संख्या इस अवधि में 240 थी।

(घ) अफसरों की सेवा शर्तों में समयोपरि भत्ता तथा परिवहन की सुविधा शामिल नहीं है। तथापि जब अफसर काम के घन्टों के अलावा काम करते हैं तब उनको समान-समय की छुट्टी दी जाती है जितना उन्होंने समयोपरि कार्य किया था तथा जिन्होंने शाम को देर तक कार्य किया है उन्हें कार्यालय से 5 मील के व्यास में रेलवे स्टेशन तक परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है ; और

(ङ) और (च) : ऊपर (क) में दिये गये व्यौरे के अनुसार अफसरों की सेवा शर्तों में

काफी सुधार कर दिया गया है। शिकायतों तथा सुझावों को उच्च कोटि के प्रबन्धकों तक पहुँचाने के लिए वहां पर एक निर्धारित प्रक्रिया है। अफसरों से चूंकि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अतः द्विवपक्षीय वार्ता का प्रश्न नहीं उठता है।

Delegation to Countries where Bhojpuri is spoken

3367. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the Prime Minister delivered her speeches in 'Bhojpuri' during her visit to Mauritius ;

(b) whether any delegation of Bhojpuri speaking people met her and whether any steps are being taken for the development of this language ;

(c) whether Government propose to send any delegation of Bhojpuri speaking people in those countries where it is spoken ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No Sir, on one or two occasions, the Prime Minister said a few words, largely of greetings, in Bhojpuri.

(b) No delegation as such of Bhojpuri speaking people met the Prime Minister.

No special steps are being taken by the Government of India, for the development of Bhojpuri in Mauritius However programmes for cooperation in the development of the Hindi language are under consideration.

(c) No, Sir.

(d) Government do not see adequate grounds for it.

परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी न किये गये विज्ञान कर्मचारी

3368. **श्री लताफत अली खां** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति विभाग ने परमाणु खनिज प्रभाग के अधिकांश विज्ञान कर्मचारियों को उनकी 14 वर्ष के सेवा के पश्चात् भी किसी भी संवर्ग में स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु खनिज प्रभाग के विज्ञान कर्मचारियों की पदोन्नति

3369. **श्री लताफत अली खां** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु शक्ति विभाग के खनिज प्रभाग के विज्ञान अधिकारियों को अपनी विशेष पदावलि में 10 वर्ष सेवा करने के उपरान्त भी पदोन्नति नहीं किया गया है ;

(ख) क्या विभागीय नीति 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् उपयुक्त सिद्ध होंने पर अगली पदावलि में पदोन्नत करने की है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न एककों में इस भेदभाव का क्या कारण है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता । यह निर्णय पहले ही किया जा चुका है कि परमाणु खनिज प्रभाग के वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्टाफ की पदोन्नति भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पदोन्नति के लिये निर्धारित मानकों के आधार पर की जायेगी ।

वायु भूमि तथा समुद्री सीमाओं का उल्लंघन

3370. **श्री मु० अ० खां** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने 24 मई, 1970 से लेकर 4 अगस्त, 1970 तक भारतीय वायु, भूमि और समुद्री सीमाओं का कुल कितनी बार उल्लंघन किया है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी सेना के किसी सिपाही को बन्दी बनाया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 54 मई, 1970 से 4 अगस्त 1970 तक पाकिस्तान ने चार स्थल उल्लघन किए और 3 अंतरिक्ष उल्लंघन पूर्वोवत अवधि में पाकिस्तानी नौसैनिक पोतों द्वारा हमारे जलीय क्षेत्रों के किसी उल्लंघन का सरकार को ज्ञान नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रनायक शिवाजी का कथित अनादर

3372. श्री **जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आई० एन० एस० शिवाजी" लोनावाला में 4 फरवरी, 1970 को रजत जयंती मनाई थी, उस अवसर पर राष्ट्र नायक की प्रतिमा को जिसके नाम पर उसका नाम है, हार न पहिना कर उसका अनादर किया गया था ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कर इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही करेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा) : **(क), (ख) और (ग)** : 5-2-70 को इन्जीनियरिंग स्थापना (आई० एन० एस० शिवाजी) ने अपनी रजत जयन्ती मनाई थी । कार्यक्रम में तकनीकी सम्मेलन इत्यादि शामिल थे । उसमें शिवाजी की मूर्ति को मालोपहार शामिल नहीं था । तथापि शिवाजी की आकर्षित मूर्तियां ढाली गई थी जो कि उस अवसर पर

मेमेन्टों के रूप मे उपलब्ध थी, जिससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्र नायक की यादगार को समुचित रूप से मनाया गया। स्थापना में शिवाजी की मूर्ति एक गौरव पूर्ण स्थान रखती है तथा शिवाजी जयन्ती दिवस पर नियमित रूप से कमांडिंग अफसर के द्वारा माला चढ़ाई जाती है। जांच करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार जानती है कि शस्त्र सेनाओं में राष्ट्र नायक को भारी मान प्राप्त है।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करने के बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

3373. **श्री प्र० र० ठाकुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के बारे में 20 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10440 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले मे अधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) तक अनुसूचित जातियों के छुआछूत, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं तथा अन्तिम निर्णय शीघ्र लिए जाने की सम्भावना है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरनाथ की यात्रा में हुई दुर्घटना

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"अमर नाथ की यात्रा में हुई दुर्घटना जिसमें अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई।"

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : श्रीमान्, जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 15 अगस्त को चन्दनवाड़ी से लगभग 6,000 यात्रियों ने साफ मौसम में अमरनाथ की यात्रा आरम्भ की थी। उनके साथ भारवाही खच्चरों के परिचारकों समेत 3,000 से भी अधिक पोर्टर थे। उस दिन निरंतर वर्षा होती रही जिससे तापमान अचानक गिर गया। उस समय यात्री दल चन्दनवाड़ी और शेषनाग के बीच 11,000 फीट की ऊँचाई पर पहुंच चुका था। वर्षा के कारण भारवाही खच्चरों की गति धीमी

पड़ गई और वे यात्रियों के मुख्य दल से बिछुड़ गये। रास्ते में तथा शेषनाग में भी राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की देख भाल के प्रबन्ध किए गये थे। एक चिकित्सा दल शेषनाग में था और एक गत्वर चिकित्सा दल यात्री दल के साथ था। यात्रियों को गर्म रखने के लिए शेषनाग में मुफ्त ईंधन दिया गया था और विपत्तिग्रस्त यात्रियों का सभी सम्भव डाक्टरी इलाज किया गया था। किन्तु खेद है कि 18 व्यक्ति, जिनमें दो पोर्टर थे, शीत के कारण मर गये। मृतकों में अधिकांश वृद्ध महिलाएं थी।

16 तारीख की प्रातः को भी मौसम भयानक बना हुआ था। दल के साथ गये यात्रा मैनेजर ने, जो कि राज्य सरकार के सहायक आयुक्त हैं, दल के साथ लौटने का निश्चय किया। किन्तु कुछ साधुओं और नवयुवकों ने अपनी यात्रा जारी रखी। शेष दल चन्दनवाड़ी लौट आया।

16 मृतक यात्रियों में से 10 की पहचान कर ली गई है। सभी लाशों के फोटो ले लिये गये हैं। राज्य सरकार के प्रबन्धों से शवों के अन्तेष्टि संस्कार कर दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने यात्रा में प्रबन्धों की पर्याप्तता की जांच-पड़ताल करने तथा सुविधाओं को उन्नत करने हेतु स्थायी उपायों की सिफारिश करने के लिए राजस्व मंत्री श्री एम० एन० कौल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : कुछ दिन पूर्व जो दुर्घटना अलकनन्दा में घटी उससे प्रकट हो जाता है कि तीर्थ स्थलों की कितनी अवहेलना की जाती है। अमरनाथ न केवल तीर्थ स्थल है अपितु वह एक पर्यटन केन्द्र भी है। यदि उसका समुचित विकास कर दिया जाता। तो करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती थी। परन्तु वहां यात्रियों के लिए प्राथमिक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है और न मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना देने की कोई व्यवस्था है।

पंद्रह अगस्त को प्रातः 6 बजे से कई दल चन्दनवाढ़ी से शेषनाग के लिए रवाना होते रहे उन्हें प्रतिकूल मौसम की कोई सूचना नहीं दी गई थी।

स्वाधीनता के 23 वर्ष पश्चात् भी विकास के इस युग में उस क्षत्र को पहलगांव से सड़क द्वारा नहीं जोड़ा गया है। हर वर्ष पर्यटकों को आमन्त्रित करने के लिये प्रचार किया जाता है परन्तु यात्रियों की सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शेषनाग में केवल 100 व्यक्तियों के लिए रात बिताने के लिए तम्बुओं की व्यवस्था है अन्य यात्रियों को खुले में रातें बितानी पड़ती हैं। आपत्तिकाल में वहां कोई औषध भी उपलब्ध नहीं थी। दुर्घटना के चार दिन बाद तक भी उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। वापस आए लोगों के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोई सौजन्यता नहीं बरती। उपलब्ध जानकारी से मैं कर सकता हूँ बचाव के पर्याप्त साधन उपयोग में नहीं लाए गये। सहानुभूति प्रदर्शन मात्र से काम नहीं चलेगा। ऐसी दुर्घटनाओं के रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस दुर्घटना के क्या कारण बताए हैं। अमरनाथ को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हमारी सूचना यह है कि यात्रा अच्छे मौसम में आरम्भ हुई थी। व्यवस्थाओं में कमियें हो सकती हैं जिसके लिए हमें सहानुभूति प्रकट करनी उचित है। यात्रियों

की देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का था। यात्रियों के साथ 20 डाक्टरों का दल था। यात्रियों को गरम रखने के लिये निःशुल्क ईंधन दिया गया था। राज्य सरकार के यात्रा मनैजर यात्रियों के साथ थे। राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि सारे मार्ग पर बेतार संचार की व्यवस्था है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के कारण कुछ व्यवधान हो जाया करते हैं। राज्य सरकार ने श्री एम० एन० कौन की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की है जो सुविधाओं की पर्याप्तता के बारे में रिपोर्ट देगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने एक स्थान पर कहा कि "उस दिन निरन्तर वर्षा होती रही" और दूसरे स्थान पर विरोधी बात कही है, कि तापमान में सहसा गिरावट आई थी।" जबकि तथ्य यह है कि मौसम प्रतिकूल था जिसकी सूचना यात्रियों को नहीं दी गई।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : हमें इस दुर्घटना में मरे 18 व्यक्तियों के लिए हार्दिक शोक है।

मंत्री महोदय ने कहा कि निरन्तर वर्षा होती रही तथा तापमान में सहसा गिरावट आई। लोगों का कहना है कि मार्ग में पुलिस, डाक्टरी सुविधाएँ एवं सूखी लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार यात्री मौत के घाट धकेले जा रहे थे। क्या सरकार इसकी केन्द्रीय जांच कराएगी अथवा राज्य सरकार की जांच से ही संतोष करेगी ? समिति की नियुक्ति से ही प्रकट होता है कि सुविधाएँ अपर्याप्त थी।

क्या सरकार अमरनाथ की यात्रा के लिए अथवा अन्य किसी भी स्थल की यात्रा के लिये समुचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मुझे राज्य सरकार ने सूचना दी है कि चन्दनवाड़ी शेषनाग आदि स्थानों पर पुलिस एवं डाक्टरी सेवाओं के कैम्प खोले गये हैं। हमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : निरन्तर वर्षा के कारण यात्रियों को आगे जाने से रोका जाना चाहिए था। यात्रियों का सामान भी पीछे रह गया था और उनके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। निजी कैंटीन वाले भारी मूल्य लेते थे और यात्रियों के पास पर्याप्त धन भी नहीं था। जब सरकार ऐसी यात्रा का आयोजन करती है तो उसका कर्त्तव्य बन जाता है कि वह कैंटीनों पर नियंत्रण रखे परन्तु सरकार ने उन्हें अधिक मूल्य लेने के लिये पूरी छूट दे रखी है। मंत्री महोदय ने मृतकों की संख्या राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दी है। दुर्घटना सीमा राज्य में घटी। क्या मंत्री महोदय के पास सूचना प्राप्त करने के अपने स्रोत नहीं हैं। अमृतसर के एक व्यापारी ने मृतकों की संख्या 80 बताई है मंत्री महोदय को इसकी जांच करवानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वहां पर विश्राम स्थल एवं सड़कों के निर्माण की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यात्रा मैनेजर यात्रियों के साथ अमरनाथ तक जाता है। उसे वहां की परिस्थिति की जानकारी है। सामान्यतः उस पर उसी समय निर्णय लेने का अधिकार दिया जा सकता है। मैं विकास सम्बन्धी यहां दिये गये सुझावों को राज्य सरकार के पास भेज दूंगा।

मैं राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना पर शक नहीं कर सकता। यदि मैं अपने स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं दूं तो भ्रम उत्पन्न होगा।

मेरा सुझाव यह है कि मैंने अपने वक्तव्य में जो कुछ कहा है उसको बढ़ा चढ़ा कर मत पढ़ा जाए। मैंने यह कभी नहीं कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी में और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में भेद है। मुझे जो विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिसमें से 11 औरतें है, 5 आदमी है और दो कुली हैं;

Shri Janeshwar Misra (Phulpur): According to the official statement published in today's 'Statesman' 15 pilgrims died in the Amarnath Pilgrimage mishap whereas the pilgrims returning from Amarnath say that the number of dead was many times more. The delay on the part of the Government in giving an explanation in this regard is inexplicable. Government claims that pilgrims started their journey in a fine weather. Why should the Government not take strong action against the meteorologist who gave wrong information?

In the last para of the statement the hon. Minister says that a committee has been set up under the chairmanship of the Revenue Minister, But I would request the hon Minister that if he really intends to institute an enquiry into the Amarnath tragedy, he should appoint a High Court Judge to conduct the enquiry. I am sure that had the Government maintained the roads in good condition and had made a study of the weather conditions this mishap might not have taken place. It has been generally seen that when there is good crop, Government take the credit for that on herself but when the crop is damaged by floods, the blame is apportioned on the Ganges. This should be avoided and Government should be bold to face the facts.

Shri K.C. Pant: The Ganges, which is boon to us, may prove a curse at times. No doubt, we have made tremendous progress in the fields of science and technology but it will be presumptuous to claim complete control on nature.

Shri Janeshwar Misra: I had asked that judicial enquiry should be instituted and action should be taken against the persons responsible for the mishap. But the hon. Minister is not answering that.

Shri K. C. Pant: So far as the suggestion of instituting a judicial enquiry is concnreed, Government do not feel any necessity of it. Moreover, State Government have set up a committee wlich will look into the whole matter.

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियानोर) अमरनाथ यात्रा उत्सव वर्ष में एक बार होता है और सरकार इसके लिए प्रबन्ध करती है। आरोप है कि यात्रियों को वस्तुएं मंहगी एवं विलम्ब से दी गई तथा चिकित्सा सुविधाएं देने में भी सरकार असफल रही। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पैसे का सदुपयोग किया गया है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जांच कराई जा रही है, क्या वह उचित है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कश्मीर सरकार इस जांच से संतुष्ट हो सकती है क्योंकि जांच जिसकी अध्यक्षता में हो रही है वह स्वयं मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री है और यही नहीं जिनके विरुद्ध जांच की जानी है उनको भी अर्थात् पर्यटन मंत्री तथा पर्यटन निदेशक को भी जांच समिति में शामिल कर लिया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में ले। शेषनाग में वर्ष में 11 मास बर्फ जमी रहती है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यात्रियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए नई और स्थायी व्यवस्था करेगी? मैं यह भी जानना

चाहता हूं कि जो व्यक्ति मरे हैं, उनमें प्रत्येक की आयु क्या थी ? इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि प्रतिवर्ष होने वाली इस यात्रा के लिए किस प्रकार अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस दुःखद घटना में जिन लोगों की जानें गईं, उसके लिए सदन को दुखः है। जो प्रबन्ध किए गए थे, उनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने एक समिति नियुक्त की हैं। यात्रियों के साथ सहायक आयुक्त था, चिकित्सा सेवा-दल था। इसके बावजूद भी यह दुर्घटना घटी। राज्य-सरकार ने भी यह अनुभव किया कि समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि राज्य सरकार प्रबन्ध को और भी अच्छा बनाना चाहती है तो सदन को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगेंगी तो यह एक अलग विषय होगा जिस पर विचार किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जांए।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : मुझे कार्य सूची के बारे में कुछ कहना है। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे ?

Mr. Speaker : I know what you want to say.

Shri Janeshwar Misra : I would take half minute to make my submission.

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी आधा मिनट दिया जा सकता है, परन्तु प्रतिदिन प्रश्न काल के बाद आधा मिनट नहीं दिया जा सकता।

Shri S. M. Banerjee : Firstly I am to request you to allow discussion in this week on my notice on Interim Relief admitted under Rule 193. Secondly, my Privilege Motion may please be admitted as the Minister is in possession of the information.

Mr. I Speaker will consider that.

Shri S. M. Banerjee : You were kind enough to tell that you had sent the Privilege Motion to the hon. Minister. Hon. Minister has not given any reply.

Mr. Seapker : When it comes to me I will consider it.

Shri Janeshwar Misra : I have given notice of an Adjournment Motion and a calling Attention regarding closure of Beneras Hindu University.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था। यह राज्य का मामला है।

Shri Janeshwar Misra : Police entered the University Campus.

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री जनेश्वर मिश्र : * *

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Benaras Hindu University is a central University. The examinations have been postponed. Hon. Minister should make a statement.

Mr. Speaker : I will convey that to the Minister.

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1096, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1097, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1111, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1121, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 4001/70]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1112, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1118, जो दिनांक 30 जुलाई, 1970 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4002/70]

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मुझे अग्रिम सूचना देनी होती है । आप नये मन्त्री है, इसलिए भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखें ।

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, तथा इलायची बोर्ड और नारियल जटा बोर्ड के बारे में पत्र

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा

(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 28 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2538 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नारियल जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संसोधन नियम, 1970, जो दिनांक 29 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2595 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4003/70]

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 को उप-धारा (4) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1968–69 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4004/70]

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 40005/70]

(3) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उप धारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1968–69 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तभा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4006/70]

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

छियासठवां प्रतिवेदन

Sixty sixth Report

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले): मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 66वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

राजस्थान और गुजरात के कतिपय भागों में विमान द्वारा चीनी भाषा में पर्चियां फेंके जाने के समाचार की जांच के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INVESTIGATIONS INTO REPORTED AIR DROPPING OF CHINESE LANGUAGE LEEFLETS AT PLACES IN GUJARAT.

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : 31 जुलाई, 1970 को सदन में जैसलमेर में भारतीय

सीमा के अन्दर एक पाकिस्तानी विमान के घुस आने के समाचार के संबन्ध में हुई चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्थान के कुछ भागों में हवाई जहाज द्वारा चोनी भाषा के पर्चों के गिराये जाने की घटना का जिक्र किया था। प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री ने उस समय बताया था कि उक्त मामले की जांच की जा रही है और सदन को जांच परिणाम से, अवगत कराया जाएगा। उसके बाद गुजरात के कुछ इलाकों में भी पाकिस्तानी विभाग द्वारा चीनी भाषा के पर्चों के गिराये जाने के संबन्ध में अल्प सूचना प्रश्न की भी सूचना मिल गई थी। जांच से पता लगा कि पर्चे और पुस्तिकायें चीनी भाषा की थी और उन में माओ-से तुंग और उनकी नीतियों की आलोचना की गई थी अतः ये पाकिस्तान से आई हुई नहीं हो सकती हैं। साथ ही यह भी विदित हो गया है कि ये पुस्तिकायें हवाई जहाज द्वारा गिराई नहीं गई थीं। संभवतः ये मौसम विज्ञान संबन्धी गुब्बारों द्वारा गिराई गई होंगी और ये चीन में गिराने के लिए भेज दी गई होंगी, मगर भारत में गिर गई पहले भी ऐसी चीजें भारत के अन्य भागों में देखी गई है।

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क) संशोधन विधेयक

KHADI AND OTHER HANDLOOM INDUSTRIES DEVELOPMENT (ADD TIONAL EXCISE DUTY ON CIOTH) AMENDMENT BILL.

श्री राम सेवक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I oppose this Bill, because according to article 110 (a) this is a Money Bill, since it makes provision for the exempttion of additional excise duty on Khadi and other handloom cloth. Recommendation of the President for introduction of this Bill is essential.

Government is trying to export Khadi and Handloom cloth through 'this Bill. But this is tinkring with the problem. This policy would not prove successful unless this industry is given further incentives. Government should develop this industry.

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए धारा 117 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति से अनुमति ले ली गई है जो 11 अगस्त 1970 के समाचार भाग—2 में प्रकाशित की गई है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुच्छेद 117 (1) तथा 117 (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। परन्तु अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत अनुमति नहीं ली है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका विरोध करते हैं अथवा नहीं ?

श्री श्रीनिवास मिश्र : गुणों के आधार पर तो नहीं। परन्तु ऐसा लगता है कि विधेयक को अच्छी तरह पढ़ा नहीं हैं इसका सारांश इस प्रकार है। 1957 में व्यवस्था की गई थी कि निर्यात पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। परन्तु उस विधेयक के अन्तर्गत अन्य प्रकार के शुल्क लगाये गये थे जिन्हें इस विधेयक के माध्यम से 1957 से ही समाप्त करना चाहते हैं। यदि 1597 से इन

छूटों की गणना की जाए तो भारत की संचित निधि से इस खर्चे की पूर्ति करनी पड़ेगी क्योंकि वसूल किया सारा शुल्क लौटाना पड़ेगा। नियम 69 के अन्तर्गत इस प्रकार के विधेयकों के साथ एक वित्तीय ज्ञापन लगाना पड़ता है जिसे मोटे अक्षरों में मुद्रित किया जाता है इसलिए एक ऐसे वित्तीय ज्ञापन अथवा विवरण के बिना, जिसमें खर्चा निहित नहीं होता, यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री राम सेवक : यह विधेयक पिछली बार भी सभा के सम्मुख था परन्तु, सभा की अनुमति से इसे दिसम्बर 1969 में वापस ले लिया था। अब इसे व्यापक रूप में पुरःस्थापित किया गया है। राष्ट्रपति की अनुमति तो पहले से ही ले ली गई है जिसकी सूचना आपको दे दी गई है। अतः इस विधेयक में कोई कमी नहीं है और इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : जब माननीय मन्त्री इस विधेयक को फिर से पुरःस्थापित करना चाहते हैं तो इसके साथ वित्तीय ज्ञापन लगाना अत्यावश्यक है अन्यथा विधेयक को प्रस्तुत करना अनियमित माना जायेगा। यदि ऐसा किया जायेगा तो यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक राष्ट्रपति की मंजूरी का सम्बन्ध है, वह तो है। इसमें खर्चे की भी कोई बात नहीं है इसलिए वित्तीय ज्ञापन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रश्न यह है।

'कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : इन दो मामलों पर मन्त्री महोदयों को पूरी तरह तैयार होकर आना चाहिये।

श्री राम सेवक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अस्पृश्यता के बारे में समिति की तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

MOTIONS RE : REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND REPORT OF THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY, ECONOMIC AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF THE SCHEDULED CASTES (*contd.*)

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Although Government is never tired of saying that the interests of Scheduled Castes will be safeguarded yet it has done precious little in this regard. Even one percent of persons belonging to scheduled castes/tribes have not been appointed on the key posts in the Government Offices. At the time of Bank nationalisation the Prime Minister declared that Government had taken this step to help the weaker and the poor section

of the Soceity. Since the nationalisation of Bank the figures reveal that not even ten percent Scheduled Caste people have been given loan facilities by these banks. Had these loan facilities been given by these banks to the Harijans to start new ventures we would have realised that Government are really serious for the welfare of Harijans.

Some of the appointments on key posts like those of Ambassadors or Vice-Chancellors are entirely in the hands of the Government, but the Government has not appointed any Harijan on such key-posts. likewise is the case of nominations. President nominates some persons to the Rajya Sabha. But it is rather strange that there is no Harijan nominated to the Rajya Sabha. Government should take care of Harijans in such matters and should look into such matters so that Harijans may have the feeling that they are not discriminated against and that they are at par with other citizens of the country.

Some reservations have been made in the legislature because they are weaker sections of the Society. Not only the party in power, but opposition parties also should extend their support to the Harijans and ensure their suceess from General seats also so that they may have the feeling of equality in the society.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Government should give a categorical assurance that the main recommendations of the Perumal Committee on education, and political and social safeguards for the Harijans would be implemented and enforced within a certain time.

Mr. Speaker : The hon. member may continue his speech tomorrow.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समबेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** Mr. DEPUTY-SPEAKER IN THE CHAIR]

भूमि सुधार संबन्धी उपायों तथा भूमि पर कब्जा करने के आन्दोलन के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : LAND REFORM MEASURES AND THE MOVEMENT FOR OCCUPATION OF LANDS

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अधीन भूमि सुधारक सम्बन्धी उपायों पर चर्चा आरम्भ होगी जिसके लिए तीन घंटे का समय नियत किया गया है ।

Shri Shiva Chandra Jha : On a point of order, Sir. This is a very important movement, and it has spread all over the country. The Prime Minister has declared this movement unconstitutional and un-Gandhian. It is therefore meet that the Prime Minister is pesent here and replies to the points raised in the discussion. But they do not understand the importance of the subject under discssion.

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह सरकार को विचार करने के लिए एक सुझाव है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : आपने अभी घोषणा की है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा है परन्तु खाद्य तथा कृषि मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं है यह सदन की मान-हानि है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : श्री शिन्दे केन्द्रीय मन्त्री नहीं है और हम चाहते हैं कि केन्द्रीय मन्त्री ही उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की भावनाएं सरकार के सामने व्यक्त कर दी गई है। सरकार को उनपर विचार करना चाहिए। फिर भी एक केन्द्रीय मन्त्री यहां उपस्थित हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री शिन्दे अत्यन्त सक्षम व्यक्ति हैं, परन्तु उनके वरिष्ठ कहां है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री** अन्नासाहेब **शिन्दे**) : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूँ। कुछ कठिनाइयों के कारणवश श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने मुझसे यहां उपस्थित रहने का निवेदन किया है। कुछ समय पश्चात् वह भी यहां आयेंगे। परन्तु माननीय सदस्यों के तर्क मैं समझ नहीं पाया। इस सभा पटल पर मैं इस प्रकार के अनेक मामलों का निपटारा करता रहा हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सामन्तशही के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में भी फखरुद्दीन अली अहमद ने कांग्रेस के संसदीय बोर्ड की बैठक में भूमि सत्याग्रही और भूमि सत्याग्रह आन्दोलन की निन्दा करते हुये इसे अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला आन्दोलन बताया है। आज ये तलाधारी जिन्होंने देश में अव्यवस्था को पृष्ठभूमि तैयार की है इस आन्दोलन की निन्दा करने का साहस करने लगे हैं।

9 अगस्त को प्रजा समाजवादी दल और संयुक्त समाजवादी दल ने समूचे देश में समाजवादी भूमि सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया। अब तक 20,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हो चुके हैं और लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया है। लेकिन सरकार ने उस आन्दोलन के प्रभाव को भूमि को हथियाओं आन्दोलन के रूप में निन्दनीय घोषित करके उसके स्वरूप की निन्दा करने का नियोजित प्रयास किया है। समाजवादियों ने भूमि हथियाओं की निन्दा करने का भरसक प्रयास कि है जिसके फलस्वरूप हिंसा, लूट-पाट, आगजनी और निर्धन किसानों की भूमि तथा अधिकतम सीमा से कम भूमि को भी हथियाने की घटनायें हुई हैं। उन्होंने निर्धन किसानों से दल प्रयोजन के लिये धन एकत्र करने की निन्दा की है। सरकार भी यह कहने से समर्थ नहीं होगी कि कहीं भी 9 अगस्त के पश्चात एक भी हिंसा की घटना हुई, यद्यपि भूमि सत्याग्रह ने समूचे देश में बल ग्रहण किया है और भविष्य में इससे भी अधिक बल ग्रहण करेगा।

भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गांवों में रहता है और गांवों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सरकार ने विगत 23 वर्षों में भूमि सुधार की समस्या को ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। देश में भूमि विभाजन की प्राचीन प्रणाली चली आ रही है। बताया जाता है कि भारत की 43.40 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या में से 10.30 करोड़ के पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है। वे कुल मिलाकर 67 प्रतिशत जन संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन अनुमानों के अनुसार 1540 से 2100 लाख व्यक्ति 200 रुपये से कम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय की दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।

हमारे मन्त्रीगण, गत वर्ष हुई मुख्य मन्त्रियों की बैठक और विभिन्न राज्यों को शीघ्रता से भूमि सुधार करने के लिये जारी किये गये परिपत्रों के बारे में भी काफी बात करते हैं। लेकिन भूमि सुधारों के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है, जो इस सरकार द्वारा किये गये हैं ? निस्संदेह कुछ राज्यों में भूमि की अधिकता सीमा निर्धारित करने वाले कानून पास किये गये हैं। लेकिन 964,000 एकड़ फालतू भूमि में से केवल 640,000 एकड़ भूमि सरकार द्वारा ली गई है और उसमें से 464,000 एकड़ भूमि भूमि हीनों के बीच बांट दी गई है। किराये दारों और बटाईदारों के निष्कासन तथा बेदखली और भूमि मालिकों द्वारा अपनी इच्छा से भूमि का तथा कथित समर्पण भी जारी है। यदि वास्तविक रूप से अधिकतम सीमा कानूनों को क्रियान्वित किया गया है तो फालतू भूमि का क्या हुआ ? यह फालतू भूमि कहां चली गई ? इस सारी भूमि को भूमि मालिक वर्ग अपने सम्बन्धियों के नाम पर बेनामी भूमि के रूप में छिपा लिया गया है।

यदि सरकार वास्तव में भूमि सुधार के विषय में गम्भीर है तो तुरन्त ही अनिवार्य रूप से कुछ पग उठाये जाने चाहिये और उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिये। फार्मों, वास भूमियों फल बाटिकाओं और बागानों आदि की अधिकतम सीमा कानूनों में से छूट खण्डों को रद्द कर दिया जाना चाहिये। किरायेदारों और बटाईदारों की अवधि की सुरक्षा को तुरन्त राज्य के सीधे सम्पर्क में लाना चाहिये और किरायेदारों और बटाईदारों के अधिकारों को पुश्तैनी बना दिया जाना चाहिये।

इस सभी के अतिरिक्त निष्कासन, बेदखलियों और तथाकथित अपने आप किये गये भूमि के समर्पण तुरन्त रोक दिये जाने चाहिये। स्वयं खेती करने के बहाने पर भूमि को ले लेने के किसी अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करनी चाहिये। समूचे भारत में भूमि की चकबन्दी की जानी चाहिये। बेनामी भूमि प्राप्त करने के लिये एक विशाल आन्दोलन प्रारम्भ किया जाना चाहिये और बेनामी भूमि पर अधिकार करने वालों को दण्ड देने के लिये निवारक कानून लागू किये जाने चाहिये। भूमि समस्याओं का समाधान करने के लिये भूमि न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त भूमि विवादों के सदस्यों में भूमि हीन किसानों, काश्तकारों और बटाईदारों को निःशुल्क वैधिक सहायता दी जानी चाहिये। भूमि सुधार उपचारों के विरुद्ध सभी प्रतिबन्ध हटाने के लिये वैधिक और सांविधिक उपचार तत्काल ही किये जाने चाहिये। कलक्टरी को दण्डनायक के विभाग से अलग किया जाये और राजस्व विभाग तथा भूमि सुधार विभागों की जांच करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये तथा तीव्र भूमि सुधार उपचारों में सहायता प्राप्त करने के लिये कृषक समिति स्थापित की जानी चाहिये। यह सब कुछ मेरे मस्तिष्क की उपज नहीं है बल्कि भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने वाली समिति के निष्कर्षों पर आधारित है।

कभी यह प्रश्न उठा था कि भूमि की समस्या राज्यों का विषय है। भूमि सुधारों को लागू करने के लिये जो कुछ केन्द्र करता है वह सब क्या है ? जो राज्य इन भूमि सुधारों को लागू करने से इन्कार करते हैं उनकी केन्द्र द्वारा दी गयी भूमि सुधार सुविधाओं तथा कृषि सम्बन्धी सभी सुविधाओं को समाप्त कर देना चाहिये।

कई राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में कांग्रेस दल की सरकार है, क्या सत्ताधारी कांग्रेस अपने दल द्वारा शासित इन राज्यों में भूमि सुधार उपचारों को तुरन्त क्रियान्वित नहीं करा सकती ?

भूमि सत्याग्रह को बहुत से लोगों ने असंवैधानिक बताया है। इससे अव्यवस्था फैलेगी। यह तीव्र भूमि सुधार की समस्या का उपयुक्त उत्तर नहीं है। भूमि सुधार क्रियान्वयन समिति ने कहा

है कि प्रशासनिक व्यवस्थायें अपर्याप्त हैं और जनता के मस्तिष्क में अभी भूमि सुधारों में तीव्रता लाने की स्थिति कमजोर है। अनेक राज्यों में भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिये या तो राज्य सरकारें असमन्जस में पड़ी हुई है या उस आवश्यकता पर आराम से विचार कर रही है।

नौकरशाही या तो भ्रष्ट है या स्वार्थनिहित अथवा सामंतशाही लोगों के हाथों की कठपुतली है। आपको मालूम है कि हमारे गांवों में छोटे किसानों को कितनी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। जब तक एक विशाल आन्दोलन द्वारा लोगों को बाध्य नहा किया जाता जब तक हमारे देश में भूमि सुधार उपायों के वास्तविक कार्यान्वयन की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। सरकार को समाजवादियों को इस आन्दोलन के लिए बधाई देनी चाहिये थी क्योंकि उनका वह सत्याग्रह ही भूमि सुधार की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लुईस फिस्चर ने एक बार महात्मा-गांधी से पूछा था कि आप भूमि सुधार किस प्रकार करना चाहते हैं। गांधीजी ने उन्हें तुरन्त उत्तर दिया कि किसान भूमि अपने आप हथिया लेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

आचार्य विनोबाभावे ने भी कई बार कहा है कि यह ठीक है कि मैंने लाखों किसानों में भूमि को पाने की भूख उत्पन्न कर दी है। यदि आवश्यकता हुई तो स्वयं किसान ही इसके लिए प्रतिरोधी आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

कुछ लोग संविधान के उल्लंघन की बात करते हैं। मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि लोगों को भूखा रख कर और उन्हें गरीबो से तड़पा कर क्या बड़े-बड़े जमींदारों और रजवाड़ों ने भगवान् के संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। मैं तो यह कहता हूँ कि यदि सत्ताधारी लोग या सामंतशाह भगवान के संविधान को तोड़ सकते हैं तो इन भूख से तड़प रहे गरीब किसानों को यह पूरा अधिकार है कि वह इस मानव निर्मित संविधान को भी तोड़ डाले यदि वह उन्हें मनुष्यों की तरह जीवन यापन नहीं करने देता।

अब मैं अपने जनसंघी मित्रों से भी एक आध बात कर लूं। वह अपने आप को बहुत देशभक्त कहते हैं और वह है भी। वह स्वामी विवेकानन्द का भी बहुत मान करते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि स्वामी विवेकानन्द भी अपने आप को प्रथम भारतीय समाजवादी मानते थे और इसकी घोषणा उन्होंने 1894 में की थी। यदि स्वामीजी के प्रति वास्तव में इनकी कोई आस्था है तो इन्हें उन के समाजवादी सिद्धान्तों का भी पालन करना चाहिये।

मैं प्रधान मन्त्री से भी यह कहूंगा कि वह कुछ समय के लिये प्रधानमंत्री पद छोड़ कर भूमि सत्याग्रह आन्दोलन का नेतृत्व करें।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मेरे माननीय मित्र श्री समरगुह ने प्रधान मंत्री से अपना पद छोड़ कर भूमि सत्याग्रह में शामिल होने का अनुरोध किया है। यदि वह ऐसा करती हैं। तो यह बहुत खुशी की बात होगी ? परन्तु यह असंभव है क्योंकि प्रधान मंत्री ने तो आज तक खेत नहीं देखा फिर भला वह किसी किसान की झोंगी या खेत में कैसे जायगी ? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के 99.9 प्रतिशत लोगों को इस प्रकार के वक्तव्य सुनने का अवसर नहीं मिलता। परन्तु फिर भी मैं भारत के किसानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्हीं के अथक परिश्रम के फलस्वरूप ही हम अपने देश पर हाल ही में हुये दो

आक्रमणों का सामना कर पाये हैं । उन्होंने हमारे देश की उपज को दुगना बढ़ा दिया है । परन्तु क्या आप को मालूम है कि यह बेचारे किस तरह रहते हैं ? भारत के 95 प्रतिशत किसान ऐसे है जिन्हें दो बार भोजन भी नहीं मिलता । इन लोगों ने देश की गुलामी के चंगुल से बचाया है परन्तु इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता । यहां बिड़ला बन्धुओं को आये दिन भूमि दी जा रही है कभी लखमीपुर में तो कभी अमलाई में । सरकार के सहयोगियों ने सरकार से यह क्यों नहीं पूछा कि बिड़ला बन्धुओं को लाईसेंस क्यों दिये जा रहे हैं । प्रधान मन्त्री के इशारे पर भूमि हथियाओ आन्दोलन में कई लोगों को भाग लेने के लिए कहा गया है । यद्यपि इस देश में भूमि सुधार लाने के किसी भी आन्दोलन का हम स्वागत करते हैं फिर भी हमें हिंसात्मक भूमि हथियाओ आन्दोलन की, चाहे वह जहां कहीं भी हो, भर्त्सना करनी चाहिये । जिन लोगों ने कभी भूमि देखी नहीं जिन्होंने कभी हल को हाथ नहीं लगाया उन्हें भला किसानों के नाम पर बोलने का क्या अधिकार है ? यह लोग केवल जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा करते हैं । यदि सत्ताधारी दल अपने बम्बई वाले संकल्प के प्रति ईमानदार है तो उनकी सरकार उस संकल्प को पूरी तरह से कार्यान्वित करें ।

वास्तव में इस समस्या के दो पहलू है एक आर्थिक और दूसरा राजनीतिक । आज हमारे देश में 900 से 1000 लाख एकड़ भूमि फालतू पड़ी है । परन्तु सरकार ने केवल 23.6 लाख एकड़ भूमि को ही फालतू घोषित किया है । इसमें भी केवल 15.8 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है और केवल 11.4 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया गया है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे तत्काल ही समस्त भूमि का वितरण करना चाहिये । यह एक अनिवार्य चीज है तथा इसे और अधिक देर स्थगित नहीं करना चाहिये । यदि कांग्रेस सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऐसा नहीं किया तो यह उनकी गलती है । इसके साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यदि अन्य दलों की सरकारों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें यह कार्य तुरन्त कर देना चाहिये । धन, सम्पति, शक्ति, तथा राजनीतिक शक्ति आदि जो कुछ भी कुछ एक हाथों में केन्द्रित हो गया है इन सभी का वितरण किया जाना चाहिये ।

कुछ सदस्यों ने सहकारी कृषि के बारे में चर्चा की है । उनका कहना है कि इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया । इसके साथ ही सामूहिक कृषि की बात भी कही गई है और इस कार्य का आरम्भ भूमि हथियाओ आन्दोलन द्वारा किया गया है । हम भारत में सामूहिक कृषि लागू करने के पक्ष में नहीं है । हम चाहते हैं यह एक ऐसी चीज है जिस पर किसानों का स्वामित्व बना रहना ही अभीष्ट है । हम चाहते हैं कि किसानों को जीविका कमाने के लिये काफी भूमि दी जानी चाहिए । काफी भूमि से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि दी जाये । हमारे देश में लगभग 3200 लाख एकड़ भूमि है । इसमें से 18 प्रतिशत या इससे कुछ अधिक भूमि बारहमासी सिंचाई के अन्तर्गत आती है । इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुये हमें भूमि का वितरण बहुत विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिये । प्रत्येक धन्धे के लिए लोगों को लाईसेंस दिये जाने चाहिये । यह किसान लोग यदि कल कोई और काज करना चाहे तो उन्हें इसकी पूर्ण स्वतंन्त्रता होनी चाहिये । इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये । आज सभी लोग कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बात करते हैं क्या कभी किसी ने किसानों को प्राकृतिक प्रकोप के विरुद्ध कोई भत्ता देने की बात भी कही है ? हमें इन लोगों की इस प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I do not understand the significance of Land Grab Mo-

vement. Every State has a legislation in respect of land ceiling. It is for the State concerned to enforce the same. In my opinion land grab movement is nothing but vote grab movement. The Prime Minister and Shri Jagjiwan Ram have also condemned this movement and said that no one should occupy the land forcibly. S. S. P., P. S. P., and C. P. I. have launched this movement. It has been observed that people who are participating in this movement have got much more land than the prescribed ceiling. They do not vacate their ownland but grab others land.

The land grab movement has been launched at a time when it can affect the production of foodgrains. In view of this these people are working against the national interest. on one hand this leftist group is against the import of foodgrains from U. S. A. and on the other hand they have started this movement which may adversely affect our production. They do not want to grab magnificient buildings of urban areas but they want to grab land of the farmers. These people should vacate their land in the first instance and thon work in rural areas and only then we can consider them as patriots.

The Central Government have a right to give directions to the State Government s in order to maintain law and order. The Government should have dealt with the people participating in this movement firmly. This movement has failed in Bihar because they had to face stiff resistance put forth by the farmers. C. P. I. should have persuaded the Chief Minister of Bihar to enforce the legislation pertaining to the ceiling of land instead of launching this movement. The State Government should enforce Land Ceiling Act and stop land grab movement because it will affect our production.

In case Government continues depending on Communist Party and Praja Socialist Party then there will be a anarchy and confusion in the country. These people are power hungry **(Interruptions)**. The Government should enforce law and the Constitution in letter and spirit.

I would suggest that Government should distribute the land which is not required by them. The Government should earmark the land for different purposes e.g. agricultural land, industries, roads, residential, etc. The Government should set up a committee to suggest measures for land reforms in view of the fact that the planning done by the Planning Commission is defective and the land grab movement is illegal.

श्री रंगा (श्रोकाकुलम) : भूमि हथियाग्रो ग्रान्दोलन को समाजवादी भूमि ग्रान्दोलन कहा गया है। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास कर लें कि इस ग्रांदोलन से किसान भूमि के मालिक बन जायेंगे। क्या साम्यवादी लोग इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं ? उन्हें पता होना चाहिये कि जहाँ कहीं साम्यवादियों ने सत्ता सम्भाली है उन्होंने किसानों के स्वामित्व को समाप्त किया है। ग्रतः वे इस देश के लाखों किसानों को यह कह कर धोखा दे रहे हैं कि वे कुछ भूमि हथिया कर उनमें बांट देंगे। हमने स्वयं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ग्रौर बंगाल में जमीनदारो समाप्त की है, कांग्रेस सरकार ने जिस कानून को स्वयं पास किया था, लागू नहीं किया है। जब संयुक्त समाजवादी दल, साम्यवादी दल ग्रौर ये ग्रन्य सब लोग जो संयुक्त विधायक दल की सरकारों में साझेदार थे, इन्होंने उस समय भूमि सुधार सम्बन्धी कानून को लागू क्यों नहीं किया था ?

ग्रगले दिन बिहार में मैं यह देख कर चकित रह गया कि बहुत से जमीनदार ग्रब भी किसानों से भूमि राजस्व वसूल कर रहे हैं ग्रौर सरकार उनसे वह राजस्व वसूल करने का प्रयत्न कर रही है। कानून बनने के बाद जब यह भूमि सरकार की बन गई थी तो फिर ये जमीनदार इस जमीन पर ग्रभी तक कैसे कब्जा किये हुए हैं ? इस सम्बन्ध में ग्रब तक कोई कार्यवाही क्यों

नहीं की गई है ? यह बात बिलकुल ठीक है कि यह आन्दोलन मत प्राप्त करने के लिये चलाया गया है।

किसानों में अधिकांश लोग कुछ भूमि के स्वामी हैं। क्या ये लोग उनको इस भूमि से वंचित करना चाहते हैं। ये लोग पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं और भूमि सुधार लागू नहीं कर सके हैं, अब ये पददलित, पिछड़े और बेकार लोगों के मित्र बनते हैं।

खेतिहरों को भूमि चाहिये और हम चाहते हैं कि उनमें अधिक से अधिक भूमि बांटी जाये। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भूमि सरकार को दी जाये। सरकारी भूमि के वितरण में विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ? जहां तक काश्तकारों का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि इन्हें 10 या 15 वर्ष के लिये स्थायी रूप से भूमि दी जानी चाहिये और उनका किराया उचित सीमा तक कम कर दिया जाना चाहिये। परन्तु इसको क्रियान्वित करने में कांग्रेस सरकार हर स्थान पर असफल रही है।

अब जब किसानों ने इस आन्दोलन का विरोध किया है तो ये लोग कहते हैं कि इस आन्दोलन को स्थगित किया जा रहा है (**व्यवधान**) एक समय था जब यदि एक किसान दूसरे किसान की भूमि का अतिक्रमण करता था, जो एक एकड़ भूमि का छठा भाग होता था, तो वे न्यायालय में जाते थे। मैं इस देश के लाखों किसानों से कहना चाहता हूं कि वे अपनी भूमि की रक्षा स्वयं करें और भूमि हथियाने वाले लोगों का मुकाबला करें तथा इनके कार्य को असफल बना दें। हम किसानों तथा उनके अधिकारों के समर्थक हैं। हम भूमि हथियाओ आन्दोलन को नहीं चलने देंगे (**व्यवधान**) हम भूमि सुधार लागू करने के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि काश्तकारों की रक्षा की जाये, किसानों को स्वामित्व अधिकार दे दिये जायें और उन्हें ऋण, सिंचाई, नलकूप के लिये बिजली, मकान के लिये स्थान तथा आवास सम्बन्धी सुविधाएँ दी जायें। इन सुविधाओं के बजाय उन्हें दुर्भिक्ष, सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। दैवी आपदाओं के कारण इन किसानों को करोड़ों रुपयों की हानि उठानी पड़ी है। दुर्भिक्ष और बाढ़ आदि आपदाओं के कारण राजस्थान में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। इन लोगों ने उनके लिये अब तक क्या किया है ? इनकी सरकारों में राजा मंत्री बने रहे हैं। हम यह नहीं चाहते कि बड़े-बड़े फार्म ऐसे लोगों के पास रहें जो स्वयं खेती नहीं करते हैं। परन्तु इसके साथ ही आम जनता को भी शक्तिशाली बनाना है। उन्हें डराना नहीं चाहिये।

मैं भूमि हथियाओ आन्दोलन चलाने वालों को चुनौती दे सकता हूँ कि समय आने पर हजारों की संख्या में मिलकर किसान इन लोगों को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये किसानों के वास्तविक शत्रु हैं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The people, who are pleading for the welfare of agriculturists, know nothing about the villages or agriculture. It is not so easy to grab land of the farmers. These farmers will crush this movement and its supporters.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
SHRI VASUDEVAN NAIR IN THE CHAIR]

We know the motive behind this movement. They want to deprive the farmers of their land who are having 10 to 20 bighas of land. The grabbing aspect of the movement is not confined only to land but it extends to factory, car, cycle and shop

also. It is true that our achievement is not very satisfactory but still something has been done in this respect. Ceiling on land has been fixed and some people have got the land also. I want that legislative enactments should be enforced atonce. The farmers should be given a guarantee that the land within the ceiling will not be touched.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस सभा में उन्माद अनर्हता है या नहीं ?

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Randhir Singh : I want to tell the farmers to be alert. These people are brokers of big capitalists. They want to suppress the farmers. They want to follow the policy of divide and rule. The farmers have an important role to play in our country. In case they continue this type of activities, they will be put behind the bars. I am astonished to see as to how our socialist friends have joined hands with the communists. They are exploiting the farmers and this will surely recoil on them.

I agree that much remains to be done in regard to land reforms and I would request you to fix a time limit for their implementation. The Prime Minister has set up a committee for this purpose. In fact we want to do something but our Communist brotheren want to thwart our efforts. Their cheap publicity tactics can neither bring credit to them nor land to the landless.

In addition to the land Reforms we want that ceiling on urban property, trade and commerce, banks, stock and share, salary and income should also be fixed and this should be uniform throughout the country.

The poor farmers are facing hardships and they are unable to pay the land revenue. I do not object to the occupation of big farms but they have started occupying the land of these Jawans who have to fight the enemies. They want to grab land forcibly. We will resist this movement. At the same time we shall distribute the surplus land to Advisis, Harijans and the Backward Classes. The relevant law should be enforced for this purpose. We should amend the law or the Constitution, if necessary, to achieve this object. But the land falling within the ceiling should not be touched, otherwise the results will be disastrous.

I support this motion to the extent of land reforms but I condemn the land grab movement emphatically. The Government should curb these activities with a firm hand.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The subject under disucssion is an important one and it requires a serious. consideration. The Government has failed to introduce suitable land reforms in the country during the last twenty three years. The laws for abolition of Zamindari system and for fixing of ceilings on land holdings are framed, but, unfortunately, they are not implemented.

In some states, laws about land ceilings have not even been enacted. The conference of Chief Ministers of States held last year, had recommended that laws about land reforms should be implemented by the end of 1970. But the year is coming to an end and no progress has been made in that direction. The centre is helpless. because the states are not prepared to implement these laws. The reason for non-implementation of these laws is that the power is in the hands of big farmers. Whatever land is rendered surplus after enforcing laws regarding land ceilings is noc distributed properly. The people occupy benami land. The U. P. Zamindari Abolition Act is a progressive law in comparison to those in other States, but whatever land is rendered surplus is ocupied by a handful of people of the village.

The present movement of land grabbing is not desirable. If it is necessary, it should be in the form of a Satyagraha before the Prime Minister's residence, because it is the Govern-

ment which is responsible for this state of affairs, We would have joined this movemnet had it been in that form. But people are trying to gain cheap popularity in the name of movement for land reforms. It is not the proper way to get the laws changed. The equality cannot be brought about in this way. As a matter of fact, the laws about land reforms are defective. These laws should either be changed or the defects therein should be removed. The ceiling on land holdings should be fixed by Parliament. Nowadays even the land of small farmers is also being grabbed. The equality cannot be brought about by forcibly occupying the land in this way.

The Government should make an announcement fixing the time limit for implementing land reforms and ensure that these reforms are introduced by the time fixed for the purpose. In my individual opinion, I am not in favour of reducing the ceiling on land holdings. There should be a feeling of stability in the minds of the farmers, otherwise there will not be sufficient investment in agriculture. The aim of distribution of surplus land is to make the country self sufficient in food grains. The real problem is that there is less land and the hunger for land is more. This is a reactionary movement inasmuch as it increases hunger for land. The solution of the problem is that land reforms should be vigourously implemented, production of foodgrains per acre should be increased, Harijans, Adivasis or landless people should be distributed fallow land after its reclamation and a net-work of small and medium industries should be established to provide employment to villagers.

The Dhebar Commission had observed that according to the law the land belonging to Adivasis cannot be given to Non-Adivasis without the permission of the authority concerned. But this law has been violated and several lakhs of land has gone to Non-Adivasis. The Dehbar Commission had recommended that this land should be restored to them. Even this recommendation has not been implemented.

The landless people should either be provided land or in alternative employment. If that is not done, we will not be able to develop the country.

This is a complex problem and it should not be exploited for political ends. The situation is deteriorating and it is a warning to the Government. The movement should have been a peaceful one and included a programme to provide employment to every young man.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : It is an admitted and recognized fact that many land reforms have been introduced. The Congress Party has done a lot for the upligt of farmers in the pre-independence and post-independence periods and measures such as Zamindari abolition and jagirdari abolition etc. had been passed. But it is also true that desired progress has not so far been achieved in this direction. This is a State subject and the State Governments should have discharged their responsibilities properly.

Rajasthan is one of the States, which has set an example in the land reforms. There is no Batai system now. The tiller is the owner of the land there. But even these reforms are not sufficient.

A vast majority of the people in villages has no land and they have to depend upon big zamindars. The Harijans, Adivasis and labourers are still landless there. The condition in the villages is very poor and there is wide. spread unemployment. Legislative enactments regarding land reforms are not being implemented properly.

The present movement of land grabbing is not a proper way to solve this problem. This would lead to violence and things would go from bad to worse. The allegations and counter-allegaions would not serve any purpose.

This movement deserves appreciation in one sense that it had focussed the attention of the people on this problem. But the tendency to grab land of small landholders and to take recourse to violence is dangerous. Moreover, this movement is politically motivated.

The political parties and their leaders should give a serious thought to this problem and devise measures to solve it. We have to bring about development in the country-side and have to remove regional imbalances. The ruling party should chalk out a time-bound programme for land reforms which should be implemented by the State Governments where this party is in power.

श्री बी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : सभापति महोदय 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन पर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं तमिलनाडु राज्य में हमारे दल की सरकार के शासन में किये गये भूमि-वितरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार ने जो भूमि-सुधार अधिनियम बनाया था, उसमें कई त्रुटियां थी। उसके अनुसार एक व्यस्क को 30 मानक-एकड़ भूमि रखने का अधिकार प्राप्त था और एक घर में पांच परिवार रह सकते थे तथा वे कुल मिलाकर 300 या 400 एकड़ भूमि अपने अधिकार में रख सकते थे। इस कानून के द्वारा कुछ जमींदारों को चरागाह, दुग्धशाला फार्म पशुपालन केन्द्र और गन्ना उत्पादन के लिए अतिरिक्त भूमि रखने की छूट दी गई थी उस अधिनियम में 'परिवार मानक एकड़' को परिभाषाओं में अस्पष्टता थी उसमें भूमि के वर्गीकरण की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। हमारे दल ने सत्ता में आते ही उक्त अधिनियम की इन सब त्रुटियों को दूर किया। प्रति व्यक्ति मानव एकड़ की सीमा 30 से घटाकर केवल 15 कर दी गई। जो गरीब किसान 5 वर्ष से अधिक से सरकार की भूमि पर काश्तकार रहे थे, उनके नाम उस भूमि के स्थायी पट्टे कर दिये गये। हमने जो भूमि-सुधार अधिनियम बनाये उनमें वे सब त्रुटियां दूर कर दी गईं जो कांग्रेस सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम में थी। जमींदारों को चरागाह आदि के लिए जो छूट उन्होंने दे रखी थी वह भी समाप्त कर दी गई है। हमारे दल की सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति यह है कि वास्तविक काश्तकार भूमि का मालिक हो ताकि वह अधिक उत्पादन में रुचि ले सके और साथ ही जमींदारी के अवशेष समाप्त हो जाये। हम यह भी चाहते हैं कि स्थायी पट्टा उत्तराधिकारियों के नाम स्थानान्तरित होता जाये। ऐसे ही अन्य कदम भी उठाये जायेंगे।

जहां तक 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन का सम्बन्ध है, मैं इसे अवैध मानता हूं। जिस प्रकार गली में बटुआ छीने जाने को 'चोरी' कहा जाता है उसी प्रकार दिन-दहाड़े भूमि छीनने को 'डाका' कहा जाना चाहिये। आत्म रक्षा का अधिकार भूमि पर भी लागू होता है। अतः आत्म रक्षा के लिए भू-स्वामी हथियार तक का सहारा ले सकता है। वैसे मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जिस स्थिति में यह आन्दोलन शुरू हुआ है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। वह गत 22 वर्षों में भूमि की समस्या को हल नहीं कर सकी। मुझे आश्चर्य हुआ, जब मैंने पांडिचेरी में 'बंगाल में भूमि-छीनो आन्दोलन' नामक चलचित्र देखा। सूचना मंत्रालय ने कैसे इस चित्र को प्रदर्शन के लिए जारी कर दिया। यह तो अपराध को उकसावा देना है। क्या सूचना मंत्रालय एक कत्ल के मामले का चलचित्र लेकर उसका प्रदर्शन कर सकती है? यदि नहीं तो 'भूमि-छीनो' आन्दोलन के चलचित्र के प्रदर्शन की अनुमति सूचना मंत्रालय ने क्यों दी? जो व्यक्ति व्यवस्थित और शान्त जीवन चाहता है, जो आत्म-सम्मान की रक्षा करना चाहता है, वह अवश्य ही ऐसे आन्दोलन की भर्त्सना करेगा।

प्रश्न यह है कि क्या हम व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या अव्यवस्थित। आप समाजवाद संवैधानिक तरीके से लाभ चाहते हैं या तलवार और गोलियाँ चलाकर? यदि आप

तलवार या गोली चला कर समाजवाद लाना चाहते हैं तो भारत भूमि आपके लिए नहीं। ऐसे लोगों को तो रूस या चीन चले जाना चाहिए। मेरे मित्र (श्री बनर्जी) कहते हैं कि हम खूनी क्रान्ति चाहते हैं। किन्तु वह खून किसका पीना चाहते हैं ? मुझे भय है कि जो लोग खून पीना चाहते हैं कहीं लोग उनका ही खून न पीं जायें। क्या सचमुच श्री ढांगे जनतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं ? एक ओर आप संविधान के अन्तर्गत शपथ लेते हैं दूसरी ओर आप संविधान को भंग करने पर उतारू हैं। चाहे ये लोग भारत में जनता को कितने ही क्यों न फुसलाएं किन्तु वह उनके बहकावे में आने वाली नहीं है।

अन्त में मैं एक बार फिर इस अबुद्धिमत्तापूर्ण और अन्धे आन्दोलन की भर्त्सना करता हुं और आशा करता हूं कि वह बन्द कर दिया जायेगा।

***श्री को० सूर्यनारायण** (एल्लूरु) : सभापति महोदय मैं पहले तेलुगु में बोलूंगा और बाद में अंग्रेजी में। मेरे विचार से यह आन्दोलन शुरू होने के कारण यह है कि भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। मुझे दुख है कि कांग्रेस दल सत्ता में होते हुए भूमि-सुधार सम्बन्धी अच्छे कानून बना सकता है और उन्हें क्रियान्वित भी कर सकता है किन्तु वह ऐसा नहीं कर रहा है। इसके विपरीत हम सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। शासक दल इसका समर्थन राजनीतिक कारणों से कर रहा है और राजनीतिक आदर्श के स्तर को निम्न बना रहा है।

कृषि सम्बन्धी थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि एक किसान के लिए दो या तीन एकड़ की अधिकतम सीमा रखी जाये। यदि ऐसा कर भी दिया गया तो इससे न किसानों को लाभ होगा और न अन्य सामान्य लोगों को। इससे तो बैंकों के मालिकों और दलाल व्यक्तियों को लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि 'भूमि जोतदार की' यह जो नारा अब उठाया जा रहा है, यह भी बेहूदा है। आज तो ट्रैक्टर का युग है, बैल तो कुछ ही स्थानों पर काम करते हैं। यह कैसे हो सकता है कि भूमि या भूमि की उपज उस मजदूर को दे दी जाये जो उस पर काम करने के लिए मजदूरी पर लगाया गया है।

[तेलगू भाषण का रूपान्तर समाप्त]

अब यह नारा लगाया जा रहा है कि धान की जो फसल अभी काटी गई है, वह जोतदार को मिलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो स्थिति और भी अधिक विषम होगी। इस समस्या का समाधान तत्काल किया जाना चाहिए। साम्यवादी दल ये सब बातें करा रहा है। आगामी निर्वाचनों में मत प्राप्त करने के लिए साम्यवादी दल ने यह आन्दोलन शुरू किया है। 1967 के आम चुनाव के कुछ समय पहले भी साम्यवादियों ने लोगों को आकृष्ट करने के लिए लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था और इस्पात कारखानों के लिए सत्याग्रह किया था। आगामी सामान्य निर्वाचन को ध्यान में रख कर ही साम्यवादी दल 'भूमि–छीनो' आन्दोलन का समर्थन कर रहा है। हमारे कुछ कांग्रेसी भाई भी इस चुनाव-हथकंडे पर विश्वास करने लग गये हैं।

हमें समाजवाद लाना चाहिये और अवश्य लाना चाहिए, किन्तु गांधीवादी रीति से। गांधी जी ने कहा था कि 'समाजवाद में समाज के सभी व्यक्ति समान होते हैं—कोई छोटा और कोई

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.

बड़ा नहीं होता।' हम गांधी के समाजवाद के समर्थक हैं। हम रूसी समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद नहीं चाहते। हम जो भी करें, वह व्यावहारिक होना चाहिए। भूमि उसे दी जानी चाहिए जो वहाँ रहता है और उस पर काश्त करता है।

साम्यवादी दल (दक्षिण) इस आन्दोलन में सक्रिय भाग ले रहा है। आन्ध्र प्रदेश में साम्यवादी नेता प्रचार कर रहे हैं कि प्रत्येक किसान को 5 एकड़ भूमि और एक गाय दी जायेगी। इस प्रकार के वायदे उनसे मत प्राप्त करने के लिये किये जा रहे हैं। विधि-निर्माता ही विधि-भंग करने में अगुआ क्यों बनें। श्री ढांगें निसंदेह एक राष्ट्रीय नेता हैं, किन्तु वह रुग्णावस्था में ही जेल क्यों गये और वहां जाकर यह शिकायत क्यों की कि उन्हें उचित उपचार नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः मैं अपने दल तथा अन्य दलों से भी यह अपील करता हूँ कि वे यह आन्दोलन छोड़ दें और इन प्रश्नों को हल करने के लिए शान्तिपूर्ण और संवैधानिक रीति अपनायें। मेरे विचार से 'भूमि-छीनो' आन्दोलन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को ठीक ढंग से लागू किया जाये। इस प्रकार के आन्दोलन से लोगों को धोखा न दिया जाये। यदि कानूनों में दोष है तो उनमें संशोधन करके उन्हें दूर किया जाये। आप गरीबों को भूमि दें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा यह अनुरोध है कि आप भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों को शान्तिपूर्ण ढंग से लागू करें।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Many people may not like our land grab movement and they have criticised it. But they will admit that this movement has produced some good results. It has exposed the truth that in this country even to day many big landlords have thousands of acres of land. Birlas have 80 thousand acres. How has he acquired it? He has not purchased all these lands. In Bihar no person can own land more than 500 acres. But inspite of that many landlords have big farms.

Under which law are there people authorised to own so much land? There is no law in the country which authorises Birlas to own 80 thousand acres, When we draw attention of the Government to this point we are branded as land grabbers. I want that this rule must also be applicable to them, when the Government machinery fails to secure justice to the landless, we are left with no other alternative except this.

We went there but it was not our aim to take away the lands. But we demonstrated by our action that according to British law, this land is uncultivated land. Under Tenancy Act the trustee has no right to possess this land and it belongs to Government. If this Government machinery fails in its duty and we launch agitation then we are called land grabbers.

Our movement has exposed the big landlords and also showed that laws, enacted for land reforms, have not been implemented. This movement has created consciousness among the masses that land reforms Acts should be implemented. If this movement has roused the enthusiasm of the people, should we not welcome it,

This is not an ordinary movement because it has opened up new vistas of hope for the country.

Much is being said against this movement. It has been branded as land grab movement. But this is not so. It is a land liberation movement. The big people have forcefully occupied the lands in definace of laws. The aim of this movement is to liberate the land from their clutches. So it is a land liberation movement

There is 21 crore acres of such land. which calls for distribution. Nine crore acres of land belongs to Government which has been usurped by the landlords through fradulent means.. The rest nine crores acres also belongs to Government. I am quoting the figures ofthe National Sample Survey. Three crores acres of lands comes under forests which is

neither preserved nor protected. In this way 21 crores acres of land should be distributed. Many hon. Members have wrongly stated that land will be grabbed promiscuously. I do not know how this has come up in their mind. I want to state clearly that this movement is aimed at taking away only more lands whichis in excess of the ceiling laid down. Now how do the small farmers come in the picture ? Our only aim is to help them.

In our Society only five percent people are in possession of more than twenty acres of land. One third of cultivable lands is concentrated in their hands On the other hand serventy five percent of the population have less than five acres of land. Our movement is amied at to remove this disparity. It fs fantastic to say that we are against the people. We only say that those lands should be recovered which have been illegally occupied by the big land lords. Our whole struggle is aimed at this.

Now the question arises why the land reforms should not be imple mented through legislation and why agitation should be resorted to. You are seeing that laws are being ignored knowingly. The law says that no land should be taken away from tribal people. But in fact lakhs of acres of land belonging to the tribal population has been usurped . There is the Tenancy Act in our country. But things do not go according to this act. It is our experience that unless the movement is launched, this cannot be implemented. You might say that our movement should be peace ful and not violent. But we have not done any violence. The landless Harijans have been the victims. of landlords through centuries. No one says against those landlords. The Prime Minister says that this movement is against the constitution and democracy. It is rather strange that even when we resort to peaceful movement, such charges are levelled against us.

Article 14 of our Constitution says that all are equal before law and equal protection should be given to all. But instead of giving protection to Harijans, agricultural labourers, it is being given to big landlords.

It is said that this movement is politically motivated and it is a vote grab movement. But such vote grab movement is adopted by those who are protecting Birlas and not by those who are struggling to safeguard the law and the constitution. I am surprised why shrimati Indira Gandhi is speaking against it when she had nationalised the banks last year.

The problem of land reform cannot be postponed. If the country is to progress, it must be solved by the end of 1970. It cannot be done only by amending the laws. The land ceiling Act should be enforced . Those who are interested in land reforms should start movement to recover lands from the clutches of landlords and distribute it among the land less.

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (चम्बा) : इस प्रस्ताव के दो पहलू हैं, पहला, भूमि सुधार और दूसरा भूमि छीनो आन्दोलन हैं, स्वयं भूमि सुधार के विभिन्न पहलू हैं, पहला, कि भूमि की कितनी अधिकतम सीमा होनी चाहिए, दूसरा कि कितनी आर्थिक जोत की भूमि होनी चाहिए, तीसरा, उन भूमि हीन व्यक्तियों के साथ क्या किथा जाये जिनके पास भूभि पर कार्य करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।

सरकार ने गत 20 वर्षों में विभिन्न भूमि संबन्धी कानून पारित किये हैं जिसके अंतर्गत भूमि जोत पर अधिकतम सीमा लागू किया गया है, परन्तु दुःख का विषय है कि इन कानूनों को लागू नहीं किया गया है और दूसरा भूमि संबधी कानून में कई कमियाँ रह गई हैं जिससे बहुत से व्यक्तियों ने इससे लाभ उठाया है । अब एक जोत को इस अधिकतम सीमा को कठोरता से लागू किया जाये, भूमि राज्य का विषय है । राज्य करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। केरल में, जो कि

भूमि सुधार के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर बातें करते हैं; बागानों पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं है। पश्चिमी बंगाल में भी यही बात है, वहां कुछ समय से कांग्रेसी सरकार नहीं है पर वहां बागानों पर अधिकतम सीमा लागू नहीं है, यह कहा जाता था कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भूमि संबंधी कानून को प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया है, अब केरल तथा पश्चिमी बंगाल में कुछ समय से कांग्रेसी सरकार नहीं है तो फिर भूमि संबधी कानून को लागू करने में क्या रुकावट हो रही है। तमिलनाडु में वहां की सरकार भूमि संबधी कानूनों को लागू कर रही है वे अभी भी अधिकतम सीमा को कम करने में लगे हुए है ऐसा नहीं है कि उन्होंने वास्तव में इसको पूरा कर लिया है। मेरे पास अन्य राज्य सरकारों द्वारा कार्यों का वृत्तान्त है, उससे पता चलता है कि वास्तव में उनका मन्तव्य लोगों को राहत पहुंचाना नहीं है अपितु इस मामले को बनाये रखना है ताकि उन्हें 1972 में आगामी आम चुनाव में जीतने में सफलता मिले; यह सन 1972 में आम चुनाव को दृष्टि में रखकर किया जा रहा है। परन्तु इस आंदोलन को जनता से समर्थन नहीं मिला है।

इस समस्या का यह समाधान है कि भूमि की अधिकतम सीमा लागू की जाये तथा भूमि संबधी कानूनों को प्रभावी तौर पर क्रियान्वित किया जाये। हम चाहते हैं कि भूमि सुधार शीघ्र ही किया जाये, किसी भी राज्य सरकार ने आर्थिक जोत के प्रश्न पर विचार नहीं किया है जिससे कि एक किसान अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, सब राज्य केवल नारें लगाना चाहते है। किसी ने भी इस आशय का कोई भी कानून पारित नहीं किया है कि एक सीमा के बाद भूमि के और टुकड़े नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रतिपक्ष दल के सदस्यों तथा मंत्रियों ने जो सत्तारूढ़ हुए, इस बारे में कुछ कहा है। उनमें इतना भी साहस नहीं है कि वे फसल बीमा योजना लागू कर सकें जिसमें गरीब किसानों और समाज के दुर्बल वर्गों को सुरक्षा मिल सके, वास्तव में उनका इन वर्गों के लोगों की भलाई करने का कोई विचार नहीं है। केवल भूमि छीनना ही उनका एकमात्र उद्देश्य हैं। उनकी दृष्टि 1972 में आम चुनावों की ओर है।

आवश्यकता इस बात की है कि भूमि सुधार में तेजी लाई जाये, यदि राजनीतिक दल समाज के दुर्बल वर्गों की भलाई करने के बारे में वास्तव में ही इच्छुक हैं तो वे क्यों नहीं भूमि सुधार के क्रियान्वयन का भार केन्द्रीय सरकार को सौंप देते हैं और राज्यों से इस अधिकार को ले लेते हैं ? वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भय है कि वे फिर नारे नहीं लगा सकेंगे।

यह कहा जाता है कि भूमि छीनो आंदोलन गरीब व्यक्तियों का आंदोलन है यह आंदोलन सामाजिक असमानता के कारण हुआ है, परन्तु इसका वास्तविक लाभ समाज विरोधी तत्वों को पहुंचेगा, भूमि छीनते समय यह नहीं देखा जाता है कि यह भूमि किसी गरीब व्यक्ति की है या किसी अमीर व्यक्ति को वे अमीर व्यक्तियों की भूमि तो छीन नहीं सकते क्योंकि उन्हें पुलिस का संरक्षण मिला होता है जबकि गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए उसकी भूमि छीन ली जाती है तथा फसल आदि नष्ट कर दी जाती है, इस आंदोलन पर यही सबसे बड़ा आरोप है, उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा की हुई है परन्तु प्रतिज्ञा लेने के उपरान्त उन्होंने समाज की नींव को तोड़ने के लिए हर प्रयास किये में उन पर इसी का सबसे बड़ा आरोप लगाता हूं।

श्री नाथ पाई (राजापुर): वे मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि संसद सदस्य होने के नाते मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, उसी के कारण मैं अपना यह अधिकार

समझता हूं कि बम्बई के पुलिस आयुक्त के आदेश का उल्लंघन किया जाये, वे बार-बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान में कहा गया है कि राज्य जनता की भलाई के लिए हर प्रयत्न करेगी मैंने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है, संविधान में एक अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति ऐसी बनायेगी जिससे सभी नागरिकों को अपनी जीविका कमाने का समान अधिकार होगा। चूंकि हमारे लाखों लोगों को इस अधिकार से वंचित किया गया है अतएव हम आंदोलन कर रहे हैं, हमने यह आंदोलन इसलिए किया है ताकि संविधान में उल्लिखित बात के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें किसी की भूमि छीनने के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ है अपितु यह तो अतिरिक्त भूमि को ले लेने का प्रयास है।

श्री विक्रम चन्द महाजन : उन्होंने कहा है कि मैंने गलत वक्तव्य दिया है संसद सदस्य बनते समय जो हमने शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया गया है। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने श्री महाजन को यह कहते सुना है ......*

सभापति महोदय : जो श्री बनर्जी ने कहा है वह कार्यवाही वृत्तान्त में समिलित नहीं किया जायेगा। श्री उमानाथ।

श्री उमानाथ (पुदूकोटै) : स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी भूमि सुधारों के बारे में चर्चा करना निरर्थक है। आज देश में किसान भूमि चाहता है न कि भूमि सुधार पर चर्चा करना चाहता है। इसके बावजूद भी खाद्य मंत्रालय ने क्या किया है? उन्होंने अपने मंत्रालय में एक विभाग खोल दिया है। इस देश में प्रगति शील कही जाने वाली प्रधान मंत्री ने भूमि सुधार के गहराई का अध्ययन करने के लिए 24 सदस्यीय समिति बनायी है, मानो कि अब तक इस पर कोई अध्ययन ही न हुआ हो।

योजना आयोग, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस विषय का अध्ययन किया है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कई बार इस भूमि सुधार में प्रगति का सर्वेक्षण किया गया है। प्रधान मंत्री के गृह मंत्रालय ने भी भूमि सुधार के क्रियान्वयन और परिणाम आदि का अध्ययन किया है। अब फिर वह नई समिति किसलिए चाहती है। यह सब चुनाव के पूर्व अपने स्थिति को सुदृढ़ बनाना है।

यह स्पष्ट हो गया है कि कृषि क्रान्ति का भूमि सुधार से कोई संबन्ध नहीं है। कृषि क्रांति से तो जमींदारों को लाभ पहुँचा है और किसान गरीब हो गये हैं। यह तथ्य है कि सरकार द्वारा भूमि सुधारों के घोषणा के बावजूद भी कोई भी भूमि सुधार नहीं होगा क्योंकि सरकार भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में असमर्थ है। वह इसलिए असमर्थ है क्योंकि इन्दिरा की कांग्रेस उन जमींदारों के साथ मिली हुई है जिसको इस आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया है। सरकारी तंत्र भी उनके साथ मिला हुआ है। वह इसलिए भी असमर्थ है क्योंकि संविधान इन तथाकथित जमींदारों का

***कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**

*Not Recorded.

विरोधी नहीं है, इन्हीं कमजोरियों को दबाने के लिए सरकार इन तथाकथित समितियों को नियुक्त कर रही है ।

यह एक तथ्य है कि वास्तविक भूमि सुधार केवल किसानों द्वारा ही संगठित रूप में हो सकता है जो कि पुलिस जुल्म के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भूमि सुधारों को लागू करेगी ।

इस सभा में कुछ सदस्यों ने इस आंदोलन के विरुद्ध बड़ा शोर मचाया है मानो कि भारतीय साम्यवादी दल के नेता भूमि छीनने के लिये भूमिहीनों को वहां ले जा रहे हैं । क्या उन्होंने यह नहीं देखा है कि भारतीय साम्यवादी दल ने जब किसानों को भूमि छीनने के लिये कहा तो उसी समय पुलिस वालों को भी समय, स्थान आदि के बारे में सूचित किया था । यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें पुलिस वालों को लोगों को पकड़ने के लिये कहा जा रहा है न कि लोगों को भूमि छीनने के लिये कहा जा रहा है । जब भी भूमिहीन किसान भूमि को छीन लेते हैं तो भारतीय साम्यवादी दल के नेता भड़क उठते हैं , पश्चिमी बंगाल में भूमि हीनों ने सरकारी भूमि तथा जोतदारों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की हुई 6½ लाख एकड़ भूमि छीन ली तो भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं ने केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर बंगला कांग्रेस को पदच्युत किया ।

केरल में लगभग 1 लाख कुडी कि दाण्पुकरर्स से ने कब्जा की हुई भूमि में बाड़ लगा लिया तो भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं ने उनको दबाने और परेशान करने में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की मदद ली । इस प्रकार आप ने देखा है कि यह भूमि छीनों आंदोलन की घोषणा करती है तो भारतीय समाजवादी दल उन भूमिहीनों पर गोली चलाती है जो भूमि पर स्थायी रूप से कब्जा करना चाहते हैं । भूमि हीनों का असंतोष देश के सम्पूर्ण भाग में फैल गया हैं । भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं को भय है कि यदि यह पश्चिमी बंगाल तथा केरल के किसानों का आंदोलन देश के अन्य भागों में फैलेगा तो इससे उनके लिये खतरा पैदा हो जायेगा । किसानों को इस मार्ग को अपनाने से रोकने के लिये भारतीय साम्यवादी दल ने यह आन्दोलन चलाया है । इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य किसानों में यह भ्रम पैदा करता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी वास्तव में ही भूमि सुधार चाहती हैं और इस आंदोलन से उसके हाथ मजबूत होंगे । इसीलिये फिल्म डिवीजन वालों को पश्चिमी बंगाल और केरल में उनके चित्र उतारने के लिये भेजा गया था ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी भली भाँति जानती हैं कि जमींदारों के वास्तविक हित क्या हैं और उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है और फिर भी बहुत सी राज्य सरकारों को यह आंदोलन पसन्द नहीं है क्योंकि उनके विचार में इसमें खतरा है जिसको वे मोल लेना नहीं चाहेंगी । उन्होंने धारा 144 लगाकर उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया । मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके सहयोगी भारतीय साम्यवाद दल को यह आगाह कर देना चाहता हूं कि वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे और अंत में किसानों को ही संगठित होकर भूमि पर कब्जा करना पड़ेगा ।

मैं स्वतंत्र दल को, जिसने कहा है कि यह स्थिति गृह-युद्ध को ओर ले जायेगी, कहना चाहूँगा कि यह गृह-युद्ध तो तभी आरम्भ हो गया था जब जमींदारों ने किसानों की भूमि छीननी आरम्भ कर दी थी अब तो किसानों ने केबल उनका प्रतिरोध करना आरम्भ कर दिया है ।

हमारे देश के किसानों को इस महान कार्य का सम्पादन करने में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता है ।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : The land grab movement has been given publicity in the press out of all proportion. The sponsors. of this movement are not sincere , instead they have been instigated by the Naxalites, It is an admitted fact that the land grab movemement is not at all justified. The problem of land ceiling is rather a law and order problem. When decision regarding land ceiling has already been taken and when this decision is not being implemented the door of the court of law should have been knocked for legal justice in the matter. But instead of adopting the constitutional means the people have taken law in their own hands.

If any hon. member of this House owns more land than the permissible ceiling, he should resign from the membership of this august House. But they are not prepared for this.

A ceiling on the urban property should also be fixed, and we should pass a resolution to the effect that a member shall not be eligible for contesting election to M. P. seat in case his property exceeds the ceiling fixed.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

The sponsores of land grab movement are owners of hundreds of Bighas of land. According to law a man is entitled to a maximum of 20 acres of land but people are owning hundreds of Bighas of land and shown that as divided among their sons.

The land grab movement did not raise its head in Bihar during the regine of the P. S. P. —S. S. P.—C. P.I. Coalition. This movement has been launched there as a vote-catching device in the coming elections when the elections are nearing. Instead of encouraging poor and landless people this movement, has raher dampened their courage because the target of the sponsores of this movement were rather poor people. The lands of those having 150 or 200 bighas have not been touched.

The response of the people towards this movement has been very poor. Though this movement has faiied, yet the Government should take this problem seriously. People expect much from the Government and they want that the large holdings of land should be acquired or taken away from the big land lords and it should be distributed among the poor znd the Harijans and that they should not be allowed to sell it. The land collected by Shri Binoba Bhave should also be distributed among the poor and the Harijans. Government should take this work in its own hand. Government should also extend some economic assistants to the poor and the Harijans.

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैंने भूमि हथियाओ आन्दोलन के आरम्भ होने से पूर्व उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली गम्भीर और भयानक कठिनाइयों और परिस्थितियों के बारे में भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं से विचार विमर्श किया था और इन अनुचित, भ्रष्ट तथा अविवेक पूर्ण ज्यादतियों के बारे में उनको चेतावनी दी थी, कि यह भूमि हथियाओ आन्दोलन नैतिकता, कानून और संविधान की दृष्टि से सर्वथा अनुचित तथा असामयिक है । ऐसा आन्दोलन किसी भी संगठन के लिये विशेषकर उन महान नेताओं के लिए जो इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं अनावश्यक, अनुचित और अप्रतिष्ठित है ।

जिस तरह से भारतीय साम्यवादी दल के कथित समर्थकों ने मिदनापुर में लोगों के साथ निर्मम ज्यादतियां की हैं वह किसी से छुपी नहीं हैं। इसी प्रकार की नृशंस यातनाएं दिनाजपुर और अन्य नगरों में भी की गई हैं जिससे इस आन्दोलन के नेताओं के उन बहानों का खोखलापन जाहिर हो जाता है कि यह आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहा है। इस सदन में कहा गया है कि यह राजनीतिक प्रचार है परन्तु यह यथार्थ बात है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के घरों को लूटा गया है, उनकी फसल लूटी गई है। कतिपय बोये भूमि वाले किसानों की पकी हुई खड़ी फसल लूटी और हथियाई गई राज्य के भू राजस्व मन्त्री का इन घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर भी ये नेता भूमि सुधार और खेतीहरों को सहायता देने का दम भरते हैं। हम प्रजातंत्र के मूल्यों और प्रक्रियाओं में विश्वास करते हैं। यह कांग्रेस सरकार जो 23 वर्षों से समस्त देश में शासन कर रही है परन्तु देश में भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करने में बुरी तरह असफल रही है और सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया है। इस सरकार की निन्दा करनी ही चाहिए। यहां तक कि पश्चिम बंगाल और केरल की राज्य सरकारें भी भूमि सुधार लागू करने में बुरी तरह असफल रही है। अब लोगों के दिलों से इसके प्रति विश्वास हट गया है।

पश्चिम बंगाल की भूमि सम्बन्धी बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने हेतु राज्य में अन्य राजनीतिक दलों के साथ विचार किया परन्तु भारतीय समाजवादी दल ने इसका बुरी तरह विरोध किया और इस प्रयास को असफल बनाया जिससे राज्य की स्थिति बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई है। देश में व्याप्त आन्दोलन और क्षोभ के लिए ये ही जिम्मेदार हैं।

यदि इस सरकार को हटाना ही है तो प्रजातांत्रिक ढंग से हटाना चाहिए।

यदि देश में 32 करोड़ एकड़ कृषियोग्य भूमि का उचित रूप से वितरण किया जाता, यदि सिंचाई सुविधाएँ समुचित रूप से जुटाई जातीं, यदि भू-स्वामियों और जमींदारों द्वारा हथियाई गई भूमि को उचित रूप से वितरण किया जाता, तो इस आन्दोलन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार देश में इन सब आन्दोलनों, प्रदर्शनों और गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। इस सरकार तथा इस प्रशासन पर यह एक कलंक है, जो जनता की दृष्टि में आज भी निन्दनीय है। 23 वर्षों से इस सरकार का कभी समर्थन नहीं किया, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। यदि आप लोकतंत्रीय प्रक्रिया और तरीकों में विश्वास करते हैं तो आपको लोकतंत्रीय, कानूनी और सांविधानिक प्रक्रिया और तरीके अपनाने पड़ेंगे। ऐसी प्रणाली में किसी व्यक्ति की दूसरे लोगों की सम्पत्ति हथियाने का अधिकार नहीं है। हमें देश में लोगों के विभिन्न प्रकार के दावों तथा सभी वर्गों के संघर्षपूर्ण हितों को एक करने और देश के लोगों की दशा सुधारने का कार्य करना चाहिए। वर्गहीन समाज के साम्यवादी विचार धारा में विश्वास नहीं करना चाहिए जहां पूर्वी यूरोप, रूस और चीन की तरह सब वर्गों तथा समुदायों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है। वे किसी मूल्य पर विश्वास नहीं करते। वे अनुशासन और वर्गहीन समाज में विश्वास करते हैं। वे केवल मजदूरों का शासन चाहते है। परन्तु हमने विश्व की सभ्यता संस्कृति को बनाये रखा है और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्निमाण किया है। हमारे इस देश में महान दार्शनिक, महान चिन्तक, महान वक्ता, राष्ट्र निर्माता और प्रशासक हुए हैं परन्तु ये नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों, जिन पर सभ्यता की यह संरचना पोषित हुई है, को

समाप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म की सत्ता को ही अस्वीकार करते है। प्रत्येक प्रकार की तानाशाही का विरोध करना चाहिए। हम अपनी सांस्कृतिक सत्ता, राजनीतिक एकता, सामाजिक वैयक्तिकता को विश्व की किसी भी शक्तिशाली सत्ता के सामने बलि देने को तैयार नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Sir, the subject under discussion has two improtant aspect, viz., measures pertaining to the land reforms and the agitation for land going on at present. But only two hon. Members among the participants in the debate have mentioned certain points on these two important aspects. These hon. Members are Shri Atal Behari Vajpayee and Shri Yogendra Sharma.

After listening to the speech of Shri Ranga no body can believe that he had ever participated in the land agitation. I was rather dismayed to hear Shri Bibhuti Mishra speaking against "*satyagrah*' and agitation. I would like to tell the significance of agitation and *satyagrah* which are directly connected with the interest of the people.

It is a well known fact that agitations and *satyagrahs* have played an important part in the attainment, of Independence. Had we not taken recource to agitations and *satyagrahas* we would not have succeeded in our mission of emancipating the country from foreign domination *Sztyagrahs* and agitations are the means through which equality and socialism can be ushered in the country. It is reasonable to conclude that those who are against the peaceful agitations are also against the right of equality and socialism.

On the eve of abolition of Zamindari the Zamindars had made a propaganda that in case Zamindari was abolished the land of small farmers would also be seized by the Government. The same feelings are now being instilled in the minds of the people. If the real position relating to land had been understood this confusion would not have arisen in the minds of the people and the hon. Members.

According to Government estimates 21 crore acres of land is cultivable in the country. If 10 to 12 crore acres out of this is distributed among the landless Harijans in chunks of 6 to 10 acres the problem of unemployment will be eased to a certain extent. I charge this Government for its failure in not distributing the cultivable land among the landless Harijans so far. They merely indulged in slogan mongering.

Then, half of the cultivable land is in the possession of only ten per cent of the landowners and the other half possessed in small holdings by the 90 per cent. Unless this kind of disparity in the distribution of land is removed, agitations for the land cannot be termed unjustified. Land reforms were first mentioned by Gandhiji in 1920 and by Shri Nehru in 1933 and the Congress in 1948, But it is deplorable that no appropriate steps have thus far been taken by the Government in this direction. I am constrained to say that no definition has been given to the word agriculturist. Are Birlas, Dalmias and the like agriculturists ? Is the Prime Minister Shrimati Indra Gandhi , who has taken pledge to usher in socialism in the country an agriculturist ? Her husband and father never engaged themselves in farming ? Then, how can she justify her possession over the four acres of farm ?

Sir, it is an open contradiction between the precept and the performance. I want to quote an example in this regard. In Mehrauli land is not owned by the farmers and it has not been distributed among the landless farmers but it is possessed by persons like Shri Gupta, an honorary Magistrate, Keshava Deo Malviya and Raja Karan Singh the cabinet Minister and several other influential persons. This area is fully developed and the price of land there is over ten to fifteen thousand rupees per Bigha, Moreover land is being acquired from the farmers while influential persons are still occupying the land (**Interruptions**). Sir, great show was made of raising the food production in 1952 by the Ministers sowing foodgrains in in their bungalows. But proper distribution of land has not been done so far. Actually,

the land has been concentrated in the hands of big business men, higher officials and the leaders particularly of the ruling party. Zamindari was abolished in Uttar Pradesh in 1952 and strangely enough all the big farms there were established after the abolition of Zamindari system.

Apart from this a law pertaining to ceiling on land holdings was passed in 1960, that this law has so many loopholes that only a fool would be caught under it. Under the land ceiling law, the Bihar Government have not treated a family as one unit. They have considered one man as one unit. Similarly, the law made by Uttar Pradesh Government contains a number of exceptions with ample opportunities for the landonwers toe escape the law. It clearly shows that the Government itself is not interested in carrying out the work of equal distribution of land. It is merely a propaganda and all the laws are made here for deceiving the public. It is these circumstances that have forced the people of the country to launch agitations and *Satyagrahas* to awaken the Government. We are being maligned in the name of land grabbing. But I want to clean the position that we are not the actual land grabbers. The actual Land grabbers are those who are already occupying land in excess of the ceiling land. The people participating in this agitation are interested only in getting the excess land back from them.

While deliveing her speech on the occasion of Independence day the hon. Prime Minister herself admitted the unequal and unlawful distributon of agricultural land. In this context may I know as to what steps have been taken to implement the land reforms in Delhi and Bengal because they are under the Central Government. I fully see through the trick of the Government which is interested only in slogan mongering and not in implementing suitable schemes. I demand that those in need of land should be provided with land and the others must be provided with employment. In case the Government are not able to give them employment they should be given un-employment allowances.

My third demand is that the persons belonging to the scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given 60 per cent representation in Government services because of their scant representation therein.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): Sir, on the eve of elections we make promise before the people that we will try to protect their rights. But as soon as we are elected we forget all those pledges and engage ourselves in maintaining our position. We should remember that all the political parties and the politicians are for the country andnot the vice versa. But I am sorrry to say that this concept does not permeate the minds of some politicians.

So far as the land-grab movement is concerned I woul d like to say that it is in the interest of poor people of the country and if through it necessities of life can be provided to them, we are prepared to participate in this movement. We are keenly interested in providing food, clothing and residential accommodation to all the citizens of the country and to some extent we have done it successfully. This grabbing movement will not be continued to land but ultimately extend to buildings, shops, factories and all other types of property. Through this movement such sentiments and feelings are being roused among the people as will certainly come in their way of earning livelihood with lawful means. Instead of undertaking hard work they will try to meet their requirements through grabbing movement and ultimately the law and order situation willcome to a pass in the country. It will lead the country to the civil war and then we will be deprived of our freedom which we achieved after continuous struggle for 80 years.

Sir, Bengal is a burning example in this regard. In the beginning of this movement in Bengal certain people tried to justify it but now insecurity has engulfed all spheres of society.

I should like to know from those hon. Members who are decrying the Congress Government as to who abolished Zamindari and Jagirdari system in the country ? I admit that some

people could not be provided with land so far. But at the same time I would like to point out that persons opposed to central Schemes have found entry into the State Governments. They cannot countenance the implementation of the Central Schemes, Government is taking speedy steps to tackle. this problem and it has been decided to implement the land reforms effectively ?

Sir, I want to furnish certain figures regarding the land ceilings. In Bengal land ceiling ranges from 12½ to 40 acres, in Andhra Pradesh from 16 to 200 acres, in Madras from 24 to 120 acres and in Mahrashtra from 18 to 126 acres. In Rajasthan and Punjab land ceiling has been fixed at 30 acres of land.

Now I come to the surplus land. In Bengal 7.94 lakh acres of land is surplus and in Andhra Pradesh the figures of surplus land are 7.36 lakh acres. In Bengal, out of the total acquired land, only 1.82 lakh acres of land has been distributed. Why the rest of the land has not been distributed among the people ?

So far as the agriculture labour is concerned, the number of labourers wholly dependent on agriculture has steadily been increasing since 1951. This alarming increase in their number calls for serious consideration.

Now, I want to give certain suggestions. My first suggestion is that the law governing the wages and companies should be made effective. Thirty acres of land should be considered standard ceiling and whosoever possesses thirty acres of land should be treated as the legal owner of that land irrespective of the original ownership. Even if that particular piece of land belongs to the Government, the man concerned should not be deprived of the land. At the same time he should not be allowed to sell that land.

Secondly, I suggest that the minimum holding should also be fixed at one acre of land. Land should be given to those persons who possess less than one acre of land.

My third suggestion is that Article 226 of the Constitution should be amended so that it may not stand in the way of implementation of the land reforms.

My fourth suggestion is that there should be a uniform policy for the entire country in this matter.

I also suggest that the same law should be extended to farms, forests, etc. and the ceiling fixed at 30 acres in their case also.

My sixth suggestion is that the unutilised land should be placed at the disposal of the Block *Samities* and *Panchayats* and that should be distributed among the landless labour including the Harijans and *Adivasis*.

My last suggestion is that a commission of Enquiry should be set up to enquire into those cases in which sizeable lands purchased from the farmers since 1947 at very low price as a result of which the purchasers have now become owners of property worth crores of rupees. No consideration should be given to the political status or official position of such persons and the Government should acquire all the lands from such persons. I do not mind if the amount actually paid by them to the farmers is given to them by the Government. But my demand is that the land must be acquired from them and distributed among the needy persons.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, we also agree to the proposal that legitimate ceiling on land should be fixed and the surplus land should be distributed among the landless labourers. But the actual problem is how this scheme should be implemented. Shri Yogendra Sharma has advocated for the present agitation for land. But my submission is that this agitation has created a sense of grabbing and lawlessness in he minds of the people. When the party of the hon.Member was in power in west Bengal they, along with their coalition

coalition partners decided to grab the land. But afterwards, they began to fight with each other because of the fact that every party was interested in distributing the surplus land among their own persons. All the political parties are fighting with each other. I would like to warn the hon. Members that if the democratic values are not given due regard people will certainly fight with each other and it will lead to social upheaval. I want to point out that Government machinery will again be required to deal with that situation .

It augurs ill that the word 'progressive' is being misunderstood in our country. Here only that man is considered progressive who defies the law, intimidates the labour not to go to their factories and entangles the students in unlawful activities. Now these so-called progressive thinkers have also started to provoke the agriculturists **(Interruptions)**.

My submission is that it can be understood if the opposition parties do not have faith in the present Government they should have full faith in law and order. Their attitude betrays an utter disregard to law and order and democracy.

So far as the State of Uttar Pradesh is concerned, I would like to point out, that Zamindari Abolition Act was first passed by that State in 1951. Shri Charan Singh the present B. K. D. leader had brought forward the all Comprehensive Bill which abolished Zamindari. Under that Act it is provided that the tillers only will be the real owners of the land and no body can usurp land of the real farmers. Ceiling on land was fixed in 1959 in that state and I may say that the land consolidation covered the largest area in Uttar Pradesh.

Shri Atal Behari Vajpayee has said that the surplus land should be given to the *Gram Samaja*. My submission is that according to the tenets of socialism excess land posessed by the individuals should be acquired and it should be given to the society. I feel that certain people indulged in corrupt practice at the *Gram Samaj* level. These things also came into the notice of the State Government and, therefore, to curb this thing an effective law was made in 1967. Under that law all the lease deeds made during the last three years were declared null and void . It was also ordered that the land, thus acquired, should be distributed among the landless persons.

Mention has also been made of the big farms in Uttar Pradesh. But I challenge the assertion of the hon. Member . It should be pointed out that the Uttar Pradesh Government issued orders to take over the farm owned by Birlas. But the matter has been filed in the court and therefore the Government cannot proceed further in the matter . It is a matter of concern that even the proper action taken by the State Governments is subjected to criticism. This tendency is not conducive to democratic set up of the country.

In the end, I would like to say that all the political parties admit that this problem is very serious. My submission is that all of them should jointly think over the solution of this problem. I feel that three major issues must be kept in mind while arriving at any decision. The increase in the agricultural production, legitimate distribution of land and the assurance of providing at least minimjum land to a family are the three major points which should be gi-given serious thought. I think, all the political parties having betterment of the poor as their goal should try to find out a peaceful solution to this problem. So far as this agitation is concerned I feel that it cannot be compared to the Satyagrah launched by Mahatama Gandhi. It is totally and basically different from that satyagrah. I claim that common people, students, farmers and even labourers have no faith in this agitation.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : महोदय ! कांग्रेस सरकार ने जमींदारी और रियासतों को समाप्त करने के बाद राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भूमिसुधार को कार्यान्वित करने के आदेश दिये। अधिकतर राज्यों में इस कानून को क्रियान्वित किया गया किन्तु कुछ राज्यों में मंत्रियों के पास

अधिक भूमि होने के कारण भूमि की अधिकतम सीमा बहुत अधिक रखी गई। तमिलनाडु में पहले 30 एकड़ की अधिकतम सीमा रखी गयी थी किन्तु सरकार बदलने पर वहां सीमा 15 एकड़ कर दी गई। इस प्रकार सरकारों के बदलने से पूरे देश में अधिकतम सीमा में समानता नहीं रह सकती। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश के लिये एक समान सीमा निर्धारित कर दे।

भूमि सुधार कानून को क्रियान्वित करने से पूर्व सरकार ने उस कानून में कुछ त्रुटियां रहने दीं जिसके कारण निगमित क्षेत्र पर वह कानून लागू नहीं हो सका। निगमित क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही कम्पनी के पास 2000 एकड़ भूमि से भी अधिक भूमि है तथा उसके अंशधारी भी पिता, पुत्र, पुत्रियां या परिवार के सदस्य ही हैं। ऐसे मामलों में भूमि सुधार कानून क्रियान्वित नहीं किया गया। सरकार इस कानून में संशोधन कर सकती है तथा इसके बाद निगमित क्षेत्र से फालतू भूमि लेकर गरीब लोगों में बांटी जा सकती है।

यह भी सच है कि प्रत्येक व्यक्ति को भूमि नहीं दी जा सकती क्योंकि भूमि सीमित है। अतः सरकार को लघु उद्योग और मध्य स्तर के उद्योग आरम्भ करने चाहिये। ग्रामीण जनता को वहीं प्रशिक्षण देकर उन उद्योगों में रोजगार देना चाहिये। भारतीय साम्यवादी दल भूमि हथियाओ आन्दोलन की आड़ में वास्तव में सम्पूर्ण देश को हथियाना चाहते हैं। 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन न होकर एक प्रचार है जिसके माध्यम से वे जनता में आर्थिक कठिनाईयां उत्पन्न करना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार को भूमि की अधिकतम सीमा इस ढंग से निर्धारित करनी चाहिये कि वह लाभप्रद भी रहे क्योंकि एक एकड़ भूमि के साथ नलकूप आदि लगाना लाभप्रद नहीं रहेगा। पश्चिम बङ्गाल तथा केरल में भारतीय साम्यवादी दल की जब सरकार थी तो इन्होंने किसी भूमि सुधार कानून को क्रियान्वित करने का कष्ट नहीं उठाया अपितु लोगों को भूमि हथियाने के लिये भड़काया। ये कानून को मोड़ने वाले व्यक्ति हैं। वहां पर भूमि सुधार कानून केवल उतना ही क्रियान्वित हुआ है जितना कांग्रेस सरकार ने किया था। इन्होंने केवल इतना किया कि जो भी भूमि जोत रहा है वह उसी की होगी तथा वह भूस्वामी को कुछ नहीं देगा।

इसका परिणाम यह हुआ कि जिन भूस्वामियों के पास 20 एकड़ भूमि थी उनसे वह छिन गई तथा जिन जोतदारों के पास 100 से 150 एकड़ तक भूमि थी वह भूस्वामी बन गये। उन्होंने यह समझा कि गांव के किसान ऐसे ही भूमि को छोड़ देंगे। किन्तु हुआ यह कि उन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया। यदि वे लोग कृषकों की जमीन हथियाने का प्रयत्न करते तो उनके शव भी वापस न मिलते।

महोदय ये लोग केवल नगरीय व्यक्तियों को तथा सरकार को धोखा दे सकते हैं, भूमि के मालिकों को छलने की इनकी सामर्थ नहीं है। भूमि के मालिक अपना जीवन दे सकते हैं किन्तु अपनी भूमि नहीं छिना सकते। धार्मिक संघों के नेता कहलाने वाले व्यक्ति मजदूरों को छल सकते हैं। उनसे एक एक रुपया चंदा लेकर अशोक होटल में ठहर कर वैभवपूर्ण जीवन बिता सकते हैं किन्तु कृषकों को धोखा नहीं दे सकते।

महोदय! इन लोगों ने आम चुनाव में बहुमत पाने की लालसा से यह भूमि हथियाओ आन्दोलन चलाया है। किन्तु मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि उन्हें कृषकों और कृषि मजदूरों से कोई

मत नहीं मिलेगा और देश में इनकी संख्या 85 प्रतिशत है । ये लोग इस आन्दोलन से भूस्वामियों और कृषकों में फूट नहीं डाल सकते ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं निवेदन करता हूं कि सरकार एक ऐसा कानून बनाये जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा समान रखनी होगी । वर्तमान स्थिति यह है कि कांग्रेस सरकार यदि भूमि की अधिकतम सीमा 20 एकड़ निर्धारित करती है तो दूसरी सरकार उसे घटाकर 10 या 5 एकड़ कर देती है । इससे देश में अन्न के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

सभी समझते हैं कि देश में कृषि क्रांति आई है किन्तु यह कृषि क्रांति लाया कौन है । यह क्रांति कृषक लाया है, उसका कठोर परिश्रम लाया है । यदि ये भी अन्यों की भांति खाद्यान्न उत्पादन करने में हड़ताल कर दें तो इन वातानुकूलित बंगलों में रहने वाले लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा ।

कहने को तो सभी कहते हैं कि कृषक देश के रथ की धुरी है किन्तु ये उसी कृषक से उसकी भूमि छीनना चाहते है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनमें इतनी सामर्थ्य है कि बड़े-बड़े नगरों में जाकर बड़े उद्योगपतियों के भवनों को हथिया सकें । उन बड़े उद्योगपतियों की भूमि क्यों नहीं हथियाई जाती जिनके पास 2,000 एकड़ भूमि से भी अधिक है ।

तमिल नाडु में क्या हुआ ? वास्तव में इन लोगों को वहां के मुख्य मन्त्री का बड़ा आभार मानना चाहिये क्योंकि उसने 5,000 से 6,000 लोगों को गिरफ्तार नहीं कराया । यदि ये लोग वास्तव में खेतों तक चले जाते तो इनके शवों का खाद बना लिया जाता ।

किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस मूर्ख सरकार ने भूमि हथियाओ आंदोलन की निन्दा करने के बजाय इनकी गतिविधियों की फिल्म बनाई जिसे देश के सिनेमाघरों में दिखाया जा रहा है । क्या सरकार स्वयं इस आन्दोलन को प्रोत्साहित करना चाहती है ? क्या सरकार ने कभी किसी बैंक में डाले गये डाके या लूटपाट की घटनाओं की भी फिल्म बनाई है ? यदि सरकार इसे उचित नहीं मानती तो इस कार्य को कैसे उचित मानती है ? यह भी सुना जाता है कि स्वयं प्रधान मन्त्री और सरकार इस आन्दोकन के पीछे हैं । यदि यह सच है तो 1972 के आम चुनाव में इस सरकार को भी सत्ता से वंचित होना पड़ेगा ।

Shri Shastri Bhushan (Khargone) : Sir, I heard the speech of Shri Uma Nath with rapt attention and I am sorry to say that he should have said such things. I feel that the land problem cannot be solved by fighting with each other. I would also like to request the hon. friends who believe in socialism that they should have launched this movement properly. If they had tried to grab the land of Maharani Gwalior, it would have been worth appreciating. Birlas and Sahu Jain are also among those persons who own bigger farms. They should have grabbed their land. They have ignored the major problem and engaged themselves in minor things. They tried to grab the four acres of land of Shrimati Indira Gandhi who got it from her husband Shri Feroze Gandhi. It was the desire of Shri Feros Gandhi that a building should be erected on this plot for the retired persons. Shrimati India-Gandhi also wants to dedicate that land to the society. It shows that these people are interested only in disrupting the forces of socialism. Their activities have rather slowed down the speed of the implementation of land reforms and resulted in dissipating the forces of socialism. It has been decided by the Congress, in Bombay, that the land reforms would be implemented

speedily. I also want to point out that during the struggle for Independence certain political leaders including those of congress surrendered their land willingly. Others should also emulate their example.

Thoose in possession of excess land are morally bound to surrender the surplus land. Actually, the anti-social element and vested interests have distorted the thinking behind this movement. I appeal to all the socialistic forces to stand well organised and to work with more vigour and courage. It has been decided by the Government to take action against those Congress Governments which will not implement the land reforms. I assure you, Sir, that this movement has instilled a feeling the minds of the people which will not allow the exploiters and big Zamindars to get elected again.

Harijans are treated in the villages as surfs now a days. They are victimised in various ways. But it is also correct that the Harijans and the Adivasis have regained the sense of respect and dignity and they will certainly achieve their rights. I am sure, that Shri Fakhruddin will certainly succeed in carrying out the promise which he is going to make and the country will co-operate with him.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री।

Shri Ram Charan (Khurja) : Sir, I rise on a point of order. Sir, it is a matter which pertains to the scheduled castes and scheduled Tribes but no member from them has spoken on it. I may, therefore, be allowed to participate in this discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

Shri Ram Charan :*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि भूमि सम्बन्धी समस्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों से बहुत सम्बन्धित है किन्तु इस चर्चा के लिए 20 घन्टे निर्धारित किये गये हैं। कठिनाई यह है कि यदि मैं किसी एक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देता हूँ तो मुझे अन्यों को भी देनी होगी अतः माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सहयोग दें।

उपाध्यक्ष महोदय : भूमि सुधार की समस्या पर चर्चा के लिये 20 घन्टे का समय निर्धारित किया था केवल 6 घन्टे और शेष रहते हैं मेरा निवेदन है कि सभी सदस्य अपना सहयोग दें और इस विषय पर बोलने के लिये जिद न करें जिससे शेष सदस्यों को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो जाय। यदि आपकी सहमति हो, तो मैं दूसरे लोगों को बोलने का अवसर दूं। मन्त्री महोदय।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : भूमि सुधार के उपायों के विषय में माननीय सदस्यों ने प्रशंसनीय अभिरुचि प्रदर्शित की है।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
SHRI VASUDEVAN NAIR IN THE CHAIR]

इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि भूमि सुधार का प्रश्न हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका इतना अधिक महत्व होने के कारण जिस समय योजना आयोग ने इसकी ओर ध्यान दिया था, उसी समय आयोग ने भूमि के सम्बन्ध में एक सामान्य नीति निर्धारित

*सभा के कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

की थी जिसका कि पालन करना है। वास्तव में ऐसा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था और इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका विस्तार किया गया और तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में उसे दुहराया गया था।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भूमि सुधार को लागू करने का कार्य आशा से बहुत कम हुआ है। इस सम्बन्ध में यह बात याद रखनी चाहिये कि हम जिस समस्या को निपटा रहे हैं वह समस्या ब्रिटिश सरकार पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत विरासत के रूप में छोड़ गई थी जिससे हम जो शीघ्र परिवर्तन करना चाहते हैं वे परिवर्तन करने हमारे लिये कठिन हो गये। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस प्रणाली में परिवर्तन करने आरम्भ किये गये। इस सम्बन्ध में चार या पांच दिशाओं से कदम उठाये गये हैं अत: यह कहना कि भूमि सुधार के लिये 20 वर्षों से कुछ भी नहीं किया गया है गलत है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी समाप्त करने के उद्देश्य से भी भूमि सुधार की समस्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर जमींदारी, जागीरदारी, इनामों तथा अन्य बिचौलियों को समाप्त करने का कार्य किया गया।

कांग्रेसी सरकारों ने इस सम्बन्ध में सराहनीय कार्य किया है। इन सरकारों ने अपने राज्यों में कानून ही नहीं बनाये अपितु, जमींदारी और इनामों आदि के अन्तर्गत आनेवाली भूमि को अपने अधिकार में लिया है लगभग 200 लाख लोग सरकार के सीधे काश्तकार हो गये हैं।

इसके अतिरिक्त अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये भी कार्यवाही की गई। यह सत्य है कि अधिकतम सीमा समूचे देश में एक समान नहीं रही है विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, समूचे देश में एक ही अधिकतम सीमा रखना संभव न होगा।

नवम्बर 1969 में मुख्यमन्त्री सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा की गई। इस बात से सभी सहमत थे कि सर्वत्र अधिकतम सीमा एक समान नहीं हो सकती। किन्तु यह भी ठीक है कि बहुत से मामलों में सीमा घटाने के कारण हैं और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप ही केरल और आसाम में इस ओर कुछ कदम उठाये गये हैं जिससे अधिकतम सीमा में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हो जायगी।

यह कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने पश्चिमी बंगाल में कुछ नहीं किया है। जो लोग ऐसा कहते हैं, वे स्वयं भी कुछ समय के लिये सत्ता में रहे हैं, वे भी इस प्रकार के असन्तोषजनक कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सके। अब वहां राष्ट्रपति शासन है अत: यह कार्य हम पर छोड़ दिया गया है। हाल ही में हमने बर्गादारों को अधिक अधिकार देने वाला कानून बनाया है। मैं सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि हम अधिकतम सीमा को कम करने तथा एकक के रूप में व्यक्तियों के स्थान पर परिवार के आधार पर भूमि का आंबटन करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करने वाले हैं। यही कदम हम देश के सभी भागों में उठाना चाहते हैं।

जहां तक भूमि की चकबन्दी का प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा में यह कार्य पूरा हो चुका है और गुजरात तथा महाराष्ट्र में इस ओर तेजी से कार्यवाही की जा रही है। हमें विश्वास है दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही किया जायगा।

किरायेदारों की लगान के भुगतान तथा भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला उपबन्ध रखा गया है। कई साझीदारों अथवा बटाईदारों को अधिकार दिया गया है और वे लोग स्वामी बन गये हैं। इसके अन्तर्गत लगभग 30 लाख लोग भूमि के स्वामी बन गये हैं।

कई राज्यों में भूमि सुधार विधान पारित हो गये हैं। बहुत से राज्यों में ये विधान सन्तोषजनक हैं किन्तु जहां ये सन्तोषजनक नहीं हैं वहां इसमें परिवर्तन लाने के लिये हिंसात्मक उपायों को अपनाने के बजाय संशोधन करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस दिशा में और भी बहुत सा कार्य किया जाना है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये हमारी प्रगति असन्तोषप्रद है। यह सत्य है कि हमने अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सुरक्षा के लिये कानून बनाये हैं, उन कानूनों को क्रियान्वित भी करना है, जहां क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, हमें इन कानूनों को क्रियान्वित कराने के लिये प्रयास करना चाहिये। इस उद्देश्य से भूमि राज्य का बिषय ठहरतो है।

कानूनों के क्रियान्वयन की देखभाल के लिये खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में एक समिति बनायी जा रही है जो राज्य स्तर पर इस विषय में चर्चा करेगी और यह देखेगी कि बनाये गये कानूनों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा रहा है।

मेरा विचार शीघ्र ही मुख्यमन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का है जिसमें उनसे यह पूछा जायगा कि ये लोगों की, संसद्सदस्यों की मांग है वे किस सीमा तक उन्हें पूरा करने का विचार करते हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिये वे कितना समय चाहते हैं। इस परामर्श के बाद ही उन विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के लिये एक समय निश्चित कर दिया जायगा जब तक ये सभी उपाय क्रियान्वित हो जाने आवश्यक होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जायगी·········(**व्यवधान**)

यहां कुछ सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि 1947 से भूमि का किस प्रकार से अर्जन किया गया। यह अपेक्षित है कि विभिन्न राज्यों द्वारा अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने वालों की खोज की जानी चाहिये। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिये या की गई है, इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और इसकी जांच पड़ताल की जायगी।

जहां तक आन्दोलन के औचित्य-अनौचित्य का प्रश्न है, हमारी नीति इस प्रकार के आन्दोलन का तनिक भी समर्थन नहीं करती है। वास्तव में यदि भूमि सुधार का ध्येय कृषि विकास को प्रोत्साहन देना है तो यह आन्दोलन देश के कृषि उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करेगा।

यह खेद की बात है कि कई अवसरों पर इस वाद विवाद में प्रधान मंत्री के नाम को भी घसीटा गया है और यह विचार पैदा किया गया है कि प्रधान मंत्री का भी एक फार्म है, जो अधिकतम सीमा से अधिक है। एकमात्र भूमि, जो उनके स्वर्गीय पति के नाम पर है, जो लगभग चार एकड़ है, वह निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्दर ही है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह भूमि सामाजिक अभिप्रायों के लिये रखी जा रही है, और यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है कि इस भूमि को जोतने के अभिप्राय से रखा हुआ है, तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि

एक व्यक्ति को चार एकड़ के लगभग भूमि रखने का अधिकार है। प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रचार और अभियान को जारी रखने के लिये, बार-बार इस प्रश्न का उल्लेख किया जाता है।

अन्त में मैं फिर यह दुहरा देना चाहता हूं कि गत 20 वर्षों में जो कुछ किया गया है, वह बहुत ही क्रान्तिकारी है और यदि उसी शक्ति के साथ सभी उद्देश्यों का पालन किया जाता है और इन्हें क्रियान्वित किया जाता है तो कोई भी शिकायत नहीं होगी। इस प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी लोकतंत्र का उदय होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष फैला है जिसके लिये हम सभी दोषी हैं। सौभाग्यवश, इसी उद्देश्य से सही, देश के राजनैतिक ढांचे में 1967 से एक परिवर्तन आया है और लगभग देश के सभी दलों को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्या ये लोग सच्चाई के साथ कह सकते हैं कि व्यक्तियों की आशा के अनुकूल कानूनों में संशोधन करने के लिये इन्होंने लोकतांत्रिक उपायों से कार्य किया है। वास्तव में ये ऐसा नहीं कह सकते। हमारा सामाजिक ढांचा कई प्रकार से दोष पूर्ण है। आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया गया और वायदों को पूरा नहीं किया गया। इन सभी दोषों को दूर करना होगा। इन्हें दूर करने के लिये हिंसात्मक उपायों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। यदि ऐसे ढंग अपनाये जाते हैं तो कोई भी अच्छा कार्य कर पाना असम्भव हो जाता है। यह सब कुछ सरकार को करना है, और कोई सन्देह नहीं है कि यह कुछ शान्तिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से लोगों की इच्छानुसार हो किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की जमीनों को सवर्ण हिन्दुओं द्वारा खरीदने के प्रश्न के बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की जमीन खरीदने से व्यक्तियों को रोका गया था। यदि इसका कोई उल्लंघन किया गया है तो इस सम्बन्ध में जांच करायी जायेगी और आवश्यक कार्यवाही के बारे में विचार किया जायगा।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मन्त्री महोदय ने अपने दल की कमियों को छुपाने के लिये ब्रिटिश राज्य का सहारा लिया है। क्या उन्हें पता है कि श्री मैकार्थर की सैनिक तानाशाही के समय जापान में दो वर्ष के अन्तर्गत ही भूमि जोतदारों में बांट दी गई थी और उसने अपने आपको कभी समाजवादी भी नहीं कहा। क्या उन्हें यह भी पता है कि तैवान में चांग काई शेख जो समाजवादी नहीं है, के शासन में भूमि का पुनर्विभाजन किया गया ? क्या 8 अगस्त 1942 में हुये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संकल्प से इस बात का निर्देश नहीं मिलता है कि ब्रिटिश राज्य के बाद भूमि को किस प्रकार बांटा जायगा ? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में जिसमें गांधी जी भी उपस्थित थे, यह आश्वासन दिया गया था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भूमि का बंटवारा किया जायगा। अत: अपनी असफलता को छुपाने के लिये ब्रिटिश राज्य का सहारा लेकर आप हमें धोखे में नहीं डाल सकते।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह कहना उचित नहीं है कि 20 वर्षों से कुछ भी नहीं किया गया है। बिचौलियों को समाप्त करने से लगभग 200 लाख लोग सीधे काश्तकार बन गये हैं और 30 लाख व्यक्तियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान हो चुका है।

Shri Ram Charan (Khurja) : The capilatists, Black marketeers and the Industrialsits, in order to utilize their black money, are purchasing land from the poor farmers. Do Government propose to bring forwards a Bill to prevent these activities ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस सुझाव पर ध्यान दिया जायगा ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 20 अगस्त, 1970, 29 श्रावण, 1892 शक के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, August 20, 1970, Sravana 29, 1892 (Saka)

Printed at Law Publishing House, Allahabad